राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 8) सप्तम् विधान सभा के अष्टम् सत्र का पच्चीसवां दिवस (संख्या 16

वृहस्पतिवार

दिनांक 29-3-1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री उम्मेदसिंह।

जयपुर शहर में चालित मिनी बसेज

398. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में चल रही मिनी बसों पर 500) रु. स्पेशल रोड टैक्स प्रति माह वसूल किया जाता है? क्या यह सही है कि असेसमेन्ट के समय 250) रु. से 300) रु. माहवार टैक्स वसूल किया जाता था?

(2) क्या बस आपरेटर्स को बैंक से बस हेतु लिये गये ऋण पर सरकार की तरफ से कोई रियायत दी जाती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(3) हिन्दुस्तान मोटर वाहन घटिया किस्म के होने पर भी इन रूटों पर किस आथोरिटी द्वारा मंजूर की गई?

(4) जयपुर शहर में कितने मिनी बस रूट स्वीकृत हैं, कितने वाहनों को परमिट दिये गये हैं और कितने ओवरलेपिंग रूट दिये गये हैं?

(5) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि जयपुर शहर में ओवर लोड चलने वाली मिनी बसों का चालान किया जाता है जबकि इस आधार पर राज्य परिवहन निगम की बसों का चालान नहीं किया जाता? यदि हां, तो यह भेदभाव क्यों है?

(6) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के रूटों का वर्गीकरण किया हुआ है?

(7) क्या अनुसूचित जाति और जन-जातियों के व्यक्तियों के लिए कुछ रूट सुरक्षित हैं? यदि हां, तो कितने?

(8) क्या भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी रूट आरक्षण अथवा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों और अब यह सुविधा कब तक उपलब्ध

(श्री उम्मेदसिंह)

करवा दी जावेगी ?

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां, कर निर्धारण के समय जो भी कर देय होता है वही वसूल किया जाता है।

(2) जी नहीं, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) हिन्दुस्तान मोटर वाहन घटिया किस्म का होने की सूचना परिवहन निगम को प्राप्त नहीं हुई है ?

(4) जयपुर शहर में मिनी बसों के 24 रूट स्वीकृत हैं जिन पर 250 वाहनों को परमिट दिये गये हैं। सभी मार्ग एक दूसरे का आंशिक रूप से ओवर लेपिंग करते हैं।

(5) मोटर वाहन अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत बैठक क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने पर वाहनों के चालान किये जाने का प्रावधान है। अतः किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।

(6) जी हां। सभी मार्ग 'अ' श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

(7) जी नहीं। रूटों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(8) जी नहीं। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कोई आरक्षण नहीं है परन्तु उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

श्री उम्मेद सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग संख्या (2) पर मेरा सप्लीमेन्ट्री है कि अन्य राज्यों में ऋण का प्रावधान है तो आप यहां क्यों नहीं दे रहे हैं ? प्रश्न के भाग (7) पर सप्लीमेन्ट्री है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि रूटों का आरक्षण नहीं है। आपने रूटों के आरक्षण के बारे में पूछा है, रूटों का कोई भी आरक्षण नहीं होता है। परमिटों में आरक्षण होता है इसलिए परमिट आरक्षण में पर्सेन्ट है 16 पर्सेन्ट और 12 पर्सेन्ट लेकिन रूटों का आरक्षण नहीं होता है।

दूसरा लोन देने का सवाल है वह वित्त निगम देता है। वे वहां एप्लाई करते हैं। आपने राज्य सरकार की बात पूछी है इसलिए उत्तर दिया है, राज्य सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है। वह वित्त निगम में जायं और वहां से ऋण लें।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन कच्चे रूटों को राष्ट्रीयकरण में लिया है क्या उन सभी रूटों के ऊपर आज भी परिवहन निगम की बसें चल रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपने प्राथमिकता से रूट देने के लिए जो

(श्री महाराम चौधरी)

बताया है उसमें आपकी प्राथमिकता का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ क्या यह सही है कि जयपुर में जो वाहन चलते हैं उन सभी में बहुत ज्यादा सवारियां जाती हैं लेकिन एक का भी चालान नहीं किया जाता है उसके कारण आये दिन एक्सीडेन्ट्स होते हैं, आये दिन सवारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मिनी वसों का पूछा है। मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। कुछ और बात हो तो सदस्य पूछ लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन के माध्यम से आप पूछें। आप बैठ जायं ।

श्री रामकंवार बैरवा

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि रूटों में आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जाति और जन जाति का परमिट देने में आरक्षण है तो, अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि परमिट में आरक्षण आपने पूरा कर रखा है या कम है ? और कम है तो कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, परमिट में आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों ने परमिट के लिए एप्लाई किया। 14 परमिट अनुसूचित जाति के लोगों को दिये हैं और 12 परमिट अनुसूचित जन जाति के लोगों को दिये हैं। इस तरह से 26 परमिट उनको दिये गये हैं। और भी एप्लाई करते तो परमिट दे देते, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी व्यक्ति की एप्लीकेशन खारिज हो तो कह सकते हैं। जितनी एप्लीकेशन्स हैं एक साल के लिए हम कैरी फारवर्ड कर देते हैं उनको ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मिनी बसों के अन्दर ओवरलोडिंग होता है उनका चालान करते हैं तो बता दें कि 1983-84 में कितने चालन किये ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

क्या आप स्वयं नहीं जानते और माननीय सदस्य नहीं जानते कि किस प्रकार से मिनी बसेज ओवरलोड होकर चलती हैं ? यह आप स्वयं जानते हैं तो फिर क्यों सदन को गुमराह करते हैं कि ओवरलोड नहीं होती और चालान किया जाता है ? आप बता दें 1983-84 में कितने चालान किये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज। बैठ जायें। माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। उत्तर नहीं आयेगा।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि शहर में दो प्रकार की बसेज चलती हैं एक तो छोटी और दूसरी ऊंची वाली, तो क्या दोनों से बराबर टैक्स लिया जाता है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : टैक्स तो बैठक की क्षमता के आधार पर लिया जाता है।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : जिस गाड़ी में कोई खड़ा नहीं हो सकता उनसे भी वही टैक्स और जिसमें खड़े हो सकते हैं उनसे भी वही टैक्स ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या आपको जानकारी है कि मिनी बसेज ओवरलोड चलती हैं ? आप एक भी मिनी बस बता दें जो ओवरलोड नहीं चल रही हो।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

समय न लें, माननीय सदस्य, बैठ जाय।

अगला प्रश्न।

माननीय सदस्य, उत्तर नहीं दिया जायेगा। व्यर्थ में समय न लें, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न।

आर्डर प्लीज। नियमों की अवहेलना न करें कृपया। बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पुकार लिया।

श्री देवीसिंह भाटी : आम समस्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

इटावा गन्ना कांड की पुनः जांच

399. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा में हुए गन्ना कांड की जांच जिलाधीश महोदय द्वारा पुनः की जा रही है ?

(2) क्या जांच पूर्ण कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शीघ्र उक्त कांड की जांच कर दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले में गबन सिद्ध हो जाने के बाद भी सरकार किसानों से ऋण वसूल कर रही है ?

(5) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों पर लिखे फर्जी ऋण से उनको मुक्त करने के आदेश प्रदान करेगी ?

पंचायत राज मन्त्री, (श्री शीशराम ओला) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) उक्त प्रकरण को जांच स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा की गई थी। अधिक विस्तृत छानबीन करने हेतु मामला दिनांक 3-1-79 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेजा गया। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की राय के अनुसार जिलाधीश, कोटा के माध्यम से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस द्वारा धारा 409/468 आई.पी.सी. के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया तथा दिनांक 27-6-81 को अदम सबूत में अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं के कारण पंचायत समिति को हानि होने की संभावना होना जिलाधीश, कोटा द्वारा व्यक्त किया गया है। अतः परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को लिखा गया है कि वे विस्तृत अंकेक्षण करें ताकि उसके आधार पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी का निश्चित किया जाना संभव हो सके।

(4) अभी तक कोई गबन सिद्ध होना नहीं पाया गया है। फिर भी दिनांक 10-9-82 से काश्तकारों से वसूली स्थगित है।

(5) अभी तक कोई ऋण फर्जी होना नहीं पाया गया है। अतः ऋण से मुक्ति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह मामला, अभी मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया, पिछली बार भी विधान सभा में डिसकस हो चुका है। इस मामले की अंकेक्षण विभाग, इनके डिपार्टमेंट और भ्रष्टाचार विभाग, तीनों ने पहले जांच की हुई है। उन्होंने पाया है कि इस मामले में गबन हुआ है। इस आधार पर इस मामले में पाये गये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ केस रजिस्टर कराये गये। पुलिस के सामने किसानों ने सारी बातें पेश की हैं, थानेदार ने बयान लिये हैं. किसानों ने बयान दिये हैं कि हमने कोई ऋण नहीं लिया है यह फर्जी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरू से ही दोषी व्यक्तियों को बचा रहे हैं, पुलिस से सांठगांठ करके अदम सबूत किया जा रहा है। किसानों ने बयान दिये हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। पिछली बार यह सारा मामला डिसकस हो चुका है। मन्त्री महोदय ने सदन में फरमाया था कि मैं इसकी पुनः जांच करवा रहा हूँ। मेरे एक प्रश्न के खण्ड (3) के उत्तर में पिछली बार इन्होंने जवाब दिया था, "दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिये जिलाधीश को आदेश दे दिये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्य-

(श्री हीरालाल आर्य)

वाही की जायेगी।" फिर जब यह प्रश्न उठाया गया तब आपने फरमाया, "जिलाधीश, कोटा से अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि पंचायत समिति, इटावा द्वारा गन्ना वितरण में गबन और घोटाला किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।" खण्ड (2) में लिखा है, 'इस मामले की जांच हेतु जिलाधीश, कोटा को लिखा गया है। जिलाधीश, कोटा से अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः पुनः स्मरण कराया गया है।" अभी आप बिल्कुल नकार रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपयों का गबन है। किसान कह रहे हैं गन्ना हमने लिया नहीं है।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, इस मामले के दो चार जवाब हो नहीं सकते। माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया, मैंने इनको जवाब दिया है। सबसे पहले माननीय सदस्य ने 24.2.77 को अपने पत्र के माध्यम से लिखा कि 7 हजार रुपये दिये और 10 हजार के वाउचर पर दस्तखत लिये। यह गलत है। इसमें जांच शुरू हुई। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच पूरी करने के बाद कलेक्टर, कोटा को निवेदन किया कि केस दर्ज करायें। उसका कोई सबूत नहीं। केस खारिज कर दिये। कलेक्टर, कोटा ने 18.2.83 को अपनी रिपोर्ट भेजी है उसमें कहा है कि कोई दोषी नहीं है। अब मैं नहीं समझ पाया, इसका और क्या जवाब आ सकता है। 1964-65 का 20 वर्ष पहले का मामला है, आज तक कुछ हुआ नहीं हो, कहीं पर भी गबन के बारे में किसी के खिलाफ सबूत नहीं है। फिर भी यदि आप नाम दें, उनकी एप्लीकेशन्स दें कि 7 हजार देकर 10 हजार के दस्तखत कराये हैं, सबूत पेश करें तो मैं आज भी कहता हूँ पूरी जांच कराऊंगा। लेकिन आप प्रश्न पूछ लेते हैं कोई सबूत देते नहीं, एप्लीकेशन आप दिलवाते नहीं, मैं क्या करूं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, किसानों ने बयान दिये हैं। उनके पास सब बयान रिकार्डेड हैं। उनके बयानों को इधर उधर कर दिया। कोई कुछ कहता नहीं है।

श्री शीशराम ओला : मैं आपकी तरह से गलतबयानी नहीं कर सकता। सरकारी रिकार्ड के आधार पर कहता हूं। आपके पास कोई सबूत है तो फरमाइये, पूरी जांच करवाऊंगा।

श्री हीरालाल आर्य : कलेक्टर ने आपको गलत बात लिखी है। इसकी जांच पहले भी हो चुकी है। उस जांच का क्या हुआ? उस जांच में कई दोषी ठहराये गये हैं। किसानों ने बयान दिये हैं। 18 लोग हैं, बार बार जाकर धमकियां देते हैं। पैसा लाओ। कोई मुर्गा बनाता है। इन दोषियों को आप बख्श रहे हैं।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार माननीय सदस्य ने इसमें प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मैंने काश्तकारों की सारी वसूलियां स्थगित कर दीं। उसकी लोकल फण्ड आडिट विस्तार से जांच कर रहा है। कहीं भी यदि कोई काश्तकार ऐसा है तो यह कहें कि 7 हजार देकर 10 हजार के वाउचर पर दस्तखत कराये हैं।

(श्री शीशराम ओला)

आप बतायें, हम निश्चित रूप से जांच करायेंगे। सरकार कृत संकल्प है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : केवल एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह एफ. आई आर. किसने दर्ज कराई थी? तीन बार जांच हो चुकी है। तीनों बार दोषी पाये गये हैं। चौथी बार वही कलेक्टर, जिसने एफ. आई. आर. दर्ज कराई थी, लिखता है, कोई शिकायत नहीं है। सारे कोटा जिले में यह चर्चित विषय है। बी. डी ओ., जो आर. ए. एस आफिसर है, सारा मैनुपुलेशन कर रहा है। कलेक्टर एफ. आई. आर. दर्ज कराता है, उसके बाद आप कह रहे हैं, कुछ नहीं है।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, यदि कहीं ढिलाई बरती गई है तो जनता शासन काल में बरती गई है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह असत्य है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, बैठ जायं। अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी :....79 से 84 तक आपकी सरकार थी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती विद्या पाठक।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न।

मत्स्य सहकारी समितियां

400. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या मत्स्य पालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 5 वर्षों में 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) से अधिक आय वाले कितने जलाशयों में मत्स्याखेट का ठेका कितनी कितनी राशि पर राज्य की मत्स्य सहकारी समितियों को दिया गया है? कृपया ठेकों की सूची वर्ष, समिति का नाम व जलाशय का नाम दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सहकारी समितियों में से कितनी समितियों को विभाग द्वारा देय प्राइस प्रिफरेन्स का लाभ दिया गया? इसके कारण विभाग को कितनी धनराशि इन ठेकों में कम प्राप्त हुई?

(3) क्या इन सहकारी समितियों को प्राइस प्रिफरेन्स देने से पूर्व इनके अभिलेख जैसे उपनियम, स्थिति विवरण, पिछले वर्षों के लेखे के अंकेक्षण प्रतिवेदन आदि की जांच की गई? यदि हां, तो कितनी समितियों के अभिलेख सही पाये गये और कितनों के गलत पाये गये?

- (श्रीमती विद्या पाठक)

(4) क्या इन समितियों के पास ठेका लेने के लिए देय राशि चुकाने जितना धन था ? यदि नहीं, तो वे उनके उप नियमों के अनुसार ऋण प्राप्त कर सकने को सक्षम थीं ?

(5) उक्त में से कितनी सहकारी समितियों ने खुद काम किया व कितनी समितियों ने अन्य लोगों से यह काम कराया ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, मत्स्य पालन (श्री रामकिशन वर्मा : (1) 27 मत्स्य सहकारी समितियों को मत्स्य आखेट का ठेका दिया गयाहै। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट अ)

(2) पिछले पांच वर्षों में सात सहकारी समितियों को प्राइस प्रिफरेन्स का लाभ राजस्थान मत्स्य अधिनियम के अन्तर्गत दिया गया। इससे रु. 87,974.95 की धनराशि कम प्राप्त हुई।

(3) इन सहकारी समितियों को प्राइस प्रिफरेन्स देने से पूर्व इनके अभिलेख जैसे उपनियम, स्थिति विवरण, पिछले वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन आदि की जांच करने का उत्तरदायित्व सहकारी विभाग का है।

(4) मत्स्य विभाग की जलाशयों के ठेकों से सम्बन्धित किसी भी मत्स्य सहकारी समिति पर बकाया नहीं है।

(5) प्रायः सभी सहकारी समितियों ने अपने मैम्बरों के साथ-साथ अन्य लोगों से मछली पकड़वाने का कार्य कराया है। परिशिष्ट (स) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट I देखें)

श्रीमती विद्या पाठक: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगी कि जो प्रश्नों के उत्तर आपने दिये हैं, वे प्रश्नों के उत्तर आपके विभाग ने कैसे दिये हैं यह तो आप जानें परन्तु आपने गोलमाल जवाब दिया है। आपके विभाग के नियमों के अनुसार सहकारी समितियों को प्राइस प्रिफरेन्स देंगे जो साढ़े बारह प्रतिशत होता है। वह साढ़े बारह प्रतिशत इस आधार पर देते हैं कि सहकारी समिति हो और वह अपने नाम पर ठेका लें। यह आपने प्रश्न के जवाब में कहा है कि उस समिति की इन्टेग्रिटी भी देखी जाती है, उसके अकान्ट्स क्या हैं, उसकी क्षमता है या नहीं है, उसके अकाउन्ट्स अंकेक्षण हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर यह आपने उल्टा जवाब क्यों दिया है? सहकारी समिति के अकाउन्ट्स, स्टेटमेंट, बैलेन्स सीट वगैरह देखने का काम सहकारी विभाग का है। उसे आप प्राइस प्रिफरेन्स का लाभ साढ़े बारह प्रतिशत का देंगे ? इस सम्बन्ध में आपके विभाग में बड़ा भारी घोटाला है। वर्ष 1980-81 में एक आदर्श मछली पालन सहकारी समिति है और यह सहकारी समिति साढ़े बारह प्रतिशत कन्सेशन ले लेती है। आप सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देते हैं लेकिन होता क्या है कि वे बड़े मछली पालकों को ठेका दे देते हैं। इस तरह दूसरी बार भी साढ़े बारह प्रतिशत कन्सेशन और दे देते

(श्रीमती विद्या पाठक)

हैं। आपका विभाग इस जिम्मेदारी से वरी रहना चाहता है। अब, माननीय मन्त्री महोदय, आदर्श मछली पालन सहकारी समिति को आपने राणा प्रताप सागर में टेण्डर लेकर ठेका दिया। उसने अपने आप इस पर दूसरों को ठेका दे दिया। आपने उनको ठेका इस मान्यता के अन्तर्गत दिया कि इस माध्यम से छोटे मछली पालकों को प्रोत्साहित करेंगे किन्तु उसने सब-लेट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी स्वीकृति से यह कहना चाहती हूँ कि आपने वर्ष 1983-84 में गंगानगर जिले की सहकारी समितियों के तालाबों का ठेका दिया। उसमें तीन समितियों ने एप्लाई किया। एक सहकारी समिति थी उसे 25 लाख का ठेका दिया, दूसरी सहकारी समिति को आपने रिजेक्ट कर दिया, तीसरी सूरतगढ़ की सहकारी समिति थी। आपने टेण्डर खोले और डिसीजन कब दिया? जनवरी 84 में, आधा वर्ष निकल जाने के बाद। लोगों की मिलीभगत से इतना नुकसान करवाया। 28 लाख का टेण्डर, जो आपने 25 लाख का टेण्डर पास किया और वह भी पूरा वर्ष होने के बाद, यह आश्चर्य की बात है। उस सहकारी समिति ने मन्त्री महोदय से अनुरोध किया और इधर गंगानगर क्षेत्र की सहकारी समिति को आपने झांसा दिया कि आपके दामाद को भागीदार बना देंगे। इस प्रकार मन्त्री महोदय कई दिनों तक डिसीजन नहीं कर पाए और उसके बाद उन्होंने दूसरी सहकारी समिति से बात करना शुरू किया और इसमें काफी टाइम निकल गया। ये सारी बातें फाईनेन्स मिनिस्ट्री के रिकार्ड में भी हैं। 6 महीने बाद आपने 28 लाख को छोड़कर 25 लाख में ठेका करवाया और वर्ष 1983-84 में 25 लाख....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, भाषण नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : आपके सारे कारनामों को उजागर करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 लाख के बजाय 25 लाख में देकर 3 लाख का घाटा दिया। उसने सिक्योरिटी के पैसे भी जमा नहीं करवाये।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्या, भाषण नहीं होगा। मांगों पर विचार हो तब इस प्रकार के भाषण दे सकती हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, हवाला दिया है प्रश्न के उत्तर में।

श्री अध्यक्ष : यदि तथ्यों का विवरण देना है तो अन्य माध्यम से इसको उठायें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न का जवाब ही मांग रही हूं।

अध्यक्ष महोदय, 3 लाख कम करके और इस प्रकार नियमों की अवहेलना करके चार इन्स्टालमेंट पर उनको....

श्री अध्यक्ष : आप चर्चा करना चाहती

(श्री अध्यक्ष)

हैं तो, माननीय सदस्या, बजट पर विचार हो, उस समय विस्तार से कर लें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बता दिया जाय क्या यह सही है कि आपने कम रेट पर टेण्डर वालों को ठेका दिया और 6 महीने बाद दिया गया ? क्या यह सही है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न रह जायेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री महोदय, आप बता दीजिये कि क्या आपने नियमों के विपरीत चार इन्स्टालमेंट देने के लिए स्वीकृति दी ? और क्या यह सही है कि इन्स्टालमेंट की रिकवरी हो गई है ?

(व्यवधान)

यह मुझे बता दीजिये।

एक माननीय सदस्य : सब गलत है।

श्रीमती विद्या पाठक : सब सही है।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाये उसके उत्तर में निवेदन है कि तीनों सोसायटीज के टेण्डर हमारे पास आये थे, तीनों टेण्डर्स के अन्दर जोधपुर की सोसायटी का जो टेण्डर था वह 25 लाख का ही था, हरियाणा का 25 लाख 25 हजार का था और सूरतगढ़ का 27 लाख 11 हजार का था, लेकिन जो सूरतगढ़ वाली सोसायटी थी उसने अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करवाई। 25 लाख के बजाय 15 लाख ही जमा करवाया। इस पर हमने फाइनेन्स डिपार्टमेंट व लॉ-डिपार्टमेंट से सलाह ली। उसमें यह पाया गया कि अगर नियमों में टेण्डर सही ढंग से नहीं दिया गया तो मुश्किल हो सकती है और बाद में कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं। इसमें, अध्यक्ष महोदय, काफी समय लग गया। उस सबका नतीजा यह हुआ। जब फैसला लेना पड़ा तो जोधपुर वाली सोसायटी कोर्ट में चली गई और स्टे ले आई। इस तरह से यह मामला फिर अटक गया। बाद में जब हमने देखा राजस्थान केनाल बन्द होने वाली है और मछलियां मर जायेंगी, तब जोधपुर वाली सोसायटी को ठेका दिया गया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा चार्ज है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पुकार लिया गया है। माननीय सदस्या, कृपया बैठ जायें।

सुश्री पुष्पा जैन।

होटल एवं मिडवेज में वेस्टेज माल

401. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) [सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) की अनुपस्थिति में] : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पर्यटन विभाग द्वारा संचालित

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

होटल्स एवं मिडवेज में सन 1981–82 और 1982-83 में कितने मूल्य का माल वेस्टेज में दिखाया गया और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले वर्षों से वेस्टेज की मात्रा बढ़ रही है ? यदि हां, तो इसको कम करने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री बी. डी. कल्ला) : (1) पर्यटन विभाग द्वारा कोई होटल एवं मिडवे संचालित नहीं किये जा रहे हैं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

अजमेर जिले में भू–प्रबन्ध, जमाबन्दी रिकार्ड में त्रुटियों का हल

402. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में भू–प्रबन्ध, जमाबन्दी आदि रिकार्ड का संशोधन गत 14 वर्ष पूर्व किया जा चुका है, लेकिन इसके त्रुटिपूर्ण होने से सम्पूर्ण अजमेर जिले में नये सिरे से सैटलमेन्ट आपरेशन्स करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो कब और इस निर्णय को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि रिकार्ड संशोधन में त्रुटियां होने के कारण लगान सरचार्ज इत्यादि की वसूली, पुराने रिकार्ड जमाबन्दी के आधार पर ही की जा रही है लेकिन भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण होने पर इसका दाखिला नये संशोधित रिकार्ड में ही किया जाता है और पुराने रिकार्ड में नहीं ?

(3) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि पुराने रिकार्ड/जमाबन्दी के आधार पर वसूली नोटिस जारी करने के कारण नोटिस हस्तान्तरणकर्ता को ही दिया जाता है जबकि वह उस समय लगान सरचार्ज आदि चुकाने का उत्तरदायी नहीं रह गया है ?

(4) क्या राज्य सरकार अविलम्ब आवश्यक कदम उठाकर अजमेर जिले के किसानों को राहत पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां। अजमेर जिले में भू-प्रबन्ध कार्य भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नये सिरे से कराये जाने एवं जिलाधीश के माध्यम से जो भू-संशोधन कार्य किया जा रहा था उसे बन्द करने सम्बन्धी निर्णय दिनांक 28.9.78 को लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राजस्व अभिलेखों के आदिनांक न होने के कारण काश्तकारों को होने वाली कठिनाई के लिए भी समुचित कार्यवाही की जावे। राज्य सरकार के इस निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। किन्तु हस्तान्तरण के कारण नामान्तरकरण तस्दीक होता है जो उसका अमल पुरानी जमाबन्दी चौसाला

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

में ही किया जाता है, क्योंकि भू संशोधन के दौरान बने अभिलेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं मिला है।

(3) वर्तमान में किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण के आधार पर तस्दीक शुदा नामान्तरकरण का अमल जमाबन्दी चौसाला में किया जाता है, अतः इस रिकार्ड के आधार पर ही उत्तरदायी व्यक्ति से ही लगान व सरचार्ज आदि की वसूली की कार्यवाही की जाती है।

(४) काश्तकारों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु भू-संशोधन से पूर्व की जमाबन्दी को बेस बनाकर समस्त वैध हस्तांतरणों को मान्यता देते हुए भू-अभिलेखों को करने का कार्य प्रगति पर है। इसके फलस्वरूप शीघ्र ही आदिनांक अभिलेख व नक्शे ट्रेस तैयार हो जावेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही एक उलझा हुआ मामला है, इसलिए उलझा हुआ है कि 13 साल पहले सैटलमेन्ट आपरेशन्स हुए। उन सैटलमेन्ट्स आपरेशन्स को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 106 व 107 के अन्तर्गत समाप्त घोषित नहीं किया गया। समाप्त घोषित नहीं किये जाने के बावजूद इस नये सैटलमेंट के आधार पर, इन अभिलेखों के आधार पर किसानों ने कर्जे लिये हैं, सहकारिता के कर्जे लिये हैं, दूसरी बैंकों से कर्ज लिये हैं, वह सारे प्रमाणित दस्तावेजात के आधार पर लिये हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब यह निर्णय लिया जा चुका कि इनको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाय, तो अभी तक उसको समाप्त घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है ? नम्बर एक।

नम्बर दो, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिला सारा प्रभावित है इससे। कई कानून हैं जिनके अनुसार लोगों ने अतिक्रमण कर लिये या कई लोगों को खातेदारी के अधिकार मिल गये हैं और कई अतिक्रमण नियम के अनुसार होने से वैध माने जा चुके हैं लेकिन उनके अभिलेख नहीं होने के कारण, क्योंकि 15 साल पहले के अभिलखों के आधार पर जो अतिक्रमण नियमित हो सकते हैं, जिन लोगों को खातेदारी अधिकार मिल गये और जिनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये ऐसे लोगों के खिलाफ आप धारा 51 की कार्यवाही कर रहे हैं। क्या मैं आपसे, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत पूछ सकता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप धारा 51 की कार्यवाही तुरन्त बन्द करेंगे और उनको जमाबन्दी होने से बचायेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे लोगों की भूमियों के ऐसे हस्तान्तरण हुए हैं जो कानूनन नहीं हो सकते। इसी तरह कई लोगों ने सिवाय चक भूमि पर कब्जा कर लिया है। जिन्होंने सिवाय चक भूमि पर कब्जा कर लिया है क्या उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करायेंगे और जिन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हस्तान्तरण अवैध हुए हैं, कानून के विरुद्ध हुए हैं उनको भी तुरन्त ठीक कराने का प्रयत्न करेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में 1970 में भू-संशोधन के आदेश सैटलमेन्ट एक्ट की धारा 106 और 107 के अन्तर्गत दिये गये थे। उसके बाद 1973 तक यह संशोधन की कार्यवाही की गई थी। संशोधन करने का कारण यह था कि अजमेर जिले में जो कानून था उसकी वजह से कई दिक्कतें, कई कठिनाइयां किसानों के सामने आ रही थीं। उस कारण उनके बार-बार हस्तान्तरण होते थे जो ठीक नहीं होते थे। इसीलिए यह तय किया गया कि सारे राजस्थान के अनुसार उसी हिसाब से कायम कर लिया जाय जिससे इस प्रकार की दिक्कतें न हों और कानून की पाबंदियां रेगुलर हो सकें। उस आधार पर भू संशोधन की कार्यवाही की गयी। 1973 में जब यह पूरा हो गया तो सवाल यह आया कि रेन्ट तय करें। उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड द्वारा इसकी जांच की गई और जांच के आधार पर यह पाया गया कि भू-संशोधन में काफी त्रुटियां रह गयी हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि सिवाय चक के ऊपर गलत एन्ट्रीज हो गयीं खातेदारी में, कई चरागाह के ऊपर लोगों की खातेदारी में एन्ट्रीज हो गयीं, मन्दिर की जमीन पर खातेदारी की एन्ट्री हो गयीं। तो इस तरह से गलतियां हो गयीं जब उन गलतियों को देखा गया, अजमेर जिले में लगभग 80 हजार से 90 हजार तक गलतियां पायी गयीं। माननीय सदस्य को ध्यान होगा, वह कैबिनेट के सदस्य रहे हैं, इसी आधार पर 28-9-1978 को तत्कालीन मन्त्रिमण्डल में यह निर्णय लिया गया कि इस भू-संशोधन की कार्यवाही को ठीक नहीं मानें, इसको बन्द कर दिया जाय। अजमेर जिले का नया सैटलमेंट कराये जाने का निर्णय लिया। इस बीच सैटलमेंट नहीं हुआ और कम्पलीट नहीं हुआ तब तक राजस्व विभाग को उस वक्त के मंत्रिमण्डल ने आदेश दिया कि राजस्व विभाग अपने स्तर पर कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे किसानों को कोई दिक्कतें नहीं हों और उनको सहूलियत मिलती रहे। यह कार्यवाही राजस्व विभाग कर रहा है। आपके वक्त में 1978 में में फैसला लिया लेकिन 1980 तक भू-संशोधन की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की यह कहकर कि आर्थिक साधन नहीं है इसलिये आगे करने के लिए आदेश दिया नहीं। कांग्रेस सरकार के आने के बाद 1980 में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि अजमेर जिले का जो भू-प्रबन्ध हो रहा है वह दो तहसीलों में हो रहा है। यह लम्बा चलता है, इसमें 5-6 साल लगेंगे तब तक काश्तकारों की व्यवस्था हो, यह आदेश दिया उसी मन्त्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार कि राजस्व विभाग ऐसी कार्यवाही करेगा जिससे काश्तकारों को सहूलियत मिले। हमने कलेक्टर को और सैटलमेंट के अधिकार देते हुए कहा कि जो त्रुटियां रह गई हैं, उन त्रुटियों को फाइन्ड आउट करके करेक्ट कर दीजिये। उसकी कार्यवाही चल रही है। इस करेक्शन को करवाने के लिए हमने मीटिंग ली। अब जो फरवरी, 1984 में मीटिंग ली है उसमें यह तय किया कि अभिलेख के रूप में बनाकर यह एन्ट्रीज करेक्ट कर दी जायें और 30 जून, 1984 तक एन्ट्रीज बिल्कुल ठीक कर दी जायें।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जो भू-संशोधन होंगे उनको मान्यता होगी, उसके बाद में काश्तकारों की कार्यवाही ठीक होने लग जायेगी। अजमेर जिले में रेगूलर सैटलमेंट की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। इस बीच में कई लोगों के भूमि हस्तान्तरण हो गये, ट्रान्सफर हो गये, दूसरों के खातों में चले गये तो इस तरह के ट्रांसफर्स, जो चौसाला जमाबन्दी 1970 से लगातार चल रहे हैं, के आधार पर उनको करेक्ट किया हुआ है और जहां एन्ट्रीज इण्टर से सरकार से उनको करना चालू हो गया। एक तो 70 से हो गया और भू-संशोधन के आधार पर जहां इटर से सरकार कर रहे हैं क्योंकि पार्टीज के अपने अधिकार का प्रश्न है इसलिए वह गलत नहीं होने देंगे। सिवाय चक जमीन पर जिन लोगों के कब्जे नये सिरे से हो चुके हैं या भू-संशोधन के वक्त दर्ज कराये गये उनके लिए हिदायत दी है कि इस वक्त जो संशोधन किया जा रहा है उस करैक्शन में यदि वह काश्तकार अलाटमेंट में अलाटी की तारीफ में आता है तो हम दर्ज करेंगे। और यदि नहीं आता है तो नियमित नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हमने यह आदेश दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के 42–बी के अन्तर्गत ट्रांसफर नहीं होते थे। तो जो ट्रांसफर्स हुए हैं उनको वैध नहीं माना जाय और उनको उसी हिसाब से लिया जाय ताकि गलत एन्ट्रीज के खिलाफ कार्यवाही करके कब्जा दिलाया जा सके। यह सही करके एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनाकर 30 जून, 1984 तक की मियाद दी है। इस तरह से हम अभियान के रूप में इसको पूरा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बा हो गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपकी सूचना के अनुसार सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपया इस सारे सैटलमेंट के लिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह इसके लिए अवसर नहीं है। इसी से सम्बन्धित कोई पूरक प्रश्न हो तो केवल एक पूरक प्रश्न पूछ लें।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि सिवाय-चक जमीन पर जिन लोगों ने अतिक्रमण और नाजायज कब्जे किये हैं उनके दबाव में यह गलत भू-संशोधन हुए थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : यह सब आ गया है।

अगला प्रश्न।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सैटलमेंट हुआ था....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : कम से कम उसको तो रुकवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय नहीं लें।

अगला प्रश्न ।

श्री भगवानदास शास्त्री :....जो सैटलमेंट हुआ था उसमें बहुत गड़बड़ियां हुई हैं....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री भगवानदास शास्त्री : XXX

श्री अध्यक्ष : व्यर्थ में समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री भगवानदास शास्त्री : XXX

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, अंकित नहीं हो।

श्री भगवानदास शास्त्री : XXX

अगला प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवदान सिंह, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में चीफ इन्जीनियर्स के रिक्त पद

403. **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण) : व

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) :- क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कितने चीफ इंजीनियर के पद हैं, जिनमें से कितने पद रिक्त पड़े हैं और क्यों ?

(2) कितने चीफ इन्जीनियर के पद ऐसे हैं जिन पर अतिरिक्त चीफ इन्जीनियर या डिप्टी चीफ इन्जीनियर कार्य कर रहे हैं व कब से ? कृपया गत एक वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती कमला): (1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में वर्तमान में मुख्य अभियन्ता के 10 पद हैं जिनमें से कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(2) वर्तमान में उपरोक्त सभी 10 पदों पर मुख्य अभियन्ता ही कार्य कर रहे हैं। किसी भी पद पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता या उप मुख्य अभियन्ता कार्य नहीं कर रहे हैं। गत वर्ष मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी) का पद रिक्त होने के कारण उक्त पद पर तत्कालीन उप मुख्य अभियन्ता (ओ. एण्ड. एम.) ने अपने पद के कार्य के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी) के पद का कार्य भी दिनांक 10-1-83 से 5-6.83 तक सम्पन्न किया एवं दिनांक 6-8-83 से 16-12-83 तक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता (टी. एण्ड. सी.) के पद के एवज में पदस्थापित किया गया था।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री जनार्दन सिंह गहलोत ।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष: पूछ लीजिए।

चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर कर्जा

404. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) [श्री जनार्दन गहलोत (करौली) की अनुपस्थिति में]: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर किन-किन मदों में कितना कर्जा है व उसका वार्षिक देय ब्याज कितना है? कृपया मदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भारत सरकार के अतिरिक्त और किन-किन संस्थाओं/संस्थानों से कितना कर्जा राज्य सरकार पर है व उनका वार्षिक देय ब्याज कितना है?

(3) छठे वित्त आयोग द्वारा की गई रियायतों के अनुसार राज्य सरकार को कितना कर्जा कम चुकाना पड़ा व कितनी अवधि में?

वित्त मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :

(1) चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में केन्द्र सरकार पर कुल 1638.97 करोड़ का कर्जा था जिस पर वर्ष 1983-84 में देय ब्याज 72.20 करोड़ रुपये है। विस्तृत सूचना तालिका (क) में अंकित है।

(2) भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं/संस्थानों का राज्य सरकार पर चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 366.33 करोड़ रुपये का कर्जा था जिस पर वर्ष 1983-84 में देय ब्याज 22.81 करोड़ रुपए है। विस्तृत सूचना तालिका (ख) में अंकित है।

(3) छठे वित्त आयोग द्वारा दी गई रियायतों के अनुसार राज्य सरकार को केन्द्रीय ऋणों की अदायगी में अनुमानित 258.14 करोड़ रुपये वर्ष 1974 से 1979 की अवधि में कम चुकाना पड़ा।

(तालिकाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो अलग-अलग मदों में केन्द्रीय सरकार से ऋण लिए हैं जिनके ऊपर ब्याज देना पड़ रहा है, इन मदों के अन्दर कुछ कन्डीशन्स थीं उनका पालन नहीं करने के कारण ब्याज जोड़ा जा रहा है या उन कण्डीशन्स के अनुसार उनका पूरा उपयोग नहीं किया जिसके कारण ब्याज देना पड़ रहा है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। जो भी रकम मिलती है वह कई तरह के कामों के लिए और कई तरह की रेट आफ इंट्रेस्ट पर मिलती है। कई में सेवण्टी फाइव पर्सेंट पर इंट्रेस्ट है, कई पर और तरह से है। हरएक स्कीम पर अलग अलग तरह से है जैसे हाउसिंग स्कीम पर अलग ब्याज है, ओवर ड्राफ्ट पर अलग ब्याज है। कई पर तो 13.

(12)

(श्री वृजसुन्दर शर्मा)

पर्सेंट तक ब्याज चला जाता है। इसलिए ब्याज तो अलग अलग स्कीमों का अलग अलग है। सब मिलाकर कुल इतना बनता है।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा एक प्रश्न और है, माननीय अध्यक्ष महोदय। छठी पंचवर्षीय योजना का यह अंतिम वर्ष है इस छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में जिस प्रकार की राजस्थान की वित्तीय और अदायगी की स्थिति है, क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के प्लान का पैसा बढ़े इस दृष्टि से हमारी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम भारत सरकार और अन्य संस्थाओं से लोन लेने की स्थिति में हैं या नहीं ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : कई स्कीमें ऐसी होती हैं जो लोन लेने पर ही चलती हैं। उनको इसीलिए मंजूर करते हैं कि हमारी योजना का आकार बढ़े। उसमें हम अपनी खुद की राशि मिलाते हैं। हम चाहते हैं हमें असिस्टेंस जो मिलती है उसको भी प्राप्त कर सकें और भारत सरकार से मिलने वाली योजनाओं को पूरा कर सकें। माननीय सदस्य का कहना यह है कि हम लोन भी ले सकेंगे या नहीं ? यह आगे की योजना से ताल्लुक रखता है। मैंने अपने भाषण में कहा था कि वित्तीय आयोग के सामने हमने सारी स्थिति को रख दिया है। पहले भी हमें ब्याज में राहत मिली उसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी स्थिति को देखते हुए आगे भी जब फाइनेंस कमीशन की अंतिम रिपोर्ट आयेगी तो उसमें भी हमें और राहत मिलेगी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अन्तिम प्रश्न और।

क्या यह सही है कि छठी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है और इसका आपने 430 करोड़ का प्लान बनाया है ? क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि अन्य संस्थाओं और भारत सरकार का जितना ब्याज का अमाउण्ट आपने बताया है, यह लोन एक्सेस होने के कारण 430 करोड़ का डवलपमेंट का खर्चा कम तो नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : 430 करोड़ की जो योजना है उसको हम पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भंवर लाल शर्मा, श्रीमती विद्या पाठक।

समाज कल्याण विभाग द्वारा खरीद हेतु आमन्त्रित निविदाएं

405. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवा महल)

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983 में कतिपय सामान की खरीद किये जाने हेतु समाज कल्याण विभाग ने निविदायें आमन्त्रित की थीं ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(2) उक्त आमंत्रित निविदाओं के खोलने के लिए क्या कोई तिथि भी निर्धा-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

रित की गई थी ? यदि हां तो किस तिथि को खोला जाना अपेक्षित था और किस समय ?

(3) क्या निविदायें खोले जाने में राजस्थान वित्तीय नियमों का विधिवत नियमानुसार पालन किया गया था ? यदि नहीं, तो इसके परिवर्तित स्थितियों में टेण्डर खोलने का समय क्या था और इसकी अनुज्ञा किस स्तर से और किन विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुई ?

(4) क्या विभाग में कोई क्रय समिति का गठन भी किया हुआ है ? यदि हां, तो कृपया समिति के सदस्यों की नामावली मय पद सहित सदन की मेज पर रखें।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री दुलाराम) : (1) जी हां। दिनांक 17.11.83 को निविदायें आमन्त्रित करने हेतु सूचना प्रसारित की गई थी।

(2) जी हां। टेण्डर्स को दिनांक 5.12.83 को खोलने के लिये निर्धारित किया गया था किन्तु दिनांक 3.12.83 को सूचना संख्या 15545 द्वारा निविदा खोलने का दिनांक 13.12.83 कर दिया गया।

(3) जी हां।

(4) जी हां। केवल इन निविदाओं के लिये सलाह देने हेतु समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट (क) में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहती हूँ कि प्रश्न सं. (3) के उत्तर में ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रश्न सं. (3) को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। जो कुछ मैंने प्रश्न पूछे थे उसमें से एक का भी जवाब नहीं आया है। मैंने यह पूछा था कि क्या निविदायें खोले जाने में राजस्थान वित्तीय नियमों का विधिवत् नियमानुसार पालन किया गया था ? मैंने यह भी पूछा था कि टेण्डर खोलने का समय क्या था ? मैंने यह भी पूछा था कि टेंडर का समय कैंसिल करने का अधिकार किसको था, किसके आदेश से समय परिवर्तन किया गया और किसने किसको आदेश दिया जिसके आधार पर परिवर्तित तिथि पर टेंडर खोला गया ? आप इन प्रश्नों का जवाब दे दीजिए।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। मैं कहता हूँ कि आपने मेरे उत्तर को समझा ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : आपने पूछा था, "क्या निविदायें खोले जाने में राजस्थान वित्तीय नियमों का पालन किया गया था ?" मैंने कहा, "जी हां।" जब मैंने कहा, "जी हां," तो फिर अन्य प्रश्न ही कहां उठते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : आगे भी बताइये।

श्री दुलाराम : आपने कहा, 'यदि नहीं,

(श्री दुलाराम)

और मैंने कहा, "जी हां।" उसके बाद आगे क्या बोलूं ?

श्रीमती विद्या पाठक : इन सारी स्थितियों में टेंडर खोले गये हैं।

श्री दुलाराम : एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब आपने पूछा, "क्या निविदायें खोले जाने में राजस्थान वित्तीय नियमों का पालन किया गया था...."

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि किया गया था।

श्री दुलाराम : मैंने कहा कि नियमों का पालन किया गया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने आपकी पहली बात मानी ही नहीं है....

श्रीमती विद्या पाठक : क्यों नहीं मानी ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कहा कि नियमानुसार हुआ है और आप कहती हैं कि नहीं हुआ तो फिर क्या है।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि वित्तीय प्रावधान क्या-क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह कानूनी प्रश्न है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई 125 बीघा का मसला नहीं है, कोई साधारण मामला नहीं है। माननीय मंत्री महोदय इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि टेंडर के लिए वित्तीय प्रावधान हैं, निर्धारित तिथि पर अगर टेंडर नहीं खोलते हैं या कैंसिल करते हैं तो उसके लिए एम्पल टाइम दिया जाय, एम्पल टाइम से नोटिफिकेशन किया जाय लेकिन यह नहीं हुआ और आप कहते हैं कि वित्तीय नियमों का पालन हुआ है। मंत्री महोदय, इसमें लाखों का घोटाला हुआ है...

श्री दुलाराम : मेरा निवेदन सुन लीजिये, आपने पूछा "क्या निविदायें खोले जाने में राजस्थान वित्तीय नियमों का विधिवत्, नियमानुसार पालन किया गया था"। यह आपका प्रश्न है, "क्या निविदाएं खोले जाने में राजस्थान वित्तीय नियमों का विधिवत, नियमानुसार पालन किया गया था ? यदि नहीं, तो इसके परिवर्तित स्थितियों में टेण्डर खोलने का समय क्या था और इसकी अनुज्ञा किस स्तर से और किन विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुई ?" जिसके उत्तर में मैंने कह दिया, "जी हां"। अब निविदाएं हमने कैंसिल कर दी क्योंकि यह राज्य सरकार का अधिकार है कि वह कैंसिल कर सकती है। किन किन कारणों से निविदायें कैंसिल हो गई, यह आप पूछते तो मैं जरूर बता देता।

श्रीमती विद्या पाठक : किसके द्वारा टेण्डर खोले गये थे, क्या फाइल पर आदेश हुये या मौखिक आदेश दिये गये ? आपने फाइल पर आदेश दिये थे क्या ?

श्री दुलाराम : हमने कहीं भी नियमों की अवहेलना नहीं की है।

श्रीमती विद्या पाठक : रात को साढ़े 11 बजे टेण्डर्स की बिना मौजूदगी में टेण्डर खोले हैं, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, टेण्डर रात को खोले हैं....

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : आपको अगर भाषण करना हो तो मुझे आपत्ति नहीं लेकिन जब टेण्डर ही कैंसिल हो गये तो रात और दिन क्या होता है। टेण्डर कैंसिल हो गये तो दिन में खोले गये, रात को नहीं खोले गये।

(व्यवधान)

श्री नंदलाल मीणा : रात्रि को साढ़े 11 बजे टेण्डर खुले हैं....

(व्यवधान)

घपले हो रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, ...

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं परसरामजी मदेरणा से

(व्यवधान)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : During question hour, no hon. member can raise any question about my attire.

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री सुरजाराम।

राज्य पथ परिवहन निगम

406. श्री सुरजाराम टाक (नोखा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को पिछले दो वर्षों में कितना घाटा, किन किन कारणों से प्रति वर्ष हुआ? घाटा पूर्ति हेतु निगम ने क्या क्या साधन जुटाये? क्या उसमें सफलता हासिल हुई? यदि नहीं तो क्यों?

(2) इस वक्त राज्य में निगम के पास कितनी बसें चालू हालत में हैं, कितनी बेकार पड़ी हुई हैं और कितनी नई बसें कहां से खरीदने का अनुबंध किया गया है, उसमें से बीकानेर जिले के डिपो को कितनी नई बसें उपलब्ध करवाई जायेंगी? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) निगम के बीकानेर खण्ड में कार्यरत स्टाफ जैसे ड्राइवर, परिचालक तथा अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों का अन्य खण्डों की तुलना में अनुपात कितना व क्या है? रोडवेज कर्मचारियों में सामंजस्य हेतु निगम ने 1981–82 एवं 1982 83 में क्या कदम उठाये हैं?

समाज कल्याण मंत्री (श्री दुलाराम) : (1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वर्ष 1981–82 एवं 82–83 में क्रमश 1103.89 एवं 669.71 लाख रुपये का

(श्री दुलाराम)

घाटा हुआ। यह प्रमुखतः महंगाई के कारण संचालन व्यय में वृद्धि तथा समय समय पर देय महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के कारण रहा है। घाटा पूर्ति हेतु निगम ने खर्च में मितव्ययता लाते हुए एवं निरीक्षण व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए आय में वृद्धि की है। इसमें निगम को सफलता भी मिली है। निगम को वर्ष 1983-84 में जनवरी तक 70.99 लाख का लाभ हुआ है जबकि वर्ष 82-83 में लगभग रू. 6.69 करोड़ का घाटा हुआ था।

(2) राज्य पथ परिवहन निगम के पास चालू एवं बेकार पड़ी हुई वाहनों की संख्या दर्शाते हुए मानचित्र सदन के पटल पर रख दिया गया है (अनुक्रमिका-1) चालू वित्तीय वर्ष तथा 1983-84 में निम्न से वाहनें खरीदने का अनुबंध किया गया है:-

1.	लीलेण्ड वार्यकिंग	20	अशोका लैलेण्ड
2.	लीलेण्ड	120	
3	टाटा	80	टेल्को
		220	

तथापि नई वाहनें आवंटन नीति के अनुसार बीकानेर संभाग के आगारों को अप्रेल माह के अन्त तक निम्न प्रकार आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

1.	बीकानेर	10
2.	गंगानगर	9
3.	सरदारशहर	4
4.	हनुमानगढ़	9

(3) निगम के बीकानेर संभाग में कार्यरत स्टाफ जैसे चालक, परिचालक तथा अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों का अन्य संभागों की तुलना में प्रतिशत दर्शाते हुए मानचित्र (अनुक्रमिका-2) पर संलग्न है। वर्ष 1981-82 एवं 82-83 में निगम में नव नियुक्तियों पर रोक लगाई हुई थी अतः चालक एवं परिचालक पद पर ही सीधी भर्ती की गई थी।

(मानचित्रों के लिए कृपया परिशिष्ट4 देखें)

श्री सुरजाराम टाक : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि राजस्थान पथ परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से और यूनियन बाजी के कारण निगम पिछले दो सालों में घाटे में गया है। दूसरे, बीकानेर रीजन में कोई बस स्टेण्ड की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा कई अच्छे रूट जैसे बीकानेर से कोटा, जोधपुर आदि के लिये यात्रियों की सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण रीजन होते हुए भी बीकानेर से यातायात की कोई सुविधा नहीं है तो उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि बीकानेर से यातायात की कोई सुविधा नहीं है लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, बीकानेर रीजन में काफी बसेज चलती हैं। अगर किसी खास रूट की कोई शिकायत हो तो माननीय सदस्य बता

(श्री दुलाराम)

दें। वैसे कहीं कोई जीरो पाइन्ट एक का अन्तर है तो कहीं बढ़ोतरी है। मैंने सब बातें बता दीं। खास किसी रूट की कोई शिकायत हो तो बता दें।

श्री सुरजाराम टाक : अध्यक्ष महोदय, आज बीकानेर रीजन होते हुए वहां उसके मुताबिक व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा बस स्टेण्ड की व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों व अधिकारियों की गुटबाजी की वजह से वर्कशाप अलग जा रहा है। रनिंग स्टाफ और वहां के स्टाफ में सामंजस्य नहीं होने की वजह से यात्रियों को कोई भी सुविधा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय नसदस्य।

स्थगित प्रश्न। श्री हीरालाल आर्य।

स्थगित प्रश्न

(6 एवं 20 मार्च, 1984)

ग्राम पंचायत, इटावा के सरपंच द्वारा भू-खण्ड के आवंटन के नाम पर राशि वसूल

10. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या पचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत इटावा, जिला कोटा के सरपंच ने आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने के नाम पर बिना किसी योजना व प्लाट नम्बर के अग्रिम राशि के रूप में भारी रकम जनता से वसूल की है ?

(2) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी राशि पंचायत कोष में पिछले तीन वर्षों में इकट्ठी की गई ?

(3) क्या इस प्रकार बिना योजना के अग्रिम राशि वसूल करना उचित है ? यदि नहीं, तो सरपंच की इस अवैधानिक कार्यवाही के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये ?

पंचायत राज्य मन्त्री (श्री शीशराम ओला) : (1) ग्राम पंचायत, इटावा ने अपने स्तर पर योजना बना कर आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिए आबादी भूमि का नक्शा बना कर प्लाट नम्बर अंकित कर प्लाट वार नियमानुसार नीलामी लगा कर अग्रिम राशि वसूल की है।

(2) गत तीन वर्षों में कुल 3,43,097 रुपये की अग्रिम राशि आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने हेतु वसूल की गई है।

(3) सरपंच, इटावा द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिये राशि वसूल की गई एवं सरपंच द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं बरती गई है। अतः राज्य सरकार द्वारा सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने जबाव में कहा, योजना बनाकर अलाटमेंट किया, यह सरासर गलत है और असत्य है। मैं आपके माध्यम से मंत्री मत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। मेरे पास रसीद है वहां के नागरिकों की. . .

श्री अध्यक्ष : यह तो यू. आई. टी.,

(श्री अध्यक्ष)

म्यूनिसिपैलटी और सरकार भी पैसा जमा करती है ना ?

श्री हीरालाल आर्य : कोई योजना नहीं है, न कोई प्लाट नम्बर है। बिना योजना के लाखों रुपया वसूल किया गया और उसका कोई इन्द्राज नहीं है।

दूसरे, सरपंच ने सिवाय चक भूमि अलाट की है बिना अधिकार के, 116 बीघा जमीन सरपंच ने अलाट की और पैसा वसूल किया। वहां के तहसीलदार ने लोगों को नोटिस दिये हैं। इस प्रकार से कम से कम 500 लोगों की फाइलें तहसील में हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, क्या यह सही है कि सिवाय चक भूमि पर अलाटमेंट किया सैंकड़ों लोगों को, जो गलत है ?

(12.00 मध्याह्न)

तीसरा मेरा प्रश्न है इसी तरह कोटा, बातला रोड़ और जेता रोड के किनारे किनारे सैंकड़ों लोगों को अलाटमेन्ट किया है, जो एकदम गलत है। उसको किया नहीं जा सकता है।

चौथा यह है कि जो मण्डी कमेटी ने सुरक्षित रखा था जिन स्थानों को, हरजी की मस्जिद के पास में पूर्व पंचायत ने सुरक्षित रखा था उनका अलाटमेंट किया है।

पांचवा यह है कि अलाटमेन्ट की विभिन्न दरें वसूल की हैं। किसी से पांच रुपया फीट, किसी से दस रुपया फीट, किसी से तीस रुपया फ़ीट और किसी से चार चार रुपया फीट तक पैसा वसूल किया है जो नाजायज है। क्या मन्त्री महोदय मेरे इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, यह एक अलग प्रश्न है। कृषि भूमि है, सिवायचक की भूमि है, उसका इसमें पूछा नहीं है। इसमें जो पूछा है उसका उत्तर दे दिया है। यह जो राशि जमा हुई है वह अग्रिम है। इसकी पक्की रसीद है। पंचायत के रोकड़ में जमा है, 3 लाख 43 हजार 97 रुपये की राशि अग्रिम जमा है। इसकी रसीद है। इसके बावजूद माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि इसमें कहीं अनियमितताएं हुई हैं या कोई गड़बड़ हुई है तो वह मुझे इसके लिये लिख कर दें, मैं निश्चित तौर से जांच करवा कर और गलत पाये जाने पर कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ सिवाय चक भूमि का बेचान किया है। लिख कर देने का क्या फायदा है, इन तथ्यों के आधार पर कार्यवाही करें। गलत ढंग से पैसा वसूल करके लाखों रुपया बंटोरा गया है। अध्यक्ष महोदय, आप इसकी जांच करवा दें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : आप देखें तो सही...

श्री दाऊदयाल जोशी : जमीन जो बेची गई...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरालाल आर्य : सिवायचक की जमीन के पेटे पैसे वसूल किये गये...

श्री अध्यक्ष : नियमों की अवहेलना की जा रही है...

श्री हीरालाल आर्य : मंत्री महोदय इसकी जांच कराने का आश्वासन दें। इसकी उच्च अधिकारियों से जांच करायें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उत्तर नहीं दिया जायेगा। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच की घोषणा करावें।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

अवहेलना न करें।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : जांच की घोषणा करा दें...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कहते हैं, लिख कर दो। वहां के दो नागरिकों ने लिख कर दिया है आपके पास प्रार्थना पत्र भेजा गया है...

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव ...

श्री हीरालाल आर्य : वह जमीन वे बेच नहीं सकते हैं। मगर सरपंच को बचाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, वहां के ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कोई बात नहीं सुनता। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वीरपुरा शुगर मिल हेतु अलाट भूमि

509. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

---

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मेघराज तावड़)

(1) मौजा वीरपुरा तहसील सराड़ा के पटवार सकर्ल वीरपुरा की शुगर मिल के लिये मेवाड़ गवर्नमेंट ने कितनी भूमि अलाट की थी ? आवंटन पत्र की प्रति मय आराजी नं. के सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिस उद्देश्य के लिये भूमि दी गई थी वह पूरा हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? राज्य सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है राज्य सरकार द्वारा कम्पनी से भूमि अधिग्रहण कर ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) महकमा बन्दोबस्त राज्य मेवाड़ उदयपुर के पर्चा खतौनी सन् 1934 सम्वत् 1990 मौजा वीरपुरा तहसील सराड़ा के पूरे अंकन अनुसार शुगर कम्पनी के खाते में कुल किता 73 रकवा 323 बीघा 7 बिस्वा भूमि का इन्द्राज है। यह भूमि शुगर कम्पनी के खाते में किस प्रकार आई इसका उल्लेख उक्त अभिलेख में नहीं है। ना ही पुराने खाते का नम्बर ही दर्ज किया गया है।

(2) वर्तमान में भूमि शुगर मिल के पास नहीं है।

(3) सीलिंग कानून के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण किये जाने बाबत मामला अभी अतिरिक्त जिलाधीश, उदयपुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रदेश श्रम न्यायालयों में विचाराधीन मामले

510. श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभनगर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान के विभिन्न श्रम न्यायालयों में कितने विवाद विचाराधीन हैं ?

(2) ये विवाद किस-किस साल से विचाराधीन हैं ? कृपया सालाना संख्या सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान के विभिन्न श्रम न्यायालयों में कुल 2531 विवाद विचाराधीन है।

( ) सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

मावली उदयपुर रोड पर अनधिकृत कार्य

511. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मावली, जिला उदयपुर में मावली उदयपुर रोड पर स्थित जमीन आराजी नं. 1601 पर हुए अनधिकृत कार्य के विरुद्ध जिलाधीश उदयपुर द्वारा प्रार्थी के आवेदन-पत्र पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार, मावली को दिनांक 1-10-81 को आदेश दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) क्या यह सही है कि कतिपय अधिकारियों ने अभी तक उक्त आदेश के तहत कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिलाधीश के निर्देश की पालना में तहसीलदार मावली द्वारा दिनांक 14-9-83 को अवैध निर्माण को विध्वंस करने का निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनांक 14-9-83 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

चित्तौड़गढ़ में औद्योगिक संस्थाओं एवं खनिज कार्यों पर कार्यरत श्रमिक

512. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में औद्योगिक संस्थानों और खनिज कार्यों में कितने श्रमिक कार्यरत हैं ?

(2) कार्यालय निरीक्षक, श्रम विभाग चित्तौड़गढ़ के तहत कितने श्रमिक विवाद चल रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय की स्थापना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्यालय की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राप्त जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में औद्योगिक संस्थानों में लगभग 12000 तथा खनिज कार्यों में लगभग 7000 श्रमिक कार्यरत हैं।

(2) कार्यालय श्रम निरीक्षक, चित्तौड़गढ़ में फरवरी, 84 के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत 9 औद्योगिक विवाद व 59 शिकायतें विचाराधीन हैं।

(3) वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर चित्तौड़गढ़ में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय की स्थापना के बारे में विचार करना संभव होगा।

सांगानेर तहसील में काश्त योग्य खाली भूमि

514. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1979–80 में सांगानेर तहसील क्षेत्र में काश्त योग कुल कितनी भूमि खाली थी ? कृपया ग्रामवार भूमि का नाप विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2 उक्त समय उपरान्त उक्त भूमि कब कब व कितनी कितनी किस किस योजना व आधार के अन्तर्गत किस किस को अलाट की गई ? कितनी कितनी भूमि पर कहां कहां किस किस के द्वारा अतिक्रमण किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसी खाली भूमि को अलाट करने के लिये तहसील स्तर

(श्रीमती विद्या पाठक)

पर कमेटी बनी हुई है? क्या उक्त सभी अलाटमेंट उस कमेटी के द्वारा किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 में सांगानेर तहसील में काश्त योग्य कुल 454 बीघा 13 बिस्वा खाली भूमि थी। ग्रामवार सूचना अनुसूची "अ" में संलग्न है।

(2) 1979 - 80 के बाद अनुसूची "अ" में वर्णित भूमि में से दिसम्बर, 1982 तक 82 बीघा भूमि 17 व्यक्तियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई। आवंटित की गई भूमि का विवरण अनुसूची "ब" संलग्न है। खाली भूमि पर कहीं भी किसी का अतिक्रमण नहीं है।

(3) जी हां। अनुसूची "ब" में अंकित 77 बीघा 9 बिस्वा का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया तथा ग्राम पालड़ी मीना की ख. नं. 276 से 279 की 4 बीघा 11 बिस्वा राज्य सरकार द्वारा खातेदारी भूमि का नाले से कटाव रोकने के प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है।

(सूचना एवं विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जैसलमेर जिले में चकबन्दी

515. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन क्षेत्र के अलावा जैसलमेर जिले में चकबन्दी अब तक नहीं कराई गई है? यदि नहीं तो, जिले की कितनी भूमि की चकबन्दी करा दी गई है? कृपया तहसीलवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि उक्त चकबन्दी नहीं होने से काश्तकारों को भारी संकट का सामना करना पडता है? यदि हां, तो उक्त चकबन्दी कब तक करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। शेष भाग का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) जी नहीं। इस क्षेत्र का नियमित भू-प्रबन्ध कराया जाकर कृषकों के अधिकारों के अभिलेख तैयार किये जाकर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा 1974 में जिलाधीश को स्थानान्तरित किया जा चुका है। राज्य में 1965 के पश्चात् ग्राम काश्तकारों के विरोध एवं वित्तीय साधनों के अभाव के कारण कहीं भी चकबन्दी का कार्य नहीं कराया जा रहा है।

बूंदी जिले की पत्थर की खानों में उत्खनन कार्य

516. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) एवं

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बूंदी जिले के उमर नामक क्षेत्र में निकलने वाले पत्थर की खानों के कार्य

(श्री दाऊदयाल जोशी)

में कितने व्यक्ति कब से कितने भू-भाग पर किन शर्तों पर उत्खनन कार्य कर रहे हैं ?

(2) इनमें से कितने व्यक्ति परिगणित व कितने पिछड़ी जातियों के हैं ?

उत्तर

(1) बूंदी जिले के उमर नामक क्षेत्र में संगमरमर उपलब्ध है। जिसके खनन हेतु 24 व्यक्तियों को खनन पट्टे स्वीकृत हैं। उत्खनन कार्य राजस्थान उत्खनन खनिज रियायत नियम, 1977 के अन्तर्गत निर्दिष्ट अनुबन्ध की शर्तों पर किया जा रहा है। पट्टाधारियों की सूची उन्हें स्वीकृत क्षेत्र व तिथि सहित संलग्न है।

(2) कुल 24 खनन पट्टाधारियों में से एक अनुसूचित जाति व एक अनुसूचित जनजाति का है एवं शेष 22 अन्य पट्टाधारी हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

खूंता तहसील धरियावद जिला उदयपुर में सैकण्डरी स्कूल

517. **श्री नरपत राम बरवड़** (सूरसागर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम खूंता तहसील धरियावद जिला उदयपुर में सैकण्डरी स्कूल कार्यरत है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सैकण्डरी स्कूल को उच्च प्राथमिक स्कूल से क्रमोन्नत कर बनाया गया था ? यदि हां, तो किस आदेश से ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल अब पुनः उच्च प्राथमिक बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 13 (8) शिक्षा-1/78 दिनांक 18.10.78 के आदेश से विद्यालय क्रमोन्नत किया गया था।

(3) खूंता रा. मा. विद्यालय था किंतु छात्र संख्या मानदण्ड के अनुसार कक्षा 9 में 20 छात्र न होने के कारण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 13 (3) शिक्षा-1/80 दिनांक 23.12.80 से इसे पुनः उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। विद्यालय में कक्षा 9 में केवल पांच छात्रों ने ही प्रवेश लिया था।

सवाईमाधोपुर में अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय

518. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाईमाधोपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला सवाई माधोपुर में अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय खोलने का मामला विद्युत मण्डल के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब से चल रही है ?

(श्री हंसराज शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर का क्षेत्र काफी लम्बा हो गया है और काश्तकारों को अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु कोटा जाना पड़ता है जिससे उनका काफी समय और धन बरबाद होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सवाई माधोपुर में अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय इसी वर्ष खोल देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय खोलने का मामला जुलाई, 1983 से मण्डल के विचाराधीन है।

(2) जी हां, यह मामला मण्डल के सक्षम विचाराधीन है तथा इस पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

बीकानेर में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय

519. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर में 1982-83 व 1983-84 में कितने प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां खोले गये हैं और किन आधारों पर ?

(2) वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में कोलायत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने विद्यालय कहां-कहां खोले गये हैं ?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में 1982-83 व 1983-84 में खोले गये प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	प्राथमिक	माध्यमिक
1	2	3
1982-83	शून्य	शून्य
1983-84	(1) शहरी क्षेत्र में खोले गये	शून्य
	1. जयनारायण व्यास कालोनी, बीकानेर।	
	2. गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर।	
	3. हमालों की मस्जिद, बीकानेर।	
	(2) ग्रामीण क्षेत्र	
	1. उदयरामसर (कन्या)	

(शिक्षा मंत्री)

1	2		3
	2.	बरज (छात्र)	
	3.	1 बी. डी.	
	4.	8 बी .डी.	
	5.	18 बी. डी.	
	6.	20 बी. डी.	
	7.	12 के. वाई. डी.	
	8.	3 के. वाई. डी.	
	9.	2 ए. डी.	
	10.	7 ए. डी.	
	11.	8 ए. डी.	
	12.	14 ए. डी.	
	13.	24–25 के. वाई. डी.	
	14.	28 के. वाई. डी	
	15.	2 के. डब्लू. एम.	
	16.	3 पी. डब्लू. एम.	
	17.	14 बी. एम.	
	18.	1 बी. एम.	
	19.	3 एम. के. एम.	
	20.	4 एम. के. एम.	
	21.	5 एम. के. एम.	
	22.	2 डी. ओ.	
	23.	6/8 ए. एम.	

(शिक्षा मन्त्री)

1	2	3
	24. 1 टी. एम./1 एम. आर. डी.	
	25. सियाण भाटियान	

उपरोक्त विद्यालय भवन व्यवस्था, छात्र संख्या, स्थानीय मांग एवं विभिन्न आवश्यकताओं को आधार मानकर खोले गये।

(2) 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में कोलायत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में खोले गये विद्यालयों का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	प्राथमिक	उ. प्रा.	मा.	उ. मा.
1981-82	1. कोलासर	1 सादुलगंज	शून्य	शून्य
	2. खेतालाई			
	3. पवनपुरी कालोनी			
	4. आर. सी. पी. कालोनी			
	5. बज्जू खालसा			
1982-83	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1983-84	1. गोपेश्वर बस्ती	1 कोडमदेसर	शून्य	शून्य
	2. व्यास कालोनी			
	3. 5 एम. के. एम.			
	4. 3 एम. के. एम.			
	5. 4 एम. के. एम.			
	6. 2 डी. ओ.			
	7. 6/8 ए. एम.			
	8. 1 टी. एम/1 एम. के. डी.			
	9, सियाण भाटियान			

राज्य नियोजन कार्यालय

520. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने नियोजन कार्यालय हैं ? प्रत्येक कार्यालय में पढ़े-लिखे व बिना पढ़े बेरोजगारों की संख्या फरवरी, 1984 तक कितनी है और इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या कितनी है ? कृपया जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य के नियोजन कार्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलायें भी रोजगार चाहने वाली सूची में हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 28 नियोजन कार्यालय हैं जिसमें 26 नियोजन कार्यालय (धौलपुर जिले को छोड़कर) 26 जिलों में हैं। इसके अतिरिक्त एक विशेष नियोजन कार्यालय विकलांगों हेतु तथा एक व्यावसायिक एवं प्रशासनिक नियोजन कार्यालय (उच्च शिक्षित स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी व उच्च तथा स्नातक इन्जीनियर, डाक्टर, वैद्य आदि के लिये) जयपुर में है। प्रत्येक कार्यालय में पढ़े-लिखों व बिना पढ़े बेरोजगारों की संख्या तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या एवं जिलेवार सूचना संलग्न है।

नियोजन कार्यालयों से शिक्षा संबंधी सूचनायें 30 जून व 31 दिसम्बर को संकलित की जाती हैं। अतः संलग्न सूची में सूचना 31.12.83 की दर्शायी गई है।

(2) जी हां। राज्य के नियोजन कार्यालयों में कुल 32,896 बेरोजगार महिलायें पंजीकृत हैं जिनमें 4,082 अनुसूचित जाति एवं 453 अनुसूचित जनजाति की हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

तहसील पाली एवं बाली में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूल

521. श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) व **श्री भैरूसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक तहसील पाली एवं बाली, जिला पाली में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो किस वर्ष में कहां कहां ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त तहसीलों के माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक कई एक अतिरिक्त विषय शुरू करने की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो किस वर्ष में कहां कहां किस विषय की दी है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1980-01 से 1983-84 तक की अवधि में तहसील पाली एवं बाली, जिला पाली में खोले गये विद्यालयों की वर्षवार सूची संलग्न है।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) जी हां। वर्ष 1980–81 से 1983-84 तक तहसील पाली व बाली, जिला पाली में अतिरिक्त खोले गये विषयों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

बीस सूत्री कार्यक्रम "सब साक्षर" के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य

522. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीस सूत्री कार्यक्रम "सब साक्षर" के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के लिए वर्ष 1982-83, 1983-84 में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये थे व क्या उपलब्धियां अर्जित की जा चुकी हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के लिए वर्ष 1982-83 एवं 1983–84 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये एवं जो उपलब्धियां अर्जित कीं उनका विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

देशी व विदेशी शराब के एकाकी विशेषाधिकार लाइसेन्स

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विदेशी एवं देशी शराब के एकाकी विशेषाधिकार के लाइसेन्स अवधि की निर्धारित भुगतान की राशि को प्रत्येक अनुज्ञा-पत्रधारी को हर माह की क्रमशः 5 व 10 तारीख को जमा कराने के नियमान्तर्गत अजमेर नगर के विदेशी मदिरा के खुदरा एवं थोक लाइसेन्सधारी तथा देशी मदिरा के खुदरा लाइसेन्सधारी ने वित्तीय वर्ष 1983–84 में समय पर जमा कराई है ? यदि हां, तो वह राशि कितनी-कितनी किस किस तारीख को भुगतान की ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक अनुज्ञा-पत्रधारी को धरोहर राशि भी जमा करानी पड़ती है और उसे साल भर तक धरोहर के रूप में लगातार जमा रखने के नियमान्तर्गत अजमेर नगर के विदेशी मदिरा के थोक एवं खुदरा अनुज्ञा-पत्रधारी तथा देशी मदिरा के खुदरा अनुज्ञा-पत्रधारी ने कितनी-कितनी कब जमा कराई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किस-किस अनुज्ञा-पत्रधारी ने एकाकी विशेषाधिकार की मासिक किश्त समय पर जमा नहीं कराई और किस-किस ने धरोहर राशि के कम हो जाने पर उसको कितने समय तक पूरा नहीं किया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देशी व विदेशी मदिरा दुकानात की एकाकी विशेषाधिकार राशि की कमी पूर्ति प्रत्येक माह की आगामी 10 तारीख तक पूर्ति करने का लाइसेन्स शर्तों के अन्दर

(ग्राबकारी मन्त्री)

प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 83-84 में प्रत्येक माह की एकाकी विशेषाधिकार राशि आगामी माह की 10 तारीख तक पूर्ति करने के बाद जो कमी रही है, उसकी नकद वसूली का विवरण संलग्न है। नकद राशि जो विलम्ब से जमा कराई जाती है, उस पर नियमानुसार ब्याज वसूल किया जाता है। विवरण परिशिष्ट "अ", "ब", "स" संलग्न है।

(2) जी हां, देशी एवं विदेशी मदिरा के प्रत्येक अनुज्ञा-पत्रधारी की धरोहर राशि पूर्ण जमा हो चुकी है। विवरण निम्न प्रकार है।

370490/-	टेण्डर के साथ ड्राफ्ट संलग्न थे।
725000/-	टेण्डर के साथ ड्राफ्ट संलग्न थे।
194850/-	टेण्डर के साथ ड्राफ्ट संलग्न थे।
150000/-	चा. नं. 15 दिनांक 24.3.83
101761/-	चा. सं. 25 दिनांक 26.3.83
1542101/-	

विदेशी पेटे मदिरा दुकानात की प्रतिभूति राशि निम्न प्रकार जमा हुई :-

526260/-	टेण्डर के साथ ड्राफ्ट
61696/-	रसीद सं. 221233/92 दिनांक 6.2.83.
197600/-	ड्राफ्ट से जमा
175944/-	चा. सं 40 दिनांक 11.3.83.
85620/-	बी. डी. दिनांक 28.3.83.
75180/-	ड्राफ्ट से समायोजित
1122300/-	

विदेशी थोक मदिरा दुकान की मासिक किश्तें संलग्न (ब) मानचित्र के नोट अनुसार 40,500 33 पैसा जमा हुई।

(3) प्रत्येक अनुज्ञा धारी देशी व विदेशी मदिरा दुकानात ने प्रत्येक माह में एकाकी विशेषाधिकार की राशि की पूर्ति की है फिर भी कोई एकाकी विशेषाधिकार राशि में कमी रह गई वह नकद राशि से पूर्ति की है। ऐसी स्थिति में किसी भी अनुज्ञाधारी द्वारा जमा धरोहर राशि में से वसूल करने की स्थिति नहीं ग्राई।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

देशी व विदेशी शराब दुकानों हेतु निर्धारित स्थल

525. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या ग्राबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि देशी व

(श्री कैलाश मेघवाल)

विदेशी शराब की दुकानों के स्थल निर्धारण हेतु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लिखित धार्मिक स्थानों पर ही लागू होते हैं ?

(2) यदि हां, तो कृपया अजमेर नगर हेतु रखी हुई सूची एवं तत्सम्बन्धी मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा मकानों का पंजीकरण

526. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान आवासन बोर्ड ने गत आठ साल में क्रमश: उच्च, मध्य एवं निम्न आय वर्ग के राजस्थान में जिलेवार कितने कितने मकानों के लिए पंजीकरण किया ?

(2) जनता द्वारा अभी तक अनुपलब्ध मकानों के लिए जमा कराई गई धरोहर राशि पर बोर्ड का कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्य है ? क्या इस ब्याज में गत वर्षों में कोई वृद्धि की गई है ? यदि नहीं, तो क्या बोर्ड इन व्यक्तियों को मकानों के लिये देय मूल्यों एवं किश्तों की मासिक राशि में भी कोई वृद्धि करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पहले की बनिस्बत बोर्ड ने मकानों में पूर्व निश्चित सुविधाओं एवं क्षेत्रफल में कमी भी की है ? यदि हां, तो प्रत्येक आय वर्ग में कुल कितने प्रतिशत की मूल्य वृद्धि, मकान मिलने में देरी के कारण आवेदनकर्ताओं को बर्दाश्त करनी पड़ रही है ?

(4) क्या बोर्ड ने सभी कालोनियों में स्कूल, डिस्पेन्सरी तथा सार्वजनिक वाचनालय का प्रावधान रखा है ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में सरकार बोर्ड द्वारा जनता को इन सुविधाओं की उपलब्धि कराने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार को बोर्ड द्वारा निर्मित मकानों में घटिया किस्म के सामान इस्तेमाल किए जाने तथा तत्फलस्वरूप जयपुर की गत बाढ़ के समय मकानों के कुछ हिस्सों के ढह जाने की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) आवेदक द्वारा जमा कराई गई पंजीकरण राशि पर 6% ब्याज देय है। आवेदकों को देय ब्याज की दर में गत वर्षों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। बोर्ड पंजीकृत आवेदकों को मकानों के लिये देय मूल्य

(आवासन मन्त्री)

राशि एवं किश्तों की मासिक राशि में वृद्धि करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है।

(3) जी हां, मूल्य वृद्धि नहीं की जाती है, परन्तु कीमतों में वृद्धि के कारण क्षेत्रफल एवं सुविधाओं में कमी की जाती है। कीमतों में वृद्धि लगभग 10 /' प्रति वर्ष होती है।

(4) जी हां, सभी बड़ी कालोनियों में यह प्रावधान रखा गया है।

(5) जी हां, इसकी पुनरावृति रोकने के लिये बोर्ड पूर्ण रूप से सक्रिय है एवं इस हेतु तकनीकी परीक्षण खण्ड खोला गया है जो कि स्वतन्त्र रूप से निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच एवं परीक्षण करता है तथा निर्माण कार्यों पर नियन्त्रण करता है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम द्वारा गरीबों को सहायता

527. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? यदि हां, तो अब तक प्रदेश में किस–किस योजना से कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया? कृपया जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले व्यक्तियों को उक्त निगम जीवनयापन एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु योजना के तहत बैंकों से ऋण दिलाता है? यदि हां, तो अब तक निगम की सहायता से स्वीकृत बैंक ऋण कितने व्यक्तियों को मिला?

उत्तर

(1) जी हां। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) निगम द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु बैंकों से संबधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से ऋण दिलाये जाते हैं। निगम की सहायता से 2,71,412 व्यक्तियों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों एवं वाणिज्यक बैंकों से ऋण उपलब्ध हुए हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

चित्तौड़गढ़ की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अ. जा. जनजाति के छात्रों को प्रवेश

528. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में वर्ष 1983-84 में कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों ने कक्षा छः से ग्यारह तक प्रवेश पाया ?

(2) क्या यह सही है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले कक्षा छः से ग्यारह तक के बालकों से प्रवेश फीस छात्रवृत्ति आने पर बाद में जमा की जाती है ? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले की कितनी राजकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा वर्ष 1983-84 में छात्रों से प्रवेश फीस प्रवेश के समय वसूल की गई ? कृपया विद्यालयवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में वर्ष 83–84 में जितने अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों ने कक्षा 6 से 11 तक प्रवेश लिया उसकी सूचना परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के यह आदेश हैं कि उन अनुसूचित जाति/जन–जाति के विद्यार्थियों से जिन्हें राज्य सरकार या भारत सरकार की छात्रवृत्ति मिलती हो, अन्य शुल्कों की वसूली अक्टूबर में की जावे। चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश शुल्क प्रवेश के समय ही वसूल किया गया है क्योंकि कई छात्र विद्यालय त्याग देते हैं और उनकी प्रवेश फीस छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं होने के कारण जमा नहीं हो पाती इसलिए आडिट एतराज होता है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

अ. जा. व जनजाति के स्नातक स्तर के छात्रों को बेरोजगारी भत्ता

529. **श्री दाऊलाल जोशी** (दीगोद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व जन जाति के सभी स्नातक स्तर के शिक्षित युवकों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्तमान में केवल प्रथम व द्वितीय श्रेणी में स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के बेरोजगार युवकों को ही यह भत्ता नियमानुसार देय है।

(2) इस बारे में विचार किया जा रहा है।

राजस्थान शिक्षक संघ उप–शाखा इटावा–पीपल्दा

530. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान शिक्षक संघ की उप शाखा इटावा–पीपल्दा ने राजस्थान आवासन मंडल को इटावा

(श्री हीरालाल आर्य)

कस्बे में "टीचर्स कालोनी" बनाने हेतु आवेदन किया है ?

(2) क्या मण्डल द्वारा उक्त कालोनी के निर्माण हेतु स्वीकृति दे दी गई है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों और अब कब तक स्वीकृति दे दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, कम से कम 200 आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कालोनी के निर्माण हेतु स्वीकृति दिये जाने के संबंध में विचार किया जाता है। इससे कम पंजीकरण होने पर नहीं।

क्षेत्रीय सहकारी निगम, उदयपुर द्वारा लघु वन उपज की खरीद

532. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम, उदयपुर द्वारा वर्ष 1981–82, 82–83 एवं 83–84 में कौन कौन सी लघु वन उपज खरीदी गई ? कृपया मात्रा, मूल्य एवं लदान व्यय का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) लघु वन उपज बेचने की क्या प्रक्रिया निर्धारित है ? वर्ष 1981-82, 82-83 एवं 83-84 में बेची गई उपज की मात्रा प्रति क्विंटल दर एवं कुल आय कितनी रही ? कृपया सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि महुआ की निविदा दर वर्ष 1982 में 181 रु. थी लेकिन बाद में उसे खराब एवं घटिया बता कर कम कीमत पर बेचा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या इसी प्रकार विगत में अन्य लघु वन उपज भी निर्धारित निविदा दर से कम में बेची गई ? यदि हां, तो कौन कौनसी व क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि., उदयपुर द्वारा 1981-82, 82-83 एवं 83-84 में क्रय की गई विभिन्न प्रकार की लघु वन उपज की मात्रा, मूल्य एवं लदान व्यय आदि का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ट–'क'

(2) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि., के संचालक मण्डल द्वारा गठित समिति समस्त लघुवन उपज बेचने के लिए अधिकृत है। यह समिति प्रतिमाह 7 तारीख को उदयपुर में एवं 9 तारीख को बारां (कोटा) क्षेत्र की उपज निविदायें आमन्त्रित करके विक्रय करती है। वर्ष 1981-82, 82-83 एवं 83-84 में बेची गई उपज की मात्रा प्रति क्विंटल दर एवं कुल आय का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ट 'ख'

(3) जी नहीं।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(4) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

सवाईमाधोपुर व मान टाउन बजरिया के बीच यातायात व्यवस्था

533. **श्री चुन्नी लाल** (खण्डार) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार सवाईमाधोपुर शहर व मान टाउन बजरिया के बीच में चलने वाली यातायात व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या वर्तमान में जो सी. टी. एस. बसें व अन्य वाहन जिला मुख्यालय होते हुए चलती हैं उनकी संख्या नगण्य है ? क्या सरकार जनहित को मद्देनजर रखते हुए बस या वाहन बढ़ाने का विचार करती है ?

(3) क्या सी. टी. एस. का कोई किराया निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब किराया निर्धारित करने का विचार रखती है ?

(4) क्या बसों के चलने का कोई समय भी निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सवाईमाधोपुर शहर व मान टाउन बजरिया के बीच में चलने वाली यातायात व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से मान टाउन बजरिया होकर चकचैनपुरा मार्ग खोलने का मामला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर के पास विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। इन बसों की संख्या नगण्य नहीं है। वर्तमान मे 16 सी. टी. एस. बसें व 15 अन्य मार्गों की बसों का संचालन है। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सी. टी. एस. बसों के सवाईमाधोपुर बजरिया मार्ग पर 3 बसें व सवाईमाधोपुर रणथम्भोर वाया रेलवे स्टेशन मार्ग पर 6 बसें चलाये जाने का मामला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, जयपुर के पास विचाराधीन है।

(3) जी हां। सी. टी. एस. बसों का किराया निर्धारित है।

(4) ये बसें 10-10 मिनट के अन्तराल से चलायी जाती हैं।

टौंक के बस स्टेण्ड पर यात्रियों हेतु व्यवस्था

534. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टौंक जिला मुख्यालय पर प्रतिदिन औसतमान कितने यात्री टौंक से आते तथा जाते हैं ?

(2) बस स्टेण्ड पर यात्रियों के उठने बैठने, खड़े होकर टिकट लेने, सार्वजनिक मूत्रालय, शौचालय आदि की व्यवस्था है ? बस स्टेण्ड का मानचित्र सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि टौंक में बस

(५०)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

स्टेण्ड सुविधा के नाम पर प्रत्येक आने और जाने वाले यात्री से 25 पैसा प्रति यात्री वसूल किया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि बस स्टेण्ड की सुविधा उपलब्ध करना निगम का उत्तरदायित्व है ? यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करायी जायेगी ?

उत्तर

(1) टौंक बस स्टेण्ड पर परिवहन निगम की बसों से प्रतिदिन औसतन 2244 यात्री आते/जाते हैं ।

(2) वर्तमान बस स्टेण्ड पर निम्न व्यवस्था उपलब्ध है-

1. यात्रियों के टिकट वितरण के लिये टिकट घर ।

2. यात्रियों की प्रतीक्षा के लिए टिकट घर के सामने प्रतीक्षालय है ।

3. महिलाओं के प्रतीक्षा के लिए एक अलग से कक्ष है जिसके साथ अलग से शौचालय उपलब्ध है ।

4. पुरुषों के लिए अलग से मूत्रालय व शौचालय की व्यवस्था की हुई है जिनमें 5 व 2 कक्ष हैं ।

5. बस स्टेण्ड पर पीने के लिये पानी के नल लगे हुए हैं जिनमें पानी जलदाय विभाग के समय चक्रानुसार उपलब्ध रहता है । निगम द्वारा यात्रियों के लिए एक जल-धारी की व्यवस्था है ।

विद्यमान बस स्टेण्ड का मानचित्र संलग्न है ।

(3) बस स्टेण्ड सुविधा के नाम पर कोई कर वसूली नहीं की जाती है । अपितु यात्री कर के तौर पर नगर परिषद टौंक 25 पैसे प्रति यात्री वसूल करती है ।

(4) जी हां । बस स्टेण्ड उपलब्ध है जो नगर परिषद का है एवं वर्तमान में किसी और बस स्टेण्ड की आवश्यकता नहीं है । यद्यपि भविष्य की आवश्यकता को देखते हुये निगम अन्यत्र भूमि प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है ।

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले में निजी बसें

535. श्री बंसी लाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 1983 तक भीलवाड़ा जिले में चलने वाली निजी बसें किस किस मार्ग पर वाया कहां से कहां चलीं ?

(2) उक्त मार्गों पर चलने वाली बसें कच्चे मार्ग पर कौन कौन सी हैं तथा पक्के मार्ग पर कौन कौन सी हैं ।

(3) क्या यह सही है कि जिन बसों का मार्ग पहले कच्चा था वहां पर डामर की सड़कें बनाई गई हैं ? यदि हां, तो बस मालिकों द्वारा कच्चे मार्ग का किराया क्यों वसूल किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट 'क' में उपलब्ध है।

(2) पक्के मार्गों की सूचना परिशिष्ट 'ख' तथा कच्चे मार्गों की सूचना परिशिष्ट 'ग' में उपलब्ध है।

(3) जिन बसों का मार्ग पहले कच्चा था उनमें से कुछ मार्गों पर डामर की सड़क बनाई गयी है। किराये के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं हुई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

पंचायत विभाग कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

538. **श्री तेजपाल यादव (चौमूं)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास एव पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायतें गत डेढ़ वर्ष की अवधि में राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो किस कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है ? क्या विभाग द्वारा उनकी जांचक रवाई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जांच रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी पर अब तक किस किस तारीख को क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। गत डेढ़ वर्ष की अवधि में विभाग के 2 कर्मचारियों, श्री भीम सिंह देवड़ा, कार्यालय अधीक्षक एवं श्री पी. सी. कुमावत, कनिष्ठ लिपिक, जांच शाखा के विरुद्ध साप्ताहिक पत्र उद्बोधन में छपे समाचार एवं श्री काना राम यादव, युवक कांग्रेस (आइ) कार्यकर्ता, फागी से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विभाग द्वारा साप्ताहिक उद्बोधन में छपी शिकायतों की रेकार्ड के आधार पर जांच कराई गई। श्री कानाराम यादव शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने हेतु दिनांक 8-6-83 को बुलाया गया, किन्तु वह नहीं आया। कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध रेकार्ड के आधार पर की गई जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) श्री भीमसिंह देवड़ा, कार्यालय अधीक्षक (जांच का दिनांक 30. 9. 83) को जांच शाखा से स्थानान्तरण किया जाकर उनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया। उनका उतर दिनांक 31.10.83 को प्राप्त हो चुका है। इस प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जांच हेतु उप विकास आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री पी. सी. कुमावत कनिष्ठ लिपिक का जांच शाखा से दिनांक 26. 4. 83 को स्थानान्तरण किया जा चुका है।

(जांच प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

(४२)

भीलवाड़ा की पंचायतों में सरपंचों को निलम्बन

539. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में 1980-81, 1981-82, 1882–83 एवं 1983–84 में पंचायतों के सरपंचों का निलम्बन किया गया है ? कृपया पंचायत समितिवाइज संख्या, नाम एवं निलम्बन की दिनांक एवं आरोप के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार निलम्बन के पश्चात् जांच की निश्चित अवधि का निर्धारण करती है ? यदि हां, तो इस अवधि में जांच पूर्ण नहीं होने पर क्या सरपंचों को बहाल करती है ? क्या सरकार निलम्बन करने एवं आरोपियों को जांच के पूर्व भी बहाल करती है ? यदि हां, तो कौन से नियम एवं कारणों से जांच के पूर्व ही निलम्बन रद्द कर बहाल किया जाता है ? यदि नहीं, तो ईंटून्दा के तत्कालीन सरपंच को 1981 में बहाल किया गया ? क्या यही नियम एवं नीति नेचणकला पंचायत समिति शाहपुरा के लिये लागू नहीं की जा सकती ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के अनेक सरपंचों के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 17 (4) की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो पंचायत समितिवाइज नाम एवं कार्यवाही आरोपों पर कब से विचाराधीन है एवं इन प्रकरणों में सरकार कब तक निर्णय करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) अन्तिम जांच के लिये राज्य सरकार द्वारा निश्चित अवधि निर्धारित की जाती है। जांच के विचाराधीन रहने की कालावधि में निलम्बन से बहाली प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर की जाती है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कनेछनकला के मामले के तथ्य एवं हालात तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत ईटून्दा के मामले के तथ्य व हालात से भिन्न होने के कारण ईटून्दा वाले मामले का निर्णय कनेछनकला वाले मामले पर लागू नहीं किया जा सकता।

(3) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। राज्य सरकार सभी विचाराधीन प्रकरणों में यथा शीघ्र निर्णय करने का विचार रखती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

सरपंच ग्राम पंचायत अजीतगढ़ के विरुद्ध शिकायत

544. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या श्री बाबूलाल, सरपंच, ग्राम पंचायत अजीतगढ़, पंचायत समिति श्री माधोपुर, जिला सीकर के विरुद्ध पूर्व काल

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

तथा वर्तमान कार्यकाल के पद के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

(2) क्या उक्त सरपंच के कार्यकाल का आडिट भी कराया गया है ?

(3) क्या उपरोक्त मामलों के कारण जिलाधीश सीकर के आदेश से विकास अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पुलिस थाना थोई में कोई एफ. आई आर भी दर्ज कराई गई थी जिसमें आडिट के अभाव में एफ. आर. लगादी गई थी ? यदि हां, तो स्पेशल आडिट के पश्चात् क्या उसकी प्रतिलिपि पुलिस थाना थाई को सौंपी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त मामले में विभाग अब क्या कार्यवाही कब तक करेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । पूर्व कार्यकाल में प्राप्त शिकायतों की प्रारम्भिक जांच विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर द्वारा कराई गई थी । प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन में सरपंच के दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की गई । दिनांक 28-10-80 को सरपंच को निलम्बित किया गया । अन्तिम जांच के लिये उप खण्ड अधिकारी, नीम का थाना को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है । उनका जांच प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

वर्तमान काल में श्री भूदा पुत्र श्री लादू बलाई निवासी–अजीतगढ़ से 2000/- रुपये रिश्वत लेने की शिकायत की जांच उप खण्ड अधिकारी, नीम का थाना से करवाई गई थी । उप खण्ड अधिकारी की जांच में सरपंच द्वारा तथाकथित राशि का लेना स्पष्ट नहीं होने से मामले की पुनः जांच उप खण्ड अधिकारी नीम का थाना से करवाई जा रही है ।

(2) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1978–79 से 1979–80 तक का विशेष आडिट किया जा चुका है ।

(3) विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर द्वारा श्री बाबूलाल कुमावत, सरपंच ग्राम पंचायत, अजीतगढ़ के विरुद्ध दिनांक 21-10-81 को धारा 409, 468 व 471 आई. पी. सी. के अपराधों के लिये एक प्राथमिक सूचना प्रतिवेदन पुलिस स्टेशन थोई में दर्ज करवाया गया था । उक्त मामले में पुलिस द्वारा अदम सबूत में एफ. आर. लगा दी गई । स्पेशल आडिट की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । अतः उसकी प्रतिलिपि पुलिस को सौंपे जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(4) स्पेशल आडिट तथा जांचों के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

पंचायत समिति झोटवाड़ा की जमीन पर नाजायज कब्जे

545. सुश्री पुष्पा जैन (अमेर) : क्या

(सुश्री पुष्पा जैन)

पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचाय समिति झोटवाड़ा के कार्यालय के अधीन कुल कितनी जमीन है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति की जमीन पर अनाधिकृत कब्जे हो रहे हैं ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा और कितनी कितनी जमीन पर ?

(3) क्या यह सही है कि कब्जे करवाने में वर्तमान प्रधान का हाथ है और कब्जेशुदा जमीनों पर पक्की तामीरात करवाई जा रही है ? यदि नहीं, तो अब तक पंचायत समिति ने अतिक्रमियों के खिलाफ कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, झोटवाड़ा के कार्यालय के अधीन तीन बीघा दस बिस्वा जमीन है, जिसमें भवन, क्वार्टर, नर्सरी और कार्यालय आदि बने हुए हैं।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति के कुएं के पास पूर्वी बाउण्ड्रीवाल के पास दक्षिण की ओर आठ फुट तक चरपेट देकर गणेश नारायण द्वारा एक कमरा उसकी स्वयं की जमीन पर बनाया गया है तथा इस कमरे की कोई खिड़की और दरवाजा पंचायत समिति की जमीन पर नहीं झांकता है।

(3) पंचायत समिति की जमीन पर किसी का अनाधिकृत कब्जा नहीं है। अतः वर्तमान प्रधान के हाथ का प्रश्न ही नहीं उठता और इसीलिए तामीरात का भी प्रश्न नहीं उठता। पंचायत समिति की जमीन पर चारों ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल पटवारी, गिरदावर से पत्थर गढ़ी कराकर बनवाई हुई है। शेष कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत राताकोट के सरपंच के विरुद्ध शिकायत

546. श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत राताकोट तहसील केकड़ी (अजमेर) के सरपंच के विरुद्ध उसी पंचायत के दो पंचों द्वारा शिकायत करने पर कार्यों का मूल्यांकन पंचायत समिति भिनाय के ओवरसियर से कराया गया था ?

(2) यदि हां, तो इस मूल्यांकन के क्या परिणाम रहे व किस-किस कार्य के बारे में किस किस रूप में मूल्यांकन किया गया ? कृपया मूल्यांकन के प्रतिवेदन की प्रति उस पर की गई कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति के ओवरसियर द्वारा मूल्यांकन कराया जा रहा है।

(2) भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन कराया जा रहा है। प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

सहायक जिला भेड़ व ऊन अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच

547. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या भेड़ व ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री रतनाराम चौधरी सहायक जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, पाली के विरुद्ध कोई विभागीय जांच पेन्डिंग है ? यदि हां, तो कब से है ?

(2) राज्य सरकार ने यह जांच तत्काल पूरी करने हेतु निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग को कितनी बार निर्देश दिये एवं उन निर्देशों की पालना में क्या कार्यवाही हुई ?

(3) अब यह जांच कितनी अवधि में पूरी कर ली जावेगी ?

(4) श्री रतना राम चौधरी का नाम विभागीय वरिष्ठता सूची में किस क्रमांक पर है ? वरिष्ठता सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

श्री चौधरी के विरुद्ध दिनांक 24.6.67 से विभागीय जांच चल रही है।

(2) राज्य सरकार ने यह जांच शीघ्र पूरी कराने हेतु निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग को कई बार पत्र लिखे हैं। जांच से सम्बन्धित अतिरिक्त अभिलेख उप स्थापक अधिकारी ने और चाहा है। जिसे उपलब्ध कराने की यथा शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

(3) उप स्थापक अधिकारी को चाहा गया अतिरिक्त अभिलेख उपलब्ध कराते हुए शीघ्र ही इस जांच को पूरा कराने का यथा संभव प्रयास किया जायेगा।

(4) भेड़ व ऊन विभाग में ग्रेजुएट सुपरवाइजरों के पद समाप्त किये जाने के कारण इन पदों पर पदस्थापित कर्मचारियों को अधिघोषित किया गया। उसी के क्रम में श्री चौधरी को दिनांक 16.2.74 को अधिघोषित किया गया किन्तु सामान्य प्रशासन (ग) विभाग ने श्री चौधरी को वापस लौटाते हुए निर्देश दिये कि इनके विरुद्ध जो जांच चल रही है उस पर निर्णय होने के पश्चात् ही इन्हें अधिघोषित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी। जब तक विचाराधीन जांच पर कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक श्री रतना राम चौधरी भेड़ व ऊन विभाग में अस्थाई ही माने जायेंगे। श्री चौधरी का नाम अस्थाई होने के कारण विभागीय वरिष्ठता सूची में नियमानुसार नहीं दर्शाया जा सकता। वरिष्ठता सूची स्थाई कर्मचारियों / अधिकारियों की ही प्रसारित की जाती है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता के अन्तर्गत काचरी लिफ्ट

(श्री अध्यक्ष)

सिंचाई योजना की स्वीकृति के बावजूद वर्क आर्डर न देने के विषय में,

(2) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर नगर में राजकीय गांधी नेशनल विद्यालय भवन की हालत जीर्ण-शीर्ण होने के विषय में।

(3) सर्व श्री बंसीलाल पटवा, गुलाबचंद कटारिया, भूपालसिंह, मालाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी पंचायत समिति के ग्राम मालीखेड़ा में खसरे से 13 बच्चों की मृत्यु के विषम में।

(4) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत वर्ष संस्कृत कालेज, महापुरा जिला जयपुर के कैशियर द्वारा दस हजार रुपये गुम हो जाने पर अनेक अध्यापकों को वेतन न मिलने के विषय में,

(5) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत वर्ष 29 फरवरी को मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा करने के बावजूद जयपुर में नल, बिजली के कनेक्शन जनता को न मिलने के विषय में,

(6) सर्व श्री हंसराज शर्मा, चुन्नीलाल जेलिया, कुंजीलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर में परिवार कल्याण कैम्पों में बरती गई लापरवाही के विषयों में।

(7) श्री देवी सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान मुख्य नहर के बाईं ओर पानी की झीलें मिट्टी से भरने के विषय में ठेकेदारों द्वारा किये गये घोटाले के विषय में,

(8) श्री छीतरलाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से अटरू में उच्च जलाशय की क्षमता कम करने से पेयजल पूरा न मिलने के विषय में,

(9) सर्व श्री कैलाश मेघवाल, मेघराज तावड़, त्रिलोक सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षण सत्र 1983–84 में समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तीर्ण मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये 72 लाख रुपये की मांग के विपरीत केन्द्र से करीब 18 लाख रुपये मिलने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(10) सर्व श्री बालचन्द आर्यवीर व अनंग कुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के पगारिया थाना के थानेदार द्वारा 26 मई, 1983 को एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के विषय में।

यह एक पुरानी घटना है और व्यक्तिगत है। अतः स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(11) श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से विभिन्न विभागों

(47)

(श्री अध्यक्ष)

द्वारा छोटे मोटे उपभोक्ताओं, किसानों, व्यापारियों आदि से भारी रकमों की वसूली के विषय में।

यह एक सामान्य और अस्पष्ट प्रस्ताव है और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) सर्व श्री त्रिलोकसिंह, मेघराज तावड़, यदुनाथसिंह–गत 10 मार्च को जयपुर के गांधीनगर थाने में गिरफ्तार अपने साथियों से मिलने गये विद्यार्थी नेता की पुलिस द्वारा पिटाई।

सरकार ने सूचित किया है कि श्री बिरदीलाल के साथ पुलिस थाना, गांधी नगर में न तो मारपीट की गई है और न अभद्र व्यवहार किया गया। उनके गिरफ्तार साथी मुलजिमों को छोड़ देने की धमकी व राज कार्य में बाधा डालने पर वैधानिक कार्यवाही की गई है।

(2) श्री हरीश शर्मा व श्री हीरालाल आर्य–पंचायत समिति, खैराबाद, जिला कोटा के विकास अधिकारी द्वारा अध्यापिकाओं को परेशान करना।

सरकार ने सूचित किया है कि सम्बन्धित विकास अधिकारी को निलम्बित किया जा चुका है और आवश्यक विभागीय जांच की जायेगी।

(3) श्री मेघराज तावड़–थाना रानीवाड़ा, जिला जालौर में श्रीमती रंगू की उसके पति द्वारा हत्या।

सरकार ने सूचित किया है कि मामले की जांच उप अधीक्षक, अपराध एवं सतर्कता विभाग द्वारा गत 8 फरवरी से की जा रही है और अनुसंधान जारी है।

(4) श्री घनश्याम तिवाड़ी–तहसील बानसूर, जिला अलवर में एक अज्ञात बीमारी से 6 व्यक्तियों की मृत्यु।

सरकार ने सूचित किया है कि कुछ मामलों में मलेरिया की पुष्टि हुई है और इस समय यह बीमारी पूरी तरह काबू में है और 9 मार्च के बाद कोई मृत्यु नहीं हुई है।

(5) श्री मालाराम–बिजली कर्मचारियों द्वारा मई, 1983 में की गई हड़ताल की अवधि के वेतन का भुगतान।

इस प्रस्ताव पर प्राप्त तथ्यों का अध्ययन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकृति देने योग्य नहीं है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

अब जिन माननीय सदस्यों के मैं नाम पुकारूं और जिन के स्थगन प्रस्तावों को मैंने सरकार से जानकारी लेकर अस्वीकार कर दिया है, वे अपनी बात दो–दो, तीन–तीन मिनट में कह सकते हैं।

श्री त्रिलोकसिंह। आप बैठ जांय।

(व्यवधान)

ये पहले खड़े हो गये हैं।

व्यवस्था का प्रश्न
अस्वीकृत स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा करने का अवसर

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन से हमेशा यह व्यवस्था मिलती रही है कि जिस स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट किया जाता है, उस पर बोलने का अवसर दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : सभी पर नहीं । जो स्थगन प्रस्ताव का विषय है ही नहीं उस पर नहीं है । लेकिन जो विषय हो सकते हैं और जिन पर मैंने आवश्यक नहीं समझा है, जानकारी लेना अथवा सरकार से वक्तव्य दिलाना और अस्वीकार किया है, उस स्थिति में दो-दो मिनट . . .

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरे स्थगन प्रस्ताव को आपने आवश्यक नहीं समझा . .

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें । राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, बजट पर सामान्य चर्चा हुई । जब ये मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी, उस अवसर पर आप इस संबंध में बोल सकते हैं ।

(व्यवधान)

आर्डर । बैठ जायें ।

(व्यवधान)

मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ।

श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से विभिन्न विभागों के द्वारा छोटे मोटे उपभोक्ताओं, किसानों, व्यापारियों आदि से भारी रकम की वसूलियों के विषय में ।

यह कोई विवाद नहीं, कोई घटना नहीं, वर्ग विशेष का पीड़ित होने का इसमें कोई सवाल नहीं है । इसमें कैसे इजाजत दे सकता हूँ । आपको इजाजत दे दूंगा जब इस तरह के विषय सदन के समक्ष आयेंगे । इसलिए अब मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । आज इजाजत नहीं होगी । समय नहीं लें । बैठ जायें । व्यवस्था के बाद बैठ जायं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 31 मार्च के पहले पहले सारी वसूलियां हो जायेंगी । उसके बाद बोलने का कोई मतलब ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें । श्री पटवा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो । आर्डर । कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं । अंकित न हो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो । व्यवधान डाल रहे हैं । आर्डर, आर्डर । अंकित नहीं होगा । कृपया मुझे खेद है, ऐसा न करें । आर्डर, आर्डर ।

श्री पटवा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है । व्यर्थ में समय ले रहे हैं । आर्डर प्लीज ।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

यही प्रश्न आप वाद-विवाद हो उस वक्त फर्मा सकते थे। अब अल्प समय में आप भाषण दे रहे हैं। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बंसीलाल पटवा।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : अब बाड़ ही खेत को खा जाये तो हम क्या करें। पिछली बार विधान सभा में मैंने इस केस को उठाया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान डाल रहे हैं। माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री बंसीलाल पटवा कुछ कहना चाहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस पर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष : पुनर्विचार नहीं करूंगा। मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर जिद नहीं होगी। आसन की व्यवस्था है।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ, हमने और कटारिया जी ने प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : आज दिया है।

श्री बंसीलाल पटवा : खतरनाक खसरे से भीलवाड़ा नगर में भी 10 मौते हो गई।

(व्यवधान)

आसीन्द में 4 मौत हो गई, आज सवेरे मेरी बात हुई....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आपका कब का है?

श्री बंसीलाल पटवा : वहां कोई कैम्प नहीं लगाये गये, कोई उपचार की व्यवस्था नहीं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आपका कब का है?

श्री बंसीलाल पटवा : कल घनश्याम जी ने दिया। आज मैंने और कटारिया जी ने दिया। मेरा इस बारे में निवेदन है कि आज ही सरकार से वक्तव्य दिलवाया जाय। भयंकर रूप से बीमारी फैल रही है, बच्चों की मौतें हुई हैं, भीलवाड़ा जिले में करीब 50 बच्चे मर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें। आज नहीं होगा।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री बंसीलाल पटवा : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। अंकित नहीं हो रहा है। व्यर्थ में समय जा रहा है। मैं अंकित नहीं होने दूंगा। इस तरह से कार्यवाही थोपी नहीं जायेगी।

श्री बंसीलाल पटवा : XXX

श्री अध्यक्ष : आपको क्या कहना है, माननीय बालचन्दजी आर्यवीर ? बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। कोई विषय बतायें। आप किसलिये खड़े हुए थे ?

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल दिया था।

श्री अध्यक्ष : कल दिया उस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री अनंग कुमार जैन : चर्चा तो आज ही होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री बालचन्द आर्यवीर : आपने अस्वीकृत कर दिया।

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य बोलें तो सुनूं। आपका क्या विषय है ?

श्री अनंग कुमार जैन : आपने अस्वीकृत किया है उस पर चर्चा करने की इजाजत तो देंगे आप। एक हरिजन महिला के साथ थानेदार द्वारा बलात्कार करने की कोशिश की गई।

श्री अध्यक्ष : एक साल पुरानी घटना है, इसको अस्वीकार किया गया।

(व्यवधान)

अंकित न हो। आर्डर। अंकित न हो।

श्री बालचन्द आर्यवीर : XXX

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने का मौका दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने का मौका नहीं दूंगा। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री त्रिलोक सिंह, श्री मेघराज तावड़, श्री यदुनाथ सिंह, जयपुर के गांधीनगर थाने में गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार।

श्री अनंग कुमार जैन : मुझे समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी है। मैंने उसका अध्ययन कर लिया है। इस तरह के पुराने मामलों पर मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नहीं दिया जायेगा। मैंने व्यवस्था दे दी है। वाद-विवाद हो उस वक्त उठा सकते हैं। जब आय-व्ययक पर चर्चा हो, उस वक्त उठा सकते हैं।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष).

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा। अंकित न हो।

श्री अनंग कुमार जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था दे रखी है कि जो स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं होंगे. उस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

अंकित न हो। समय ले रहे हैं। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री अनंग कुमार जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, निवेदन कर रहा हूं मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री अनंग कुमार जैन : आपने यदि यह व्यवस्था दे दी होती कि स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है तो हम नहीं बोलते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उसको रिजेक्ट किया है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार उस पर बोलने का मौका दिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी मजबूरी है। आर्डर प्लीज। बोलने का मौका नहीं दिया जायेगा।

श्री अनंग कुमार जैन : अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कीजिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं। आर्डर प्लीज।

श्री अनंग कुमार जैन : इस पर पुनर्विचार कर निर्णय ले लीजिये।

श्री बंसीलाल पटवा : बहुत गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री बंसीलाल पटवा : XXX

श्री बालचन्द आर्यवीर : XXX

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : त्रिलोक सिंह।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, 10 तारीख का किस्सा है। हरिजन विद्यार्थियों का एक लीडर, नेता बिरदीचन्द अपने दो साथियों से मिलने गांधीनगर थाने गया। जब उन्होंने वहां के प्रभारी अधिकारी से कहा कि मुझे उनसे मिला दीजिये तो प्रभारी अधिकारी, कोई सी.आई. घनश्याम दत्ता उनके साथ बुरी तरह से पेश आये और उनको लाठियों, डण्डों से मारा जिससे उनके कपड़े खून से भीग गये। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? गरीब वर्ग के विद्यार्थी साधारण से कोई झूठे झगड़ों में गिरफ्तार किये गये थे।

वह कोई डकैती नहीं थी, कोई कत्ल नहीं था। वह महज मिलने के लिये गया था, और वह भी पुलिस की इजाजत लेकर। पुलिस के एक सी. आई. घनश्याम दत्ता ने उसको बुरी तरह से मारा। यह एक घटना

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री त्रिलोक सिंह)

हो तो बर्दाश्त की जा सकती है। लेकिन इस तरह की घटना, पुलिस की मनमानी, पुलिस का जुल्म, नाकाबिले बर्दाश्त है। इसकी कुछ तस्वीर आप परसों के दिन देख चुके हैं कि किस तरह से एक विधायक के साथ गुण्डे पेश आते हैं और पुलिस वहां क्या करती है ? जिन गुण्डों ने एक विधायक को मारा, उन मारने वाले गुण्डों के साथ वहां की मुवक्किल पुलिस शराब पीती है, साजिश करती है। रोज इस तरह की घटनायें होती हैं, पुलिस जुल्म करती है, पुलिस बलात्कार करती है, डाका डालती है, बिना वजह गोलियां चलाती है। आज के जनतन्त्र में उन वर्गों के साथ जुल्म करती है, जो आर्थिक तौर से कमजोर हैं। कमजोर वर्गों के साथ खास तौर से जुल्म होता है। यहां हम पूरे राजस्थान का प्रमाण देखते हैं कि जो पुराने जमाने के शोषक थे, जागीरदार थे, आज जो बड़े-बड़े पैसे वाले प्रभावशाली लोग हैं, उनके साथ पुलिस कुछ नहीं करती लेकिन गरीब वर्ग, जो हर तरह से गरीब हैं, कमजोर हैं, के साथ घोर जुल्म करती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इस मामले में उचित जांच की जाय और दोषियों को दण्ड दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (राजसमन्द/गंगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जो हत्या हुई थी, जिसको मारा था, मैंने आपसे मेरे एक स्थगन प्रस्ताव पर निवेदन किया था कि सरकार उसके बारे में बयान दे। जो भी प्रस्ताव, अध्यक्ष महोदय, सदन में देते हैं, और खास तौर से जब स्थगन प्रस्ताव देते हैं, पुलिस के बारे में, जो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से जवाब देते हैं, सरकार को सूचित करते हैं, किन्तु इसका कोई सार नहीं निकलता। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई झगड़ा सा था विद्यार्थियों का, उन विद्यार्थियों के लीडर को ले जाकर गांधीनगर थाने में बन्द कर रखा था। स्टूडेण्ट फैडरेशन का अध्यक्ष है, बिरदीचन्द, वह उनसे मिलने गया। क्या बात है ? मुझे मिलना है। उनसे केवल मिलने के लिए गया। तो कहा, नहीं तुम बदमाश हो, तुम इनसे मिलने के लिए नहीं आये हो, तुम इनको उकसाने के लिए आये हो, यह कह कर बिना कुछ किये डण्डों से पीटा। जब मेरे पास आये उसके हाथ लाठियों की मार से सूजे हुए थे, इस प्रकार के निशान दिखाई दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सरकार को सूचित किया जाता है कि कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, न मारपीट की है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस का यह रवैया है। माननीय मन्त्रीजी यहां बैठे हैं, मैं यह कहना चाहूँगा आपको, केवल यही नहीं, आज आपकी पुलिस पर से धीरे-धीरे पकड़ छूटती जा रही है। पुलिस पर आपकी पकड़ है नहीं। एक दिन आने वाला है XXX आप यह याद रखें। आपने आज जिस तरह से पुलिस को मारने की छूट दे रखी है, मैं कहना चाहता हूं कि माथुर सरकार पुलिस बल पर राज करना चाहती है, वह माथुर सरकार पुलिस के बल पर राज करना तो भूल जायेगी, XXX मैं कहना चाहता हूं, साफ तौर पर यह उसका नतीजा है। माननीय

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मेघराज तावड़)
अध्यक्ष महोदय, पुलिस को ऊंचा उठा रखा है, पुलिस के बल पर, आधार पर राज करने की बात करते हैं, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं करते हैं। पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी, जो आज गुनाह करते हैं, गोलियां चलाते हैं और निरपराधियों को भूनने में माहिर हैं, के खिलाफ आज माथुर साहब कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। घबराते हैं पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने में। मैं कहना चाहता हूँ XXX आज मैं कहना चाहता हूँ, इस माथुर सरकार को और माथुर साहब को, पुलिस के ऊपर आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते, आज जनता को भूनने का लाइसेंस दे रखा है, तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी XXX सरकार के लिये मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं यह मानकर चलता हूँ, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, केवल पुलिस का राज है और पुलिस के आधार पर राज चल रहा है। इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। समय आ रहा है जब पुलिस का मुकाबला जनता करेगी। आज पुलिस लोगों को जिस तरह मारती जा रही है, राजस्थान में पुलिस के जिस तरह से जुल्म हैं, उनको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस से लड़ने के लिए जनता तैयार होगी। पुलिस वालों को मारेगी। यह तैयारी करनी पड़ेगी, अध्यक्ष महोदय, अगर हम समझते हैं।

श्री अध्यक्ष : हिंसा का प्रचार न करें सदन में।

श्री मेघराज तावड़ : यह हिंसा नहीं, अध्यक्ष महोदय। हम जानते हैं, हमें न्याय नहीं मिलता है। पुलिस के बल पर हमको भूना जाता है तो हम भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक दिन क्रान्ति के रास्ते पर जाना पड़ेगा, रौंदना पड़ेगा इस XXX सरकार को। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जब जनता खड़ी होगी तब कानून और व्यवस्था को संभालेगी। जब तक समाजवाद का राज कायम नहीं कर सकते तब तक इन XXX से कोई आशा नहीं की जा सकती। मैं यह कहना चाहता हूँ, कि राजस्थान की जनता के लिए आज मुख्य मन्त्री यह मानकर चलते हैं, अपने हर भाषण में कहते हैं, बजट भाषण में भी कहते हैं, राज्यपाल महोदय के भाषण में भी कहते हैं कि राजस्थान में शान्ति है किन्तु मैं कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के दिलों में शान्ति नहीं है, शोले उबल रहे हैं उनके दिलों में, लेकिन यहां की शान्तिप्रिय जनता अपने आंसुओं के घूंट पीकर रह जाती है। वह चाहती है किसी भी तरह से झगड़ा न करे। एक दिन आयेगा, जैसे घड़े में ऊपर तक पानी भर जाता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मेघराज तावड़ : घड़ा भर जाता है तो वह अत्याचार करने के लिए तैयार होता है। पाप का घड़ा भरता है तो, अध्यक्ष महोदय, फूटेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यह पुलिस का जुल्म बर्दाश्त नहीं

XXX अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(54)

(श्री मेघराज तावड़)

होगा। यह XXX सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इसके खिलाफ जनता खड़ी होगी और एक....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आप पहले ही कह चुके हैं।

श्री मेघराज तावड़ : मैं यही कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपका रानीवाड़ा का और है प्रस्ताव।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा पर तो बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें पूरी तरह से....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें अभी अनुसंधान हो रहा है।

श्री मेघराज तावड़ : जांच की जाय, पूरी सही कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा, श्री हीरालाल आर्य, खैराबाद पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा अध्यापकों को परेशान किया जाना।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खैराबाद के विकास अधिकारी के खिलाफ सरकार ने जो कार्यवाही की है, वह कोई समुचित कार्यवाही नहीं है। एक विकास अधिकारी अपने पद पर रहकर, अपने पद के प्रभाव से अध्यापिकाओं को बुरी नीयत से बुलाकर, दबाकर....

(व्यवधान)

वहीं की एक अध्यापिका ने पत्र प्रस्तुत किया है वह पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : नाम नहीं लेंगे। किसी का भी नाम नहीं आयेगा। आर्डर प्लीज। आपका विश्वास करके पत्र लिखा है उन्होंने और आप उसको प्रसारित करना चाहते हैं। आर्डर प्लीज, ऐसी इजाजत नहीं होगी।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नाम का प्रश्न नहीं है। आप तथ्य बता दीजिये।

श्री हरीश शर्मा : वहां की अध्यापिकाओं ने मुझे लिखा है और वहां के अध्यापकों ने हैड मास्टर को लिखा है वह तो पढ़ लूं।

श्री अध्यक्ष : पढ़ने का नहीं। आप उसमें जो तथ्य हों, बता दीजिये।

श्री हरीश शर्मा : "आज दिनांक 23-2-84 को आकस्मिक अवकाश पर थे, दिन के 2.30 बजे विकास अधिकारी जी विद्यालय में आये। इन्चार्ज प्रधानाध्यापक

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरीश शर्मा)

जी टेलर साहब से आपका अवकाश प्रार्थना पत्र मांगा, जो कार्यालय इन्चार्ज टीकमचन्द कन्जोलिया ने उनको बतलाया। बाद में अध्यापिका "नाम नहीं लूंगा। "....को बुलवाया और डांटने फटकारने लग गये कि तुम एक हफ्ते तक अनुपस्थित रही हो। उसने कहा कि मैं कोई अनुपस्थित नहीं रही हूं। तो भी वे डांटते फटकारते रहे और आंखों व हाथों से उसकी ओर इशारे करते रहे। बाद में कहा कि यह यों नहीं मानेगी। आप टेलर साहब व कन्जोलिया, दोनों बाहर जाओ। तो हम दोनों दरवाजे के पास खड़े रह गये। विकास अधिकारी जी ने फटकारते हुए इशारे करते हुए कहा कि प्रामिस करो।" वायदा करवा लिया कि तुम रात को मेरे घर आओगी। वायदा करो। तैयार नहीं हुई लेकिन वह।.... "पुनः उसी रूप में प्रामिस करने का कहा।"

श्री अध्यक्ष : इतने विस्तार में न जायं, माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष सवाल यह है कि मैं मेरे क्षेत्र की यूनियन का अध्यक्ष रहा। कोई लड़का कालेज की लड़की को छेड़ देता था तो उसको छोड़ता नहीं था। आज यह मेरी जवानी को चुनौती है।

श्री अध्यक्ष : यह सब कुछ कहने को आपको छूट है कि वह बुरे आदमी हैं, दुष्ट हैं।

श्री हरीश शर्मा : सस्पैण्ड कर दिया। उसके खिलाफ एक बार भी....

(व्यवधान)

विकास अधिकारी ने महिला को अपने घर रात को बुलाया, बलात्कार करने की इच्छा से बुलाया। आखिर यह व्यवस्था क्या है ? मैं यह चाहता हूँ कि विकास अधिकारी को तत्काल पद मुक्त कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री धनश्याम तिवाड़ी, तहसील बानसूर जिला अलवर में एक अज्ञात बीमारी से 6 की मृत्यु।

श्री मालाराम, बिजली कर्मचारियों के बारे में।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो राज्य सभा के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही चल रही है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री देवीसिंह भाटी : ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उधर रुकवा दीजिए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
पंचायत समिति सिणधरी एवं पंचायत समिति धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में ग्रामीण विद्युतीकरण के आधार पर प्राप्त राशि का व्यय

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ऑर्डर-ऑर्डर, बैठ जायें....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ध्यानाकर्षण प्रस्तावक ध्यान आकर्षण किसका करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप धैर्य रखिये, सब हो जायेगा। श्री हेमाराम।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया का बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना, पंचायत समिति के ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं की जो प्रगति बहुत धीमी है उसके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति, धोरीमन्ना में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना जनवरी, 80 में स्वीकृत हुई थी। इस समिति के अन्दर कुल 104 गांव हैं। सभी गांवों के लिए योजना स्वीकृत हुई है। लेकिन जनवरी, 1980 से ले करके आज तक जो प्रगति है उसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि अभी तक केवल 20-22 गांवों का विद्युतीकरण और 50-55 के आसपास कुओं का विद्युतीकरण किया गया है जबकि इस योजना के अनुसार 1984-85 तक इस पंचायत समिति के सभी गांवों का विद्युतीकरण और इस पंचायत समिति के जो कुए हैं उनका विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। एक वर्ष सिर्फ शेष रहा है, इस एक वर्ष के अन्दर शेष गांव और कुओं का विद्युतीकरण करना है। पिछले वर्षों में काम करने की जो गति रही है, यदि वही गति अगले वर्ष भी रही तो इसके जो सभी गांवों और कुओं का विद्युतीकरण करना था उसका 50 प्रतिशत भी काम नहीं होगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदयाजी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि पंचायत समिति, धोरीमन्ना जहां पर खेती की बहुत गुंजाइश है और बहुत ज्यादा तादाद के अन्दर कुएं हैं, पानी अच्छा है, उस एरिया के अन्दर गेहूं, जीरा, सरसों और राई की फसल होती है और पानी है, वह बहुत गहराई में है, 200, 150, 250 फीट गहराई में पानी है, इसलिये उन कुओं पर डीजल पम्प लगा करके खेती करने में किसानों को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। वह अपनी उपज के ऊपर जो खर्चा करते हैं वह भी उनको वापस मिलता नहीं है। इसीलिये ये बिजली की योजनाएं सरकार ने स्वीकृत की हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, स्वीकृति के बाद भी यदि प्रगति की गति यही रही तो इन योजनाओं की स्वीकृति का जो महत्व है, वह समाप्त हो जाता है। जिस उद्देश्य से स्वीकृति दी गई थी, वह हमारा उद्देश्य समाप्त हो जाता है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, अगले वर्ष आप इस पंचायत समिति में ज्यादा से ज्यादा कुओं का विद्युतीकरण कराने का लक्ष्य रखने की कृपा करें और ज्यादा से ज्यादा कुओं का विद्युतीकरण करें। हो सकता है कि हम शत-प्रतिशत तो इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर पाये लेकिन कुछ प्रतिशत हम कर पायें. .

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसीलिये नहीं कर पायेंगे...

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : पिछले चार चार सालों की जो प्रगति है वह 25 प्रतिशत नहीं है, 10 प्रतिशत है। तो 90

(श्री हेमाराम चौधरी)

प्रतिशत एक साल में कर लेंगे, यह संभव मुझे तो लगता नहीं है। यदि कर देते हैं तो बहुत ही बड़ा काम आप कर देंगे, उसके लिए वहां की जनता आपको हमेशा याद करेगी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री हेमाराम : अध्यक्ष महोदय, यही नहीं इस धोरीमन्ना, पंचायत समिति के अन्दर 33 के वी. की जो लाइनें हैं उनमें भीनमाल, गुड़ा और धोरीमना-बामड़ला इनका काम भी अभी तक हाथ में नहीं लिया गया है। भीनमाल गुड़ा 33 के. वी. लाइन को इस साल के प्रोग्राम में भी लिया गया लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, यदि आप उसको प्रोग्राम में रखते हैं, लक्ष्य में भी उसको सम्मिलित करते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते हैं तो क्या फायदा, फिर उसको लक्ष्य में, प्रोग्राम में सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य है? यह मैं नहीं समझ पाया।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करूं कि जोधपुर के अन्दर 12/9/80 को आर. एस. ई. बी. की स्थानीय सलाहकार समिति की मीटिंग हुई थी। जो मीटिंग हुई उसमें यह बताया गया था कि जो 33 के. वी. की लाइनें हैं भीनमाल, गुड़ा और धोरीमन्ना-बामड़ला, उनको 80-81 में हाथ में लिया जायेगा। लेकिन 12/9/80 को जोधपुर में मीटिंग हुई उसमें जो प्रतिवेदन पेश किया गया, उस प्रतिवेदन की एक कापी मैं लाया हूं। अध्यक्ष महोदय, उसमें यह विवरण दिया है। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी उस पर कोई भी अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। तो, अध्यक्ष महोदय, केवल बार-बार प्रतिवेदन पेश कर देंगे आप और उसमें उनका हवाला दे देंगे तो उससे अध्यक्ष महोदय, हमें तो संतुष्टि नहीं होती है। जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसका भी मैं हवाला पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उस प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 14 पर क्रम संख्या 2-33 के. वी. कार्य, उसमें लिखा है अध्यक्ष महोदय "इसके अतिरिक्त इस वर्ष मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अन्दर स्वीकृत 737 कि. मी. नये 33 के. वी. की लाइनों का निर्माण कार्य हाथ में लिया जायेगा।" उसमें जो लाइनें हैं, वह क्रम संख्या 15 पर, पृष्ठ 14 के क्रम संख्या 16 पर भीनमाल गुड़ा और क्रम संख्या 17 पर धोरीमन्ना-बामड़ला लिखी हुई है। भीनमाल गुड़ा 65 कि. मी. और धोरीमन्ना-बामड़ला 20 कि. मी.। ये लाइनें बताई गई हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अभी तो इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इस धोरीमन्ना, पंचायत समिति के अन्दर, आने वाले 1984-85 के कार्यक्रम में ये भीनमाल, गुड़ा और धोरीमन्ना-बामड़ला के अन्दर 33 के. वी. का लक्ष्य भी रखा जाय, और केवल लक्ष्य ही नहीं रखा जाय इसके काम को हाथ में ले करके इनको पूरा किया जाय। नहीं तो भीनमाल, गुड़ा का गत वर्ष भी लक्ष्य था, उसका भी कोई उद्देश्य हल नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से धोरीमन्ना,

(श्री हेमाराम चौधरी)

पंचायत समिति की विद्युतीकरण की योजना है उसकी गति जो है वह बहुत ही मन्द है उसके कारण बहुत बड़ा असंतोष है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यही निवेदन करता हूँ कि वे आने वाले वर्ष में इस पर ध्यान दें। जब इनके विद्युतीकरण के लिए निगम से पैसा मिलता है तो मैं समझता हूँ कि काम करने में दिक्कत नहीं आयेगी। दूसरा, ये जो काम नहीं हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, इसका कारण जहां तक मैं समझ पाया हूँ, जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, बोर्ड के, वे कर्मचारी दूसरी जगह के हैं, हमारे जिले के हैं नहीं, उनको बाड़मेर के लिए कोई आदेश अगर विभाग करता है तो वे वहां बाड़मेर जिले में जाते नहीं हैं और बाड़मेर जिले के कर्मचारियों को बोर्ड अभी लेता नहीं है, नियुक्ति के बहाने। इसलिये अध्यक्ष महोदय, दूसरी जगह के कर्मचारी हमारे यहां आयें नहीं और फिर हमारे यहां के लोगों को आप लगाये नहीं तो फिर ये काम अपने आप किस तरीके से हो जायगा, कैसे हो जायगा? इसका कोई तरीका हमें आप समझा दें तो बात हमारी समझ में आ सकती है कि आप ऐसा कोई जादू निकाल देंगे जिससे कि बिना आदमी के यह हमारा काम हो जायगा, बिजली का। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, यही है कि यह काम कभी होना ही नहीं है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, वे कर्मचारी वहां आते नहीं और वहां के कर्मचारियों को, बोर्ड नियुक्ति देता नहीं यदि टेंडर के जरिये भी काम करवाया जाय तो वे, अध्यक्ष महोदय, प्रथम तो टेंडर कॉल करते नहीं और करते हैं तो जब साल खतम होने आता है, आखिर में कॉल करते हैं। यदि हायर लेवल पर यह स्वीकृति मिल जाती है तो भी वहां से स्वीकृति समय पर नहीं होती है। वह एक महीना और 15 दिन के बाद होती है उससे काम नहीं होता है तो अध्यक्ष महोदय, कोई भी रास्ता निकालें। बाहर के कर्मचारियों को भेजें, हमारे लोगों को भर्ती करके काम करायें और चाहे किसी तरीके से कार्य लें लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि हमारे यहां पर काम रुका हुआ है बिजली का, उसको तेजी से आगे बढ़ावें।

इसी तरीके से पंचायत समिति, सिणधरी का भी यही हाल है और पंचायत समिति की जो योजना है 1980-81 में स्वीकृत हुई थी। 1980-81 में स्वीकृत होने के बाद में अभी तक पंचायत समिति, सिणधरी में 10–12 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है और केवल 7 कुओं का विद्युतीकरण हुआ है। इस तरह, अध्यक्ष महोदय, 1980–81 में योजना स्वीकृत हो और केवल 7 कुओं को विद्युतीकरण हुआ हो, योजना कार्यकाल भी 1985–86 तक सभी गांवों को विद्युतीकरण करने का हो और अभी तक केवल 7 कुओं को बिजली दी हो और 10–12 गांवों को विद्युतीकरण किया हो तो, अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रगति है यह बहुत ही धीमी है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जो 10–12 गांव भी विद्युतीकृत किये गये हैं तो पहले सिणधरी से पी. एच. ई. डी. की तरफ से लाइन के लिये अप्लाई किया था वह हुआ बाकी बीच में से 11 के. वी. लाइन में जो गांव आ रहे थे उनको विद्युत से जोड़ा गया है। 1982–83 की

(श्री हेमाराम चौधरी)

योजना में जो गांव थे उनको नहीं जोड़ा है। शेष गांव हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको इस वर्ष विद्युतीकरण के लिये अब तो समय भी बहुत कम रहा है, हालांकि काम चल रहा है लेकिन काम पूरा हो जायेगा समय पर, यह नहीं कहा जा सकता है। यदि, अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से काम किया गया तो हमारे सभी गांव विद्युतीकृत होने नहीं। जब गांवों को ही विद्युतीकृत नहीं किया जायेगा तो कुओं को तो विद्युत मिलने का प्रश्न ही नहीं होता। ये योजनायें काश्तकारों के लिये लागू की हैं लेकिन इसका लाभ काश्तकारों को भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनकी तरफ विशेष ध्यान दें।

सिणधरी में 33 के. वी. की लाइन है। जोधपुर में 12.2.80 को स्थानीय कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। पेज 15 पर क्रम संख्या 27 पर है, सिणधरी से आडेल 40 किलोमीटर तक 33 के. वी. की लाइन खींची जायेगी लेकिन अभी तक उसे फेज प्रोग्राम में भी नहीं लिया गया है। वह फेज प्रोग्राम में भी नहीं ली गयी है तो, अध्यक्ष महोदय, हमारी 1980-81 की मीटिंग हुई उसके अन्दर हमारे को यह सब लाइन खींचने का प्रतिवेदन दिया, विभाग की तरफ से यह सब लिखा हुआ है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। 33 के. वी. की लाइन का ग्रिड सब स्टेशन का प्रतिवेदन, जो दिया है, में बताया गया है लेकिन आज तक का यह उल्लेख किया है कि सिणधरी, आडेला ग्रिड सब स्टेशन, धोरीमनन्न के गुढ़ा बामड़ला ग्रिड सब स्टेशन नहीं बना है, न ही वहां पर लाइन खींची गयी है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अगले वर्ष में ज्यादा से ज्यादा कुओं के और ज्यादा से ज्यादा गांवों के लक्ष्य रखे जायें और चाहे किसी तरीके से करें, बाहर से चाहे आप कर्मचारियों को लायें, चाहे आप वहां से कर्मचारियों को भर्ती करें, टेण्डर काल करें, हर हालत में लक्ष्यों की पूर्ति करें। तब ही आज की जो योजनायें हैं, वे पूरी हो सकेंगी। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, यह योजना जिस उद्देश्य से ली गई है वह असफल हो जायेगा।

बाड़मेर की हमारी पंचायत समितियों का जो प्रतिशत है विद्युतीकरण का, वह पहले ही बहुत कम है। पाली में अब तक 10,000 कुओं का विद्युतीकरण हो चुका है। पिछले वर्ष भी 1200 कुओं का लक्ष्य रखा गया था। मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, जो जिले पहले से बहुत ज्यादा पर्सेन्टेज में आ गये हैं, विद्युतीकरण के मामले में, आने वाले वर्षों में उनके लक्ष्य फिर सबसे अधिक रखे जायें, जो पंचायत समिति सबसे आगे है प्रतिशत में उसको फिर लक्ष्यों में ज्यादा रखेंगे। आपके द्वारा जो विद्युतीकरण किया जाता है उसमें हमेशा हम पीछे रहते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पुरजोर निवेदन है कि वे इस ओर स्वयं ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : इस पर माननीय सदस्य, कोई विस्तृत चर्चा नहीं होगी। ध्यान आक-

(श्री अध्यक्ष)

प्रसंग थोड़े शब्दों में, थोड़े समय में होता है। संक्षेप में बता दीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : तो, अध्यक्ष महोदय, वहां पर 33 के. वी...

श्री अध्यक्ष : वह तो आपने कह दी है।

श्री हेमाराम चौधरी : मंत्री महोदय ने आदेश करवाये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसमें विस्तार में नहीं जायें। वह मंत्री जी के पास है। 2 पंचायत समितियों में काफी समय पहले विद्युतीकरण की योजनायें स्वीकृत हुई थीं उसमें 33 के. वी. की लाइन नहीं पड़ी। प्रगति बहुत धीमी है, और इसमें गति लायें। गति लाई जानी चाहिये, यही तो बात है ?

श्री हीरालाल आर्य : मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ लेकिन सुनता कौन है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : सरकार तो सुनती नहीं है आपकी बात।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : मंत्री महोदय का स्वयं का आदेश है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आदेश तो उनके पास है।

श्री हेमाराम चौधरी : लेकिन विद्युत विभाग के मंत्री महोदय के आदेशों के बावजूद भी नहीं करें। उनका आदेश ही नहीं मानेंगे तो किसके आदेश लायें हम ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हेमारामजी ने धोरीमन्ना व सिणधरी, पंचायत समितियों में स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत जितना अपेक्षित कार्य या उसमें जो धीमा कार्य हुआ, कम काम हुआ और उनके क्षेत्र में जितना अपेक्षित प्रतिशत विद्युतीकरण का होना चाहिये था वह अब तक नहीं हो पाया, इसके बारे में ध्यान आकर्षित किया और इसका कुछ विवरण भी अपने भाषण में बताया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 1980-81 में जो योजनायें स्वीकृत हुई और जो साल वार लक्ष्य निर्धारित किया उसमें जितनी वांछित प्रगति होनी चाहिये थी चाहे वह बेसिक स्ट्रक्चर बनाने की हो, चाहे इसके माध्यम से गांवों को और कुओं को बिजली देने का काम हो, उसमें वांछित प्रगति नहीं हुई।

दो तीन बातें कही आपने। बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा कुछ लापरवाही की, जितनी गति से काम करना चाहिये था उसमें उदासीनता की बात कही है। स्थानीय लोगों को कार्य पर न लगाकर ऐसे लोगों को लगाने की बात कही, जो वहां पर रहना नहीं चाहते हैं। इस संदर्भ में दो तीन बातें कही। इस बात पर सहमत हूँ कि कुछ मामलों में लापरवाही के मामले आये हैं। जैसा कि पिछले वक्त में एक सवाल के जवाब में बताया था कि

(श्रीमती कमला)

टेन्डर बहुत समय पहले ले लिये गये, लेकिन स्वीकृत करने में समय लगा दिया। जिससे बहुत सा समय काम प्रारम्भ करने में ही बेकार चला गया। इस प्रकार से जो सामान वहां रखा हुआ है उसका पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसमें भी कुछ जगह खाली रही हैं काफी समय तक, और आपकी कोशिश से उसको वापस किया है। यह नहीं बता सकती कि वे कितने दिन चले जाते हैं अधिकारी, कर्मचारी और काम नहीं करते हैं। यह विवरण नहीं है लेकिन आम तौर पर सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों का यह ट्रेंड रहता है कि डेजर्ट एरिया में न रहें। कुछ दिन ही वहां रहने का होता है बाकी ट्रान्सफर के चक्कर में घूमते रहते हैं। इससे दिक्कत ज्यादा होती है, समय जाया होता है। इस सबके बारे में तो अलग से जो कुछ मेरी क्षमता है, कोशिश कर रही हूँ किसी प्रकार से अधिकारी अपने तौर तरीकों में सुस्ती न वरतें, हमारे जो टार्गेट हैं, जो राज्य सरकार ने दिये हैं, उसकी पूर्ति करने की कोशिश करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मूलतः जो कारण बाड़मेर की इन योजनाओं के देरी और राजस्थान की दूसरी योजनाओं के लक्ष्यों से पीछे चलने का रहा है, उसके दो रहे हैं। पहला तो यह कि अधिक उत्साह में, हमारे राज्य के अन्दर ज्यादा से ज्यादा विद्युतीकरण हो जाय उस दृष्टि से हम योजनायें ज्यादा से ज्यादा स्वीकृत कराते हैं। योजनाओं के फेजेज आर. ई. सी. देती है। उन फेजेज के मुताबिक थोड़े समय में ज्यादा कुओं को और गांवों को विद्युतीकृत करने की कोशिश करते हैं तो उन फेजेज को आर. ई. सी. तो अप्रूव कर देती है लेकिन जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, जो योजनायें स्वीकृत होती हैं उनके फेजेज में और जो राज्य सरकार के पास उपलब्ध बिजली है, वह अलग है, उपलब्ध बिजली को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार जो अपने सालाना लक्ष्य निर्धारित करती है उनमें बहुत फर्क होता है। सारा योजना के फर्स्ट ईयर के सारे फेजेज के लक्ष्य को अपने राज्य के लक्ष्यों के अन्दर निहित कर दें तो पता नहीं हमें कितने गांवों में और कितने कुओं में विद्युतीकरण करना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। इसलिये हम अपनी मर्यादाओं और सीमा से लक्ष्य कायम जब करते हैं, जैसे 11 हजार कुएं ही हमने पिछले साल किये और इस साल भी यही लक्ष्य रखा है। लेकिन योजनाओं के मुताबिक, फेज के अनुसार सारे कुओं का लक्ष्य है, वह 11 हजार से कितना ही ज्यादा बैठता है। जो योजना बनती है, लेकिन योजना के आर. ई. सी. तय करती है फेज और टार्गेट्स और जो राज्य सरकार अपनी सुविधा से और क्षमता से करती है उसमें काफी अन्तर हो जाता है। योजनाओं के लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हुई, फेजेज के मुताबिक, यह हमको हर बार ही सुनना पड़ेगा और सुनते रहना पड़ेगा जब तक कि हम उनके फेजेज का और राज्य सरकार के लक्ष्यों का तालमेल नहीं बैठा दें।

दूसरा बड़ा कारण इसका, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रहा है कि पिछले समय में जो योजनायें मंजूर हुई थीं, 1970-

(श्रीमती कमला)

71 से जो योजनायें मंजूर होती चली आ रही थीं, उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया, उनकी राशि भी खत्म हो गई लेकिन चूंकि वह गांव और कुएं पूरे नहीं हुये थे, इसलिये बहुत सारी नयी योजनाओं का पैसा उन पुरानी योजनाओं की पूर्ति के काम में हम लेते रहे जिससे नयी योजनायें पिछड़ती रहीं। पिछले साल मैंने यह सख्ती से पाबन्दी की है कि जिन योजनाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है चाहे गांव और कुओं का पूरा विद्युतीकरण नहीं हुआ हो उन तमाम को क्लोज करके नयी योजनायें बनाई जाकर आर. ई. सी. से दुबारा उनकी मंजूरी लेकर फिर से उनका काम प्रारम्भ किया जाय। नयी स्वीकृत योजनाओं का पैसा लेकर सारी ही योजनाओं को हम गलत करते रहें, यह हमारे लिये बड़ी दिक्कत की बात रहेगी। इसलिये बहुत सारी योजनायें क्लोज की जा चुकी हैं और कुछ क्लोज किये जाने के प्रोसेस में हैं। तमाम राजस्थान के एरियाज का कम्पलीट सर्वे किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं, चाहे वहां पर विद्युतीकरण ज्यादा हो चुका है या कम हुआ है, पोटेन्शियल है चाहे नॉन-पोटेन्शियल है, चाहे वहां पर कुएं नहीं हैं, गांव ही गांव का विद्युतीकरण करना है। सभी प्रकार की योजनाओं का सर्वे कराये जाने के लिये हमने आदेश दे दिये हैं। जिन जिन क्षेत्रों में विद्युतीकरण का प्रतिशत कम है, उसी अनुपात में हम 1984-85 का प्रोग्राम बनायेंगे, उनमें उसी प्रकार 11 हजार कुओं में से, 11 सौ गांवों में से और 9 सौ हरिजन बस्तियों में से उसी अनुपात में हम उनका लक्ष्य निर्धारित करेंगे जिससे आपको और दूसरे अन्य माननीय सदस्यों की यह जो शिकायत है कि हमारे क्षेत्र में विद्युतीकरण का प्रतिशत बहुत कम है, फिर भी हमको लक्ष्य कम मिलता है, 1984-85 की योजना और जो कार्यक्रम है उसमें कम से कम शिकायत माननीय सदस्यों को हो, यह हम कोशिश करेंगे। इतना फिर भी हमको जरूर करना पड़ेगा कि जो नॉन-पोटेन्शियल एरियाज हैं एम. एन. पी. की योजनायें हैं उनको हमें बिजली फिर भी कम ही देनी पड़ेगी। जहां पोटेन्शियल एरिया है, जहां प्रोडक्शन होगा, जहां खेती होगी, खेती का एरिया है, इरिगेशन होगा तो हमारे स्टेट को ही नहीं बल्कि सारे देश को फायदा पड़ने वाला है, उन दोनों के अनुपात में हमें थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। लेकिन एम. एन. पी. का जो एरिया है, उसमें जो अनुपात रखना था उसका लोअर पर्सेन्टेज आफ इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको हम ज्यादा प्रतिशत दे सकेंगे।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहती हूँ, वैसे गांवों और कुओं के विद्युतीकरण में, जैसा माननीय सदस्य कहते हैं, लक्ष्यों की प्रगति काफी धीमी है लेकिन बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाने की हमने काफी कोशिश की है। उस कारण से हमने कुछ उपलब्धियां भी आपकी दोनों योजनाओं के अन्दर ठीक ठीक की हैं।

(12. 58. म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

(श्रीमती कमला)

लेकिन फिर भी इसके साथ में जो धीमी गति का एक बड़ा कारण रहा है, बाड़मेर को हम जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा विद्युतीकृत कर सकें, इस दृष्टि से एक साथ ही 1980-81 के अन्दर हमने 16 योजनायें स्वीकृत कराईं। सभापति महोदय, किसी भी एक जिले में इतनी योजनायें एक साल में स्वीकृत नहीं हुई। अब आप अन्दाज लगाइये कि अगर किसी क्षेत्र में एक साथ, एक वर्ष में 3-4 वर्ष के लिये 16 योजनायें स्वीकृत करायें जिसमें लगभग चार सौ तो गांव हैं और लगभग डेढ़ हजार कुए थे, अगर हम एक एक स्कीम के लिये थोड़ा बहुत आनुपातिक ढंग से देने की कोशिश करेंगे गांव और कुएं तो जरूरी तौर पर हर एक पंचायत समिति को कम ही मिलेगा। लेकिन आपकी जो ओरिजिनल स्वीकृत योजना है, उसका फेजेज में ज्यादा है लेकिन इसको देखते हुये हम उसको रखने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं।

लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के दिये हुये बयान के संदर्भ में कहना चाहती हूँ कि हमने फिर भी कोशिश करके जो आधारभूत ढांचा है कनेक्शन्स देने का, उसको काफी कुछ पूरा किया है। उदाहरण के तौर पर मैं, धोरीमन्ना, पंचायत समिति का बताना चाहती हूँ! हमने निर्धारित लक्ष्यों में से बाड़मेर से धोरीमन्ना 33 के. वी. की 70 किलो मीटर की लाइन थी वह पूरी कर दी, इसी तरह से धोरीमन्ना से पीपराली 33 के. वी. की लाइन जो 26 किलोमीटर थी, वह हमने पूरी कर दी। इसी तरह से 11 के. वी. की लाइन जो 124.9 किलोमीटर थी, वह हमने पूरी कर दी। एल. टी. लाइन 14.55 किलोमीटर थी वह हमने पूरी कर दी। इनके 11.4 के. वी. के सब स्टेशन थे वह 22 हमने स्थापित कर दिये, 22 तो स्थापित कर चुके हैं इसके अलावा जो पंचायत समिति, सिणधरी की, छावा की 33 के. वी. लाइन थी वह पूरी कर दी। छावा का 33 के वी. का सब स्टेशन भी हमने कम्पलीट कर दिया, 11 के. वी. की जो लाइन थी वह भी हमने कम्पलीट कर दी है और 11 के. वी. सब स्टेशन 10 थे, वह भी हमने कायम कर दिये हैं। इस प्रकार से जो आधारभूत ढांचा है, इसको आगे बढ़ाने में कुछ सब स्टेशन्स और कुछ लाइनें बाकी हैं लेकिन काफी सारी पूर्ति करने की कोशिश की है।

लेकिन फिर भी, मैं इस बात को मानती हूँ, जैसा माननीय सदस्य ने यह कहा कि इसमें कुछ गति और आनी चाहिये ताकि गति के आने से जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उनको हम प्राप्त कर सकें। यह भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि लक्ष्य व्यावहारिक दृष्टिकोण से कायम किये जाय, जिनकी पूर्ति हम पूरी चेष्टा करके कर सकें। जितना मैक्सिमम लक्ष्य चाहें निर्धारित कर लें, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद भी लक्ष्य पूरे नहीं हो सकें उनके लिये हम भावना में आकर यह कहें कि जो हम कर सकें वह करना चाहिये, अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, और वह भी हम कर दें। इस कारण हमको ही जवाब देने में दिक्कत पड़ती है। इससे हम धरातल पर

(श्रीमती कमला)

खड़े होकर व्यावहारिक ढंग से जो काम पूरी मेहनत करके पूरा कर सकने की स्थिति में हों, उसी प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करें तो माननीय सदस्यों को भी शिकायत नहीं होगी और सरकार को भी जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार के व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश हम विभाग को करेंगे जिससे कि इनका सामंजस्य बैठ सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य से यही निवेदन करूंगी कि जहां जहां काम में शिथिलता रही है, उसका समय समय पर, फिर से आप तकाजा करते रहेंगे, बताते रहेंगे तो अधिकारियों के अनुसार काम करने के लिये जो साधन और सुविधायें आवश्यक हैं, उनको जुटाने के लिये हम बराबर प्रयत्नशील रहेंगे।

श्री सभापति : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, एक बात रह गई थी उसको निवेदन करना चाहता हूँ। सिणधरी पंचायत समिति की योजना के लिये ए. ईएन. का पद सृजित नहीं हुआ इसलिये सिणधरी का कार्य ए. ईएन., बायतू देखते हैं। वह भी बीच में उपलब्ध नहीं होते हैं जहां पोस्टिंग होता है वहां चले जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिणधरी, पंचायत समिति योजना में ए. ईएन. का प्रावधान है। यदि आप ए. ईएन. का पोस्टिंग कर देंगे, तो वे पंचायत समिति का काम तो कम से कम देख सकेंगे।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि गुढ़ा में जो ए. ईएन. है, वह जोधपुर के रहने वाले हैं वह वहां पर कभी रहते नहीं हैं। इसके बारे में मैंने कई बार शिकायत की, बोर्ड के चेयरमैन को और माननीय मन्त्रीजी को भी दी है लेकिन अभी तक क्या कार्यवाही हुई है उससे मुझे अवगत नहीं कराया गया है।

बाड़मेर से धोरीमन्ना और धोरीमन्ना से पोपराली की जो 33 के. वी. की लाइन खींचना आपने बताया उसको 11 के. वी. की लाइन से बिजली दी जा रही है 33 के. वी. की लाइन से बिजली चार्ज नहीं की जा रही है। अब आप इसका जवाब यह देंगे कि लोड ही नहीं है इसलिये हम 11 के. वी. की लाइन से चार्ज कर रहे हैं। इससे लोड में काफी दिक्कत होती है, इसलिये मेरा कहना यह है कि आप लोड बढ़ायें और 33 के. वी. से लोड चार्ज करें। यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सिणधरी पंचायत समिति में ए. ईएन. का हैड क्वार्टर कायम करने के लिये जो कहा है, आप खुद इस बात को समझते हैं कि जैसे जैसे वर्क लोड के नार्म्स हैं, उसके मुताबिक ही वहां पर ए. ईएन., जे. ईएन., एक्स. ईएन. हैं और वैसे वैसे हो ऑफिस कायम करते रहते हैं। मैं इस बात की जांच करा लूंगी कि अगर सिणधरी के लिये ए. ईएन. के पद भार के मुताबिक कार्यभार बन चुका है तो उसको हम जल्दी से जल्दी कायम कर देंगे। अगर उसमें कोई एक आध प्रतिशत की कमती-बढ़ती हो, तब भी उसको वहां पर कायम करेंगे। अगर बहुत ज्यादा

(श्रीमती कमला)

फर्क है, जितना वर्क लोड होना चाहिये उससे 50 प्रतिशत या 40 प्रतिशत ही है उसमें तो हम नहीं कर सकेंगे।

(1.00 म. प.)

दूसरा, गुढ़ा का जो ए. ईएन. वहां पर नहीं रहता है उसके बारे में आपने पहले भी कहा है, मैंने उसके निर्देश भी दिये थे, आपने अभी बताया कि वह वहां से नहीं हटा है और कोई रहने वाला वहां नहीं आया है, इसके बारे में तुरन्त ही कोई व्यवस्था की जायेगी।

श्री देवीलाल : माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मेरा मन्त्री महोदया से निवेदन है कि जो बिजली के बारे में और सब जगह आप बता रहे हैं, मेरे यहां 1960 से 1981, 82, 83 और 1984 पूरा हो गया। मैंने बार बार मन्त्री जी से लिखा पढ़ी भी की है ...

श्रीमती कमला : यह इसमें नहीं आता।

श्री देवीलाल : उसके बावजूद भी आज तक कितनी लाइनें खींची, कितने कनेक्शन दिये ? मैं एक निवेदन और कर दूं कि सब जगह ए. ईएन. की पोस्ट मांग रहे हैं किन्तु आपको इस बात का ताज्जुब होगा कि मेरी शिड्यूल्ड कास्ट की तहसील में ए. ईएन. की पोस्ट हटा दी इस साल और आफिस भी खाली कर दिया है। मन्त्रीजी से मेरा निवेदन है कि मेरी तहसील के गांवों में आप विद्युतीकरण कराओ, 25 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें कोई भी कनेक्शन का काम नहीं हुआ, पंचायतों में बिजली का काम नहीं हुआ। उसके बारे में बार बार मैंने निवेदन किया, छोटोफूल्यो, बोरड़ो, राड़पले,

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

ईदमारिया, डरब्यारासा, हिण्डोलिया, दस-पन्द्रह पंचायतें बिल्कुल रह गई हैं। मेरा कहना है कि सब जगह आप लम्बी-लम्बी लाइनें बना रहे हो, छोटी-मोटी मेरे यहां भी बताओ। मन्त्रीजी से मेरा यह निवेदन है कि मेरी तहसील, शिड्यूल्ड कास्ट की तहसील है, दूसरी जगह आप बड़ी बड़ी लाइनें बता रहे हो, छोटी-मोटी लाइन एक-आध मेरे भी ला दो, यह मेरी मांग है।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, 1984-85 के लिए तीन-चार योजनायें जो स्वीकृत हुई हैं, उसमें से माननीय सदस्य के क्षेत्र में काम कराया जायगा।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

(व्यवधान)

श्री देवीलाल : जो ए. ईएन. को हटा दिया, उसको वापस रखना है।

श्रीमती कमला : जो हटा दिया है उसके सम्बन्ध में मुझे अभी तत्काल मालूम नहीं है।

समिति का प्रतिवेदन
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी
समिति का प्रथम व द्वितीय
प्रतिवेदन

श्री सभापति : प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री हरिदेव जोशी।

श्री हरिदेव जोशी (सभापति, सरकारी आश्वासन समिति) : माननीय सभापति महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 1983-84 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(क) शिक्षा विभाग (बीस सूत्री कार्यक्रम सूत्र संख्या 16 से सम्बन्धित प्रथम प्रतिवेदन।

(ख) कृषि विभाग से सम्बन्धित द्वितीय प्रतिवेदन।

श्री सभापति : प्रतिवेदन उपस्थापित हुए।

विधायी कार्य : औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1983 परिनियत संकल्प

श्रीमती उजला अरोड़ा
(अनुपस्थित)

श्री कैलाश मेघवाल

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1983 के बारे में मेरे द्वारा प्रस्तुत परिनियत संकल्प पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मेरा परिनियत संकल्प इस प्रकार है :—

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 1983 को प्रख्यापित औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अध्ययादेश, 1983 (अध्यादेश सं. 9 सन् 1983) को अस्वीकार करता है।"

माननीय सभापति महोदय, इस अध्यादेश पर मैंने स्ट्रेट्युटरी रिजोल्यूशन मूव किया है यह इसलिए मूव किया है कि आप इसे आधे मन से लाये हैं। आधे मन से इसलिए कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ए) और तदनुसार धारा 25 (क) को सुप्रीम कोर्ट ने अविधिमान्य घोषित कर दिया, अविधिमान्य घोषित करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने भी इसमें 1982 में संशोधन पेश कर दिया लेकिन ट्रेड यूनियन्स से कुछ विवाद के कारण उसको लागू करने की तारीख घोषित नहीं की। इसलिये आपका यह कहना है कि आपने अध्यादेश जारी किया। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि आपने इतना विलम्ब क्यों किया? यह अध्यादेश आपको बहुत पहले लाना चाहिये था। आप यह बतायें, केन्द्रीय सरकार द्वारा 1982 में संशोधन कर लिया गया, वह संशोधन अगर लागू नहीं हुआ तो आप इन्तजार क्यों करते रहे। आपने केन्द्रीय सरकार से क्या इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की? यह तुरन्त लाना चाहिये था। क्योंकि हमारे यहां के मजदूरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। माननीय सभापति जी, आप खुद मानते हैं कि यह अध्यादेश श्रमिकों के कल्याण के लिये लाया गया है, लेकिन आजकल गरीबी हटाओ,

(श्री कैलाश मेघवाल)

गरीब को छप्पर, इस तरह के गरीब के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम हैं, तो माननीय सभापति महोदय, मैं श्रम मन्त्रीजी से एक बात पूछना चाहूंगा कि ट्रेड यूनियन अपना मुकदमा लड़ सकती है, एक संगठित कोई भी संस्था है, वह अपने चन्दे से आगे जा सकती है? आपके श्रम विभाग की आज सबसे ज्यादा मदद की किसको आवश्यकता है, कभी आपने यह सोचा है? मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, जिस वर्ग को सबसे ज्यादा आज सहयोग की, संरक्षण की और कानूनी मदद की आवश्यकता है वह वर्ग इससे कवर नहीं होता है। इण्डिविजुअल डिस्प्यूट्स ऑफ दी वर्कर, इण्डिविजुअल डिस्प्यूट वाला मामला आज बड़ा उलझा हुआ मामला है। व्यक्तिगत इस तरह के मामले होते हैं। व्यक्तिगत मामले होते हैं, किसी एक श्रमिक को नौकरी से हटा दिया जाता है या फिर प्रमोशन किसी को नहीं दिया जाता है, या फिर एम्प्लायर सालाना तरक्की रोक देता है, या फिर स्थाई करने से इन्कार कर देता है। इस तरह के छोटे मोटे जो मामले हैं ये व्यक्तिगत विवाद के विषय माने गये हैं। इससे सम्बन्धित विवादों के विषय में, माननीय सभापति महोदय, वर्तमान व्यवस्था यह है कि लेबर को, श्रमिक को आपके समझौता अधिकारी के यहां दरख्वास्त देनी पड़ती है और कन्सीलिएशन ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, आपकी कितनी लम्बी लंगड़ी व्यवस्था है। कन्सीलिएशन ऑफिसर श्रमिक के आवेदन पत्र के आधार पर अगर एम्प्लायर को बुलावे, नियोजक को बुलाये और नियोजक आने से मना कर दे, कन्सीलियेशन ऑफिसर के सामने, नियोजक उस सम्बन्धित अधिकारी के सामने आने से मना कर दे तो कोई अधिकार आपके कन्सीलियेशन ऑफिसर या समझौता अधिकारी को नहीं है कि उसकी अनुपस्थिति को डिफेक्टिव मान करके श्रमिक के आवेदन पत्र का निपटारा करे या सुनवाई करे। यह बहुत बड़ा लेकूना आपकी व्यवस्था में है। अब आगे चलिये, माननीय सभापति महोदय, मान लीजिये नियोजक आ भी गया और अपने पक्ष में समझौता करा लिया तब तक तो ठीक है लेकिन समझौता अधिकारी से अगर वह अपने पक्ष में समझौता नहीं करा सका, उसके प्रतिकूल समझौता हो गया, समझौता अधिकारी ने श्रमिक के पक्ष में अपना फैसला दे दिया, उसके बाद आपके उस समझौता अधिकारी या कन्सीलियेशन ऑफिसर के पास कोई पावर या कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे वह अपना फैसला लागू करवा सके। यह सबसे बड़ा लेकूना है। उसके बाद क्या होता है, माननीय सभापति महोदय, जब समझौता अधिकारी असफल हो जाता है श्रमिक को रिलीफ देने में, तब वह श्रमिक रिपोर्ट करता है लेबर कमिश्नर को, तो समझौता अधिकारी कहता है यह एक दरख्वास्त पेश हुई थी इसमें मैं किसी तरह की कोई रिलीफ श्रमिक को नहीं दे सकता, न मेरे पास एम्प्लायर आये और मैंने जो फैसला दिया, न उसको एम्प्लायर मानने को तैयार है। असफलता की वह रिपोर्ट देता है। उसके बाद, माननीय सभापति महोदय, यह श्रमिक का दुर्भाग्य है, राजस्थान के श्रमिक का दुर्भाग्य है, यह राजस्थान के लेबर कमिश्नर के विवेक पर

(श्री कैलाश मेघवाल)

है कि वह चाहे तो श्रमिक के केस को लेबर ट्रिब्यूनल में भेजे, लेबर कोर्ट में भेजे, और वह चाहे तो भेजने से मना कर दे। यहां चलती है सिफारिश, यहां होता है आपका राजकीय हस्तक्षेप, यहां सेठों का आप पर दबाव पड़ता है। जहां पर कोई सेठ आकर आपको सिफारिश कर दे, किसी भी कारण से आपके लेबर कमिश्नर को प्रभावित कर दे, तो श्रमिक को न्याय नहीं मिलेगा और श्रमिक बिना न्याय के रहेगा, उसको मालूम नहीं पड़ेगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सीधे श्रमिक के लिये लेबर कोर्ट में जाने का रास्ता नहीं खोल सकते है। मैं लेबर कोर्ट का रास्ता खोलने की बात इसलिये कर रहा हूँ, वह इसलिये आवश्यक है, सभापति महोदय, आज सारे राजस्थान में जितने भी श्रमिकों के इण्डिविजुअल केसेज हैं उनमें श्रमिकों के अधिकारों का बलिदान हो रहा है, श्रमिकों के हकों पर कुठाराघात हो रहा है। आज उस गरीब की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। होता यह है कि श्रमिक साल डेढ़ साल तक इस प्रक्रिया में थक कर अपना रिलीफ लेने से वंचित रह कर अपने भाग्य को ही कोसता है और फिर बैठ जाता है।

सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो आपने इस अध्यादेश को विलम्ब से लाने का कारण नहीं बताया है और एक आपने इण्डिविजुअल डिस्प्यूट को लेबर कोर्ट में सीधे ले जाने के बारे में कुछ नहीं रखा है। यह लेकुना आपने क्यों रखा है? आपने इनको इस अध्यादेश में सम्मिलित क्यों नहीं किया इस बात का मन्त्री महोदय अपने उत्तर में मुझे जवाब दें।

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, मैं यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूँ :

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 1983 को प्रख्यापित औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश 1983 (अध्यादेश सं. 9 सन् 1983) को अस्वीकार करता है।"

सभापति महोदय, मैं तो केवल दो शब्द ही कहना चाहता हूँ, बाकी तो आगे जब स्टेज आयेगी तब बात होगी। सभापति महोदय, जो यह अध्यादेश लाये हैं वह मजदूर लोगों की मदद के लिये है कि कोई भी व्यक्ति अपने कारखाने को जब चाहे उसकी मर्जी हो तब बन्द नहीं कर सके। लेकिन इसमें आपने जो संख्या की बात रखी है, जो आपने प्रोविजन किया है वह आपने 300 तक के लेबर का कर का रखा है। उसमें आपने यह रखा है, 90 दिन का नोटिस बन्द करने के लिये। शायद 60 दिन का नोटिस पहले था उसके बजाय 90 दिन का नोटिस रखा है। यह तो आपने बहुत अच्छा किया है लेकिन सवाल यह होता है

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कि आपने जो 100 से लेकर 300 लेबर की रेन्ज रखी है उस पर आपको थोड़ा विचार करना चाहिये, क्योंकि आज राजस्थान में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर 100 से भी कम लेबर काम करते हैं। राजस्थान के दूर–दराज गांवों में आपको ऐसे कई छोटे-छोटे कारखाने मिलेंगे। इसलिये सौ से भी संख्या घटा कर कम से कम 50 तक हो जाती तो ठीक रहता। आप यह करना चाहते हैं या नहीं यह बात अलग है। कई छोटी छोटी फैक्ट्रीज,इण्डस्ट्रीज राजस्थान के गांवों में है,में काम करने वाले जो मजदूर हैं उन पर ज्यादा जुल्म होता है। जहां तक सवाल फैक्ट्रीज के मजदूरों का है उसकी बात तो और है, क्योंकि वह संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़ लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी फैक्ट्रीज के जो मजदूर हैं, उन लोगों की हिम्मत नहीं होती। मेरा यह निवेदन है कि उनके साथ बहुत ज्यादतियां होती हैं। परिनियत संकल्प देने का यह मेरा मुख्य विचार था। मेरा निवेदन है कि आप इस पर पुनः विचार करिये और जो संख्या की सीमा बांधी हुई है इसको कम करें ताकि जो छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज हैं उनके मजदूरों को नुकसान नहीं हो, उनके हितों की रक्षा हो सके और उनको सही मायने में जो हम मजदूरों की मदद करना चाहते हैं वह मदद हो सके।

श्री सभापति : श्री महावीरप्रसाद जैन।

(अनुपस्थित)

श्री भगवानदास शास्त्री।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मन्त्रीजी उत्तर देंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा (श्रम मन्त्री) : सभापति महोदय, जो यह 25 (ओ) के ऊपर आर्डिनेन्स आया है जो श्रम विभाग की ओर से निकाला गया है इसके सम्बन्ध में अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने परिनियत संकल्प दिया है कि इसको अस्वीकार किया जाना चाहिये। मैं इसमें यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह अध्यादेश है इसको अस्वीकार किये जाने जैसी कोई बात नहीं है। मुझे तो इस बात से आश्चर्य हो रहा है, इस प्रकार के प्रोग्रेसिव मेजर्स के लिए जो आर्डिनेन्स जारी किया गया है इसके लिए यह परिनियत संकल्प रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को फिर भी अगर कोई आपत्ति है तो मैं इसे बिल के रूप में आज ही लेकर सदन में आ रहा हूं उस समय माननीय सदस्य अपने विचार संशोधन के रूप में प्रस्तुत कर सकते थे। आज ही बिल पर विचार किया जाना है। फिर भी माननीय सदस्य का यह अधिकार है इससे मैं इन्कार करके नहीं चलता। वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक तो यह कहा कि इस आर्डिनेन्स को इतनी देरी से क्यों लाये। सन् 1982 में 25 (ओ) को जब सुप्रीम कोर्ट में वोइड डिक्लेअर कर दिया गया तो सन् 1983 में इसको निकाला गया। इस बीच में, सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार का बिल आने वाला था और वह विचाराधीन था। हम यह चाहते थे कि बिल अगर केन्द्रीय सरकार

(श्री हीरालाल देवपुरा)

के द्वारा पास हो जाता तो वह सारे देश में लागू हो जाता और हम भी उसको अडाप्ट कर लेते। लेकिन जब वह बिल पास हो गया और ऐसा नहीं हो सका और क्योंकि राजस्थान में ऐसी स्थितियां बनने लग गयी थीं कि कुछ इण्डस्ट्रीज, जो कि बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज थीं, के मालिक 25 (ओ) निरस्त सुप्रीम कोर्ट से हो जाने के कारण जब कारखाना बन्द करने लगे तो उनके खिलाफ में हम कार्यवाही नहीं कर सकते थे। तो हमने यह आर्डिनेन्स निकालना उचित समझा। इसके अलावा देश में श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उसमें भी यह निर्णय लिया गया कि अगर कोई सरकार उचित समझे तो अपने यहां पर इस संबंध में कोई संशोधन ला सकती है। इसलिये तत्काल ही हम सन् 83 में आर्डिनेन्स लाये और हमने मिल, फैक्ट्रीज और कारखाना बन्द करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस आर्डिनेन्स के निकालने के बाद यह असर हुआ कि जो इण्डस्ट्रीज व मनचाहे ढंग से बन्द कर सकते थे उन्होंने ऐसा करना बन्द कर दिया। उसमें रुकावट आई। इसमें श्रमिकों को यह फायदा हुआ कि उनके ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाले थे वह एडवर्स इफेक्ट पड़ने में रुकावट आई।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि इससे श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात होगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यह जो अध्यादेश निकाला है इससे ऐसी कोई दिक्कत होने जैसी बात नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे यहां पर ऐसे नियम बने हुए हैं, जिनसे श्रमिकों को पूरी तरह से राहत मिल सकती है।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा इस बात को, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इण्डिविजुअल श्रमिक और उद्योगपति के बीच में जब भी कोई समझौता होता है तो वह नीचे के लेवल से शुरू होता है, लेबर इन्सपेक्टर के लेवल, स्तर पर होता है उसके बाद में असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर के स्तर पर होता है, डिप्टी कमिश्नर के लेवल पर होता है और जोइण्ट कमिश्नर लेबर के लेवल पर होता है। कई बार इससे ऊंचे लेवल पर भी वार्ता होती है और यह कोशिश की जाती है कि वर्कर्स और उद्योगपति के बीच में जो समझौतां हो उसमें श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हो। इसके कारण ऐसा कोई समझौता नहीं होता है जो कि असफल होता है। समझौता वार्ता कभी भी एकपक्षीय नहीं होती है, समझौता दो पक्षों के बीच में होता है। दोनों पक्षों को बैठा कर निर्णय किया जाता है। समझौता असफल अगर होता है तो हमारे यहां लेबर ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट में उसको रेफर किया जाता है। सभापति महोदय, मेरे श्रम मंत्री बनने के बाद शायद ही ऐसा कोई मामला हुआ जिससे कि समझौता असफल हुआ हो और वह लेबर ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट में रेफर नहीं किया गया हो। बराबर रेफर किये गये हैं, सभापति महोदय, और हमने श्रमिकों को हमेशा न्याय दिलाने की कोशिश की है। इसमें कोई रुकावट श्रमिकों को न्याय मिलने में हो वह तो है नहीं। क्योंकि वह तो एक तरह

(श्री हीरालाल देवपुरा)

से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की तरह प्रोसीडिंग्स है। इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अगर इसमें हम यह अमेंडमेन्ट ले आते कि गवर्नमेन्ट अपने हाथ में पावर रखेगी है तो माननीय सदस्य अजमेर से आने वाले यह कह देते कि गवर्नमेन्ट अपने हाथ में सारी पावर लेना चाहती है। अगर श्रम विभाग के हाथ में रखते हैं तो यह, कह देते हैं। तो यह तो माननीय सदस्य विरोध पक्ष के जो हैं वह दोनों ही तरह की बात कहते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने यह नहीं कहा। मैंने तो यह कहा कि आपने लेबर को सीधा लेबर कोर्ट में जाने का अधिकार क्यों नहीं दिया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीधा लेबर कोर्ट में जाने का अधिकार देने की बात नही है। पहले समझौता की वार्ता होती है, नहीं तो फिर लेबर डिपार्टमेन्ट की आवश्यकता ही क्या है ? अगर बिना अदालत में गये ही लेबर को राहत मिल जाती हो तो बहुत अच्छी बात है पर अगर वहां उसको न्याय नहीं मिलता है तो उसको यह अधिकार तो है ही, वह उसके विरुद्ध में जा सकता है। पर माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों को तो इस आर्डिनेन्स के खिलाफ में परिनियत संकल्प देना था इसलिये दिया है। तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस परिनियत संकल्प को अस्वीकार किया जाय। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संख्या की बात कही है कि सौ से कम श्रमिकों के लिये भी राज्य सरकार सोचे। यह भी कहा गया कि सौ से कम जहां पर श्रमिक हैं जिस इण्डस्ट्री में उसको एकदम बन्द कर देते हैं और बेचारे मजदूरों की रोटी रोजी का सवाल पड़ जाता है। सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इस पर दुबारा भी विचार किया जा सकता है और आवश्यकतानुसार इस पर विचार किया जा सकता है। मैं कभी भी इस पक्ष का नहीं हूँ कि कोई कारखाने का मालिक अपनी मनमानी करे। मैं तो इस विचारधारा का हूँ कि उन पर किसी प्रकार अंकुश रहे। मैं यही कह सकता हूँ कि इस पर विचार किया जा सकता है।

जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसको अस्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प सर्वश्री कैलाश मेघवाल व गुलाब चन्द कटारिया ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

प्रभारी मन्त्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :

"औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1984 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"

सभापति महोदय, मन्त्री महोदय जिस प्रकार का बिल लाये हैं और यह चार्ज वे लगा रहे हैं कि विरोध पक्ष को केवल विरोध ही करना है, माननोय मन्त्री महोदय, आप यह जो औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक लाये हैं, न्याय अदालत व मजिस्ट्रेट के द्वारा मिलता था लेकिन आज देश पर यह एक बहुत बड़ा संकट आया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में विवाद उठ खड़ा हुआ है। आज भी आंध्रप्रदेश में चल रहे विवाद से सारा देश चिन्तित है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में कौन सर्वोच्च है। विधान सभा का जहां तक प्रश्न है, विधान सभा सर्वोपरि है या ...

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, अगर माननीय सदस्य को इसी बारे में बोलना है कि हम पावर्स लेना चाहते हैं, इस बिल के माध्यम से कुछ लेबर्स पर कार्यवाही करना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन करना यह है कि क्लाज बाई क्लाज इस पर विचार कर लिया जाय। मैं क्लाज दो और तीन को डिलीट करने के लिए प्रस्ताव करना चाहता हूँ।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारी पूरी मंशा यह है कि जो प्रशासन यह पावर्स लेना चाहता है उस प्रशासन के माध्यम से न्याय नहीं मिलता। आज भी स्थिति यह है कि न्यायपालिका में....

श्री हीरालाल देवपुरा : भई, डिलीट करवा रहा हूँ।

श्री दाऊदयाल जोशी : डिलीट करवा रहे हैं तो ठीक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों ने जो संशोधन के प्रस्ताव दिये हैं श्री दाऊदयाल जी से लेकर यदुनाथ सिंहजी तक, सब माननीय सदस्यों की मंशा मेरे ख्याल से यही होगी। इसलिये मैं सीधे संशोधन पर मतदान करा लेता हूँ। मन्त्री महोदय कोई जवाब देना चाहें....

श्री हीरालाल देवपुरा : जवाब तो दे दिया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान औद्योगिक विवाद संशोधन को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि क्लाज 2 और क्लाज 3, जो बिल में प्रस्तावित किये गये हैं, को डिलीट किया जाय।

श्री कैलाश मेघवाल : 1974 का भी ले आते, आपको अधिकार था। आप ले आते हम आपको दे देते।

श्री सभापती : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 स्वीकार किये जायं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 2 और 3 को डिलीट करवा रहा हूँ।

श्री सभापति : यह तो वोट से डाउन करवाना पड़ेगा।

श्री हीरालाला देवपुरा : करवा लेंगे। मैंने स्वयं प्रस्ताव रखा है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि क्लाज दो और तीन को डिलीट किया जाय। इसका मतलब क्लाज 2 व 3 पर संशोधन प्रस्ताव है। प्रभारी मन्त्री स्वयं संशोधन प्रस्ताव रख सकता है, संशोधन का प्रस्ताव रख सकता है और मूव कर सकता है, मौलिक रूप से कह सकता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अमेंडमेंट मूव होना चाहिए, मौखिक नहीं कर सकते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : कर दिया है।

श्री सभापति : कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से बतलाया गया है कि आपको डाउन करना पड़ेगा। डिलीट कराने के लिए अलग से प्रस्ताव सरकार की तरफ से करना जरूरी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं यह डिलीट करने के लिये मूव कर रहा हूँ यह अमेंडमेंट। संशोधन प्रस्ताव ही है मेरा। जब बहस चल रही हो तो उस वक्त भी प्रभारी मन्त्री संशोधन के लिए प्रस्ताव कर सकता है। मेरा संशोधन प्रस्ताव यह है कि क्लाज 2 और 3, इन दोनों खण्डों को विलोपित किया जाय। यह मेरा संशोधन प्रस्ताव है। सभापति महोदय, ऐसा कई बार हुआ है, बीच में प्रभारी मन्त्री द्वारा लाया जा सकता है।

श्री सभापति : आपको इसके लिए संशोधन प्रस्ताव मूव करना पड़ेगा। आप खड़े होकर प्रस्ताव प्रस्तुत करें वरना कोई इसमें इंटरफियर कर सकता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि संशोधन प्रस्ताव ही तो है। इस सदन में जब कोई बिल पेश किया गया है तो कई बार संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मन्त्री की ओर से पेश किये गये हैं और प्रस्ताव

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पर उसी वक्त सोचा गया है कि बिल में संशोधन होना चाहिए। तत्काल मौखिक रूप से उसके ऊपर हाउस में हां या ना करवाया गया है। यह मेरा संशोधन प्रस्ताव माना जाय।

श्री सभापति : मेरे ख्याल से संशोधन लिखित में आना चाहिए।

श्री कैलाश मेघवाल : लिखित में आना चाहिए।

श्री सभापति : इसमें मन्त्री महोदय स्पष्ट लिखा है :

"Amendments puiporting to omit a clause of a Bill are disallowed; the proper course is to vote against the clause. Amendments seeking to omit certain words from a clause which wculd, in effect, mean the omission of the clause are also out of order."

श्री हीरालाल देवपुरा : कौन सा क्लाज है।

श्री कैलाश मेघवाल : पेण्डिग रखवा लें दो एक घण्टे के लिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : पेण्डिग रख कर क्या करना है, डिलीट करवा लेते हैं। मैं इन शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैं क्लाज 2 और 3 को विथड्रा करने की परमिशन चाहता हूँ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि मन्त्री महोदय को क्लाज 2 और 3 को विथड्रा करने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

क्लाज 2 और 3 विथड्रा किये गये।

खण्ड 4 में संशोधन नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, इसमें संशोधन है। संशोधन माननीय अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है पर वह सैक्शन से टाइप होकर यहां नहीं पहुंचा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें कोई संशोधन नहीं आया है। खण्ड 4 से 10 तक कोई संशोधन नहीं आया है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय विधायी कार्य में उदारता से काम लेते हैं, मैंने सवेरे उनको दिया है।

श्री सभापति : खण्ड 4 से 10 तक में अभी तक मेरे पास कोई संशोधन नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय के पास संशोधन आया होगा। मैं जानकारी कर लेता हूँ तब तक मन्त्री महोदय खण्ड 11 में संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय खण्ड 11 में मेरा केवल एक शब्द का संशोधन है:

In clause (e) of secti.n 25-Q proposed to be Substituted by clause 11 of the *Bill insert the*

(श्री हीरालाल देवपुर)

expression "an order under" between the expression, "Sub-section (2) or" and the expression 'sub-section (9)" यह वर्ड ऐड करना चाहता हूँ

"an order under."

श्री कैलाश मेघवाल : है क्या ? समझा तो दीजिए संशोधन की क्या मंशा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : संशोधन की मंशा यह है कि इसमें जो कन्ट्रावेन्शन करते हैं सब क्लाज (2) में आर्डर निकाला तो उसमें रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेन्स का भी है। सब क्लाज़ (9) में है उसमें रिफ्यूज़ल शब्द नहीं है इसलिए क्लियर करने के लिए यह सब-क्लाज़ (2) में और सब–क्लाज़ (9) में जो भी सरकार के आर्डर निकले हैं उनके कन्ट्रावेन्शन पर भी पैनल्टी लागू होगी। क्लियर करने के लिए है यह।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 11 में मन्त्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 12, 13 और 14 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12, 13 और 14 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 12, 13 और 14 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, खण्ड 4 से 10 तक तो पहले पास कराइये फिर प्रस्तावना आदि आयेंगे।

श्री सभापति : कोई संशोधन नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : 4 से 10 पास करवायेंगे फिर प्रस्तावना आदि आयेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे संशोधन हैं।

श्री सभापति : आपके संशोधन क्या हैं ? प्रस्तुत कर दें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं संशोधन रख देता हूँ। आपके पास आ जायेंगे। आप तो तैयार हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : हां, मैं तैयार हूँ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं रखता चला जाता हूँ, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : खण्ड 4 से 10 तक के संशोधन।

श्री कैलाश मेघवाल : हां, यह मैं संशोधन रख रहा हूँ, माननीय सभापति महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : कौनसे खण्ड में हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : खण्ड 7 में।

श्री हीरालाल देवपुरा : खण्ड 4 से 6 तक तो पास करवा दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : 4 में तो नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : 4 से 6 पास करवा दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : 4 में नहीं है, सभापति महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : 4 से 6 तक तो पास करवा दीजिये, सभापति महोदय। 7 में बता रहे हैं संशोधन। 4 से 6 में कोई संशोधन नहीं है तो खण्ड 4,5 और 6 तो पास करवा दीजिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्डे 4 से 6 तक स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड 7

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, असल तो आपने यहां गड़बड़ कर रखा है। माननीय सभापति महोदय, मैंने खण्ड 7 के (बी) में सब क्लार्ज (2) में जो संशोधन किया है इसमें मैंने एक संशोधन रखा है। सब क्लाज (2) इस प्रकार है।

"On receipt of a notice under clause (c) of sub-section (I), the State Government or authority, after making such enquiry as it thinks fit and after giving reasonable opportunity of being heard to the employer, the workman and the office-bearer of the representative union of the concerned industrial establishment, may, having regard to the genuineness and adequacy of the reasons stated by the employer, requirements of industrial peace, prevention of victimisation and unfair labour practice, by order and for reasons to be recorded in writing, grant or refuse to grant such permission and such order shall be communicated to the emloyer, the workman and the off ce bearer of such representative union."

माननीय सभापति महोदय, मैंने यहां पर एक संशोधन पेश किया है कि उप धारा (2) में जहां जहां शब्द "representative union" आया है उसके स्थान पर "registered union" प्रतिस्थापित किये जायं। रजिस्टर्ड यूनियन मैं इसलिए चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, रिप्रेजेन्टेशन किसी को मिलेगा और किसी को नहीं। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय श्रम मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह वह क्लाज है जिससे आप अपना इन्टक को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। सेठ आपके कहने पर आपके इशारे पर मान्यता ऐसी यूनियन को देते हैं जो कि

(श्री कैलाश मेघवाल)

इन्टक की हो और आप इन्टक की यूनियन को मान्यता दिलाते हो। कोई सैट नार्म्स आज भी मान्यता देने के नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं एक निवेदन और कर दूं कि कई संस्थानों में, कई एस्टेब्लिशमेन्टस में, कई इण्डस्ट्रियल यूनिटस में सेठ लोग अपनी जेबी यूनियन बनाते हैं। मुझे अफसोस है कहते हुए कि ऐसी यूनियन को सपोर्ट करने वाली, मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करने वाली जेबी यूनियन को सेठ मान्यता देकर उसे रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन मानते हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें आप 'रजिस्टर्ड यूनियन' को लिख दें तो क्या एतराज है ? आखिर एक यूनियन रजिस्टर्ड होती है, आपके लेबर लाज हैं, उन लेबर लाज के तहत इन्टक, एटक, सीटू कोई भी यूनियन रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसमें उस संस्थान के और उस इण्डस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेन्ट के मजदूर होते हैं। आप किसी जेबी यूनियन या आपकी अपनी संरक्षित, घोषित यूनियन, कांग्रेस की इन्टक यूनियन को मान्यता दिलाकर आप श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप में आनेस्टी है तो मुझे तर्क देकर समझाइये कि रजिस्टर्ड यूनियन को रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन क्यों नहीं मानते हो। जो रजिस्टर्ड यूनियन है उसको लेबर यूनियन मानते हैं या नहीं ? और लेबर यूनियन मानते हैं तो क्या वह लेबर के हितों की पैरवी करने वाली यूनियन है या नहीं ? फिर उसको रखने में आपको एतराज क्या है ? यह शब्द बड़े इन्नोसेन्ट दिखते हैं 'रिप्रजेन्टेटिव यूनियन' लेकिन आपने राजनैतिक दृष्टि, भावना से किल करके रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन किया है। अपनी राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, आपने इस प्रावधान में "रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन" लिखा है। रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन वही होगी जिसको सेठ मान्यता देगा। सेठ मान्यता उसी को देगा जिसको या तो आप कहेंगे या जो जेबी यूनियन है। ऐसी स्थिति में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं स्वतन्त्र मजदूर आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए कि मजदूरों के हितों की सही सुरक्षा करने वाली और मजदूरों के हितों को संरक्षण देने वाली वास्तविक यूनियन हैं तो एक के बजाय चार रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन को आदेश की सूचना चली जायेगी तो क्या बुरा होगा ? इससे तो और ज्यादा मजदूरों के हितों की बात होगी। आप आनेस्ट इन्टेन्शन बता रहे हैं कि आप बड़ा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाये हैं किन्तु यह तो आपकी प्रतिक्रियावादी नीति का प्रतीक है आपने जेबी यूनियन को और अपनी यूनियन को संरक्षण देने के लिए रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन रखा है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं इस संशोधन के द्वारा जहां जहां भी "representative union" शब्द आया है वहां वहां शब्द "registered union" प्रतिस्थापित कर दिया जाय। उनके प्रतिनिधियों को भी आदेश दिया जाय। इस बात के लिए मेरा संशोधन है। मैं चाहता हूं कि अगर आप मजदूरों के हितों के प्रति जागरूक हैं और राजनैतिक मतभेदों के बावजूद अगर राजस्थान के मजदूरों के हितों की सुरक्षा की आनेस्टी आप में है तो

(श्री कैलाश मेघवाल)

रजिस्टर्ड यूनियन के लिए जो मेरा संशोधन है उसको स्वीकार कीजिये ।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, खण्ड 7 में अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन को मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। आपका संशोधन है कि जहां जहां पर "representative union" शब्द आया है वहां वहां "regist red union" शब्द काम में लिया जाना चाहिए । पहला चार्ज तो यह लगाया कि मन माफिक चाहे जिस यूनियन का रजिस्ट्रेशन करके कहा कि आपने इन्टक यूनियन को प्रोत्साहन देने के लिए यह रखा ताकि हमेशा रिप्रेजेन्टेशन उन्हीं का आये । सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रम विभाग कभी भी किसी भी इण्डस्ट्री में अपनी मनचाही यूनियन को रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन की तरह का करेक्टर दिला नहीं सकता । रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन का करेक्टर उसी यूनियन को मिलेगा जो यूनियन सबसे ज्यादा स्ट्रेन्थ में है । ज्यादा नम्बर में श्रमिक जिस संस्थान में होंगे, उसी को रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर मिलेगा । आम तौर पर हर संस्थान किसी प्रकार का प्रोसीजर अडाप्ट करके वहां पर अपनी यूनियन को रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन बनाता है । क्योंकि संस्थान को चलाने के लिए जरूरी है कि मैक्सिमम नम्बर आफ श्रमिक जो उसमें काम कर रहे हैं वह उनके साथ रह कर काम करें और उनसे तालमेल बैठा कर काम चलाया जा सके । अगर माइनोरिटी यूनियन के साथ बैठ कर संस्थान काम करेगा तो दूसरी यूनियन के जो लोग हैं वह काम नहीं करने देंगे उनको । कहीं पर भी यह नहीं होता कि मेजोरिटी यूनियन, जिसकी मेजोरिटी श्रमिक यूनियन में है, को रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर नहीं दिया गया हो । इसलिए रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन को डाला है । रजिस्टर्ड यूनियन तो 10 मैम्बर की भी हो सकती है । आखिर हम करना क्या चाहते हैं । इण्डस्ट्रीज में श्रमिकों को राहत दिलाना चाहते हैं या वहां रोजाना इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स खड़ा करना चाहते हैं । इतनी मल्टीप्लिसिटी आफ यूनियन हो जायेगी कि आगे उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है । 10 मैम्बर्स से यूनियन रजिस्टर्ड हो जाती है । रजिस्ट्रेशन करने के अन्दर हम कभी ना नहीं कर सकते लेकिन उनको वहां पर रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर नहीं मिलेगा । जो कोई भी समझौता किसी भी संस्थान में, किसी भी मैनेजमेंट में वहां की रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन के साथ होता है वह समझौता उस संस्थान में काम करने वाले श्रमिक, चाहे वह किसी भी यूनियन से सम्बन्धित हों, पर लागू होता है, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता । इसलिए इस स्थिति में रिप्रजेन्टेटिव यूनियन ही डाली जा सकती है । रजिस्टर्ड यूनियन एक संस्थान में दो, चार, पांच, छः तक हो सकती हैं । उन सबको बुलाकर कोई समझौता किया नहीं जा सकता, क्योंकि उससे परिणाम निकाला नहीं जा सकता । जब कभी वार्ता की बात आयेगी तो वह रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन की कैपेसिटी में आने वाली है और रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन का प्रतिनिधि बैठेगा, उस वक्त जो समझौता होगा वह उस संस्थान में काम करने वाले सभी श्रमिकों पर लागू होगा, उस संस्थान में चाहे कितनी ही यूनियनन्स हों वह उससे महरूम नहीं रहेंगी । इस-

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लिए उन पर कोई असर नहीं पड़ता। जो शब्द रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन काम में लाया गया है वह बिल्कुल उपयुक्त है और उसी के हिसाब से पास किया जाना चाहिए।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, मेरा एक सीधा सवाल है यह रिट्रेन्चमेंट का क्लाज है, मान लीजिए श्रमिक, जो रिट्रेन्च हुआ है रजिस्टर्ड यूनियन का सदस्य है और जो रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन है उसका नहीं है, ऐसी हालत में मजदूरों के आर्थिक संकट और उनके विवाद को देखते हुए उस रिट्रेन्चड एम्पलाई, जो कि एक रजिस्टर्ड यूनियन का सदस्य है लेकिन रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन का सदस्य नहीं है, के हितों की रक्षा क्या आपकी रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन करेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, पहले यह बात चर्चा में आई थी, कोई भी श्रमिक किसी यूनियन का सदस्य हो या न हो, आप किसी एक यूनियन की बात करते हैं, कोई श्रमिक दूसरी यूनियन का है जो रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन में नहीं है, श्रमिक किसी भी संस्थान में काम करने वाला है, और किसी यूनियन का सदस्य नहीं है, इण्डिविजुअल कैपेसिटी में है तो भी श्रम विभाग उसके हितों की रक्षा करेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह बिना यूनियन के लड़ सकता है क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा . इण्डिविजुअल कैपेसिटी में कई लोग करते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो काम्पीटेंट हैं वे तो करेंगे। जो काम्पीटेंट नहीं हैं उनकी यह समस्या है।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप यह बाध्य नहीं कर सकते कि वह किसी न किसी यूनियन का मैम्बर बने ही बने। हम कम्पेल नहीं कर सकते आज की स्थिति में।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह मैम्बर बनेगा नहीं, आप उसकी सुनेंगे नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मन्त्री महोदय, क्या आपका रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन से मतलब रिकगनाइज्ड यूनियन से है ? इस शब्द से आप क्या अभिप्राय निकाल रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : Exactly. रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन का मतलब रिकग्नाइज्ड यूनियन से है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो आप इसमें शब्द यही क्यों नहीं डाल देते रिकग्नाइज्ड यूनियन।

श्री हीरालाल देवपुरा : लॉ में इसका अर्थ यही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसमें "रिकग्नाइज्ड यूनियन" शब्द क्यों नहीं डालते ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मतलब वही है इसको बदलने की जरूरत नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन का मतलब हुआ मालिक जिसको बनाये, वह बन जायेगी, फिर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसका मापदण्ड नहीं रहेगा, जिसको हक मिलना चाहिये वह नहीं मिलेगा। इसको रिकग्नाइज्ड यूनियन कर दीजिये और इसके आधार पर जो प्रकिया है....

श्री भंवरलाल शर्मा : जो प्रचलित भाषा में है रिकग्नाइज्ड यूनियन ही है। रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन से कई अर्थ लगाये जा सकते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, लीगल फ्रेजोलाजी में इसका मतलब रिकग्नाइज्ड यूनियन से है। इसके अतिरिक्त जब कभी कोई बात होती है और कोई दूसरा, जो उस यूनियन से सम्बन्धित नहीं है, भी अगर कोई बात कहना चाहता है तो उसके न करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 में माननीय सदस्य श्री कैलाश मेघवाल ने जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 मूल रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 मूल रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 8 ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो वापस ले लिया था आपने ? डिप्टी कमिश्नर वाला ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वह तो ले लिया था।

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं धन्यवाद देने से महरूम रह गया।

श्री कैलाश मेघवाल : खण्ड 8 के द्वारा मूल अधिनियम के खण्ड 25–0 में नया प्रतिथापित किया गया है उसके खण्ड तीन में मेरा एक संशोधन है। खण्ड 25-0 है "Procedure for closing down an undertaking" यह क्लोजर के लिए है। तालाबन्दी की जाये, मिल बन्द कर दी जायें उसके बारे में प्रोसीजर है इसके उप खण्ड (3) में आपने लिखा है–

"where an application has been made under sub-section (1), and the State Government does not communicate the order granting or refusing to grant permission to the employer within a period of sixty days from she date on which such application is made, the permission applied for shall be deemed to have been granted on the expiration of the said period of sixty days."

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बारे में आपसे निवेदन करना चाहूँगा, खान मंत्री भी आप ही हैं, मैं यह संशोधन प्रस्ताव

(श्री कैलाश मेघवाल)

करता हूं कि प्रस्तावित धारा 25–0 की उपधारा (3) के अन्त में प्रयुक्त शब्द "shall be deemed to have been 'granted' के स्थान पर शब्द "shall be deemed to have been 'refused' प्रतिस्थापित करें। माननीय सभापति महोदय, खान मन्त्री जी, श्रम मंत्री जी सामने आ जायें तो मेरा तर्क सुन लें। मंत्रीजी खान मंत्री भी हैं, सौभाग्य की बात है। मिनरल एक्ट के मिनरल रूल्स में एक प्रावधान है, माननीय सभापति महोदय, खान मंत्रीजी इस बात से सहमत हैं जब कोई अर्जी देता है खान की लीज लेने की और उसको 2 महीने गुजर जाते हैं तो deemed to have been होता है ..

श्री हीरालाल देवपुरा : That is different.

श्री कैलाश मेघवाल : डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आपका कोई आफिसर या आप उसको दबा कर बैठ जायें, उसमें आपने सुनवाई की नहीं, आपकी लम्बी चौड़ी प्रक्रिया है, नोटिस दिया जायेगा, यह किया जायेगा, वह किया जायेगा, यह छोटी सी नेग्लीजेंसी हो या जान बूझकर के फाइल को दबाकर बैठ जायं और 60 दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद क्लोजर ग्रान्टेड हो गया। क्या यह मजदूरों के हितों पर कुठाराघात नहीं है ? किसी भी स्तर पर उनको दबाया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपको 'refused' लिखने में एतराज क्या है ? अगर आप मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखते है, अगर आपको मजदूरों को हक देना है, मजदूरों के हितों की रक्षा करनी है, तो यह 'Granted' से होगा या 'Refused' से होगा ? 'Granted' से तो 60 दिन गुजर जाने बाद क्लोजर हो जायेगा। आपके पास दरख्वास्त आई, आपके पास नोटिस आया और आप दबाकर बैठ गये, सेठ का टेलीफोन आया या सेठ का क्या क्या आया, यहां मैं कहना नहीं चाहता, ऐसा हो सकता है कि वह पत्रावली....

एक माननीय सदस्य : ऐसा आपके समय में हुआ होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : नाथद्वारा से आने वाले विधायक, आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं, अलग अलग मुझे बताते भी हैं. . .

श्री सी. पी. जोशी : यह तो आपके अनुभव आपको बता रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे अनुभव आपको भी अच्छी तरह मालूम हैं, कितने हैं, क्या हैं आपसे कुछ छिपा नहीं है इसलिये आप बोल सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ यह जो 'granted, शब्द है यह आपके सारे एक्ट की भावना को समाप्त करता है। एक तरफ तो आप प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाते हैं दूसरी तरफ 'granted' शब्द से पूंजीपतियों के साथ जा रहे हैं। पूंजीपतियों के साथ बैठकर आप पत्रावली दबा देंगे, वेट आ जायेगा। ऐसी स्थिति में मजदूरों को इस क्लोजर के द्वारा भूखे मरने के लिए

(श्री कैलाश मेघवाल)

छोड़ देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ दो महीने में क्यों नहीं फैसला कर सकती सरकार? आखिर विवेक के आधार पर फैसला करे। यह सारी लम्बी चौड़ी प्रक्रिया आपने दे रखी है, यह होगा, वह होगा। यह नोटिस आयेगा, यूं सुनवाई होगी, उस पर यूं फैसला होगा। यह सारा आपके एक शब्द ने मटियामेट कर दिया। इसलिये मैं चाहता हूं कि सेठ को यह अधिकार न दिया जाये कि वह आपके साथ बैठकर उस पत्रावली को दबा दें, इसमें यह लिखा जाय। अगर 60 दिन में आप फैसला नहीं कर सकते तो सरकार क्या है फिर। क्लोजर का नोटिस मिल गया जिसमें मजदूरों का अहित है, जिससे मजदूर बेकार हो जायेंगे, भुखमरी की स्थिति में आ जायेंगे। तो सरकार इस विषय पर 60 दिन में फैसला क्यों नहीं ले सकती है? अगर आप फैसला नहीं ले सकते हैं तो मजदूरों के हित में आपका प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन प्रयोग हो सके यह संदेहास्पद होगा। मजदूरों के हित तो तभी सुरक्षित होंगे जब 'granted' की बजाय 'refused' करें। चाहे किसी भी तरह का मजदूर हो, विवेक से फैसला देना पड़ेगा। आप यह नहीं कह सकते है कि हम भूल गये या आप यह नहीं कह सकते कि किसी अधिकारी ने फाइल दबा दी, आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि हमारी फाइल चोरी चली गई, आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि हम दौरे में व्यस्त थे इसलिए फाइल को निकाल नहीं सके। यह नकली बयान बनाकर मजदूरों के पेट पर लात मारने की जो बात है, सभापति महोदय, मैं इन प्रगतिशील श्रम मंत्री से उम्मीद करूंगा कि मेरा संशोधन प्रस्ताव शब्द 'granted' के बजाय शब्द 'refused' लिखने का कष्ट करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, पुनः मुझे संशोधन स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करनी पड़ रही है। माननीय सदस्य ने जो भावना प्रकट की है यह एक उल्टी बात हो जायगी। मैंने देखा अगर 60 दिन में फैसला नहीं किया जायगा तो it shall be deemed to be granted. उसको स्वीकार माना जायगा। श्रम मंत्रालय प्राइमाफेसी, प्रथम दृष्टया श्रमिकों के हित की बात ले करके चलता है। श्रमिकों का हित पहले है उसके लिये, इसलिए हम चाहते हैं जो इस प्रकार की एप्लीकेशन आये, उसमें डिले नहीं की जाय और तत्काल उस एप्लीकेशन पर फैसला हो। 60 दिन में फैसला नहीं करने की हालत तो तब आयेगी जब श्रमिकों की तरफ से भी उसके अन्दर ढिलाई होगी बाकी क्लोजर के मामले में 60 दिन लाने का प्रश्न नहीं होता। श्रमिक भी इतना जागरूक है अपने आप में कि कभी भी किसी को बैठने नहीं देगा। वह कह देगा हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, 60 दिन गुजर जायेंगे, आप फैसला दें वरना मंजूरशुदा, स्वीकृति मान ली जायगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ इसमें कोई खतरा नहीं है। केवल मात्र बात कही गई है रिफ्यूज करने के लिए तो रिफ्यूज का मतलब तो यह होगा कि श्रमिक को कोई बात बोलने के लिये बचेगी नहीं। फिर किसी ने कहा, मर्जी आये सो फैसला कर देगा। मैंने जो 'gran-

(श्री हीरालाल देवपुरा)

ted' शब्द रखा है, वह बिल्कुल ठीक है। 60 दिन में इसका फैसला हो जायगा। इसके साथ साथ, सभापति महोदय, इसमें हमने यह भी प्रावधान किया है कि यह जो फैसला होता है, वह फैसला कोई अन्तिम फैसला हो गया हो और उसके आगे कोई गुंजाइश नहीं हो। 25-0 को सुप्रीम कोर्ट ने वाइड डिक्लेयर किया था, वह इसी आधार पर किया था कि उसके अन्दर प्रावधान ऐसा नहीं था कि फैसले के बाद श्रमिक को या मेनेजमेंट को या इण्डस्ट्रियलिस्ट को कहीं जा करके बात उसके खिलाफ कहने का अधिकार है। वहां नहीं था इसलिए उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया। यह तो फन्डामेंटल राइट के खिलाफ पड़ गया। उसको अधिकार ही नहीं दिया गया कि आगे जाकर वह अपनी बात कह सके इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। अतः जो फैसला किया है हमने यहां पर, इस फैसले में आगे अधिकार दिये हैं कि चाहे तो डिपार्टमेंट स्वयं रिओपन कर सकता है अथवा श्रमिक उसको रिओपन करा सकता है, या इण्डस्ट्रियलिस्ट उसको रिओपन करा सकता है। पुनः उस पर सुनवाई करके उस पर निर्णय लिया जा सकता है और उसके बाद भी अगर कोई बात है, उसमें यहां तक अधिकार दिया है, अगर नहीं बैठता है तो रेफरेन्स भी किया जा सकता है। इसलिए कहीं भी ऐसी बात नहीं है जिसमें श्रमिक के अहित की बात हो। हमने आन दी कांट्रेरी यह अमेन्डमेंट ला करके श्रमिकों को पूरे अधिकार दिये हैं। अगर कहीं पर गलती भी है, अगर वह एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई है तो उसको राइट मिलता है कि बात करे और चैलेन्ज कर सकता है, उसको कह सकता है। कोर्ट के फैसले में तो हमेशा रिट में हाई कोर्ट में भी जा सकता है। इसलिये हमने रास्ता खोल दिया है। कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है जिससे शंका हो, जान बूझकर रिफ्यूज करने के लिये, मंजूर करने के लिये, स्वीकार करने के लिए, उसको दबा दिया जाय, उससे श्रमिक को आगे रास्ता ही नहीं मिलेगा और तत्काल इण्डस्ट्री बन्द हो जायगी, क्लोज हो जायगी। कहीं पर भी इस प्रकार की भावना नहीं है इसलिये जो शब्द granted लिखा गया, वह बिलकुल ठीक है। 'refuse' शब्द लिखने की मैं आवश्यकता महसूस नहीं करता।

श्री सभापति : मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, उसके बाद आपकी क्या मंशा है? प्रेस कर रहे हैं या वापस ले रहे हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : इसको ?

सभापति महोदय, मंत्री महोदय की आवाज ही दब कर निकल रही है और सेठों की पैरवी करने में दर्द आ रहा है लेकिन इस बारे में आपके मन में भी दर्द नहीं है। मेजोरिटी के आधार पर सेठों के पक्ष में इस बात को स्वीकार करायेंगे। बाकी रिफ्यूज करने में क्या एतराज है? सेठों की सुविधा का इतना ख्याल है और हजारों लाखों इण्डस्ट्रियल लेबर हैं, उनके हितों की, उनकी सुरक्षा की, उनके कन्डक्ट की इसमें कोई बात नहीं है। सेठों की पैरवी करने के लिये इनका तर्क है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है

[(श्री हीरालाल देवपुरा)

उसमें क्लोजर के लिए इण्डस्ट्रिलिस्ट का फन्डामेन्टल राइट कहा है। कहीं भी कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट अगर यह समझता है कि मुझे अपनी इण्डस्ट्री बन्द करनी है, मैं नहीं चला सकता हूँ तो हमने इस पर चैक लगाया है इन दी इन्ट्रेस्ट ग्राफ लेबर। चैक इसलिए लगाया है कि वर्कर जो इण्डस्ट्री में काम कर रहा है उसका इन्ट्रेस्ट है। अगर रिफ्यूज वर्ड आ जायेगा तो फिर चैलेन्ज हो सकता है और फन्डामेन्टल राइट की बात आ सकती है इसलिये हमने कहा है विचार करेंगे, सारी बातों पर विचार करेंगे और गलती होती है तो उसकी कोई गलती नहीं मानी जायगी। शब्द granted का अर्थ यह नहीं है कि आगे जाकर शंका है और शंका हो सकती है कहीं किसी को, तो ओवर लुक कर दी जायगी। यह शंका आप बताते हैं लेकिन उस शंका का समाधान इस क्लाज से हो जाता है जिससे हमने लेबर को राइट दिया है। वह खुद चैलेन्ज कर सकता है और हमें यह मालूम हो जाय जो कुछ किया है, वह गलत किया है तो सुओ मोटो अपने आप ही रिओपन करके दुबारा फैसला करवा सकता है इसलिये कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। इसके साथ साथ मैं, सभापति महोदय, कहना चाहता हूँ पार्लियामेंट में भी यह अमेन्ड होकर आया है उसमें भी यही शब्द काम में लिया गया है। Granted शब्द काम में लिया गया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री कैलाश मेघवाल ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 मूल रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 मूल रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 9 श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, इसमें 'representativre union' दिया है इसमें 'registered union' ही दिये जाने चाहिये। कैसेज को कवर करने का मैंने तो अपना संशोधन दिया है रजिस्टर्ड यूनियन के रिप्रेजेन्टेटिव, पदाधिकारियों को नोटिस दिया जाय, वही तर्क है। ये मानेंगे तो है नहीं क्योंकि इनकी मेजोरिटी है और इस मेजोरिटी के आधार पर हां-ना से पास करवा लेंगे....

(व्यवधान)

इसलिये मैं इसको प्रेस नहीं करना चाहता हूं। शब्द भी वही हैं शब्दावली भी वही है, रीजनिंग भी वही हैं इसलिए खण्ड 9 में जो मेरा रखा हुआ संशोधन है उसको मैं प्रेस नहीं करता।

श्री सभापति : आप वापस लेना चाहते है ?

श्री कैलाश मेघवाल : प्रेस ही नहीं कर रहा हूँ ...

श्री सभापति : इसका मतलब यह है कि आप विथड्रा कर रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : विथड्रा कर लेता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री कैलाश मेघवाल ने खण्ड 9 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 9 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 10 श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, इस सारी डिबेट में यह क्लाज 10 थोड़ा इम्पार्टेण्ट है । माननीय श्रम मंत्रीजी जरा ध्यान से सुनना । आपको तो मालूम है कि आपने क्या पाप किया है मजदूरों के साथ में इस खण्ड 10 में संशोधन करके । मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा यह बात श्रम मंत्रीजी और राजस्थान की सरकार को बताना चाहता हूं, भौंडे तरीके से किसी का पक्ष करना है, पक्ष करने का कारण चाहे मुख्य मंत्रीजी का दबाव हो, चाहे श्रम मन्त्रीजी का दबाव हो, चाहे किसी और का दबाव हो, किसी सेठ का दबाव हो और वह दबाव किसी भी कारण से हो, ऐसा स्पष्ट दिखता है । सभापति महोदय, जब मैं क्लाज पढ़ दूंगा, तो आपको भी मालूम हो जायेगा कि ऐसी जिन्दा मक्खी निगलने के लिये इस सदन से कहा जा रहा है । संशोधन जो मूव किया है, मैंने खण्ड 10 के 25 पी में जो संशोधन मूव किया है वह यह है कि Notwithstanding any award or order of a Tribunal or any judgment, order or direction of any Court upholding the validity of retrenchment of any workman employed in any industrial establishment to which this Chapter applies who is retrenched at any time during, माननीय सभापति महोदय, जरा ध्यान से सुनिए, six months immediately before the commencement of the Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Act, 1984, the State Government shall, either on its own motion or on the application made by any such retrenched workman or by the office-bearer of the representative union of the concerned industrial establishment, examine the validity of retrenchment of such workman and if after making such enquiry as it thinks fit and after giving reasonable opportunity of being heard to the employer, the retrenched workman, or, as the case may be, to such office-bearer, it

(श्री कैलाश मेघवाल)

is satisfied that, इसको आगे मैं पढ़ना नहीं चाहता, वह मेरे संशोधन के लिए मैरिट नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैंने इसमें संशोधन मूव किया है कि "Six months immediately" यह शब्दावली विलोपित की जाय। यह शब्दावली विलोपित करने का मैंने क्यों संशोधन दिया है, माननीय सभापति महोदय, जरा पढ़िये, आपका अपने उद्देश्यों तथा कारणों का कथन है, अरे यह कथन तो मत लिखते। अगर आपको यही पाप करना था और अगर यही भोंडा प्रदर्शन करना था, सिफारिश का या सेठों के प्रभाव का या सेठों के पैसों के प्रभाव का कोई कारण था तो यह तो मत लिखते। क्या लिखा, माननीय सभापति महोदय, देखिये आप। उद्देश्य तथा कारणों का कथन है, उद्देश्य तथा कारणों के कथन में पेज 12 पर लिखते हैं "संविधान के अनुच्छेद 19 (ए) (6) द्वारा गारण्टीकृत मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। इस निर्णय का यह परिणाम हुआ कि मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड, कोटा द्वारा चलाये जा रहे उपक्रम के जिन 3000 से अधिक कर्मचारियों की छटनी, उनके नियोक्ताओं द्वारा कर दी गयी थी, उनको धारा 25 (घ) का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सका इसलिए अधिनियम की धारा 25 (घ) को राजस्थान राज्य में लागू किये जाने हेतु संशोधन करना आवश्यक हो गया है जिससे धारा 25 (घ) में राजस्थान उच्च न्यायालय के बहुसंख्यक न्यायाधीशों द्वारा पाई गई संवैधानिक त्रुटि को दूर किया जा सके।" माननीय सभापति महोदय, इसी विधेयक में खण्ड (9) जिसको अभी पारित किया गया और इस खण्ड (9) के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 25 (पी) को प्रतिस्थापित किया गया है, नई, यहां उसको पढ़ना चाहता हूं। वह है, माननीय सभापति महोदय, "Close down" Closer अभी सामने आ जायेगा मेरे सारे तर्क से कि 25 (पी) में तो क्लोजर और 25 (सी) (पी) में रिट्रेन्चमेन्ट। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि क्लोजर बड़ी घटना है जो या रिट्रेन्चमेन्ट बड़ी घटना है। इसलिए पूछना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यही पाप सेठों का दबाव, सेठों की थैलियों का प्रभाव सबसे पहले प्रकट करता है, 25 (पी) के क्लोजर में आपने कोई अवधि निर्धारित नहीं की है। वह भाषा देखिये, माननीय सभापति महोदय, 25 (पी) की भाषा: "Where the undertaking of an industrial establishment to which this Chapter applies had been closed down before the commencement of the Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Act, 1984 and the State Government, after giving reasonable opportunity of being heard" इसमें इतना ही निवेदन करना है, कोई समयावधि नहीं है, क्लोजर हुआ है और क्लोजर कभी भी हुआ है। आर्डिनेन्स हुआ उसके पहले वह क्लोजर हुआ है और उस क्लोजर की सुनवाई के लिये, उस क्लोजर को रिओपन करने के लिये, उस क्लोजर के बारे में निर्णय लेने के लिये आपने 25 (पी) में जो संशोधन किया है उसके लिए कोई

(87)

(श्री कैलाश मेघवाल)

समयावधि नहीं । जे. के. सिन्थेटिक्स के 3000 से अधिक श्रमिक जनवरी, 1981 में रिट्रेन्च हुए । कब हुए आपने इसमें लिखा है। लिखा है, इसमें जनवरी 1982 में हुए थे। माननीय सभापति महोदय, जनवरी, 1982 मे हुए और ये 3000 श्रमिक रिट्रेन्च हुए, मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह आप कैसे बोलेंगे. आपके मन में क्या है ? अभी तो कम से कम ईमानदारी से इतने लोगों के सामने तथ्य आया है, आपने यह लिखा है, क्लोजर विवरण में लिखा है कि जे. के. सिन्थेटिक्स के 3000 कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल सका और इसलिए हाई कोर्ट की रूलिंग के कारण आप इसे अमेण्ड कर रहे हैं । तो आपको यह 6 महीने डालने की इजाजत किसने दी और क्यों दी ? जिन 3000 कर्मचारी को रिट्रेन्च कर दिया गया, छंटनी कर दी गयी, उनके परिवारों को भूखा मरने के लिए, उस सेठ ने सड़कों पर फेंक दिया । क्यों नहीं उनको इस अमेण्डमेन्ट में नहीं किया ? जिनके आधार पर आप यह अमेण्डमेन्ट लाये हो ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यही अपने आप में एक प्रकट तथ्य है कि XXX मैं आरोप लगाना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो तर्क से जवाब दीजिए, क्लोजर वाली घटना है, जो क्लोजर श्रमिक विवाद में या श्रमिक दुनिया में बड़ी घटना मानी जाती है–पूर्ण क्लोजर, उसमें कोई समयावधि नहीं रिव्यू करने की, सारा यह सब कुछ करने की कोई समयावधि नहीं । आपने केवल रिट्रेन्चमेन्ट जो एक छोटी घटना है, उस छोटी घटना के आधार पर उसमें 6 महीने की समयावधि लगा दी । यही XXX मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय श्रम मन्त्रीजी, आप में आत्मा है, आप अपनी सरकार की छवि को ठीक रखना चाहते हैं और सेठों XXX के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं तो जो कारण आपने दिया है, जे. के. सिन्थेटिक्स में 3000 कर्मचारियों का इसमें स्पष्ट लिखा है, उस कारण के आधार पर, माननीय परसराम जी . . .

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कोई मुद्दे की बात कह रहे हैं । आपके इशारों से तो मालूम होता है, लेकिन बात यह है कि आप थोड़ा धीरे बोलें तो हमारे कुछ पल्ले पड़ जाय नहीं तो हमें मालूम नहीं कि आप क्या कह रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सिंचाई मन्त्रीजी की मेरे प्रति सदाशयता के लिए भी उनका आभारी हूं । आज पहली बार मैंने उनको इस विशिष्ट वेशभूषा में देखा । यह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप जंचते भी हैं इसलिये भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो नेशनल इन्टीग्रेशन का प्रतीक है ।

श्री कैलाश मेघवाल : किसको देखा देखो को है ? यह आपने किसी को देखा

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री कैलाश मेघवाल)

देखी तो नहीं की है ?

थोड़ी मैं मुद्दे की बात कह रहा था, मुद्दे की बात समझा दूं। माननीय सभापति महोदय, जैसा मैं आपके सामने रख रहा था कि इसके खण्ड (2) के द्वारा 25 (बी) को पुनः स्थापित किया गया है। मैं 25 (बी) में क्लोजर के बारे में रिव्यू करने का, क्लोजर के बारे में पुनर्विचार करने का, क्लोजर के बारे में मजदूरों को और वर्कमेन यूनियन को यह अधिकार दिया गया है आप उसके लिए अर्जी सरकार में दे सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुआ था उसकी वजह से यह सारे अधिकार कुण्ठित हो गये थे। पर उसमें कोई समयावधि नहीं दी गई है। माननीय सिंचाई मंत्री जी, आप जरा एक्ट लेकर उसको देख लीजिए। यह क्लोजर, श्रमिक जगत में एक बड़ी घटना होती है। उसके बाद खण्ड 10 के 25 (बी) (पी) को नया पुनःस्थापित किया गया है और जिसमें रिट्रेन्चमेन्ट का प्रावधान है अगर कोई रिट्रेन्च हो गया है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से या राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले से जो रिट्रेन्च लेबर के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है, उसको माननीय श्रम मंत्रीजी ने अपना यह बिल लाने के कारणों में भी लिखा है। बिल लाने के कारणों में आप उद्देश्य तथा कारणों का कथन पेज (12) पर देख लीजिये, आपने उसमें यह हवाला दिया है कि हम यह क्यों लाये हैं ? 25 (बी (पी) में हमने क्यों संशोधन किया है, जे.के. सिन्थेटिक्स के 3000 मजदूरों की छंटनी कर दी गई और उस छंटनी के विरुद्ध राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय के कारण जो पुनर्विचार के या जो कानूनी अधिकार थे, जो छंटनी के विरुद्ध वह अपना दावा कर सकते थे उससे वंचित रह गये इसलिए यह विधेयक लाया गया है। यह कारण बताया लेकिन उस रिट्रेन्चमेंट की छोटी सी घटना के बारे में समयावधि कर दी, यह अध्यादेश लागू होता है उसके पहले के छः महीने के अन्दर-अन्दर के केसेज इससे कवर होंगे, उसके पहले के कवर नहीं होंगे। इसलिए मेरा आरोप है, माननीय सिंचाई मंत्रीजी, आपकी सरकार पर, आपके श्रम मंत्री पर, आपके मुख्य मन्त्री पर कि यह जे. के. का प्रभाव था जिसकी वजह से यहां पर छः महीने की समयावधि तय की गई। अन्यथा जो क्लोजर करता है उसमें कोई समयावधि तय नहीं की है। रिट्रेन्चमेंट की छोटी सी घटना के बारे में समयावधि तय की गई है....इसलिए, माननीय सभापति महोदय।....

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मन्त्री और श्रम मंत्री के ऊपर प्रेशर डालने वाला कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह विधेयक इस बात को प्रमाणित करता है।

(व्यवधान)

माननीय श्रम मन्त्री के शब्दों से यह साफ नहीं होगा। मैंने इसलिए संशोधन मूव किया है। जे. के. मजदूरों की छंटनी को इस विधेयक के द्वारा बचाया जा रहा है कानून के तहत, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए तभी साबित होगा।

(व्यवधान)

(श्री कैलाश मेघवाल)

यह तो आप रोज कह देते हैं। यह कहने से कोई साबित नहीं होगा।

श्री हीरालाल आर्य : सारी योजनायें आपकी पूंजीपतियों के यहां बनती हैं, मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : "Six months immediately", इस वर्ड्स को तुरन्त डिलीट कीजिए, सिंचाई मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : यह गलतफहमी पूंजीपतियों को भी है और आपको भी है। यह गलतफहमी निकाल दो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो आप कोई बात।....

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : जे. के. इंडस्ट्री का क्या हुआ ? क्यों निकाला उसके व्यक्तियों को ?

श्री परसराम मदेरणा : You are most irrelevant.

श्री हीरालाल आर्य : जे.के. ने निकाला तो क्यों निकाला ? जे. के. ने निकाला तो क्यों निकाला ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, यहां पर दो केबिनेट मंत्री बैठे हैं। मैं देखता हूं कि जे. के. में तीन हजार कर्मचारियों की छंटनी की गई, जिनके आधार पर आप यहां पर यह प्रोविजन लाये हैं, यह बताता है कि आपके दिल में क्या है ? "Six months immediately" को आप हटाने को तैयार हैं कि नहीं, बाकी परसराम जी का यह कह देना कि हमारा मुख्य मन्त्री ××× प्रभाव में नहीं है ××× यह तो स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है है इसलिए मैं चाहता हूं कि Six months immediately" विलोपित कर दिये जायें। सिक्स मन्थ के लिये अब तो आपकी आत्मा झकझोरी होगी, माननीय परसरामजी, अब तो मैंने सही ढंग से तथ्य समझा दिए हैं। अब आप "Six months immediately" को हटा दीजिए। 25–पी और 25 पी/पी दोनों देख लीजिए और उसके बाद में "Six months immediately" को हटा करके मजदूरों के प्रति अपनी ईमानदारी और अपनी आनेस्टी, वह जो आप कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाये हैं, उसका सबूत दीजिए। यही मेरा निवेदन है, मेरे संशोधन को स्वीकार कीजिए।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सभापति महोदय, बहुत जोश में और आवेश में अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना संशोधन रखा है। संशोधन रखते हुए कुछ ऐसे चार्जेज भी लगाये जो एकदम अनर्गल, असत्य और मिथ्या हैं। यह कहना कि जे. के. इण्डस्ट्री के इन्फ्लुएंस में आकर यह बिल पेश किया गया है।....

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री कैलाश मेघवाल : यह मैंने छः महीने के लिए बात कही है।

श्री हीरालाल देवपुरा : हां, छः महीने के लिए ही है। इस 25-पी/पी के अन्दर छः महीने की बात की गई है। मैं स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूँ कि सरकार के ऊपर जे. के. इन्डस्ट्री का किसी तरह का न कोई दवाव है और न किसी और इन्डस्ट्री का दवाव आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य यदि कभी साबित भी कर देंगे कि यह किसी कोई दबाव में आ करके सरकार ने किया है तो मैं या हम दोनों में से कोई एक इस सदन में नहीं बैठेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह सबूत है कि नहीं, आप तो इसको हटाने को तैयार हो जाइये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप जो बोले मैंने बहुत शांति से सुन लिया है। मेहरबानी करके सुनने की क्षमता भी रखिये। आप जो यह कहते हैं कि...

श्री कैलाश मेघवाल : तर्क का जवाब तर्क से दीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : दवाव में कौन आता है और कौन नहीं, यह तो अपने आप में बात प्रमाणित है कि कौन पूंजीपतियों की पार्टी है और कौन पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। जब जब भी मौका आया है आपने समर्थन दिया है पूंजीपतियों को। इस सरकार ने और कांग्रेस सरकार ने कभी पूंजीपतियों को कोई समर्थन नहीं दिया है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कह करके....

श्री कैलाश मेघवाल XXX

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : XXX

श्री हीरालाल आर्य : XXX

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : XXX

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप मन्त्री महोदय से पूछिये कि 15 लाख रुपया डी. सी. एम. के अन्दर पानी का बाकी है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : अन्त्योदयी है वह तो।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, जे. के. इंडस्ट्रीज की बात कह कर यहां पर कहा गया ...

श्री दाऊदयाल जोशी : ढाई करोड़ रुपया लाला भरतराम जी चरतराम जी

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दाऊदयाल जोशी),

और सोहनलाल जी सिंघानिया में बाकी हैं ।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, यह रेफर किया गया है, यह बात सही है, यह मैंने अपने स्टेटमेंट जो मैंने दिया है कानून लाने का, में एक उदाहरण दिया है, छः महीने की मैंने मियाद रखी है इसमें उसका एक उदाहरण दिया था । सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था उस वक्त की बात थी । उस वक्त छः महीने के पीरियड में वह इन्स्टीट्यूशन, वह संस्थान भी आता था । यह बड़ा संस्थान था इसलिए उसका मैंने उदाहरण दिया । मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जे. के. इन्डस्ट्री ने जो रिट्रेंचमेंट किया और जिसका फैसला राजस्थान हाई कोर्ट ने उसके हक में किया है उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में यूनियन की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रही है । सुप्रीम कोर्ट ने इन रिट्रेंचमेंट के लिए आर्डर जारी किया है इसलिए जे. के. इन्डस्ट्रीज के जो तीन हजार वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके विपरीत कोई प्रभाव पड़ने की बात आप कर रहे हैं । कोई विपरीत प्रभाव पड़ने का सवाल नहीं है क्योंकि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टे–आर्डर जारी है । आज तो जे. के. इन्डस्ट्री में जिन लोगों को रिट्रेंच किया है, जिन लोगों को पैसा दिलाया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार से उसी आधार को शामिल करके वह इन्डस्ट्री वहां पर चल रही है । उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है । सवाल यह है कि यह जो मैंने रिट्रेंचमेंट के लिए प्रावधान रखा है, इस एक्ट के लागू होने पर, यह बिल जब एक्ट बन जाएगा उसके लागू होने के बाद भी अगर इसके पहले छः महीने के अन्दर किसी को रिट्रेंच किया गया है तो या तो स्वयं डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट स्वयं या वर्कर्स की एप्लीकेशन पर या किसी और यूनियन के रिप्रेजेण्टेटिव की एप्लीकेशन पर कोई बात आती है तो री-कंसीडर करके उस केस को खोला जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है, यह प्रावधान हमने किया है । वह सबके लिए किया है । वह सब के लिए है । कोई जे. के. के लिए या किसी एक की बात करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । जे. के. की तो चूंकि उस वक्त ताजा घटना थी इसलिए बिल में लाये थे । तब यह बात बताई थी कि यह ताजा घटना हुई है । इस तरह की घटनायें कोई और भी हो सकती हैं । कोई एक जे. के. का सवाल ही नहीं है, सबके ऊपर हो सकती हैं । जिस एक जे. के. की घटना की आप कह रहे हैं, उसके लिए मैंने निवेदन किया कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और उस पर स्टे आया हुआ है । इसलिए इस एक्ट में छः महीने या 12 महीने और हों या नहीं हों, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । आपने इसको कम्पेयर किया 25-(पी) से । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 25-(पी) में क्लोजर और 25-(पी पी) में जो प्रोवीजन है वह रिट्रेंचमेंट पर किया गया है । दो डिफरेंट बातें हैं । क्लोजर ज्यादा खतरनाक है, रिट्रेंचमेंट इससे कम है, मैं इस बात से सहमत हूँ । इसीलिए हमने क्लोजर में रखा है उस क्षेत्र की दृष्टि से, सार्वजनिक हित की दृष्टि से,

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जनहित की दृष्टि से, श्रमिकों के हित की दृष्टि से अगर यह महसूस करते हैं कि वहां यह इन्डस्ट्री चल सकती है और जो क्लोजर उसने किया है वह गलत था, मान लीजिए, क्लोजर उसका साबित भी हो गया उस वक्त के समय को देखते हुए उसको इजाजत मिल गई क्लोजर करने की लेकिन फिर भी उस इंडस्ट्री को वहां री-ओपन कराने के लिए कहा जा सकता है, इसलिए यह प्रावधान मैंने किया है। इन्डस्ट्री के पूरे चलने से सारी स्टेट को, सारे एरिया को इफेक्ट करता है, प्रोडक्शन के अन्दर इफेक्ट करता है, इससे इकोनोमी इफेक्ट करेगी। इसके लिए मैंने अधिकार लिया है, जब भी चाहें उस इन्डस्ट्री को री–ओपन कराया जा सकता है। लेकिन यह तो रिट्रेंचमेंट का क्वेश्चन है। रिट्रेंचमेंट को लम्बे समय तक, हमेशा की अवधि के लिए नहीं ले जा सकते। एक व्यक्ति को दो साल पहले, पांच साल पहले रिट्रेंच किया गया हो, आज अगर जा करके दूसरी जगह काम कर लिया हो फिर उसको कहें कि इस व्यक्ति को वापस यहां पर रखो, यह सम्भव नहीं हो सकता। इसलिए इसमें हमने लिमिटेड टाइम के लिए अधिकार लिया है कि छः महीने के अन्दर किसी को अगर रिट्रेंच किया है, उस केस को हम देख सकते हैं। इसलिए हमने इस अधिकार को लिया है। कोई किसी के प्रभाव में आकर या किसी इन्डस्ट्री को सेव करने की दृष्टि से, किसी इन्डस्ट्रियलिस्ट को बचाने की दृष्टि से इसके अन्दर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। माननीय सदस्य ने यह बात कह कर यहां पर गुमराह करने की कोशिश की है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चार्ज इन्होंने लगाए वह मिथ्या, अनर्गल और असत्य हैं। इसके अन्दर कोई कहीं पर सत्यता नहीं है। यह तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि किस तरह से ये पूंजीपतियों से प्रभावित होते हैं। अनुभव है, इन्हें इस बात का कि पूंजीपतियों से प्रभावित होने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसलिए ये दूसरों को भी उसी आंख से देखना चाहते हैं, उसी दृष्टि से देखना चाहते हैं जिस तरह से वे प्रभावित होते हैं, समय पर वैसे ही हम भी प्रभावित हों। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह सरकार, कांग्रेस की सरकार, शिवचरण माथुर की सरकार और देश में इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस की सरकारें कभी किसी पूंजीपति से प्रभावित नहीं होती हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : XXX

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। प्रश्न यह है कि....

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, एक बात और है। आपने जोर शोर से जवाब तो दे दिया। जवाब में तर्क तो आपने दिए नहीं। तर्क इसलिए नहीं थे

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपके भाषण में क्या तर्क था ?

श्री कैलाश मेघवाल : आपके भाषण में तर्क नहीं था इसलिए माननीय सिंचाई मन्त्री जी ऐसे मौकों पर हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन आपके उत्तर में सारी मिसचीफ प्राइमाफेसी दिख गई इसलिए वह भी नहीं बोले, यह भी इस बात का प्रमाण है। इसके बाद में उन्होंने मुझे चुनौती दी।

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो स्टेटमेंट अभी दिया, आपका वक्तव्य बहुत XXX है।

श्री हीरालाल देवपुरा : वक्तव्य ही नहीं, XXX

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि इस तरह का रेफरेंस वैसे ही नहीं आया, यह तो आप पकड़े गये हो। दूसरी खतरनाक घटना 20 साल पहले, जो क्लोजर हुआ है, आपने कहा उसको आप वापस खोल देंगे। यह दूसरा तरीका है सेठों की घेंटी दवाने का। यह भी आपने अधिकार हाथ में लिया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या कहा आपने ?

श्री कैलाश मेघवाल : आपने रिट्रेंचमेंट की....

श्री सभापति : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, धीरे धीरे बोलेंगे तो आपका भाषण ज्यादा प्रभावशाली होगा और लोग सुन सकेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, आपके सुझाव के लिये मैं आपका आभारी हूँ, मैं कोशिश करूंगा। शुरू में मेरी आदत ही देवपुरा जी ने बिगाड़ दी भाषण दिला दिला कर जोर जोर से, तभी से बिगड़ी हुई है जब मैं उनके साथ काम करता था।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह मानते तो हो। सभापति महोदय, कम से कम इतना तो मानते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : यह आदत इन्हीं की बिगाड़ी हुई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो भ्रमित हो गये हैं बाकी यह हमारे साथ ही थे।

श्री कैलाश मेघवाल : अरे, हम वकील रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, यह कोई तर्क नहीं है। यह जो रेफरेन्स आया है जे. के. का इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। दूसरा, इस खतरनाक क्लोजर को लम्बे समय तक ओपन रखा जाय, तो रिट्रेंचमेंट में तो कम संख्या में श्रमिक होते हैं उसको ओपन क्यों नहीं रखा ? जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तभी से आपके आर्डिनेंस आने तक के सारे केसेज कवर होते थे। राजस्थान में ऐसे

XXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(श्री कैलाश मेघवाल)

कितने केसेज हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ? सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला हुआ, उस फैसले के बाद यह जो अधिकार कुंठित हुए, उस तारीख से और जो आज आर्डिनेंस लाये उस तारीख से आज तक कितने वर्कर और कितने श्रमिक रिट्रेंच हुए हैं और उनको आपने रिलीफ नहीं दिया ? उनका पेण्डोराज बोक्स नहीं खोल सकते इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने जो संख्या इस सदन के सामने रखी, उनको रिलीफ तो आप देंगे नहीं। मैं तो सही तथ्य कह रहा हूं, आप तो ऐसी बातें रोज कह सकते हैं साधारण तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन वह संख्या जिसके लिये हाई कोर्ट का फैसला हुआ और आप आर्डिनेंस लाये, तब से कितनी थी ? आप तो बिल लेकर आये हो, आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिये। वह संख्या तीन हजार आपने बता दी है । 500–700 श्रमिक और होंगे उनके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वे आज सेठों की छाया में नहीं हैं इसलिये मेरी मान लें, 6 महीने की समयावधि उन कुछ श्रमिकों के हित में डिलीट कर दी जाय, यह समयावधि नहीं रखें तो मैं आपका बड़ा आभार मानूंगा, राजस्थान के रिट्रेंचड श्रमिक और उनके परिवार वाले आपको दुआ देंगे, जिससे आप कुर्सी पर शायद ज्यादा बैठ सकेंगे वरना हम तो बैठने नहीं देंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैं जवाब दे चुका हूँ और रीजन्स भी बता चुका हूँ कि लम्बा समय क्यों नहीं रखा जा सकता। इन 6 महीनों में कुछ श्रमिक रिट्रेंच हुए हैं। कितने हुए, यह संख्या मेरे पास नहीं है। कई केसेज हमारे यहां भी चलते हैं तो उन लोगों को भी राहत मिलेगी। ऐसी बात नहीं कि किसी को राहत नहीं मिलने वाली हो, लोगों को राहत मिलेगी लेकिन बहुत लम्बे समय तक रिट्रेंचमेंट हो और हमेशा हमेशा के लिये खोल दिया जाय और ऐसा प्रावधान रखा जाय, यह संभव नहीं हो सकेगा और न उनके केसेज को आप निपटा ही सकेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 10 में जो संशोधन का प्रस्ताव आया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 स्वीकार किया गया।

श्री कैलाश मेघवाल : एक मेरा संशोधन है।

श्री सभापति : अब कहां है, अब नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने दिया था। वह डिलीट हो गया दिखता है, कहीं रख दिया दिखता है। वह बड़ा महत्वपूर्ण था। सुझाव यह था, माननीय मदेरणा जी, सुन लीजिये, जो निकाले गये लेबर होते हैं वे

(श्री कैलाश मेघवाल)

कोर्ट में जाते हैं लेकिन जिस रोज से निकाले जाते हैं उस रोज से उनकी तनख्वाह बन्द हो जाती है। उसके सूट की अगर पेंडेंसी है तो ड्यूरिंग दी पेंडेन्सी आफ दी सूट उनको तनख्वाह सेठ से दिलाई जानी चाहिये, यह मेरा संशोधन था।

श्री सभापति : आपने अमेण्डमेंट दिया था वह डिसअलाउ कर दिया गया है अध्यक्ष महोदय की तरफ से।

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि। इस पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मन्त्री जी।

विधेयक का पारण

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1984 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1984 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधिमान्यकारी) अध्यादेश, 1984

परिनियत संकल्प

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधिमान्यकारी) अध्यादेश, 1984 के संबंध में परिनियत संकल्प। माननीय कैलाश मेघवाल, श्री नाथूसिंह, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री महावीर प्रसाद, श्री भगवानदास शास्त्री, श्रीमती उजला अरोड़ा।

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1984, प्रभारी मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय। आप विचारार्थ लाने के लिये प्रस्ताव पेश करेंगे। परिनियत संकल्प प्रस्तुत ही नहीं हुआ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, आज इसके लिये माननीय अध्यक्ष महोदय से भी बात हुई है, चर्चा चल रही है कि इस अध्यादेश को कल लिया जाय। इस विषय में जानकारी कर लें।

श्री सभापति : अभी मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय, विचारार्थ रखें।

विधेयक पर विचार

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984

श्री दुलाराम (आवासन मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ, राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : माननीय भगवान दास शास्त्री, माननीय दाऊदयाल जोशी, माननीय महावीर प्रसाद।

श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, मेरी जितनी तैयारी है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज यह अध्यादेश नहीं लाया जायगा, माननीय सभापति महोदय, विरोधी दल भ्रष्टाचार का अन्तुले काण्ड में विरोध नहीं करता तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार इन्स्टीट्यूनलाइज हो जाता। माननीय सभापति महोदय, अच्छा होता यदि आसन पर किसी और की व्यवस्था होती क्योंकि आप स्वयं इस बोर्ड से संबंधित रहे हैं। यह कोई भद्रता नहीं होगी कि इस विषय पर आपके आसन पर रहते हुए मैं चर्चा करूं।

श्री बंसीलाल पटवा : यह महत्वपूर्ण आपत्ति है। इंट्रेस्टेड पार्टी है।

एक माननीय सदस्य : अब कहां भेजें उनको ?

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आसन पर बैठने वाले कोई भी माननीय सदस्य, जिस समय वह अध्यक्ष के आसन पर सभापति के रूप में विराजमान हैं, न तो विधायक हैं इस समय, न कोई और के रूप में पदाधिकारी हैं, सिर्फ अध्यक्ष के रूप में, सभापति रूप में विराजमान है। आपने जो चार्ज लगाया है।

श्री बंसीलाल पटवा : चार्ज नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : आप बात तो समझते नहीं, मन्त्री जी, प्रोसीडिंग पहले देख लें उसके बाद बात कर लीजिये।

श्री दुलाराम : मैं नहीं समझता तो राज में नहीं आता और आप अगर समझतीं तो बाहर नहीं जातीं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय मन्त्री महोदय। मैं स्वयं भी बैठा बैठा सोच रहा था कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के संबंध में जो अमेण्डमेंट आ रहे हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और उस जमाने के हाउसिंग बोर्ड के कार्य-कलापों के बारे में विचार-विमर्श होगा जिस समय मैं अध्यक्ष था। तो मैं सोच ही रहा था, माननीय सदस्या को मैंने पुकारा था और मैं स्वयं भी अनुरोध करने ही वाला था कि आपने अपना विचार व्यक्त कर दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं। आसन पर कोई आक्षेप नहीं है। हाउसिंग बोर्ड के कार्य-कलापों के बारे में आपने जो विचार व्यक्त किये, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं स्वयं ही महसूस कर रहा था कि इस विचार-विमर्श के दरमियान मुझे आसन पर नहीं रहना चाहिये इसलिये मैंने दूसरे माननीय सभापति महोदय से अनुरोध किया था कि वह आसन ग्रहण करें। आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सभापति महोदय, न्यायोचित दृष्टि से उचित भी

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

यही है कि जिस बोर्ड के आप अध्यक्ष थे, उसके संबंध में यदि चर्चा हो तो आपको आसन रिक्त कर देना चाहिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : पाइन्ट आफ आर्डर यह है, सभापति महोदय, अगर कोई माननीय सदस्य मंत्री रहे होते, उसके बाद मन्त्री पद से डिप्टी स्पीकर या स्पीकर बन जाते और उनके मन्त्री काल का अगर कोई विषय होता तो क्या वे स्पीकर महोदय या उपाध्यक्ष महोदय चेयर पर नहीं होते ?

श्री बन्सीलाल पटवा : नहीं, नहीं, पर प्रजेन्ट हैं आज की तारीख में....

श्री राम रघुनाथ चौधरी : प्रजेन्ट चेयरमेन नहीं हैं।

(व्यवधान)

आपको व्यवस्था नहीं देनी है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

यह बड़ा इम्पार्टेन्ट पाइन्ट आफ आर्डर है। मैं इस पर व्यवस्था नहीं दूंगा। आपके इस पाइन्ट आफ आर्डर का आशय मैं समझ गया हूं। मैं इस पर कोई व्यवस्था नहीं दे सकूंगा। यह बड़ा इम्पार्टेन्ट है। मैं इसको कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनाना चाहता हूं। मैं इससे पूर्व ही अपनी बात व्यक्त कर चुका हूं और माननीय सभापति से अनुरोध कर चुका हूं कि वे कृपया पधारें और आसन ग्रहण करें।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : माननीय सभापति महोदय, आप व्यवस्था न दें लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न है। इस पर व्यवस्था आगे फिर कभी काम आ सकती है इसलिये आप कृपया मेरी बात सुनें।

मेरा निवेदन यह था, माननीय सभापति महोदय, आप हाउसिंग बोर्ड के चेयरमेन थे और आज नहीं हैं। बहुत पहले इस्तीफा दे दिया था। हाउसिंग बोर्ड से आज कोई सम्बन्ध नहीं है। इस तरह से मैं निवेदन कर रहा था कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री पद पर रहे, वह उसके बाद डिप्टी स्पीकर या स्पीकर बन जाये और उनके मंत्री काल के विषय पर हाउस में चर्चा हो, तो क्या स्पीकर महोदय या उपाध्यक्ष महोदय उस जगह से हट जायेंगे, किसी सभापति को आना पड़ेगा ? मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री सभापति : यह पाइन्ट आफ आर्डर इम्पार्टेन्ट है। मैं इस पर जजमेन्ट रिजर्व रखता हूं। अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, मेरा बहुत सम्मानपूर्वक निवेदन यह था कि मुझको संकोच होगा। मेरा चेयरमेन के प्रति सम्मान है। मुझको कोई भी बात कहने में संकोच नहीं हो, और चेयर पर बैठे हुए कोई भी माननीय सभापति....

श्री सभापति : आप निःसंकोच अपनी बात कहिये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, अगर आपको ..

श्री सभापति : आप कहिये । आप अपना भाषण जारी रखिये ।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं यह कहना चाहती थी कि यह जो बिल इन्ट्रोड्यूज किया गया है रिवेलिडेट करने का, राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984 विचारार्थ रखा गया है....

(म. पू. 2-34)

(श्री हरिसिंह, सभापति, पदासीन)

यह केवल तत्कालीन आवासन मण्डल, यानि तब जो हुआ है, पी.यू.सी. ने जिसको एग्जामिन किया है जिसकी स्वयं की वेलिडिटी और जिसके कान्स्टीट्यूशन तक को उसने क्वेश्चन किया, उसके फलस्वरूप आज यह बिल आया है। कल मैंने निवेदन किया था कि बिना सोचे-विचारे, बिना थारोली एग्जामिन किये सदन में इस तरह का बिल आ जावे और वह पास हो जावे और उस पर कार्यवाही भी शुरू हो जावे और फिर पुराने काले कारनामे रि-विलिडेट करवाये जायं, यह सदन का अपमान है। सरकार इसके लिए दोषी है। यह सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न आज सदन के सामने उपस्थित होना चाहिये। माननीय सभापति महोदय यह जो बिल लाया गया है यह केवल उस वक्त के श्री रामनारायण चौधरी, जो अध्यक्ष रहे हैं, जिनका अपाइन्टमेन्ट पहले हो चुका, काले कारनामे, अनियमितता, गड़बड़ियां,...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। किसी पर व्यक्तिगत आरोप बगैर नोटिस के नहीं लगायें। ..

श्रीमती विद्या पाठक : मैं राजस्थान आवासन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते कह रही हूं, माननीय सभापति महोदय ...

श्री सभापति : कृपया ध्यान रखें।

श्रीमती विद्या पाठक : सिर्फ इसको रि-वेलिडेट करने के लिये, उनको बचाने के लिये उन सब पर पर्दा डालने के लिये इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लाया गया है। इसके अतिरिक्त जो कान्स्टीट्यूशनली, लीगली इर्रेगुलेरिटीज और नेग्लीजेन्सी रही, उन सब डर्टी लिनन को सरकार सदन में आज धोना चाहती है। यह सबसे बड़ा आक्षेप सरकार के ऊपर है। इस बीच थ्रू आउट इन्होंने किसी अन्य प्राइवेट मेम्बर को नोमिनेट नहीं किया। 6 प्राइवेट मेम्बर इस बोर्ड में होने चाहिये। उन 6 में से एक को भी अपाइन्टमेन्ट काफी समय तक 1981 के के बाद ..

श्री राम नारायण चौधरी : नोमीनेट गवर्नमेन्ट ने नहीं किया या चेयरमेन ने नहीं किया ?

श्रीमती विद्या पाठक : सरकार ने नहीं किया। मैं सिर्फ चेयरमेन की बात ही नहीं कर रही हूं। सरकार बिल लायी है....

श्री राम नारायण चौधरी : सरकार की मर्जी है, वह नोमिनेट करती है या नहीं करती है। That was a matter for the Government.

श्रीमती विद्या पाठक : इसके बाद में....

(व्यवधान)

सरकार और चेयरमेन दोनों की बात कर रही हूं। इसमें....

(व्यवधान)

बात नहीं कही। देखिये मेरी यह . . .

श्री रामनारायण चौधरी : यह मेरे काल का ही नहीं, माननीय सदस्या। आप इसको पढ़ें गौर से, जब जब भी आफिसर रहे हैं उस वक्त भी, उस समय भी नान आफिशियल के अपाइन्टमेंट नहीं हुए थे, उस वक्त का भी है। एक ही अमेण्डमेन्ट नहीं है। मेरे काल का ही नहीं है उसके पहले का भी है। इसको पूरा पढ़िये। यह मत कहिये कि मेरे वक्त, काल में जो काम हुए उनको रि-रेगुलरेट करने के लिये, नियमन के लिये लाये हैं। इसको पूरा पढ़िये।

श्रीमती विद्या पाठक : आप, सभापति महोदय, मेरा समय तो न काटेंगे? आप अभी घंटी बजायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कोई बात ऐसी कहेंगी जो हर सूरत में गलत है और गलत कहे जा रही हैं तो कैसे समझेंगे। आप बात कहिये वह इसको पढ़ कर कहिये कि इसका प्रभाव कहां कहां पड़ता है, कब कब से पड़ता है, और कौन कौन से काम हैं जिनको रि-वेलिडेट करने के लिये यह अमेंडमेन्ट लाया गया है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्य, आप कृपया नोट करते जाइये। बाद में कोई जवाब देना चाहें तो दे दें।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने इसकी शुरुआत मेरे नाम से की है। इसलिये मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप कृपया इसको पूरा पढ़िये और पढ़ने के बाद अपने व्याख्यान को शुरू करिये।

श्रीमती विद्या पाठक : सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया था, यदि ये चेयर पर होते तो मेरी क्या हालत होती, आप सोच लीजिये। इसीलिये मैंने निवेदन किया था।

श्री सभापति : चेयर पर होते तब भी . . .

श्री रामनारायण चौधरी : चेयर पर होता तो मैं चुपचाप बैठा रहता और सुनता रहता क्योंकि चेयर पर रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, 6.9.1981 के बाद दिसम्बर, 1983 तक बोर्ड में कोई गैर सरकारी सदस्य नोमिनेटेड नहीं रहा। इसकी वजह से बोर्ड की जितनी कार्यवाहियां हुईं, जितनी योजनाएं, स्वीकृति हुईं और कार्यकलाप हुए, एक तरह से नियमों के अन्तर्गत वह सब डिफेक्ट माने जाने चाहिये। 23 दिसम्बर को पहली बार 6 मेम्बर्स को नोमिनेट एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से किया गया था। इस बीच में तत्कालीन अध्यक्ष महोदय की निरंकुशता चलती रही क्योंकि सरकारी सदस्य उनके मातहत हुआ करते थे। सरकारी आफिसर

(श्रीमती विद्या पाठक)

एक्स-आफिशियो होते हैं. प्राइवेट मेम्बर ही जनता के हित की बात कह सकते हैं। जनता का बचाव उनकी ओपीनियन के माध्यम से ही हो सकता था। उनके अभाव में जनता के हितों पर कुठाराघात हुआ। इसके अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदय, 1970 का जो हाउसिंग बोर्ड का एक्ट है उसके सेक्शन 5-सी, में 6 नान-आफिशियल मेम्बर होने चाहिये थे वह नहीं रखे गये। सेक्शन नम्बर 8 है, Leave of absence to Chairman, Appointment of acting Chairman and terms and conditions, उसके अन्तर्गत रेगुलेशन रूल्स नहीं बनाये गये। हाउसिंग कमिश्नर, सेक्रेटरी, और चीफ अकाउन्ट्स आफिसर और अदर सच आफिसर की जो ड्यूटीज होनी चाहिये थीं, उनके इमोलूमेन्ट्स होने चाहिये एण्ड सर्विस आफ कण्डीशन होनी चाहिये, इन सब विषय के रूल्स नहीं बने। कान्ट्रैक्ट किस के माध्यम से किये जायेंगे, उन सब का वायोलेशन हुआ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्या, यह भी खुलासा कर दीजिये कि इमोलूमेन्ट्स जो हैं, आफिसर की जो ड्यूटीज हैं, डेलीगेशन आफ पावर्स हैं, यह भी मेरे जमाने की हैं और पहले की नहीं हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्य, मैंने आप पर कोई एक्सपर्शन नहीं किया है। एज चेयरमेन आफ दी हाउसिंग बोर्ड यह है। यदि कोई बात आपके ध्यान में ऐसी लगती है जो आब्जेक्शनेबल है, सही नहीं है तो आप उसको नोट कर लें और मन्त्रीजी को दे दें या आप स्वयं बाद में इसका जवाब दे दें but please don't disturb me.

माननीय सभापति महोदय, बोर्ड की जो वर्क्स कमेटी, हाउसिंग कमिश्नर, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और हाउसिंग की थी, जो स्कीम्स को पास करने और कान्ट्रैक्ट देने की थी उसमें भी. . .

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, आप वर्क्स कमेटी का नाम ले रही हैं तो यह भी कृपा करके बताइये कि यह वर्क्स कमेटी कब बनी थी ? मेरे जमाने में कोई वर्क्स कमेटी नहीं बनी। यह सारी ऐसी ही चलती आ रही है। आप यह बताइये कि यह वर्क्स कमेटी मेरी चेयरमेनशिप में बनी है या पहले से चली आ रही है या मैंने कोई तब्दीली करके मेम्बरशिप में कोई रद्दोबदल की है ? यह सारा खुलासा कीजिये। आप गोलमटोल बात मत कहिये।

श्रीमती विद्या पाठक : नहीं, मैं तो इस एक्ट की बात कर रही हूं जो आपकी सरकार के टाइम में····

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी सरकार के टाइम में बना था, आपकी सरकार थी उस समय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, इस तरह से बहस में भाग नहीं लें या तो····

श्री सभापति : यही काम आप कर रहे हैं ।

श्री मेघराज तावड़ : मैं नहीं कर रहा हूं । मैं तो आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । मंत्रीजी जवाब देंगे । या मन्त्रीजी उनको दे दें, बहस कर लेंगे ।

श्री सभापति : माननीय सभापति महोदय, जवाब नहीं दे रहे हैं । उन्होंने तो कोई स्पष्टीकरण चाहा था, चाहें तो दे दें, नहीं चाहें तो नहीं दें ।

श्री रामनारायण चौधरी : जब आपका राज था, जब आप स्वयं मन्त्री थीं, उस वक्त....

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, अब आपकी तरफ से, चेयर की तरफ से रूलिंग हो जाय, Is it a must that he should disturb me and interrupt me ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नियमों के हिसाब से कम से कम व्यवधान पैदा किया जाय । यह तो नियम है ।

श्री मेघराज तावड़ : व्यवधान इस तरह से चलेगा क्या ?

श्री सभापति : आर्डर । कृपया विराजें ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्या को इस बात की जानकारी नहीं है कि अमेन्डमेन्ट बिल के ऊपर कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है । जब आप चेयरमैन थीं, आपकी सरकार थी उस जमाने में जो कमियां रही थीं वह किस तरह से नियमित की जाय, वह सब शामिल है । आप जिस बात को कह रही हैं, वह भी इसके अन्दर शामिल है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है :

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक साथ बोल रहे हैं, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूं । कोई एक माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी बात कहें ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अगर मान लो किसी को बोलना है तो उन्हें माननीय सदस्यों के बोलने के बाद आप अवसर दे दीजिये । हर सैकंड में बोल रहे हैं ।

श्री सभापति : अवसर दे दूंगा । हर सैकंड पर किसी को अवरोध नहीं डालना चाहिये । कृपया बिराजें ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, जितनी स्कीम्स बोर्ड बनाये, उनको राज्य सरकार नोटिफाई करे, बोर्ड नोटिफाई करे, उसकी भी एक्ट में व्यवस्था नहीं की गई थी । इन सभी उपरोक्त इररेगुलेरिटीज, जो मोर देन वन थीं, मोर देन मेनी थीं, को रेगुलेराईज करने के लिए यह संशोधी एवं विधिमान्यकारी विधेयक सदन में लाया गया है । जिस तरह से मास मिसयूज रूल 60 की पावर का हुआ है, जो अलाटमेन्ट कमेटी बनी रहती है उसकी पावर, मेनली उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए आलरेडी आरक्षण है अलाटमेन्ट के लिए, को ग्रहण करके ऐसे लोगों और अन्य दूसरे लोगों, जिन्होंने 1973 के

(श्रीमती विद्या पाठक)

अलावा पहले या बाद में एप्लाई किया था, को आउट आफ दी वे जाकर मकान अलाट किया गया था। अब सरकार से पूछा जाय कि अगर ढाई पर्सेन्ट एम.एल.ए. का कोटा है, उसके एक्स्ट्रा ग्राडिनरी पावर को आप यूज करके, अलाटमेन्ट कमेटी की पावर को ग्रहण करके उनको एलाटमेन्ट प्राथमिकता के ग्राधार पर क्यों देना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, ऐसे ऐसे लोगों को ग्रलाटमेंट किया जिन्होंने पहले किसी दूसरी स्कीम में आप्ट किया था। जवाहर नगर से मालवीय नगर, मालवीय नगर से जवाहर नगर बदल दिया गया, अलवर-जयपुर स्कीम में भी बदल दिया गया। प्रायोरिटी वही की वही रह गई। इस तरह के केस इसमें हुए हैं। भूतपूर्व एलाटमेन्ट जिसका आलरेडी कोटा अलोटेड है, उसका ढाई पर्सेन्ट कोटा में मेन्शन नहीं है या न ही कोई ग्रादेश में मेन्शन है। इस तरह एनमास आदेश लेकर रिजर्वेशन के तहत भी विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करके, दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन करके उनको जवाहर नगर योजना जिनकी प्रीमियम वैल्यू है, इस तरह की योजना में हाउस अलाट किया गया। इसके पीछे सरकार की किस तरह की नियत है यह इन सभी बातों से स्पष्ट हो जाती है। इस विधेयक के अन्तर्गत भारी भेदभाव किया गया है। अधिकारियों को टाइम टू टाइम की गई यह शिकायत है कि मिसयूज ग्राफ पोजीशन है और दूसरे के हक मारे जा रहे हैं। मगर उनको भी इसके अन्तर्गत समअप कर दिया गया। ग्राज भी स्थिति यही हो रही और अभी भी है कि ग्रलाटमेन्ट हो जाते हैं तो वर्षों, महीनों तक पजेशन नहीं मिलता। ग्रगर पजेशन मिल भी जाता है तो मकान कम्प्लीट नहीं मिलते। जैसे ही अलाटमेन्ट शुरू हुग्रा, किश्तें चालू हो जाती हैं। इस तरह का मकान मिलता है उसमें गीलन-सीलन होती है, न स्टेण्डर्ड मैटीरियल है, न स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मैटीरियल लगा हुआ है। ऐसी हालत के बाद भी ग्रधिकारीगण, बोर्ड यह कहते हैं कि मकान लेना है तो ले लीजिये ग्रौर नहीं लेना हो तो वापस कीजिये। माननीय सभापति महोदय, वेलफेयर स्टेट में बोर्ड ने लक्ष्य यह रखा है कि नो लॉस नो प्रोफिट बेसिस पर मकान अलाट किया जाय और जिनके पास मकान नहीं हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाय। आज भी जयपुर शहर में ऐसे अनेक दलाल हैं, जिनके उसी कालोनी में, जयपुर शहर में मकान होते हुए भी हाउसिंग बोर्ड के बेनामे बहुत से मकान उनके नाम हैं। वह सब से भारी प्रीमियम लेकर मकान बेच रहे हैं। न केवल मकान बेच रहे हैं, बोर्ड का नियम है कि मकान ट्रान्सफर नहीं कर सकते कम से कम पर्टीक्यूलर पीरियड और ईयर में, मगर दो महीने के अन्दर नाम भी बोर्ड के रजिस्टर, डाक्यूमेन्ट में बदल जाते हैं। इस तरह की धांधलियां चल रही हैं। इसके अलावा जो मकान बने हैं, वह मकान गिर रहे हैं। लोग बताते हैं कि मकान की नींव दीवारें सब कुछ गिर रहे हैं, उसकी चौखट, किवाड़, ऐसा महसूस होता है, गोन्द से चिपका रखी हैं, एक कील गाड़ें तो पूरी दीवार सिर पर आ जाय। ऐसी स्थिति है आवासन मण्डल के मकानों की। ठेकेदारों की शिकायत की जाती है

(श्रीमती विद्या पाठक)

या कोई अच्छे अधिकारीगण उस ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करते हैं तो वह ठेकेदार कहता है कि इतने पैसों में तो ऐसा ही काम होगा । आवासन मण्डल के पास बहुत बड़ी यूनिट है, मेटीरियल टेस्टिंग यूनिट है, जो क्वालिटी कन्ट्रोल करती है, उसका काम इस स्कीम में क्या रहा है यह मन्त्री महोदय के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इनका विभाग इस तरह का काम कर रहा है ।

इसी तरह कोटा में मकान बने । मकान बने तो मुकदमा चला, कुछ ऐसी बात थी । इतनी सारी कम्पलेन्ट की क्या बात थी ? जगह-जगह हाय-तौबा मची हुई है । इसके पीछे कारण यही है, इर्रेगुलेरिटीज होती हैं । नियम होते ही नहीं, अगर होते हैं तो साइलेन्ट होते हैं या फिर इण्टरप्रेट किये जा सकते हैं या नियमों के अभाव में, नियम न होने की स्थिति में जिस तरह से आर्बीट्रेरी काम होता है वह जनहित के विपरीत है । निर्माण के समय जिस कीमत पर मकान बनना चाहिए, मकान के लिए, अलाटमेन्ट के लिए मैंने या भले ही किसी ने जिस समय प्रार्थना पत्र दिया उस वक्त कास्ट कुछ होती है, मेरी पाकेट इतना ही अलाउ करती थी मगर अलाटमेन्ट हुआ नहीं और रा-मेटीरीयल और कन्स्ट्रक्शन मेटीरियल की 309 और 310 प्रतिशत कास्ट बढ़ गई । माननीय सभापति महोदय, कोई निश्चित पीरियड नहीं है कि इतने समय में मकान अलाट हो जायेगा । कास्ट का एस्केलेशन होता है, उसमें मकान आज लोगों को लेना मुश्किल हो रहा है । इस तरह के कारनामे चल रहे हैं, इस तरह कन्स्ट्रक्शन की स्थिति है । ऐसे लोगों को कान्ट्रेक्ट दे दिये गये हैं जिनकी पूरी फाइल कांट्रेक्टों से भरी पड़ी है, ब्लैकमेल करने लायक है ।

माननीय सभापति महोदय, जवाहर नगर में, मालवीय नगर में 40 मकान गिर गये । उनके कान्टेक्टर और इंजीनियर कहां के थे ? माननीय चेयरमेन महोदय, तत्कालीन चेयरमेन महोदय बतायें । माननीय मन्त्री महोदय, इस बात को जरूर नोट कर लें कि वे कहां के थे । यह मैं आपके ही मुंह से सुनना चाहती हूँ ।

माननीय सभापति महोदय, इस तरह इण्डिस्क्रिमिनेट अपाइन्टमेन्ट होते हैं, ओवर एज हो तो ठीक है, बिना क्वालिफिकेशन के हो तो ठीक है । सारे रूल्स रिलेक्स करके मनमाने ढंग से अपाइन्टमेन्ट होते हैं । उन सारे अपाइन्टमेन्ट्स को एन-मास रेगुलराइज कर दिया जायेगा । इसमें रीवेलिडेट करने की बात की जा रही है ।

इसी तरह जो स्कीम्स हैं, जो लोग मकान के लिए एप्लाई करते हैं वे यह सोचते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन हमको दी गई है उसके अनुसार मकान हमको मिल जायेगा, नक्शे के मुताबिक मकान मिल जायगा । अब किसी मकान में तो कोटा स्टोन की टाइल्स हैं, उसी कालोनी में ऐसे मकान हैं, जिन मकानों में सर्वेण्ट क्वार्टर्स भी हैं, पर किसी दूसरे के मकान में किवाड़ और किवाड़ की चौखट भी वर्षों-महीनों नहीं

(श्रीमती विद्या पाठक)

लगती है। माननीय सभापति महोदय, आज के दिन भी हजारों मकान इस तरह के हैं, जो बन कर कभी के पूरे हो चुके हैं, बिजली और वाटर के अभाव में उनका अलाटमेण्ट रुका पड़ा है। आश्चर्य और मजे की बात तो यह है, माननीय सभापति महोदय, फ्लैट तीन मंजिले यदि हैं, ऊपर की मंजिल में बिजली है नीचे की मंजिल में बिजली-पानी है लेकिन बीच की मंजिल का अलाटमेण्ट नहीं हो सकता। अब यह पूछा जाय कि बीच की मंजिल का फ्लैट बना था तो उसमें बिजली क्यों नहीं लगी और बीच की मंजिल नहीं बनी थी तो उसके ऊपर की मंजिल कैसे बन गई ? उन मकानों में कौन रह रहे हैं ? जो इस बोर्ड के अधिकारी हैं। आज भी कई ऐसे मकान पड़े हैं, जो कम्प्लीट हैं जिनका अलाट-मेंट हो जाना चाहिए, पर उसमें बोर्ड के अधिकारी रह रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे कान्स्टीट्यूशन की मंशा है कि हरिजन और एस सी. के जो लोग हैं, उनको समाज दस वर्षों के अन्दर, आजादी के दस वर्षों के अन्दर इस स्तर तक लाने का प्रयास करना चाहिये था कि वह आम आदमी के साथ बैठकर बात कर सकें। दुर्भाग्य है हमारा और सरकार की कुनीति है, आज भी गांवों में हरिजन बस्तियां पूरी बनी हुई हैं उनको कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता। मंत्री महोदय, आप तो फार्चुनेटली या अनफार्चुनेटली स्वयं उस कालोनी से आते हैं, आप स्वयं उस कॉलोनी से आते हैं, आज के दिन आपने कितने मकान सिर्फ हरिजन लोगों, जो शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, को एक ही बस्ती में अलॉट किये हैं ? आप एक जगह से हरिजन बस्ती उठाकर पोश हरिजन बस्ती बनाना चाहते हैं। जो वहां आफिसर्स हैं, उन लोगों ने वहां रहने से मना कर दिया। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को मकान प्राथमिकता से दें, यह नीति है, ठीक है। मगर यह कौन सा डिस्क्रिमिनेटरी नियम है कि 1973 के बाद के लोगों, जिनको अलाटमेंट 1983 तक नहीं हुआ, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को कोटा में, हर स्कीम में निर्धारित पर्सेंटेज होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है, मतभेद भी नहीं है मगर सारी स्कीम्स का जितना अब तक बैकलाग है, 1983 तक वह तो पूरा हो जाय बाकी लोगों को 83 तक नहीं मिले यह आपकी डिस्क्रिमिनेटरी आफ हर्ट्स बनी और डिवाइडिंग लाइन डालने की नीति है, अच्छा नहीं है। यह हमारे राष्ट्र और हमारे प्रदेश, दोनों के हित में अच्छी नहीं है। यह आपने किया है, हरिजन बस्तियां बनाने की पूरी कोशिश की है, यह नीति जन विरोधी है, जिसके आप भागीदार हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त बहुत सारे परिवर्तन भी किये गये हैं। दलाली के विषय में लोगों की बहुत सारी शिकायतें भी गयी है। पावर का मिसयूज कितना हुआ है, मकानों की स्थिति कैसी है, उसके विषय में मैंने बताया। यह सब कहते हुए मैं निवेदन यही करना चाहती हूँ कि जितने काले कारनामे हैं, जितनी इर्रेगुलेरिटीज, जितनी गड़बड़ियां, धांधली हैं, वह मेरे से आगे आने वाले

(श्रीमती विद्या पाठक)

बतायेंगे। मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, आज मुझे पूरी उम्मीद थी, लेकिन मेरा नाम इतनी जल्द आयेगा, इसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं इस सब को कन्क्लूड करना चाहूँगी कि इसके अन्तर्गत जितने कान्ट्रेक्ट्स हुए, री-वेलिडेट इसको करना भी चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार को डॉक में पूरी तरह से रख कर करना चाहिए क्योंकि आपका एक एक्शन नहीं हैं, रिपीटेडली रोज ऐसे काम हो रहे हैं, रोज ऐसे आदेश आ रहे हैं, जिनमें पूर्व में गलतियां छोड़ी गयी हैं। हमारा क्वेश्चन मार्क यही है कि गलतियां क्यों छोड़ी गयी हैं? इसको फूल प्रूफ बनाना, सारी स्थिति, सारी फैसिलिटीज पर कमाण्ड होते हुए भी सदन का मखौल क्यों बनाया जाय, हमारा सबसे बड़ा एतराज इसी बात से है। माननीय सभापति महोदय, यह वेलिडेट तो होगा, और इस तरह से कई और विल्स आयेंगे, पर मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इसके अन्तर्गत जितने कान्ट्रेक्ट्स हुए हैं, बहुत गलत हुए हैं, अधिकांशतः गलत हुए हैं। ऐसी ऐसी फर्म्स हैं, जो ब्लैक लिस्ट होने लायक हैं। जितने डीड्स साइन हुए हैं, जितनी स्कीम्स बनी हैं, जितने अपाइन्टमेण्टस हुए हैं, जो अधिकांशतः सारे फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को फ्लाउट करते हुए इनडिस्क्रिमिनेटरी बने हैं, उन सबको स्क्रीन किया जाय। मंत्री महोदय, सरकार द्वारा नहीं, एक कमेटी विशेषज्ञों की बनाकर उन सबको स्क्रीन किया जाय और उसके द्वारा इन टर्म्स एण्ड रेफरेंसेज को री-एग्जामिन किया जाय। चेयरमैन के आदेश, चेयरमैन या मंत्री महोदय के आदेश अंडर रूल 60 या एनी अदर संच रूल जो एक्स्ट्रा आर्डिनरिली दिये गये हैं, उन सबको एग्जामिन किया जाय इस कमेटी के द्वारा। सारे रिलेक्सेशन, प्रशासनिक या किसी भी स्तर पर हुए हैं, उन सबको एग्जामिन किया जाय एक कमेटी के द्वारा, इम्पार्शल लोगों की कमेटी के द्वारा, उसके बाद ही इसको वेलिडेट किया जाय, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि....

श्री सभापति : दाऊदयाल जी का नाम पुकारा गया था, जब आप....

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय के कक्ष में गया था।

श्री सभापति : मेरी बात सुन लीजिये। जब विधेयक पारित किया जायेगा उस समय आपको अवसर दे दूंगा। आपको बोलने का अवसर मिल जायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे पास प्रमाण है कि बिल नहीं लाया जाय। अगर लाया जाय तो पूरे तरीके से लाया जाय।

श्री सभापति : इस स्टेज पर तो यह स्थिति निकल गयी।

(व्यवधान)

देखिये, आसन के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

(१८६)

(श्री सभापति)

कृपया बिराजें । जब आपका नाम पुकारा गया तो....

(व्यवधान)

आपको अवसर दे दूंगा, जब पारित होगा उस समय दे दूंगा ।

(व्यवधान)

वह स्टेज तो आपकी निकल गयी ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन यह है कि अगर मैं नहीं बोल पाऊंगा तो यह बिल अधूरा रह जायेगा ।

श्री सभापति : आपके बोलने के बाद ही यह बिल पारित होगा । कृपया सुन लें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह तो धारा वार होगा ।

श्री सभापति : श्री जीतमल जैन ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसके बाद मुझे बोलने के लिए कृपा करके समय दें । बड़ी कृपा होगी ।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मेरा भी तो नाम है ।

श्री जीतमल जैन : सभापति महोदय, 13 फरवरी को एक अध्यादेश निकालकर जो भी पुरानी अनियमिततायें थीं, नये हाउसिंग बोर्ड द्वारा की गयी थीं, उनको रेगुलराइज किया गया । मैं यह बात समझने में असमर्थ हूँ....

श्री सभापति : जनमत जानने के लिए भेजा जाय, यह विषय है ।

श्री जीतमल जैन : 20 दिन पहले, जब विधान सभा प्रारम्भ होने वाली थी तो अध्यादेश लाने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता ।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें तो आपका मकान भी आयेगा, जो आपने रेगुलराइज करवाया है । आप किसको गलत कह रहे हो ?

(व्यवधान)

श्री जीतमल जैन : इस बिल को लाने का एक मात्र कारण यह है जो भी इर्रेगुलरिटीज हुई हैं, उनको किसी प्रकार रेगुलराइज किया जाय । यह बात उद्देश्यों के अन्दर सरकार ने स्वयं मानी है, "विधि सचिव की राय है कि राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 की धारा 5 (1) (ड) की अपेक्षानुसार राजस्थान आवासन बोर्ड के 6 अशासकीय सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न किये जाने के कारण उक्त बोर्ड एक विधि मान्य का नियमित निकाय नहीं है ।" उसी के साथ नीचे फिर लिखा है, 'राजस्थान आवासन बोर्ड का गठन और बोर्ड द्वारा की गयी संविदाओं व उनकी समस्त अन्य कार्यवाहियों को विधि मान्य करना आवश्यक हो गया ।'

मतलब जितनी भी सारी इर्रेगुलेरिटीज हुई हैं, सारी गड़बड़ियां जो गत वर्षों में आवसन बोर्ड द्वारा की गयी हैं, उनको किस प्रकार से नियमित करना है, इस बिल को लाने का एक मात्र उद्देश्य है ।

(श्री जीतमल जैन)

अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां देश के अन्य नागरिक करते तो कितनी सजा मिलती ? लेकिन इतने सारे अपराध करने के बाद अब इन सारे अपराधों को पोंछ सकते हैं, उनको नियमित कर सकते हैं राज्य के अन्दर। आज हाउसिंग बोर्ड की जो स्थिति है, वह यह है कि वर्ष 1979 के अन्दर आपने लोगों से कहा कि बोर्ड बिना लाभ, बिना हानि के सिद्धान्त पर चलता है, लेकिन अगर आप देखें तो 1979 में जिस मकान का रजिस्ट्रेशन हुआ और 1983 के अन्दर जिनको देना चाहते हैं, उनका आपने क्षेत्रफल घटा दिया है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एल. आई. जी. एच., जो अल्प आय वर्ग के मकान हैं, उनका 67.5 स्क्वायर मीटर क्षेत्र था, लेकिन आप बनाकर दे रहे हैं केवल 30 स्क्वायर मीटर। आपने क्षेत्र घटा दिया। एच. आई. जी. एच. के अन्दर 12×21 स्क्वायर मीटर का प्रपोजल था लेकिन आप दे रहे हैं 10.50×18 स्क्वायर मीटर। कीमतों में वृद्धि इतनी की है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आपने 1979 के अन्दर कहा कि अल्प आय वर्ग और मध्यम श्रेणी के आय वर्ग के लोगों को हम देंगे। 25 हजार का मकान लें, आज उसकी कीमत कई गुना बढ़ गयी है। मध्यम आय वर्ग और अल्प आय वर्ग को हाउसिंग बोर्ड लाभान्वित करना चाहता था, उन सबकी कीमतों के अन्दर....

श्री बुलाराम : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य कोई भी प्रश्न पूछें, उससे एतराज नहीं है। मगर एसे जरूर बोलें जो मेरी समझ में आये और उनकी समझ में भी आये कि क्या पूछ रहे हैं ? मेरी समझ में नहीं आये और उनके भी नहीं आये तो प्रश्न अधूरा रह जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ऐसे नहीं कि बोल नहीं सकें, बोलने में असमर्थ हैं। सभापति महोदय, पाप अन्दर से तो फूटेगा ही। माननीय सदस्य ने सबसे अधिक ××× फायदा हाउसिंग बोर्ड से उठाया है। सबसे ज्यादा फायदा ××× जैसे इन्होंने मकान प्राप्त किया, ऐसा उदाहरण राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में, जब से बना है आज तक नहीं मिलेगा। गड़बड़ी से मकान प्राप्त किया। बोलेंगे कैसे ? किस मुंह से ? मुझे बताइये, सभापति महोदय, ××× इन्होंने मकान प्राप्त किया हाउसिंग बोर्ड से अब सब कामों में इस एक्ट में दौड़ हो रही है। यही नहीं हाउसिंग बोर्ड में सब लोग लग रहे हैं हाउसिंग बोर्ड से फायदा उठाने में। कोई ऐसे माननीय सदस्य बचे हुए नहीं हैं, जिन्होंने ××× फायदा नहीं उठाया हो इसलिये....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बैठ जायं, कृपया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि सभी

××× शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सदस्यों ने XXX फायदा उठाया है, यह कैसे कहते हैं ? आप सबको तथ्यात्मक तरीके से बताइये कि सबने नाजायज फायदा उठाया है और सबको बताइये, किसने फायदा उठाया है। आप आरोपित किस तरीके से करते हैं. . . .

श्री रामनारायण चौधरी : आप न पूछें तो अच्छा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे बताइये, मैंने कैसे XXX फायदा उठाया। मेरे तो घर का घर ही नहीं और 73 से आपने कोई घर दिया नहीं। मेरी....

श्री सभापति : कृपया विराजें, माननीय सदस्या, विराजें।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। कृपया विराजें। कृपया विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये अपने शब्द वापस लें। मान्यवर, ये शब्द वापस कराइये।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बैठती हूँ लेकिन इन्होंने जो कहा है न गलत तरीका है कि सबने XXX फायदा उठाया है। मेरे पैसे जमा करने के बाद भी इन्होंने कम्प्लीट प्रक्रिया के बाद भी आज तक कब्जा नहीं दिया।

श्री सभापति : यह कोई तरीका नहीं है कि आसन पैरों पर हो और माननीय सदस्या बात कर रही हों।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, यह सदन में आरोप....

श्री दुलाराम : मैं आपको बताऊं. ..

श्री सभापति : मेरा आपसे यह निवेदन है कि श्री जीतमल जी को बोल लेने दीजिये फिर उसके बाद में बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये शब्द वापस कराइये जो इन्होंने कहे। इन्होंने सब माननीय सदस्यों का अपमान किया है। अगर किसी ने गलती की भी तो वह ....

श्री सभापति : क्या शब्द कहे इन्होंने ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन्होंने कहा कि सभी सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने XXX फायदा उठाया है। बताइये, क्या फायदा उठाया है ? ये शब्द आप निकलवाइये।

श्री दुलाराम : मेरा निवेदन सुन लीजिये। माननीय सदस्या, एक मिनट मेरा निवेदन भी सुन लीजिये....

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले मेरा निवेदन सुन लीजिये।

श्री सभापति : सुन लीजिये।

श्री दुलाराम : आप आरोप लगा रहे हो जब जवाब दूंगा सुन लेना कि मैं किस-किस का नाम नहीं कहता हूँ।

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रामनारायण जी ने जो शब्द कहे हैं वे शब्द वापस करोइये। अगर सभी सदस्यों ने फायदा उठाया है तो उनमें से मैं नहीं हूँ....

श्री सभापति : माननीय सदस्या।

एक माननीय सदस्य : रामनारायण जी का हाथ इधर था, उधर नहीं।

सुश्री पुष्पा जैन : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर। कृपया बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्या, न पूछें तो अच्छा है। आप भी किसी न किसी गलत काम से जुड़ी हुई जरूर मिलेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे बताइये, आपको सौगन्ध है भगवान की, आपको सौगन्ध है संविधान की, आपको अपने....

(व्यवधान)

बताइये, मैंने क्या XXX फायदा उठाया है ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपके संबंध में इन्होंने कोई आक्षेप नहीं लगाया है। माननीय सदस्या के खिलाफ कोई आक्षेप आया नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन्होंने यहां आक्षेप लगाया है, आप निकलवा दीजिये। आप निकलवा कर देखिये।

श्री सभापति : मैं प्रोसीडिंग्स देख कर निर्णय दे दूंगा। कृपया आप अपना भाषण प्रारम्भ करें।

एक माननीय सदस्य : मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य और भूतपूर्व आवासन बोर्ड के अध्यक्ष ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया है कि मैंने नाजायज फायदा उठाया है....

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसी कोई आपत्तिजनक बात कही ही नहीं।

श्री जीतमल जैन : आप यह साबित कर दें। मैंने अगर गलत तरीके से, किसी प्रकार का आवासन बोर्ड से XXX फायदा उठाया है तो या तो वे सदन से इस्तीफा दे दें या मैं दे दूं।

(व्यवधान)

मैंने कभी भी गलत तरीके से आवासन बोर्ड से या किसी भी प्रकार से फायदा उठाया है तो चुनौती देता हूँ....

श्री दुलाराम : जोशी जी आप भी दोषी हैं।

श्री सभापति : सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, कोई भी आक्षेपात्मक बातें सदन में नहीं करें।

(व्यवधान)

अपनी बात शुरू करिये।

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सभापति)

(व्यवधान)

मैंने सभी माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि उत्तेजनात्मक बातें नहीं करें। व्यर्थ में समय जा रहा है।

श्री जीतमल जैन।

श्री रामनारायण चौधरी : बड़े से लेकर छोटे तक सभी शामिल हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : हाउसिंग बोर्ड भी क्या XXX सबको जो दिया गया है, मेरे को जो मकान दिया गया है, रामनारायण जी, उसकी 152 रुपये और दाऊदयाल जोशी को जो मकान दिया है उसकी एक किश्त 478 रुपये की....

आपने नोट लगाया उस फाइल पर, मैं एक्शन लूंगा कि यह मकान क्यों खाली पड़ा रहा। आपके हाथ का लिखा हुआ है लेकिन....

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन। आप पाइंट ग्राफ आर्डर उठा रही हैं।

(व्यवधान)

कृपया बिराजें ग्राप। पाइंट ग्राफ आर्डर सुन लें। आर्डर-आर्डर।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कहता हूँ कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों में बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सबने फायदा उठाया, XXX।

श्री यदुनाथ सिंह : यह गलत बात है। सब को बात कर रहे हो ग्राप....

श्री सभापति : कृपया बिराजें। ग्रासन पैरों पर है, कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, ग्रार्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि कृपया उत्तेजनात्मक बातें न कहें। नियमों का ध्यान रखें, संयत भाषा में बोलें।

सुश्री पुष्पा जैन।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX उनको ताड़ना दीजिए पहले उधरXXXकाम करके चुके हैं....

श्री सभापति : दोनों पक्षों से यह बात कही जा रही है। कृपया एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगायें।

श्री रामनारायण चौधरी : ये जो कह रहे हैं कि....

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : कभी तो उजला जी कह रही हैं कि XXX कभी कुछ। ये ताड़ना आप किस बात की दिला रहे हैं? किस बात की....

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन। आपका पाइंट आफ आर्डर सुनने दीजिये।

(व्यवधान)

कृपया शान्ति रखें। माननीय सदस्या, पाइंट आफ आर्डर उठा रही हैं, इसको शान्ति से सुन लें।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, जैसा कि मंडावा से जीतकर आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सदन में बैठने वाले हर सदस्य ने किसी न किसी रूप में फायदा उठाया ...

श्री सभापति : हर सदस्य की बात नहीं कही है।

(व्यवधान)

वे खुद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कहा है।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा इधर इशारा करके कहा गया कि इधर बैठने वाले सभी सदस्यों ने हाउसिंग बोर्ड से किसी न किसी रूप में फायदा उठाया है। सभापति महोदय, यह इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों पर आरोप है। हम जानना चाहते हैं, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य से कि उन्होंने हाउसिंग बोर्ड से हमें कौनसा फायदा पहुँचाया है और किस सदस्य को पहुँचाया ?

(व्यवधान)

आप सुन तो लें।

(व्यवधान)

अरे यह क्या है ?

श्री सभापति : आपको पाइन्ट आफ आर्डर उठाने का पूरा अख्तियार है। लेकिन संक्षेप में अपनी बात कह दें।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं आपकी इजाजत से कह रही हूँ। संक्षेप में ही कह रही हूँ। अच्छा होता कि माननीय सदस्य यह स्पष्ट कर देते कि किस सदस्य को उन्होंने हाउसिंग बोर्ड में किस रूप में फायदा पहुँचाया है ताकि वह उसका स्पष्टीकरण कर सके।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैंने यह बात कही कि इस सदन के माननीय सदस्यों, इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले सभी को हाउसिंग बोर्ड से फायदा हुआ है और होने वाला है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : सुन लीजिये आप।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैंने कोई प्लाट नहीं मांगा, न लिया है। सबको कैसे कह सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप मेरी पूरी बात तो सुनें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप उनकी बात तो सुन लीजिये। वरिष्ठ सदस्य हैं, ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे कि आप उत्तेजित हों। वे बहुत संयत भाषा में अपनी बात कहेंगे। आप लोग पूरी बात सुन तो लें। ऐसी कोई बात होगी तो हम देख लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड के कानूनों के तहत बनी हुई कमेटी के द्वारा वर्तमान और निवर्तमान माननीय सदस्यों के और दूसरों के ...

श्री सभापति : राजस्थान की जनता को लाभ देने के लिये ही तो यह बना है। और क्या फायदा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : आम जनता को, गरीब जनता को, आवाम को लाभ देने के लिये तो वह बना ही है लेकिन कानून में किन्हीं कमियों की वजह से जो खामियां रह गयी हैं, उस पर कमेटी, जो प्रतिपक्ष के नेता की अध्यक्षता में बनी है, ने पाइंट आउट किया कि यह होना चाहिए। उसको ला डिपार्टमेंट ने एग्जामिन किया। उसके बाद में यह बिल लाये हैं। मैं कहता हूँ कि उधर बैठने वाले और इधर बैठने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, माननीय सदस्या बोल रही थीं। आपको भी फायदा हुआ है। कैसे नहीं हुआ है? मैं नहीं कहता कि गैर कानूनी हुआ है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : नाजायज फायदे की बात नहीं कह रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : बात तो सुनें आप, मैं आरोप नहीं लगाता किसी पर, कानून से लिया है या कानून से मिला है। लेकिन कानून में भी प्रतिपक्ष के नेता ने जो कमियां बतायीं, उसको ठीक करने के लिये हम यह लाये हैं। हमने किया है, अच्छा ही तो किया है। हर एक को फायदा पहुँचा है, नाजायज नहीं जायज पहुँचा है। आपको पहुँचा है ....

श्री सभापति : आप सुनें।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे नियमानुसार भी कोई फायदा नहीं पहुँचा है। सभापति महोदय, यदि आप मुझे वक्त दें तो मैं आपको संतुष्ट कर सकूं कि नियमों के अनुसार भी मुझे कोई फायदा नहीं पहुँचा है। आपने मुझे कोई फायदा नहीं दिया है। आपने मुझे पिछली कतार में उठा कर रख दिया है। माननीय दुलाराम जी, जिन्होंने मुझ से बाद में मकान बुक कराया, ने जवाहर नगर में ले लिया और मुझे उठा कर जवाहर नगर से मालवीय नगर में फेंक दिया। मैंने 78-79 में बुक कराया था और जवाहर नगर की प्रायोरिटी दी थी। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने नहीं दिया जवाहर नगर में। जान बूझकर मालवीय नगर में इन्होंने मकान दिया जिसकी पट्टियां टूट गयीं ...

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : माननीय सभापति महोदय, इसको जवाहर नगर में मकान दिला दो ..

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : फायदा तो हुआ है। उनकी इच्छानुसार नहीं हुआ लेकिन फायदा तो हुआ है।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं चार्जेज लगाना चाहती हूँ कि जो मकान मुझे दिया गया उसकी पट्टियां टूट गयीं, उसमें मजदूर दब गया और हास्पिटल में भर्ती हुआ है। आप कहते हैं कि फायदा हुआ है।

(व्यवधान)

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : पुष्पा जी, अब आप जवाहर नगर में ले ही लो। छोड़ना मत।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : फायदा तो हुआ है। पीछे की लाइन में मिल गया तो खराब हो गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्या की

(श्री सभापति)

शिकायत मन्त्री महोदय और नोट जरूर कर लें।

श्री दुलाराम : मैंने नोट कर ली है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पॉइन्ट आफ ऑर्डर।

श्री सभापति : आपके पक्ष के सदस्य ही बोल रहे हैं। पूरा बोल लेने दें। बीच में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं। मेरा पाइन्ट आफ ऑर्डर है।

श्री सभापति : पॉइन्ट आफ ऑर्डर है क्या ? क्या पाइन्ट आफ ऑर्डर है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पॉइन्ट आफ ऑर्डर यह है कि मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार के आरोप सारे सदस्यों, जो हाउस में बैठे हैं, पर....

श्री सभापति : उन्होंने बिल्कुल यह नहीं कहा कि माननीय सदस्यों ने XXX फायदा उठाया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यहां पर जो बिल है जिसका कि विरोध किया जा रहा है वह नियमों के विपरीत काम करने के विरोध में किया जा रहा है बल्कि उन्होंने किस प्रकार कुछ लोगों को अनुचित फायदा पहुंचाये इसका विरोध किया जा रहा है ..

श्री सभापति : यह कोई पाइन्ट आफ ऑर्डर नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किस बात का विरोध किया जा रहा है ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं....

श्री सभापति : आप भाषण कर रहे हैं। आप बाद में यह सब बोल लेना। कृपया विराजें। यह कोई पाइन्ट आफ ऑर्डर नहीं है। मैं आपको बाद में अवसर दे दूंगा तब बोलना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कहकर इन्होंने X X X परिचय दिया है। यह कहना ...

श्री रामनारायण चौधरी : आप पर या किसी पर मैंने व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये हैं।

श्री सभापति : ऐसा है, यदि किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाये जायेंगे तो उनको एक्सपंज कर दिया जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने फायदा उठाया है क्या, सभापति महोदय ?

श्री जीतमल जैन : व्यक्तिगत आक्षेप लगाया है, माननीय सभापति महोदय, मुझ पर।

श्री सभापति : पूरे राजस्थान के लिये, पूरे राजस्थान के फायदे के लिये हो तो आवासन बोर्ड बना है।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री यदुनाथ सिंह : तो क्या विधायक को फायदा नहीं लेना चाहिए ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा विनम्र निवेदन है कि न तो कोई व्यवस्था की बात है न और कोई है। इन्होंने इस तरह से कहा कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने, छोटा बड़ा कोई हो, फायदा उठाया है। इस तरह की बात अगर प्रोसिडिंग्स में हो तो क्या आप उसको एक्सपंज कर देंगे। इन्होंने इस तरह से कहा है कि सब सदस्यों ने फायदा उठाया है। यदि यह बात निकल जायेगी तो आप एक्सपंज कर देंगे ?

श्री सभापति : व्यक्तिगत आक्षेप हैं या अन्य अनपार्लियामेंट्री शब्द हैं तो प्रोसिडिंग्स देखकर उसको एक्सपंज कर देंगे।

श्री बंशीलाल पटवा : इस तरह की बात कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने फायदा उठाया है, यह मिल जायेगा तो उसको एक्सपंज कर देंगे। यही ना ?

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसे कैसे कर देंगे ?

श्री सभापति : अगर किसी माननीय सदस्य पर व्यक्तिगत आक्षेप, आरोप है या अन्य अनपार्लियामेंट्री वे में लगाया गया है तो प्रोसिडिंग्स देखकर एक्सपंज कर दिया जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, आप इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है।

श्री सभापति : नहीं है तो नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन आपने कह दिया कि निकाल देंगे....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इससे आपको क्या तकलीफ है ? क्या तकलीफ हो रही है ? आपने तो कहा ही नहीं है।

श्री बंशीलाल पटवा : आपने कहा है ' इसके बाद ही तो यह बात आयी है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया....

(व्यवधान)

श्री सभापति : चौधरी जी, आप बिराजें। कृपया बिराजें।

श्री जीतमल जैन : आपको क्या तकलीफ हो रही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है लेकिन मैं फिर कहता हूँ, फिर दोहराता हूँ, सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों को वाजिब तरीके से लाभ पहुंचाया गया है और जो लाभ XXX तरीके से पहुंचाया गया है,

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामनारायण चौधरी)

उसमें कानून ड़ा रहा है, कमी रही है....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : फिर कह रहे हैं। सभी सदस्य शब्द कह रहे हैं....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : फायदा मिलने में सब शामिल हैं....

श्री जीतमल जैन : आपने कहा कि मैंने फायदा उठाया है। मैं आपको चैलेंज करता हूं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सभी सदस्यों के लिये कह रहे हैं। सभापति महोदय, सभी के लिये कह रहे हैं।

श्री सभापति : आसन ने जो व्यवस्था दी है, उसके बाद आपकी क्या ग्रिवेन्सेज रह जाती हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : मेरी तो यह ग्रिवेन्सेज है, माननीय सभापति महोदय, फिर भी माननीय सदस्यों के लिये कह रहे हैं कि सब सदस्यों ने फायदा उठाया है। न तो मैंने एप्लाई किया है, न मैंने कोई प्लाट लिया है। ये फिर कैसे 'सभी सदस्यों' शब्द कैसे कह रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपने अपनी बात कह दी कि आपने फायदा नहीं उठाया। बात खतम हो गयी।

श्री यदुनाथ सिंह : ऐसे कैसे खतम हो गयी ? ऐसे कैसे खतम हो जायेगी।

श्री सभापति : और क्या ?

श्री यदुनाथ सिंह : वे कहें कि आपने नहीं उठाया है।

श्री सभापति : उन्होंने यह नहीं कहा कि XXX फायदा उठाया है।

श्री यदुनाथ सिंह : उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों ने उठाया है, यह गलतबयानी की है।

सुश्री पुष्पा जैन : उन्होंने कहा कि XXX फायदा उठाया है। ये नहीं कह रहे हैं आप....

श्री सभापति : सभी सदस्यों ने गलत फायदा उठाया या XXX फायदा उठाया, यह बात इन्होंने नहीं कही। और यही अब कह रहे हैं कि मैंने यह बात नहीं की।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने यह कहा कि XXX फायदा उठाया है। मैं यह कह रहा हूं कि सभी सदस्यों ने फायदा उठाया है यह भी गलतबयानी है। मैंने नहीं उठाया है।

श्री सभापति : उठाया या उठा सकते हैं।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : इन्होंने

XXX अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा)

कहा कि अब तक नहीं उठाया है तो अब उठायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : ये कैसे कह सकते हैं ? मैंने हाउसिंग बोर्ड से न कोई मकान लिया न कोई प्लाट लिया है । मुझे क्या कह रहे हैं आप ? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं । 4-4 मकान तो हैं, 5-5 मकान हैं और मकान ले रहे हैं हाउसिंग बोर्ड से....

श्री सभापति : उनका यह कहना मैं अनपार्लियामेंट्री नहीं मानता हूँ ।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं कहता हूँ कि मैं कभी नहीं लूंगा ।

(व्यवधान)

मकान में मत जाना, गिर जायेगा मकान ।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : जब गिरे तब कहना ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बातें न करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा निवेदन है कि यहां पर आपत्तिजनक बात कह कर हमको उत्तेजित करके असली बात कहने से रोका जा रहा है । नागरिकों के हित की बात कर रहे हैं, उस बात से हमारा ध्यान बंटाकर चौधरी जी हमको यह कहना चाहते हैं कि सारे माननीय सदस्यों ने XXX फायदे उठाये हैं। इस तरह से आक्षेप करके न चौधरी जी के XXX और न दुलाराम जी के XXX जो हैं वह उजागर होंगे ही । इससे कोई फायदा नहीं होगा । आप माननीय सदस्यों को उत्तेजित करके क्या ले लेंगे । आप इनको रोकिये, आप सबको तसल्ली से बात करने दीजिये ।

श्री सभापति : अपनी बात कहें ।

श्री रामनारायण चौधरी : अपना किस्सा भी बता देना ।

श्री बंशीलाल पटवा : चौधरी जी, आप सुनें तो । आप पुराने आदमी हैं ।

श्री जीतमल जैन : चौधरी साहब ने मेरे से एक बात कही कि मैंने XXX तरीके से हाउसिंग बोर्ड से लाभ उठाया है। मैं चुनौती देता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड में या सार्वजनिक जीवन में कहीं भी यह साबित कर दें कि मैंने राज्य से कोई XXX फायदा उठाया है या गलत तरीके से उठाया है तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा । अगर प्रूव नहीं कर सकें तो चौधरीजी त्याग–पत्र दे दें । यह मेरी खुली चुनौती, चैलेंज है ।

(व्यवधान)

लेकिन केवल कुछ लोगों के फायदे के लिये यह बिल लाये हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यक्तिगत बातें न करें ।

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री भैरूंसिंह गुजर : इन दोनों का इस्तीफा लेकर रख लो।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं....

श्री महाराम चौधरी : पहले ही बड़ी मुश्किल से चुनकर आये हैं। अगर त्याग पत्र दे दिया तो. . .

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो बहुत बार आ गया हूं। आप पहली बार आये हैं...

श्री महाराम चौधरी : यह कह रहा हूं कि आप बड़ी मुश्किल से जीतकर आये हैं...

श्री रामनारायण चौधरी : पहली बार ही आये हैं दुबारा आये तो सलाम करना...

श्री महाराम चौधरी : मैं यह कह रहा हूं कि इस बार ही बड़ी मुश्किल से आये हैं आप...

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य से आप जानकारी कर लीजिये कि क्या इन्होंने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में आउट-राइट पर्चेज के अन्दर या हायर पर्चेज के अन्दर मकान लिया है कि नहीं? और लेने के बाद उससे मुकरे कि नहीं? और मुकरने के बाद में इन्होंने...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, क्या मामला डिस्कस हो रहा था और क्या व्यक्तिगत आरोप था?

श्री रामनारायण चौधरी : आउट राइट पर्चेज के अन्दर लेकर हायर पर्चेज में बदलवाने की कार्यवाही की या नहीं? और अगर कार्यवाही की है तो उसका असर किस पर पड़ा....

श्री यदुनाथ सिंह : यह यहां की जनता पर असर पड़ा, श्रीमन्, यह क्या बात कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आउट राइट का मकान लेने के बाद हायर पर्चेज में कन्वर्ट कराने की। आउट राइट, मान्यवर, हाथों हाथ मिलता है और हायर पर्चेज में प्रक्रिया से मिलता है...

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, कौन सी प्रक्रिया? हाउसिंग बोर्ड में प्रक्रिया होती तो...

श्री रामनारायण चौधरी : आउट-राइट पर्चेज में मकान लिया और हायर पर्चेज में कन्वर्ट करा लिया....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, यह अगर XXX फायदा नहीं है तो कैसा फायदा हुआ?

(व्यवधान)

श्री जोतमल जैन : सभापति महोदय,

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जीतमल जैन)

मण्डावा से आने वाले सदस्य ने मेरे पर जो चार्ज लगाया है....

श्री रामनारायण चौधरी : हायर पर्चेज का आउट-राइट में हो सकता है लेकिन आउट राइट से हायर पर्चेज में नहीं हो सकता है। इनसे पूछ लीजिये कि इन्होंने यह कराया या नहीं ?

श्री यदुनाथ सिंह : आप हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन थे, आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये, मैंने कहा कि इन्होंने आउट राइट पर्चेज में लिया था, मेरे पास यह प्रस्ताव आया था और कहा था कि हायर पर्चेज में कर दिया जाय। मैंने लिखा है कि यह नहीं हो सकता है। नियमानुसार रिजेक्ट कर दिया लेकिन मेरे हट जाने के बाद इन्होंने फिर करवा लिया। बोलिये, ××× नहीं है तो क्या है ? मैंने तो नहीं किया।

श्री यदुनाथ सिंह : दुलाराम जी ने किया होगा।

श्री दुलाराम : मैं किसलिये करता।

(व्यवधान)

मैंने नहीं किया। चेयरमैन ने किया है....

श्री सभापति : सदन में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं। मेरा निवेदन हैं कि आप

श्री जीतमल जैन . सभापति महोदय, मेरे पर एक बहुत स्पेसिफिक चार्ज माननीय सदस्य मण्डावा से आने वाले ने लगाया है। इन्होंने कहा है कि मैंने आउट राइट बेसिस के ऊपर मकान लिया था और उसके बाद में क्रय-पद्धति पर नियमों का उल्लंघन करवा कर उसे अपने पक्ष में करा लिया।

माननीय सभापति महोदय, मेरी चुनौती है कि आप हाउसिंग बोर्ड से मेरी फाइल मंगाकर देख लें। उसके अन्दर इस प्रकार की यदि कोई अनियमितता हुई है तो मैं फिर खुली चुनौती माननीय सदस्य को देना चाहता हूँ, अगर मैंने आउट राइट बेसिस से लेकर क्रय पद्धति में करवाया है तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा या माननीय सदस्य इस्तीफा दे दें। यह मेरी खुली चुनौती है।

(व्यवधान)

आप फाइल मंगाकर देख लें, आप इसका अवलोकन कर लें।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय, दोनों रोज रोज इस्तीफा देते हैं। आप दोनों का इस्तीफा कम से कम एक बार अपने पास रख लीजिये।

श्री सभापति : ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि इस्तीफा मांग कर ले लें।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, आप तो इनसे इतना ही पूछ लीजिये कि आउट राइट पर्चेज में मकान खरीदा और हायर पर्चेज में बदलवाने की कार्यवाही की ? वह कार्यवाही जब मेरे पास आई मैंने, श्रीमन्, उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने तो वह जगह छोड़ दी थी।

(श्री रामनारायण चौधरी)

फिर मुझसे ये मिले और कहने लगे, चौधरी साहब, आपने तो मेरा काम नहीं किया लेकिन मैंने तो करवा लिया। यह पूछ लीजिये, ये मुझसे मिले थे, मेरे से सलाम किया था और कहने लगे कि मेरा काम तो आप नहीं करके आये थे लेकिन मैंने तो करवा लिया। मैंने कहा कि आपको शुक्रिया, आपको बधाई, मैं नहीं कर सकता था, आपने करवा लिया बहुत अच्छी बात है। यह पूछ लीजिये कि इन्होंने यह बात मुझे कही या नहीं ?

श्री जीतमल जैन : सभापति महोदय, मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, मैं अपनी बात को स्पष्ट कहना चाहता हूँ....

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर आरोप मुझ पर लगाया है जो मेरे पर बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप स्वयं हाउसिंग बोर्ड की फाइल मंगा लें। अध्यक्ष महोदय उसको देख लें। उसके अन्दर मैंने क्रय–पद्धति के लिये एप्लाई किया हो और क्रय–पद्धति में ही मुझे मकान मिला हो तो मैं ठीक हूँ। माननीय सदस्य मण्डावा से आने वालों ने जो कहा है कि आउट राइट पर्चेज में मिला और हायर पर्चेज में करवाया तो ये इस्तीफा दें ...

श्री रामनारायण चौधरी : आप, सभापति महोदय, इनकी फाइल मंगवा लीजिये और निरीक्षण कर लीजिये....

श्री जीतमल जैन : यह बिल्कुल मंजूर है।

सुश्री पुष्पा जैन : हाउस की सहमति है कि फाइल को मंगा लिया जाय ?

(व्यवधान)

अरे, क्या बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री दिनेश डांगी।

श्री दिनेश डांगी : सभापति महोदय, अच्छा होता इस्तीफा कल ही ले लेते तो चुनाव के लिये नहीं रहते। अगर कल ही इस्तीफा हो जाता तो इनका भी मामला निपट जाता और फाइल भी नहीं मंगवानी पड़ती....

(व्यवधान)

श्री सभापति : जीतमल जी, आप अपना भाषण जारी रखिये। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री जीतमल जैन : आप फाइल मंगवा लीजिये अगर अनियमितता ..

श्री सभापति : पत्रावली मंगवाने के बारे में फिर विचार कर लेंगे।

श्री बंशीलाल पटवा : सभापति महोदय, यह कोई तरीका नहीं है डिबेट का।

श्री जीतमल जैन : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हाउसिंग बोर्ड ने जो कुछ भी मकान रजिस्ट्रेशन की और

(श्री जीतमल जैन)

चीजें देने की बात कही थी उन सब में धीरे धीरे कटौती प्रारम्भ कर दी। क्षेत्रफल के अन्दर जैसा मैंने आपको बताया, मकान उन लोगों को देना चाहते थे, जो अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग के हों लेकिन 1979 के अन्दर रजिस्ट्रेशन की जो बात थी, जितना क्षेत्रफल का वायदा किया था, धीरे धीरे जब अब देने की बात आई तो क्षेत्रफल के अन्दर कटौती कर दी।

दूसरी बात, 1978 में जिस समय रजिस्ट्रेशन कराया और आज 1984 में लगभग मकानों की दुगुनी कीमत हो गई। एक और क्षेत्रफल में कटौती और दूसरी और मकानों की कीमतों में वृद्धि हुई।

तीसरी बात यह देखिये कि इन्स्टालमेंट्स की राशि बढ़ गई। आज अल्प आय वर्ग का व्यक्ति किस प्रकार से ले सकता है? जिसकी आय 350) से 600) रुपये थी उसको 458) रुपये की किश्त देनी पड़ेगी। आपने 1979 में कहा कि 142) रुपये की किश्त देनी पड़ेगी। एम. आई. जी. वर्ग में 600) से 900) रुपये जिसकी आमदनी है उसको 629) रुपये की किश्त देनी पड़ेगी। 600) रुपये की तनख्वाह और 629) रुपये हाउसिंग बोर्ड की किश्त कहां से देगा? जिसकी आमदनी 900) से 1500) सौ रुपये है, उसको 1699) रुपये की किश्त देनी पड़ेगी। आमदनी 900) रुपये और किश्त 1699) रुपये। और तो और जो ई. एस. डब्ल्यू. वाले मकान हैं जिसकी आमदनी 250) रुपये से 350) रुपये है उसको 136) रुपये की किश्त देनी पड़ेगी। यह किश्त देने के बाद उस गरीब आदमी के पास, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के पास क्या बचेगा? आज इन्होंने यह मनमानी कर ली है उससे गरीब आदमी को क्या लाभ होगा?

चौथी बात इन्स्टालमेंट्स की कमी कर दी। आपने कहा कि इन्स्टालमेन्ट्स 180 लेंगे। अल्प आय वर्ग की आपने इन्स्टालमेन्ट्स कर दी। 130 मध्यम आय वर्ग की 144 इन्स्टालमेन्ट्स लेने की बात 1979 में आपने कही थी, वह आपने कर दी 120।

पांचवीं बात आपने रेट आफ इन्ट्रेस्ट बढ़ा दी है। ई. एस. डब्ल्यू की 5 पर्सेन्ट की रेट आफ इन्ट्रेस्ट थी वह आपने 9 पर्सेन्ट कर दी। एल. आई. जी. की 7 पर्सेन्ट थी, वह आपने 10 पर्सेन्ट कर दी। एम. आई. जी. वन की साढ़े नौ पर्सेन्ट से 13 पर्सेन्ट कर दी। एम. आई. जी. -टू की साढ़े दस से 14 पर्सेन्ट और एच. आई. जी. की साढ़े ग्यारह से 15 पर्सेन्ट आपने रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट बढ़ाई। एक तरफ कीमतें बढ़ी और दूसरी तरफ इन्स्टालमेंट्स कम कर दीं। उसके बाद आप चाहते क्या हैं? हाउसिंग बोर्ड के मकान लेना कितना मुश्किल हो गया है। इन सारी गलतियों को ठीक करने के लिये पैनल्टी की जो राशि बढ़ाई ...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री जीतमल जैन : दो मिनट और लूंगा, सभापति महोदय। सारा समय तो उन्होंने ही निकाल दिया।

सभापति महोदय, अगर कोई व्यक्ति

(श्री जीतमल जैन)

किसी वजह से किश्त देना भूल जाय, डिफाल्टर हो जाय तो 15 प्रतिशत ब्याज ई. एस. डब्ल्यू. वालों को 250) रुपये पैनल्टी, एल. आई. जी. वालों को 15 पर्सेन्ट ब्याज और 5 पर्सेन्ट पैनल्टी, एम. आई. जी. ए और बी वालों को 15 पर्सेन्ट ब्याज और 750 रुपये पैनल्टी। आपने इस तरीके से उनके ऊपर कितनी बड़ी पैनल्टी लगा दी। जरा सी भूल के कारण डिफाल्टर को कितनी गुना पैनल्टी देनी पड़ेगी। इसका अनुमान नहीं है। इन सारी बातों को निभाने के लिये आपने धारा (60) जोड़ी है, जैसा कि सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने जिक्र किया कि इस सम्बन्ध में इन्ट्रेस्ट अधिक देना पड़ेगा। इस धारा को एतराज भी उठाया गया था। एक विधायक महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, का रजिस्ट्रेशन, 1978 के अन्दर जयपुर के अन्दर हुआ। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जयपुर से अलवर ट्रांसफर करवाया उसके बाद उनको मकान मिल गया, उस कालोनी में जहां पर कि लोग आज तरसते हैं लेकिन 1973 के पहले जिनका रजिस्ट्रेशन था अलवर में, 1973 के रजिस्ट्रेशन वालों को मकान नहीं मिले और 1978 का रजिस्ट्रेशन जयपुर से अलवर हुआ जो कि विधायक महोदय ने अपनी मर्जी से करवाया उनको मकान मिल गया। चूंकि उस विधायक ने मकान अलॉट करा लिया। इसी प्रकार से अशोक मलिक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन था 1973 का...

श्री रामनारायण चौधरी : विधायकों का रिजर्वेशन है टाई पर्सेन्ट ...

सुश्री पुष्पा जैन : वे विधायक आपके होंगे....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप भी ले लो।

सुश्री पुष्पा जैन : आपने मुझे कुछ नहीं दिया ...

श्री रामनारायण चौधरी : आज जवाहर नगर में ले लें।

(व्यवधान)

श्री जीतमल जैन : इसी प्रकार से 1973 का रजिस्ट्रेशन, अशोक मलिक....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, किसी का नाम नहीं लें ..

श्री जीतमल जैन : सभापति महोदय, 1979 जोड़ गुणा लाभ हानि के सिद्धान्त पर चलता है। आप आश्चर्य करेंगे कि अलवर के काले कुएं पर जमीन यू. आई. टी. को चौबीस सौ रुपये प्रति एकड़ से मिली थी, उसकी पब्लिक की इन्स्टालमेंट से 350 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर कर दी। और आपने लोगों से क्या लिया? पहली इन्स्टालमेन्ट में जिसने जमीन ली, उनसे 80) रुपये प्रति गज के हिसाब से लिये और दूसरी इन्स्टालमेंट में जिसने जमीन ली उनसे आपने 123 रुपये प्रति वर्ग गज के दाम वसूल कर लिये। इस प्रकार यह लाभ और हानि के सिद्धान्त पर चलने वाला बोर्ड कहता है कि हम गरीबों को और मध्यम वर्ग के लोगों के मकान बनाकर सुविधा प्रदान करेंगे। इस अध्यादेश से, इस सारे एक्ट से उनको कितना लाभ होगा, यह मैं नहीं जानता। बात यह है कि इस

(श्री जीतमल जैन)

अध्यादेश को लाने का एक कारण है कि पिछले दिनों में जितनी अनियमिततायें, जितने अनैतिक काम बोर्ड के अधिकारियों द्वारा, बोर्ड के पदाधिकारियों द्वारा किये गए हैं, उसको रेगुलराइज करने, कानूनी जामा पहनाने के लिए इसको लाया गया है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि इस एक्ट को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जावे।

श्री बाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैंने भी नाम दिया था।

श्री सभापति : आप उपस्थित नहीं थे, फिर भी आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

श्री महाराम चौधरी : मेरा भी नाम था, सभापति महोदय।

श्री सभापति : अब सभी सदस्यों को तो समय देना मेरे लिए सम्भव नहीं है। आप लोग उपस्थित नहीं थे।

श्री महाराम चौधरी : मैंने जनमत जानने हेतु दिया था।

श्री सभापति : इनके बाद यदुनाथ सिंह जी का नाम पुकारूंगा।

श्री बाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय..

(व्यवधान)

आज यह संशोधन सदन में लाया गया है। यह सही है जो माननीय विरोधी दल के सदस्य आरोप लगा रहे हैं....

श्री सभापति : कृपया उत्तेजनात्मक भाषा का प्रयोग न करें।

श्री बाऊदयाल जोशी : बिल्कुल ठीक है। पुरानी तारीखों से अलाट करने की बात की जा रही है। यह पाप आज भी चल रहे हैं। 12 फरवरी, 1984 को राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय ने हाउसिंग बोर्ड को आदेश प्रसारित किया कि धारा 7 के तहत, प्रोपर्टी डिस्पोजल एक्ट की धारा 7 के तहत जो आज माननीय मन्त्री महोदय, उपयोग ले रहे हैं उसको तुरन्त रोका जाय। 12 के बाद 25 फरवरी को आपकी मीटिंग हुई। सारी तारीखें आज भी मुझे याद हैं। मेरा सीधा सीधा चार्ज है, माननीय मन्त्री महोदय पर कि आज भी पुरानी तारीखों में आप अपने मनमाने XXX लोगों को हाउस अलाट कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अच्छा है, समय पर, देर आये दुरुस्त आये, मेरा निवेदन है कि मैंने आज एक प्रश्न दिया था, उस प्रश्न में मन्त्री महोदय का जवाब है, मैंने पूछा था कि कोटा नगर में हाउसिंग बोर्ड ने कुल कितनी दुकानें निर्माण की ? बताया गया, विज्ञान नगर में 41 दुकानें 1977 में, दादाबाड़ी में 39 दुकानें सितम्बर, 1974 में, 10 सन् 1977 में, तारानगर में 1977 में 44, दादाबाड़ी में 221. आगे मैंने पूछा था कि यह जो दुकानें बनायी गई हैं उन्हें क्या अलाट कर दिया

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

गया है ? सन् 1977 में विज्ञान नगर में जो 36 दुकानें बनी थीं, आज भी पांच दुकानें पड़ी हुई हैं। तारानगर में दस दुकानें सन् 1977 में बनीं, दूसरा प्रश्न था, आज सन् 1984 में भी ये दुकानें, यथावत पड़ी हुई हैं। सम्बन्धित सेक्टर में आज भी 25 दुकानें आवंटन करने के लिये पड़ी हुई हैं। आखिरकार जनता का पैसा है, जनता के पैसे से यह सारा निर्माण हुआ है। मेरा निवेदन यह है कि आखिरकार ये दुकानें क्यों खाली पड़ी हुई हैं ? यह जो आप संशोधन लेकर आये हैं, माननीय मन्त्री महोदय, आपके किसी भी कानून में क्या यह धारा है कि आपकी किसी भी कालोनी में कोई भी व्यक्ति अनआथोराइज्ड मकान के अन्दर दुकान निकाल लेता है तो उसको क्या आप रोक देंगे ? आप सीधे सीधे नगर विकास न्यास या नगर परिषद को कहेंगे। नगर परिषद् या नगर विकास न्यास उस पर एक्शन ले सकता है, वे मकान तुड़वाने जायेंगे। सारा विज्ञान नगर, जो कोटा में एक सुव्यवस्थित नगर बना था, आज होच-पोच हो गया। पिछले सत्र में मैंने पूछा था कि राजस्थान के विज्ञान नगर में कितनी अन-आथोराइज्ड दुकानें बनी हुई हैं ? मंत्री महोदय का जवाब था 263, आखिरकार एक बार लाखों रुपया हमारा उलझा हुआ है, नगर आवासन बोर्ड का, उस उलझी हुई रकम के बावजूद भी धड़ाधड़ लोग मकानों के साथ साथ दुकानें बना रहे हैं। दादाबाड़ी में मकान हैं 165 रू. गज के, लेकिन उसमें भी 6 दुकानें निकाल दीं, कार्नर प्लाट वालों ने 8 दुकानें निकाल दीं तो 165 की बजाय ढाई हजार-तीन हजार रुपये महीने के कमा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह बिल आया था, इस बिल के साथ, माननीय मन्त्री महोदय, आपको जो अधिकार नहीं था उसके लिये बिल में कहीं न कहीं धारा घुसेड़ देते। मैंने पहली बार भी मन्त्री जी से कहा था। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी इस प्रकार का बिल ला रहे हैं और उस बिल के माध्यम से हम इस प्रकार की पावर लेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर अनआथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन कर लेगा तो उस अनआथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन को हम हटायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं 1977 में साबरमती की बनी हुई दुकानें आज तक नहीं हटाई गईं, आज तक अलाट नहीं की गईं, ऐसे कौनसे अधिकारी थे जिनकी गलती के कारण साबरमती जो कोटा की बेस्ट कालोनी है, माननीय मन्त्री महोदय, आपस में बात मत कीजिये, बन्द कर दूं ?

श्री बुलाराम : ऐसा है, आप निश्चिन्त रहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी आवाज बुलन्द है।

श्री सभापति : आपकी आवाज को सब सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : हां, मेरी आवाज बुलन्द है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो आरोप है इसी के आधार पर कहना चाहता हूं कि अगस्त, 1983 में आपने आदेश दिया कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जो सबसे बड़ी

(श्री दाऊदयाल जोशी)

कालोनी है जयपुर में, इस कालोनी के अन्दर निम्न आय वर्ग के 4667 मकान बनाये। मध्यम वर्ग के 7995, और उच्च वर्ग के 1480। इसी प्रकार से, कोटा में 3343 निम्न आय वर्ग में, 5538 मध्यम आय वर्ग में और 1119 उच्च आय वर्ग के, दस हजार कोटा में और 13 हजार जयपुर में और करीब 5649 अजमेर में हैं। माननीय मन्त्री महोदय, छोटी छोटी समस्या को लेकर अजमेर और कोटा के नागरिक आपके दफ्तरों में चक्कर लगाते हैं। क्या यह ठीक नहीं है कि आपको इस बात का इल्म नहीं है? आपके दफ्तर के बाहर भिन्न भिन्न प्रकार के XXX हैं। आप कहें, जिस समय कहें कि दाऊदयाल उठ, कहां हैं XXX मैं आपको बता दूंगा। ऐसे लोग सरे आम नागरिकों का शोषण करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और, माननीय मन्त्री महोदय; मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपने कहा था अगस्त में हम इस दफ्तर का विकेन्द्रीकरण करेंगे, विकेन्द्रीकरण करना आवश्यक था।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुझ पर चार्ज भी है।

श्री सभापति : आप अपने चार्ज पर बोल लीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : चार्ज पर मैं बाद में बोलूंगा।

श्री सभापति : आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं ऐसा XXX प्रतिनिधि नहीं हूँ....

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, XXX शब्द निकाला जाय। ये हैं या नहीं, यह तो ये जानें, जो भी स्थिति हो।

श्री सभापति : XXX शब्द एक्सपन्ज किया जाता है।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, यह तो आपने पार्लियामेंटरी कहा है, आपने XXX....

श्री सभापति : यह एक्सपन्ज कर दिया।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है, मैं जो सुझाव दूंगा, वह सही दूंगा। उसमें रत्ती भर भी अगर आपको गलत लगे आप घण्टी बजा देना। मैं आपकी आज्ञा का एक प्रतिशत भी उल्लंघन नहीं करूंगा।

मेरा निवेदन है, अगस्त में आपने जो विकेन्द्रीकरण किया, वह कितना किया है? कितना लाभ हुआ? कल मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने कहा, जी हां। कार्य चालू हो गया है। कोटा नगर के लिए प्रश्न था। विकेन्द्रीकरण के बारे में आपने

(व्यवधान)

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

व्यवस्था करने के लिए आदेश दिये थे? जी हां, आपने कहा है। क्या उसके तहत कोटा में कार्य यथावत चालू है। तो मैं मंत्री महोदय आपको चैलेन्ज देता हूं कि आपने जो अधिकार दिया था कि कोटा कलेक्टर डिसीजन करेगा फाइलों का, मकानों का आवंटन एक कमेटी द्वारा होगा, उसके माध्यम से अलाटमेन्ट नहीं किया है। आपने जो निर्णय लिया था कि कोटा कलेक्टर मकानों का अलाटमेन्ट करेगा। अगस्त के बाद आज तक कोटा में साढ़े नौ हजार मकान बने हुए पड़े हैं, और इन्तजार कर रहे हैं सन् 1980 से कि उनको अलाट किया जावे। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आवासन मण्डल की 500 मकानों की एक बस्ती है, उसमें भी अलाटमेन्ट हुआ है उसके अन्दर यह हालत है कि लाइट नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है और अन्धकार छाया हुआ है। उसमें कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। मुझे तो डर है, सभापति महोदय, अभी जो मेरे कोटा के लोगों की हत्यायें हुई थीं, हत्या करने वाले लोगों ने हत्यायें करके आवासन मण्डल के उन मकानों में जाकर शरण ली।

श्री दुलाराम : आपके मकान में तो नहीं छिप गये थे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे मकान में तो नहीं छिपे थे। मेरे राजनीतिक जीवन में कभी डाकुओं और हत्यारों से सम्बन्ध नहीं रहा।

(व्यवधान)

क्या ?

श्री दुलाराम : सुनो, मैं यह नहीं कह रहा था। मैं तो यह कह रहा हूं कि आवासन मण्डल के मकानों में गये, आपके यहां तो नहीं गये।

(व्यवधान)

आपने तो सभी कुछ किया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने जो अभी व्यक्ति को बदल कर कोटा भेजा है उसने कुछ भी काम नहीं किया। सभापति महोदय, रत्ती भर काम नहीं किया। आपने क्या किया है? आपने सिर्फ कुछ फाइलें वहां पर भेज दी हैं। परन्तु स्थिति यह है कि आपका, मन्त्री महोदय, आवासन मण्डल के ऊपर कोई आदेश नहीं चलाता है। आपने ऐसे व्यक्ति को भेजा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आसन को सम्बोधित करके बोलें।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके यहां ऐसी ही स्थिति है।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, यह तो इनके बीच में दो कुर्सियां हैं वरना तो यह दुलारामजी से XXX

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री दाऊदयाल जोशी : तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप जिस आदमी को वहां लाये हैं वह आदमी लोगों से भेंट पूजा मांगता है। बिना किसी भेंट पूजा के वह किसी का काम नहीं करता। इसके अलावा वह अगस्त में वहां आया है तब से, सभापति महोदय, अगस्त के बाद में एक भी काम नहीं हुआ है। वहां पर आपने भेजा क्या है? सिर्फ फाइलें भेजी हैं, कागज भेजे हैं। हाउसिंग बोर्ड ने वहां पर कोई भी मकान अलाट नहीं किया है। वहां के कलेक्टर की कोई बात आपका अधिकारी नहीं मानता है। इतना ही नहीं जब भी आपका आवासन कमिश्नर कोई आदेश देता है उसकी भी पालना नहीं होती है। तो क्या करें? इस आवासन मण्डल का क्या होगा, मन्त्री जी? सभापति महोदय, इस आवासन मण्डल की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी, वास्तव में उस उद्देश्य की पालना नहीं हुई। दुर्भाग्य से आवासन मण्डल जनता की सेवा करने में असमर्थ रहा। इसका कारण क्या है? सभापति महोदय, आवासन मण्डल के मकान के लिए जो व्यक्ति पैसा जमा कराता है उसका आवासन मण्डल ब्याज देता है। 6 प्रतिशत मकान अलाट हो गया और मकान के अलाटमेन्ट के बाद में अगर पैसा जमा कराने में देरी हो गयी तो उस पर पैनल्टी देनी पड़ती है। मन्त्री महोदय, आपको मालूम है आप उस पर कितनी पैनल्टी लेंगे? पहले महीने में आप 15 प्रतिशत पैनल्टी लेंगे और दूसरे महीने में आप 18 प्रतिशत पैनल्टी लेंगे। अगर मैं कोई पैसा हाउसिंग बोर्ड के मकान के लिए जमा करवाऊंगा तो मुझे आप सिर्फ 6 प्रतिशत ब्याज देंगे और आप मेरे से पैनल्टी लेंगे 15 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। क्या मेरा पैसा मिट्टी है और आपका पैसा सोना है? कोई गरीब या हमारी तरह का कोई मध्यम श्रेणी का कोई व्यक्ति अगर पैसा जमा कराने में देरी करेगा तो उस पर 18 प्रतिशत ब्याज आप लेंगे। यह आपके एक्ट में लिखा हुआ है। आपके यहां जो कानून बना हुआ है उसमें लिखा है कि :—"Penalty means an additional amount as laid down on the relevant agreement by the allotee or hirer as a consequence of his default in the payment of prescribed dues"

यह आपका कानून है। आप कानून से इतनी पैनल्टी वसूल करते हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माइक इधर-उधर हो गया है, साहब। दोनों तरफ हो गया।

श्री सभापति : मुझे आपकी आवाज पर भरोसा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सन् 1980-81 से अलाट हुआ है उस पर आप पैनल्टी इम्पोज कर रहे हैं। आवासन मण्डल की लाटरी जो सन् 1980-81 में निकली उसमें यह प्रकाशित है, कि 5 (17) में संलेख किया गया है श्रीमान, अगर लाटरी में मकान आ गया और आपने किश्त समय पर जमा नहीं कराई तो

(श्री दाऊदयाल जोशी)

आपको पहले महीने में 15 प्रतिशत पैनल्टी देनी पड़ेगी। और दूसरे महीने में आपको 18 प्रतिशत पैनल्टी देनी पड़ेगी। जिन आवेदकों को मकान अलाट हो गया है उन्होंने शर्तों के अनुसार समय पर पैसा जमा नहीं कराया तो उनको पैनल्टी देनी होगी। यह नियम आपके यहां बनाया हुआ है। आपका 18 प्रतिशत पैनल्टी लेने का नियम है। यह कहां की तुक है। यह लूट मची हुई है, मुझे इसका दुःख है कि जो जनता का दर्द मिटाने की दुकान आपने बनाई थी उस भावना को आपने नष्ट कर दिया।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। कृपया समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि....

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : तो फिर मैं बाद में तृतीय वाचन में बोलूंगा। नहीं तो अभी इकट्ठा ही बोल लेता हूं।

श्री सभापति : तृतीय वाचन की बात आप अभी क्यों कर रहे हैं। जब समय आयगा तब देखेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : तो ठीक है।

श्री बंसीलाल पटवा : सभापति महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया है।

श्री सभापति : तो पहले कौन बोले। ठीक है, हीरालाल आर्य, आप बोल लें।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, आज आवास की समस्या सबसे बड़ी समस्या है विशेष करके नगरों में। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आवासन मण्डल की स्थापना राजस्थान में की गयी। सभापति महोदय, आवासन मण्डल मकानों के लिये विज्ञापन देता है। उस विज्ञप्ति के अनुसार लोग अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं लेकिन जिन टर्म्स और कन्डीशन पर प्रार्थना पत्र दिये जाते हैं उन टर्म्स और कन्डीशन्स पर मकान नहीं मिलते हैं। जब मकान अलाट होते हैं तो उनसे छोटे, आकार में छोटे व घटिया किस्म की बनावट के मकान दिये जाते हैं। आवेदन पत्र के साथ जो टर्म्स और कन्डीशन्स होती हैं, उनके अनुसार मकान नहीं दिये जाते हैं मकान घटिया किस्म के और ऐसे होते हैं जिनके न तो कोई खिड़किया होती हैं, न कोई दरवाजे होते हैं और न ही अलमारियां होती हैं। इस प्रकार के मकान दिये जाते हैं। इसके कारण लोगों को बहुत नाराजगी होती है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मकान बनाये जाते हैं वह भी घटिया किस्म के मैटीरियल के बनाये जाते हैं उनका स्तर बहुत ही निम्न होता है। आपको उदाहरण दूं जयपुर में जब बाढ़ आयी थी तो हाउ-

(श्री हीरालाल आर्य)

सिंग बोर्ड के मकान बुरी तरह से ढेर हो गये थे। हाउसिंग बोर्ड के मकानों की यह हालत जयपुर में ही नहीं राजस्थान में जहां–जहां भी हाउसिंग बोर्ड के जो मकान बने है वहां वहां है। सभापति महोदय, आज हाउसिंग बोर्ड के मकानों की रेपुटेशन इतनी खराब हो गयी कि अब इन मकानों को लेने की लोगों में रुचि ही नहीं है। इसके साथ आज आप जिन लोगों को मकान अलाट करते हैं उन को पजेशन लैटर तो दे देते हैं पर आप मकान नहीं देते हैं। आज स्थिति यह है कि लोग पजेशन लैटर को लिये हुए घूमते हैं। कारण यह है कि वह मकान पूरे बने हुए नहीं है और उन की स्थिति यह है कि न तो उन में प्रकाश है और न ही बिजली और जल की व्यवस्था की है। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा, यह जो अव्यवस्था है यह ठीक नहीं है। आपने जो लोगों को मकान बना कर दिये है उनकी आप ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं, और लोगों की पूर्व अनुमति के बिना मकान छोटा बना कर दे रहे हैं। उनका मैटीरियल भी घटिया है और आकार भी छोटा है। इसके कारण लोगों में बहुत ही नाराजगी है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप भले ही पैसे ज्यादा ले लें पर मकान तो आवेदन पत्र के अनुसार दें ताकि लोगों को कोई नाराजगी नहीं रहे। इन्हीं सुझावों के साथ मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार कर इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ताकि जनता से और कोई सुझाव आने हों तो आ जावें और फिर आप इसमें परिवर्तन कर एक पूरा काम्प्रीहैन्सिव बिल लावें।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरा तो यही निवेदन है कि हाउसिंग बोर्ड या आवासन बोर्ड का जो गठन हुआ था वह नो प्रोफिट नो लोस के उद्देश्य से हुआ था जिसके तहत हाउसिंग बोर्ड के द्वारा गृहहीनों को मकान दिये जा सकें। पर इसमें बहुत सारी इर्रेगुलेरिटीज हो गयी हैं। इसी सन्दर्भ में मैं, सभापति महोदय, यह कहना चाहूंगा कि जो यह बिल सदन में लाया गया है इस पर मैं समझता हूं कि गम्भीरता से सोच विचार करना चाहिये, ताकि इस हाउसिंग बोर्ड के जो फंक्शंस हैं, उनको कारगर ढग से लागू कर सकें और लोगों को अधिकाधिक लाभ, राहत दे सकें। जो गृहहीन हैं उनको आवास दे सकें और अपनी पोजीशन ठीक से डिस्चार्ज कर सकें। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि जो बिल लाया गया है यह होचपोच है, पिछली कई इर्रेगुलेरिटीज हैं जिनको सही, रेगुलेराइज किया जायेगा। मैं सोचता हूं कि यह अनुचित होगा। क्योंकि 1980 में जो मकान बनकर तैयार हुए हैं, लोगों से आवेदन मांग लिये गए, उन्होंने आवेदन दे दिये उसके बाद उन्होंने रकम जमा करा दी, फिर उनको पजेशन देने की बात है। यदि वे पजेशन के लिए कागज भेजते हैं तो अटके रहते हैं, और वह कागज निकल नहीं पाते, दो,दो साल तक नहीं जाते। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, यथार्थ बात कर रहा हूं, जो इस तरह की इर्रेगुलेरिटीज हैं वह नहीं होनी चाहिए।

(श्री बंसीलाल पटवा)

मान लो, किसी ने एक लोकेलिटी में आवेदन कर दिया उसकी दूसरी लोकेलिटी में आवंटित कर दिया। जिस नियम से अलाट होना चाहिए वह नहीं हुआ। इस तरह की कई खामियां बरती गई हैं उन खामियों की पूर्ति के लिए यह बिल लाया गया है। इसके साथ भीलवाड़ा में मकान पूरे हो चुके हैं, पैसा जमा करवा दिया है जिस बी. एस. आर. रेट से मकान बनाये गये हैं उस बी. एस. आर. में मकानों की जो कास्ट है, जिस रेट के आधार पर, जिन किश्तों के आधार पर आवेदन दिये गये हैं उनकी रेट्स बढ़ा दी गईं। मकान 1980 या 1981 में अलाट हुये, पैसा जमा करा दो उसके बाद ही मकान लो, इस इस तरह से दरों में फर्क डाल दिया। जिन टर्म्स और कंडीशन पर हमने आवेदन मांगे और जिन टर्म्स कंडीशन पर वह मकान बन चुके हैं उनकी रेट्स तो नहीं बढ़नी चाहिए, उनकी दरें नहीं बढ़ती चाहिए। इस तरह की कई इर्रेगुलेरिटीज बरती गई और आवंटन जिनको भी गलत हुए हैं, उनमें और इर्रेगुलेरिटीज हुई हैं, उनको रेगुलेराइज किस तरह से किया जाय, उसके लिए बिल लाया गया है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, मैं कोई चार्ज नहीं लगा रहा हूं, आपका हाउसिंग बोर्ड है लोगों को मकान देना चाहते हैं अधिक से अधिक लोग मकान लें, लेकिन जो उनका फंक्शन है सेट रूल्स हैं, उन रूल्स के दायरे में क्या कार्यवाही की गई है? अगर नहीं की गई, उसे ठीक करने के लिए यह बिल ले आये हैं तो यह अनुचित होगा। इस बिल के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये। चौधरी साहब बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, मैं समझता हूं उनको आवेश में इस तरह के चार्ज नहीं लगाने चाहिए मेरे जैसा आदमी पर। मैंने मकान के लिए आज दिन तक आवेदन नहीं किया, जब मैं हाउस लिस्ट में नहीं हूं, मेरा अपना मकान है, मैं क्यों आवेदन दूंगा? जो सुविधायें आपने प्रोवाइड की हैं उसके तहत आप देते हैं तो कोई अहसान भी नहीं करते हैं, लेकिन आवेश में आप बोल गये। आप पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे प्रेरणा लेने की बात करता हूं; कोई गलती है तो सुधारना चाहिए। मेरी गलती है तो मैं सुधारूंगा, आपकी गलती है तो आप सुधारें। यदि इर्रेगुलेरिटीज बढ़ती गई और उसको रेगुलेराइज करने के लिए यह बिल लाये हैं, तो मैं समझता हूं यह अनुचित है। जल्दबाजी में यह काम नहीं करना चाहिए और इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित करना चाहिये। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री महाराम चौधरी।

श्री बंसीलाल पटवा : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा, कितना गलत तरीका है। इस सरकार की एक आदत बन गई है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को, जो भी बिल बनायेंगे, वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करेंगे, यह कितनी गलत बात है। न्याय की प्रक्रिया भी इस बात को इजाजत नहीं देती कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : महोदय

(श्री रामनारायण चौधरी)

लोगों ने बना दिया है। आपके प्रतिपक्ष के नेता की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सुझाव दिया है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाए।

श्री सभापति : सभापति महोदय, गुण और दोष के आधार पर बात करेंगे। आप सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मेरा नाम लिया; मैं थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं। मैंने कभी आपको सुझाव नहीं दिया कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करो।

श्री रामनारायण चौधरी : सुझाव आपने दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप गलती पर हैं, आपको किसने सुझाव दिये हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : वह कोई नहीं कह सकता, वह तो फार्मल, इनफार्मल चलता रहता है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसी बात नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप सुनिये तो सही।

आपकी अध्यक्षता में जो पी. यू. सी. है उसने एक्जामिन किया। उसके बाद शार्ट कमिंग्ज आई तो उस पर लॉ डिपार्टमेंट से राय मांगी गई। लॉ डिपार्टमेंट ने एक्जामिन करके कहा कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा। आपने कहा कि पहले के कामों को कैसे रेगुलेराइज किया जायेगा। जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें तो इफेक्ट आयेगा ही, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दो। कानूनी प्रक्रिया है। उसके अन्दर उसको कैसे दिया जायेगा ? वह सारी चीजें आयेंगी। आपने ही यह पाइन्ट आउट किया है। मैं कब कहता हूं कि गलत कहा है। आपकी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, अच्छी रिपोर्ट है तो उसको मानेंगे ही। इसको गलत कह दो कि जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह कहा कि इस कमेटी ने ऐसी सिफारिश की है कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाए, यह बात सही नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है नहीं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिपोर्ट देने वाली कमेटी है और इंटरप्रिटेशन आपका है।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, इंटरप्रिटेशन की बात तो होगी ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी सुनिये।

दूसरी बात आपने कही कि जनता शासन में इस तरह की इर्रेगुलेरिटीज हुई थीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता शासन में जो हाउसिंग बोर्ड का कम्पोजीशन था क्या उसमें एस सी. के मैम्बर्स नॉन आफिसियल नहीं थे ? यह तो कांग्रेस शासन की देन है।

श्री रामनारायण चौधरी : कांग्रेस शासन का जो पहले बोर्ड था उसमें एस.सी. या मोनोरिटीज के नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके बोर्ड की बात कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा बोर्ड नहीं है, मुझे सरकार ने बनाया था। जब हाउसिंग बोर्ड बना उस वक्त क्या एस. सी. या माइनोरिटी का प्रतिनिधित्व नहीं था? क्या उसमें नॉन–आफिसियल नहीं थे? सब थे। इस शार्ट पीरियड के अन्दर कांस्टीट्यूशन, चैयरमेन को बनाकर नहीं बनाया। उनका इंटरप्रिटेशन यह था कि जरूरी नहीं है। आपकी पी. यू. सी. के अन्दर यह मामला एक्जामिन हुआ, मैंने कहा कि जरूरी है, सरकार ने व्यवस्था कर दी, इसमें गलत चीज कौन–सी हुई?

श्री भैरों सिंह शेखावत : आपने कहा कि हमने सिफारिश की है कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी रिकमण्डेशन्स हैं। आप अपनी फाइंडिंग कह दो, रिपोर्ट कह दो। आपकी रिकमण्डेशन का मतलब है, यह रिकमंड हुआ कि ऐसा करना जरूरी है, नहीं तो कानूनी कमी रह जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो कानूनी बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : तो इसमें गलत बात क्या है?

श्री सभापति : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी : हाउसिंग बोर्ड का जो बिल लाया गया है इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाना चाहिए। इसमें ऐसी खामियां रह गई उनको पूर्ति के लिए जो सुझाव आये, पब्लिक अण्डर टेकिंग कमेटी ने जो कमी देखी उनके आधार पर आप यह संशोधन ला रहे हैं। इस अमेण्डमेंट को लाने के साथ–साथ इसमें जल्दबाजी नहीं की जाए। कोई सुझाव आये उसको एड कर लिया जाए। इसके अन्दर 6 गैर सरकारी सदस्यों का जो बोर्ड बना रहे हैं उसमें योग्यता इस प्रकार से निर्धारित की जाये कि कम से कम तीन सदस्य नीचे के तबके के., एस. सी. के जरूर लिये जायेंगे। जिनकी सुविधा के लिए यह बोर्ड बनाया गया है, वह गरीब जाति के लोग हैं, जिनके पास मकान की कोई व्यवस्था नहीं है। आवासन बोर्ड की जो व्यवस्था है, वह शहरों तक सीमित है। इससे और शहरीकरण बढ़ेगा, इसलिए इसको नीचे से शुरू किया जाए। हाउसिंग बोर्ड की जो व्यवस्था है, जो मकान बनाने की योजना है उस योजना को राजस्थान के आखिरी गांव से शुरू करते–करते बाद में जयपुर में लाया जाए। इससे गांव की जनता को इसके बारे में मालूम होगा। आज गांव में रहने वाले लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि इस तरह का बोर्ड बना हुआ है। हाउसिंग बोर्ड जमीन कैसी खरीदता है? वह शहरों के पास जो कृषि योग्य अच्छी जमीन होती है उसको सस्ती दर पर खरीदता है। फिर उसके खर्चे जोड़ने पर जमीन महंगी हो जाती है। मैं कहूंगा कि काश्तकारों की जमीन शहरी लोगों के लिए आवासन बोर्ड लेकर देता

(श्री महाराम चौधरी)

है। इसलिए गांव से शुरू किया जाए जिससे शहरों का शहरीकरण नहीं बढ़े।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री दुलाराम (मन्त्री आवासन) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या सांगानेर से आने वाली श्रीमती विद्या पाठक, हीरालाल आर्य जी और महाराम जी, कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहते हुए कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, इसका विरोध करते हुए जो आरोप लगाये और सुझाव दिये उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, अगर नियमों के बारे में कहीं कुछ सुझाव देते तो शायद राज्य सरकार उस पर विचार कर सकती थी मगर इन्होने वही बात कही जो आज से नहीं काफी अरसे पूर्व से कही जा रही है कि हाउसिंग बोर्ड के मकानों में मैटीरियल अच्छा नहीं लग रहा है, हाउसिंग बोर्ड के मकान अच्छे नहीं बन रहे, हाउसिंग बोर्ड ने 66 के तहत गलत अलाटमेंट कर दिये, हाउसिंग बोर्ड ने 60 के तहत अलाटमेन्ट करके कुछ विधायकों को जवाहर नगर में अलाटमेन्ट कर दिया। मतलब आरोप लगाकर इस पर जनमत जानने के लिए कह रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। जहां तक हम महसूस करते हैं, अगर जनमत जानने को इसको परिचालित कर दिया गया तो नौ-दस महीने डिले होगी। जो बात विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि ज्यादा डिलें होने से उन पर भार बढ़ रहा है और उन पर किश्तें ज्यादा हो रही हैं, मैटीरियल की कीमतें बढ़ रही हैं, मकानों की कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने से डिले नहीं होगी ? यह सम्भव नहीं होगा। उस गरीब आदमी के खिलाफ जो एल. आई. जी., ई. डब्लू, एस. के मकान लेंगे उनके ऊपर बहुत अधिक भार बढ़ेगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

कुछ इन्होंने जो आरोप लगाये हैं, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह कहकर कि कांग्रेस शासन को विशेष तौर से बदनाम करने की कोशिश की, उसके बारे में यह कहते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि सन् 70 के अन्दर एक पालिसी अडाप्ट की गयी कि विधायकों और सांसदों के लिए ढाई प्रतिशत का रिजर्वेशन इस हाउसिंग बोर्ड में रखा जाये और जो मकान बनें उनमें से उनको ढाई प्रतिशत अलाटमेन्ट किया जाय, माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं विपक्ष के नेता महोदय को अलान्टमेन्ट के बारे मे निवेदन करना चाहता हूं। सन् 1978 में एक लाटरी निकाली जिसमें 5 मकान 50×90 के थे और इनकी यह चोइस थी। पहले जो फार्म भरे जाते थे उससे यह चोइस दी जाती थी कि आप कौनसा और कहां प्लाट लेना चाहते हैं? इन्होंने नम्बर वन पर यह चोइस दी कि 50×90 का प्लाट हमें चाहिए। जिस समय लाटरी निकाली उस समय सिर्फ 5 प्लाट थे। माननीय सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, क्या 5 मकानों में से ढाई प्रतिशत से एक मकान भी बन सकता है? क्या यह कभी सम्भव हो सकता है? क्या यह

(श्री दुलाराम)

सम्भव कभी होगा ? यानि कभी इन्होंने जो अलाटमेन्ट किया है चाहे इन्होंने पद के दुरुपयोग से करवा लिया, चाहे बोर्ड को धमका कर करा लिया, चाहे बोर्ड के चेयरमैन, किसी भी चेयरमैन ने लाटरी निकाली है, वह नियमों के खिलाफ नहीं है ? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम उस अलाटमेन्ट को कहीं रद्द करने जा रहे हैं। मेरी यह मंशा नहीं है, राज्य सरकार की यह मंशा नहीं है कि हम उस अलाटमेन्ट को रद्द कर दें....

(व्यवधान)

आप बात सुनिये पहले। मैंने आपकी सारी बातें सुनीं। आप पूरी मेरी बातें सुनिये।

माननीय सभापति महोदय, वह भी एक ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अलाटमेन्ट हुआ, हालांकि ढाई प्रतिशत में पाइन्ट बन भी नहीं आता, वह उस व्यक्ति को अलाटमेन्ट हुआ जो कि राजस्थान का मुख्य मन्त्री था। आज हम पर यह कह कर इल्जाम लगा रहे हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है ? मैंने कोई चोरी नहीं करवाई, मैंने किसी अधिकारी को दबाव देकर गलत काम नहीं करवाया। जो भी डाइरेक्शन दिया है वह राज्य सरकार से प्राप्त करके दिया है। जो भी काम हुआ है, राज्य सरकार के डायरेक्शन से काम हुआ है। मैंने किसी आफिसर पर इविन चेयरमैन पर भी दबाव डालकर यह नहीं कहा कि आप इस व्यक्ति को ढाई प्रतिशत नहीं बनते हुए भी अलाटमेन्ट करो।

इसके अलावा मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, 40×90 के 14 मकान थे और 34 अलाटमेन्ट करवाने वाले थे। अब आप ताज्जुब करेंगे कि क्या 14 मकानों में से ढाई प्रतिशत में एक मकान भी नहीं बनता। लेकिन उस तत्कालीन गृह मन्त्री, अभी नाम मुझे ध्यान नहीं है, को और एक और को, दो व्यक्तियों को अलाटमेन्ट किया गया। क्या वह अलाटमेन्ट भी नियमानुकूल था ? क्या वह अलाटमेन्ट भी ढाई प्रतिशत के अनुसार था ? आपने अपने पद का ही नहीं बल्कि उस चेयरमैन के पद का भी दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करवाकर उससे ढाई प्रतिशत की लाटरी का नाम लेकर गृह मन्त्री को और जनसंघ विधायक को अलाटमेन्ट करवाया, क्या वह सही था ? क्या आप यह महसूस करते हैं कि वह जो अलाटमेन्ट हुआ वह सही हुआ ? माननीय सभापति महोदय, यहां भी मैं यह कह रहा हूं ...

श्री दाऊदयाल जोशी : अभी लगाना शेम, शेम ! जब मैं कहूं तब लगाना शेम ! अगर दम हो तो मैं चार्ज लगाऊँ तब लगाना।

श्री दुलाराम : आप सुनते जाइये। आप तो चार्ज लगाने के लिए ही हैं और काम ही क्या है ?

सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि सन् 74, सन् 75, सन् 76 और सन् 77 के अन्दर राज्य सरकार ने विधायकों को, अखबारों के जर्नलिस्ट्स को और कुछ ऐसे स्वतंन्त्रता सेनानियों को अलाटमेंट करने के डायरेक्शन्स जारी किये और उनको अलाटमेन्ट

(श्री दुलाराम)

होना था। दुर्भाग्य यह हुआ कि जनता पार्टी का शासन आया और जनता पार्टी के शासन में उस समय के महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह राय देकर कि 66 के आर्डर को स्टे कर दिया, नयी आने वाली सरकार इस पर राय देगी इसलिए पिछले वाला अलाटमेन्ट मैं स्टे करता हूँ। मैं उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। इतनी बड़ी चेयर पर मैं इल्जाम लगाऊं यह शोभा नहीं देता है। मैं यह कर इल्जाम लगा दूं कि इन्होंने भावना से नहीं जनता पार्टी की नीति से काम किया, तो यह मैं कह नहीं सकता लेकिन मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि रिकार्ड पर बात है और रिकार्ड की बात नहीं कहूंगा तो, माननीय सभापति महोदय, जो इन्होंने कही जनता पार्टी की बात, जो इन्होंने हमारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और मेरे खिलाफ या हमारी पार्टी के बने हुए अध्यक्ष के खिलाफ इल्जाम लगाये हैं वह तो रिकार्ड पर हैं। आज इनकी बातें जो कहना चाहता हैं वह भी सुनें।

इसके बाद तत्कालीन मंत्री, जो आज पधारे हुए नहीं हैं, श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी, आवासन मंत्री बने। इनके पास फाइल आई। फाइल पर इन्होंने राज्य मन्त्री की राय मांगी। राज्य मंत्री ने नोट दिया कि नहीं, यह अलाटमेन्ट अनियमित है इसलिए इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए और 60 के तहत कोई अलाटमेन्ट नहीं करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसके बाद अलाटमेंट रद्द हुआ। क्या आप महसूस करते हैं कि 60 की धारा या 60 की उप धारा दो प्रकार की है, आपने 70 तक का तो सही कर दिया और 70 के बाद आपने कह दिया कि अनियमित है इसलिए खारिज किया जाता है। अगर वह नियमों के खिलाफ था, अगर यहां महसूस करते कि जनता पार्टी का राज थी तो सारा अलाटमेंट रद्द किया जाना चाहिए था। सिर्फ एक अलाटमेंट रद्द नहीं किया जाना चाहिए था। वह भी, माननीय सभापति महोदय, किस का किया? भीखा भाई भील का जो कि राजस्थाक में सबसे पिछड़े हुए वर्ग का सदस्य है। उसका अलाटमेंट इन्होंने रद्द किया और एक शंकरलाल पाली का अलाटमेंट रद्द किया। उनका इन्होंने अलाटमेंट रद्द किया। किस भावना और किस विद्वेष से रद्द किया? रद्द करने के बाद क्या इन्होंने शांति ली? शांति नहीं ली, सभापति महोदय। उसके तुरन्त बाद उन्हीं के मंत्री मण्डल के सदस्य तत्कालीन मंत्री श्री भंवरलाल जी शर्मा, जो अब विराजे हुए नहीं है, ने किसको अलाटमेंट किया? आज आप कह रहे हैं कि अधिकारियों की मनमानी से काम कर रहे हैं। आज आप फर्मा रहे हैं अधिकारियों के काम कर रहे हैं डिप्टी सैक्रेटरी को अलाटमेंट करके। क्या आपने अनुसूचित जाति के सदस्य को अलाटमेंट किया था? आपने डायरेक्शन दिये थे....

(व्यवधान)

आप सुनिये। मेरी बात सुनें....

श्री सभापति : कृपया शांत रहें। व्यवधान न डालें।

श्री दुलाराम :....एक तरफ तो आप कह रहे हैं, 78 के अन्दर कह रहे हैं कि नहीं 60 का डायरेक्शन देकर हम अलाट-मेंट नहीं कर सकते और वहीं 79 के अन्दर डायरेक्शन देकर अलाटमेंट किया जाता है। यह नियम पढ़ें आप। अगर नियमों में कहीं कमी है उस नियम को बदलें, हमें उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं है। एक अनु-सूचित जाति के विधायक की लाटरी निक-लने से रह गयी और मैंने उसकी लाटरी निकालने के लिए यहां डायरेक्शन दे दी तो उसके लिए बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैंने जो भी काम किया है नियमों के अनु-सार किया है। मैंने डायरेक्शन दिया है उनकी लाटरी निकलनी चाहिए थी। जो जनता पार्टी शासन में 77 से लेकर 79 तक....

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महो-दय, भीखाभाई के खिलाफ किसने चार्ज लगाये थे।

श्री दुलाराम : आप सुनते ही नहीं। च्यवनप्राश खाइये। आप मेरी बात सुनें।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी पार्टी ने आपके टाइम में कैंसिल कर दिया था।

श्री दुलाराम : आप सुनिये, मैं दुबारा सुना दूं।

मान्यवर, तत्कालीन सदस्य श्री भीखा-भाई, श्री शंकरलाल पाली को तत्कालीन राज्य मंत्री ने 60 के तहत अलाटमेंट करने की डायरेक्शन दी और उस डायरेक्शन देने के बाद, जैसे ही जनता पार्टी का शासन दिल्ली में बना और यहां के राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक बने उन्होंने उस फाइल को मंगाकर स्टे कर दिया। उसके बाद आपके तत्कालीन राज्य मंत्री श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी ने उस अलाटमेंट को रद्द कर दिया।

(व्यवधान)

पहले सुन लें।

माननीय सभापति महोदय,....

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने कैसे कैसे अलाट किये हैं?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री दुलाराम : सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि अलवर के अन्दर एक माननीय सदस्य को अलाट कर दिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। माननीय सभापति महोदय, मैंने उस माननीय सदस्य, जिसको अलाटमेंट किया है, को 14 पर्सेन्ट कोटा जो हमारा रिजर्व कोटा है उस रिजर्व कोटे में अलाट-मेंट करने के डायरेक्शन्स दिये हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया है? अगर अनुसूचित जाति के एम. एल. ए. को अलवर में अलाट नहीं हुआ और मैंने करवा दिया तो मैंने किसी नियम को भंग नहीं किया है। इसके अलावा यदि आप महसूस करते हैं कि एम. एल. एज. को अलाटमेंट करने से कोई दिक्कत हो गई, माननीय सदस्य, पधार गये, क्या मुझे बतायेंगे, श्रीमती उजला अरोड़ा बड़ी भावुक हैं, अभी मेरी समधी हैं, इनकी

(श्री दुलाराम)

लड़की रायसिंह नगर में ब्याही है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप मुझे बतायें आप जयपुर में कितने साल से रहती हैं, क्या आपके परिवार में किसी का कोई भी मकान नहीं है ? क्या उस मकान के लेने के बाद भी हाउसिंग बोर्ड का मकान लेने के लिये एन्टाइटिल्ड हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे बेटे का नहीं, मेरे पति का नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार का मकान नहीं। 1973 में मैंने एप्लाई किया था जब मैं एम. एल. ए. नहीं थी, साधारण नागरिक की स्थिति में थी। साधारण नागरिक की स्थिति में आज तक नहीं मिला बन्धुवर।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, मैंने इनको सुना, मैं नहीं बोला, अब यह मुझे सुनें। मैं एक एक बात का जवाब दे दूंगा।

आप बता सकती हैं आपके परिवार के किसी का जयपुर जिले में कहीं भी मकान नहीं है ? अगर कहीं भी मकान नहीं है तो कहीं से माइग्रेशन करके आई हैं, जयपुर के साथ धोखा कर रही हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सन् 1954 से जयपुर में रहती हूँ, मेरा कोई मकान नहीं है। मकान होगा तो दुलाराम जी का जो मेरे समधी लगते हैं।

श्री दुलाराम : इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या पुष्पा जैन यहां से पधार गई हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा। क्या वह बता सकती हैं उनके बाप के नाम से प्लाट नहीं है ? कोई भी बालिग, जो कुंवारा है, जिसने अपने बाप से पृथक होने का इकरारनामा नहीं लिखा है, वह व्यक्ति कुंवारा होने के बाद भी अलग परिवार बनाने के लिये मकान अलाट करवा सकता है ? पुष्पा जैन को हाउसिंग बोर्ड में मकान अलाट हुआ है और मालवीया नगर में अलाट हुआ है। इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मालवीया इन्जीनियरिंग कालेज के पीछे एक हजार गज जमीन इन्होंने ले रखी है....

श्रीमती विद्या पाठक : किसने ले रखी है ?

श्री दुलाराम : पुष्पा जैन की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कह रहा हूँ। इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, एक मकान और बन रहा है। आखिर वह प्रापर्टी कहां से आई ? जब वह अपने बाप से अलग रहती हैं, इनके इन्कम के साधन कौन से हैं ? हमारे तो बेटे भी कमाते हैं। आखिर इनके परिवार के कौन से सदस्य काम करते हैं जिसकी वजह से मकान भी बन रहा है, हाउसिंग बोर्ड का मकान भी ले लिया। तनख्वाह 1200) रुपया आपकी और हमारी बराबर ही है ..

एक माननीय सदस्य : वकालत करती हैं।

श्री दुलाराम : कौन सी जगह करती हैं ..

श्री दाऊदयाल जोशी : आपको मकान मिला उसकी किश्त 1980 रुपया कहां से दोगे ? यह मिनिस्टरी 6 महीने की है। फिर क्या होगा ? मकान बिकेगा..

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(व्यवधान)

मकान के बाद भाड़ झोंकोगे।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आपको क्यों दर्द हो रहा है। यह तो हम ही राज करेंगे, हमारे ही मन्त्री बनेंगे, आप लोगों को मिलने वाला नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। व्यवधान नहीं डालें।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, जहां तक इन्होंने मेरे लिये यह कहा है, XXX मैं इनसे निवेदन करूं मेरे खेत में काम करते हैं और आज भी मेरे ट्रैक्टर हैं, मैंने जनता पार्टी के शासन काल में लिया था, आज भी मेरे पास जमीन है, मेरे बाप के पास जमीन है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX नब्ज पकड़ता हूँ, नोट कमाता हूँ XXX....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया सयत भाषा का प्रयोग करें।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, यह कह रहे हैंXXX

श्री दाऊदयाल जोशी : बिल्कुल नहीं। XXXयहां घर पर आकर खाना खाऊंगा। न्यौता देते हो क्या ? आज शाम का न्यौता स्वीकार करता हूँ, यहां आऊंगा यह पवित्र जनेऊ नहीं बदलूंगा....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया बिराजें।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज तो मैं हीरालाल आर्य के यहां खाना खाकर आया हूँ।

एक माननीय सदस्य : आपने फोटो खिचाई है, खाना खाते हुए मालूम तो पड़े सबूत क्या है ?

श्री दुलाराम : इसके अलावा, सभापति महोदय, माननीय जोतमल जी ने कहा, पैनल्टी ज्यादा लगा रहे हैं। मेरा निवेदन है पैनल्टी अगर हार्उसिग बोर्ड लगता है तो गलत नहीं है, हार्उसिग बोर्ड नियमानुसार पैनल्टी लगाता है। कोई व्यक्ति अलाटमेंट करवाने के बाद हाउसिंग बोर्ड को किश्त भी नहीं दे और हार्उसिग बोर्ड उस पर पैनल्टी फिक्स नहीं करे, यह कैसे सम्भव होगा ? अगर मन्थली किश्त, क्वार्टरली किश्त वापस नहीं आयेगी तो हाउसिग बोर्ड का काम कैसे चलेगा, हार्उसिग बोर्ड अपना कर्जा वापस कैसे चुकायेगा ? हार्उसिग बोर्ड हुडको से लोन लेकर मकान बनाने की योजना सोचता है, वह मकान कैसे बन सकते हैं ? इसलिये, माननीय सभापति महोदय, हार्उसिग बोर्ड को पैनल्टी लगानी पड़ेगी। हार्उसिग बोर्ड अगर पैनल्टी नहीं लगायेगा तो दबाव नहीं रहेगा। अगर दबाव नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति अलाटमेंट करवाने के बाद किश्त भरने की सोच नहीं सकता।

XXX अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दुलाराम)

माननीय सभापति महोदय, हीरालाल आर्य ने कहा, मकानों में मैटीरियल अच्छा नहीं लगा। एक उन्होंने उदाहरण दिया, मालवीय नगर में सन् 83 में मकान गिर गये। यह सही है सन् 83 में मकान गिर गये। यह भी सही है, उस समय बरसात हो रही थी, बरसात होने के साथ मकान गिरे। मकान गिरने के बाद इसी हाउसिंग बोर्ड का उदाहरण है जिसने सबसे पहले इन्जीनियर्स को सस्पैण्ड किया और कुछ इन्जीनियर्स को वहां से हटाया, उनके खिलाफ इन्क्वायरी की, जांच हो रही है। आप क्या महसूस करते हैं कि सन् 77 में आपके मकान नहीं गिरे। आपने कितने इन्जीनियर्स को सस्पैंड किया? इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि बगैर मुद्दों के इन्होंने इल्जाम लगाये हैं, इनका कोई मुद्दा नहीं है कोई सिर नहीं है, कोई पांव नहीं हैं। यह कह कर....

श्री हीरालाल आर्य : छोटे मकान दे रहे हैं या नहीं, उसके बारे में क्या कहना है?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : क्या टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स थीं, छोटे मकान क्यों दे रहे हो, यह तो बताओ।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करू', चाहे आप जनता पार्टी के गुण गाओ, कांग्रेस का शासन ही आपको मकान दे रहा है....

श्री हीरालाल आर्य : यह क्या बात है छोटे मकान क्यों दे रहे हैं?

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री दुलाराम : जैसा एप्लाई किया है वैसा ही तो मकान मिलेंगे माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जनमत जानने के लिये इस बिल को परिचालित न किया जाये और आज ही विचार में लेकर इसको पास किया जाये।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

श्री सभापति : फिर पूछ लेता हूँ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय?

(ध्वनि मतदान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां बोले ही नहीं।

श्री सभापति : फिर पूछ लेता हूँ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड, (संशोधी और विधिमान्यकारी) विधेयक

(श्री सभापति)— ....

1984 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

श्री सभापति : एक बार फिर पूछ लेता हूँ। प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां पक्ष जीता।

(विराम)

श्री सभापति : यहीं खड़े करके कर लें ?

(मत विभाजक घंटी)

(म. प. 4.20)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधिमान्यकारी, विधेयक, 1984 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां पक्ष जीता।

श्री रामनारायण चौधरी : ईन मीन तो तीन आदमी हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

श्री परसराम मदेरणा : Noes have it, Noes have it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : We claim the division.

श्री अध्यक्ष : विभाजन चाहते हैं क्या इसमें ?

जो माननीय सदस्य, प्रस्ताव के पक्ष में हों वे अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खड़े होने का रूल्स में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : रूल्स में ऐसा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दीजिये कोई रूल्स में ऐसा हो तो।

श्री परसराम मदेरणा : रूल्स में प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : खैर, यदि आप विभाजन चाहते हैं तो जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे हां पक्ष की तरफ चले जायं और जो प्रस्ताव के ना पक्ष में हैं वे ना पक्ष की लाबी की तरफ चले जायं।

(लाबी मतदान)

(श्री अध्यक्ष)

विभाजन का परिणाम।

प्रस्ताव के पक्ष में 24 मत। विपक्ष में 88 मत।]

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

मत विभाजन

ना पक्ष

क्र. सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अमरचन्द
2.	,, अमराराम
3.	,, असलम खां
4.	,, ईश्वरलाल सैनी
5.	,, उदयराम धाकड़
6.	,, कनकराज मेहता
7.	श्रीमती कमला बेनीवाल
8.	श्री कमला भाई मीणा
9.	,, केसरीचन्द चौधरी
10.	,, खेतसिंह
11.	,, गोकुल चन्द शर्मा
12.	,, गोविन्दसिंह गुर्जर
13.	,, घासीराम यादव
14.	,, चन्दनमल बैद
15.	,, सी. पी. जोशी
16.	,, छोगाराम बकोलिया
17.	,, सी. एल. कंवरिया
18.	श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी
19.	,, जगनसिंह
20.	,, जयकृष्ण शर्मा
21.	,, जयदेव प्रसाद इन्दोरिया
22.	,, जीवराजसिंह राठौड़
23.	,, तकीउद्दीन अहमद
24.	,, तुलसीराम
25.	,, तेजपाल यादव
26.	,, दिनेश डांगी
27.	,, दीपचन्द
28.	,, दुलाराम
29.	,, देवीलाल
30.	,, देवेन्द्रसिंह
31.	,, द्वारका प्रसाद बैरवा
32.	,, नरेन्द्रसिंह भाटी
33.	,, नानालाल
34.	,, परसराम मोरदिया
35.	,, परसराम मदेरणा
36.	,, पीरूराम
37.	,, पूंजीलाल मीणा
38.	,, प्रभुलाल
39.	,, बनवारीलाल
40.	,, भंवरलाल मेघवाल
41.	श्रीमती भगवती देवी
42.	श्री भगवानदास डोसी
43.	,, भालू खां
44.	,, सूरमाराम
45.	,, भैरूंलाल (मनोहरथाना)

(श्री अध्यक्ष)

क्र. सं.	सदस्य का नाम
46.	श्री भैरूसिंह गुर्जर
47.	,, महेन्द्रसिंह
48.	,, मांगीलाल आर्य
49.	,, माणकमल मेहता
50.	,, मानसिंह देवड़ा
51.	,, मालूराम लेघा
52.	,, मुराद खां
53.	,, रतनलाल ताम्बी
54.	,, रतनाराम चौधरी
55.	,, राधेश्याम (हरदयाल)
56.	,, रामकरण कनाला
57.	,, रामदेव सिंह
58.	,, रामधन
59.	,, रामनारायण डूंडी
60.	,, रामरघुनाथ चौधरी
61.	,, रामसहाय सोनड़
62.	,, रामसिंह विश्नोई
63.	,, रूपलाल परमार
64.	,, रेवतराम चौधरी
65.	,, रामनारायण चौधरी
66.	,, विष्णु प्रकाश बजारी
67.	,, जगन्नाथ पहाड़िया
68.	,, शिवचरण माथुर
69.	,, शिवदानसिंह राठौड़
70.	,, शिवराम शर्मा
71.	,, शिवसिंह रावत
72.	,, शोदानसिंह
73.	,, शोभराजमल

क्र. सं.	सदस्य का नाम
74.	श्री श्रीराम गोटेवाला
75.	,, सुखलाल सैंणचा
76.	,, सुजानसिंह यादव
77.	,, सुन्दरलाल
78.	,, सुरजाराम
79.	श्रीमती सूरजदेवी
80.	श्री सूरजपालसिंह
81.	,, सूर्य कुमार
82.	,, हजारीलाल शर्मा
83.	,, हरसहाय मीणा
84.	,, हरिसिंह (कुम्हेर)
85.	,, डा. हरिसिंह (फुलेरा)
86.	,, हरिसिंह (महुआ)
87.	,, हीरालाल देवपुरा
88.	,, हेमाराम चौधरी

हां पक्ष

———

1. श्रीमती उजला अरोड़ा
2. श्री उम्मेदसिंह
3. ,, कैलाशचन्द्र मेघवाल
4. ,, गुलाबचन्द कटारिया
5. ,, गोपाल पचेरवाल
6. ,, चाव खां
7. ,, छीतरलाल आर्य
8. ,, जीतमल जैन
9. ,, दाऊदयाल जोशी
10. सुश्री पुष्पा जैन
11. श्री बंसीलाल पटवा
12 ,, भूपालसिंह
13. ,, भैरोंसिंह शेखावत

(श्री अध्यक्ष)

क्र. सं.	सदस्य का नाम
14.	श्री महाराम चौधरी
15.	,, रंगजी मीणा
16.	,, रघुवीरसिंह कौशल
17.	,, रामकंवार बैरवा
18.	,, रामकिशोर मीणा
19.	,, ललित किशोर चतुर्वेदी
20.	श्रीमती विद्या पाठक
21.	श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह
22.	,, समर्थलाल
23.	,, हंसराज शर्मा
24.	,, हीरालाल आर्य

श्री खेतसिंह राठौड़ : बुरी तरह से गिरा।

श्री चन्दनमल बैद : चारों खाने चित्त।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मन्त्री जी, पारित किया जाय, प्रस्ताव रखें।

विधेयक का पारण

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था कि आवासन बोर्ड का ध्येय गरीब तबके के व्यक्तियों, माध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को मकान बनाकर देने का था। दुर्भाग्य यह रहा कि 1975-76 में आवासन बोर्ड 50×90 के मकान बनाने लग गया उसके कारण जो मूल ध्येय था वह तो अलग हो गया, पूंजी सारी समाप्त हो गई।

(म. प. 4.40)

(श्री हरिसिंह कुम्हेर, सभापति, पदासीन)

पूंजी समाप्ति के बाद प्रश्न यह आया कि आवासन बोर्ड क्या करे। तो यह निर्णय हुआ कि इसे हुडको से लोनिंग करवाया जाय। आज आवासन बोर्ड को हुडको लोनिंग करता है। हुडको ने आवासन बोर्ड को आदेश दिया कि 40×60 से अधिक का मकान नहीं बनाया जावे...

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : यह क्या हो गया ?

श्री चन्दनमल बैद : तीनों जीत गये।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : इन्दिरा गांधी की...

अनेक माननीय सदस्य : जय हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, व्यवस्था की जावे । यह क्या तरीका है ? सदन में कार्यवाही चल रही है और इस तरह से सदन में नारे लगा रहे हैं । इतनी ही अगर खुशी है तो बाहर जाइये ।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर ।

श्री गोपाल पचेरवाल : सदन को मखौल क्यों बनाते हो ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह किस तरह की कार्यवाही की जा रही है । गुट के गुट बना करके फ्लोर पर इस तरह से चलना ही नहीं चाहिए । इस तरह से भाग भाग करके क्यों जा रहे हैं ? यह क्या व्यवस्था है ? यह सदन की गरिमा के खिलाफ है ? इसको रोकें ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब इधर से चलते हैं और बीच में से चलते हैं तब तो नियमों का उल्लंघन है । इधर से जाने में कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह तो नहीं है लेकिन मन्त्री का यहां सदन में नारा लगाना बहुत अच्छा नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हाउस में इस तरह से भागने की प्रवृत्ति मैंने तो कभी देखी नहीं ।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हम तो खुश हैं । आप आइये हमारे साथ भोजन करिये । हम ऐसे XXX लोग नहीं हैं । हम बहुत वरसों तक लड़े हैं, बहुत लड़ेंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह व्यवस्था बिगाड़ी है, यह गलत किया है । मैं समझती हूं कि यह अच्छी बात नहीं है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब आवासन बोर्ड की फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ी, सारा पैसा जब गरीबों से ले करके पैसे वालों के लगने लगा तब विवश हो करके हुडकों की तरफ भागे । हुडको ने लोन देना चालू किया लेकिन उसने प्रतिबंधित कर दिया कि 40 बाई 60 से अधिक और 70 हजार रुपये की किस्त से अधिक के मकान नहीं बनायें जावें । माननीय आवासन मंत्री जी, यह जो उच्च आय वर्ग के मकान आपने बनाये हैं 425 अजमेर के, 1480 जयपुर में और 1119 अजमेर में, मंत्री महोदय, कृपा करके आप यह बतायें कि इन उच्च आय वर्ग के मकानों पर आज कितनी किस्त आ रही है ? आवासन मण्डल को स्पष्ट निर्देश है हुडको की रकम लेने के बाद कि 40 बाई 60 से बड़ा मकान नहीं बनाया जावे और 70 हजार से अधिक की किस्त के मकान नहीं बनायें जावें । लेकिन आज की तारीख में भी आवासन बोर्ड बड़े मकान बना रहा है । माननीय सभापति महोदय, आवासन मण्डल अब मण्डल नहीं रहा । मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को

XXX शब्द माननीय सदस्य के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

मकान दिलाने वाला आवासन मण्डल नहीं रहा। कारण, कोटा नगर में महावीर नगर एक कालोनी है। आज तो डवलप्ड कालोनी है। आवासन मण्डल को 45 रु0 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से नगर विकास न्यास ने जमीन समर्पित की। मैं पूछना चाहता हूँ, आवासन मन्त्री जी, क्या यह सही नहीं है कि 45 रु. प्रति वर्ग मीटर की जमीन आपने खरीदी है? आपने खरीदी। उस जमीन की आपने कितनी कीमत लगाई? कंजूमर पर 70 रु. प्रति वर्ग मीटर। 45 रु. में नगर विकास न्यास से लें और 70 रु. उसका वसूल करें, आवासन मण्डल यह धोखा है, फरेब है, लूट है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो माननीय दुलाराम जी ने कहा, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं. .

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : किसानों से कितने में खरीदी है यह भी बताओ।

श्री दाऊदयाल जोशी : वही बता रहा हूँ। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कीमतें बढ़ रही हैं। दुनियां में कहीं भी कोई भी आवासीय बस्ती है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रूल्स के तहत बिजली आवास तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट के तहत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है। यह जो आपने कालोनीज खड़ी की हैं इन कालोनीज में आप कन्जूमर से जो पैसा वसूल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लाइनें डालने का चार्ज किया, क्या आप वसूल नहीं कर रहे हो। पानी की लाइनें जो वहां पर आवासन कालोनीज में डाली जाती हैं उसका पैसा क्या वसूल नहीं करते। और श्रीमान् सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि आप भी शायद उसमें नहीं हों, मैं गलत हूँ, कोई ऐसा बैंक नहीं है जो कर्जा दे और कर्जा न दे उससे पहले ही ब्याज लगाने लग जाय। ऐसा दुनियां में एक भी बैंक नहीं है जो कर्जा तो दे नहीं, केवल एग्रीमेंट, लिखत पढ़त हो जाय कि दाऊदयाल जोशी को 7। हजार रुपया कर्जा देना चाहते हैं, आवासन मण्डल एकमात्र ऐसी संस्था है जो मकान देती है, मकान एग्रीमेंट करती है उसके साथ ब्याज भी वसूल करने लग जाती है। दुनियां में ऐसा कहीं नहीं है। केवल आपके यहां है, आवासन मण्डल में ही लूट मचती है। माननीय सभापति महोदय, राम नारायणजी चौधरी ने बड़े जोश के साथ मेरी तरफ इशारा किया .

(व्यवधान)

आप बाद में बोल लेना, मन्त्रीजी।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक ही निवेदन है कि....

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने आपके लिए कुछ नहीं कहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे मन को जो ठेस लगी है मैं जन्म भर नहीं भूलूंगा।

श्री दुलाराम : मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य कोई भी चीज पूछें इससे हमें कोई एतराज नहीं है मगर ऐसी लेंग्वेज बोलें जो पार्लियामेंट्री हो। नहीं तो क्या होगा कि आरोप ये लगायेंगे तो उसको हम

(श्री दुलाराम)

भी सहन नहीं करेंगे। आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, तो यह अच्छी परम्परा नहीं है। इनको ढंग से बोलना चाहिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : बिल्कुल नहीं।

श्री सभापति : आप कृपया इस तरह के आरोप नहीं लगायें।

श्री दुलाराम : ये जिस तरह से व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं वह हमारे पास भी हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : व्यक्तिगत नहीं लगा रहा हूँ। व्यक्तिगत मेरे पर आरोप लगा है, श्रीमान् दुलारामजी साहब। मैं इस प्रकार का XXX आदमी नहीं हूँ, समझ गए। मैं इस प्रकार के व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगा। माननीय सभापति महोदय ...

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ...

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था ...

(व्यवधान)

साहब, डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है।

श्री सभापति : आपकी आवाज तो बहुत बुलन्द है।

श्री रामनारायण चौधरी : जोशीजी को सुनने में गलतफहमी हो गई थी, उसको सुन नहीं रहे थे। मैंने जोशीजी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने इंगित किया था दाऊदयाल जोशी को। इंगित किया था। मैं बोलूंगा नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने कहा था कि दाऊदयाल जी जोशी को भी हाउसिंग बोर्ड से फायदा पहुंचा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं अच्छी प्रकार से जानता था कि रामनारायण चौधरी एक कार्यकर्ता से उठ करके ऊपर आया है और कार्यकर्ता की कीमत जानता है।

श्री सभापति : कोई आरोप नहीं लगायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुझे आज पहली बार महसूस हुआ कि रामनारायण चौधरी कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं रहा। मैं रामनारायण चौधरी की जैसी कल्पना करके चलता था वह रामनारायण चौधरी नहीं रहा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज, श्रीमान् दुलाराम जी साहब, आपके एक्ट में यह प्रोवीजन, धारा

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(१४६)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(40) का प्रोवीजन है जिसके तहत बोर्ड के अधिनियम की धारा (40) के तहत स्पेशल आडिट की आपके यहां व्यवस्था है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आवासन मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि धारा (40) के तहत जो प्रोवीजन है उसमें क्या कभी आडिट हुआ है ? बोर्ड ने क्या कभी उस पर विचार किया ? आवासन मण्डल ने उस पर कभी गम्भीरता से मंथन किया ? यह पूरा का पूरा पुलन्दा एक, दो ये तीन, मेरे पास चार पुलन्दे हैं जिनमें आवासन मण्डल आमूलचूल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मैं सभापति महोदय, माननीय राम नारायण जी जो बात कह रहे थे उसके विषय में निवेदन कर रहा हूँ, मैं आज विधायक हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ, गरीब तबके से आया हूं। यह भी सही है, अभी दुलाराम जी ने कहा कि दवा बेचता है। मेरा पिता चाट की दुकान लगाता था। यह भी सही है कि मैं गरीब व्यक्ति का बच्चा हूँ।

श्री दुलाराम : क्या ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे पिता चाट लगाते थे, चाट पकौड़ी बेचते थे, यह भी सही है जिसकी आपको नालेज नहीं है, वह बात सही है लेकिन यह मेरा पाप तो नहीं है। मैं....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं तो उम्मेद सिंह जी को कह रहा हूँ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने सन् 76 में एप्लीकेशन दी थी आवासन मण्डल में। यह बात सही है कि आवासन मण्डल नहीं होता तो दाऊदयाल को तीन जन्म में भी मकान नहीं मिल सकता था। जहां तक इसका प्रश्न है कि आवासन मण्डल की जो सुविधायें दाऊदयाल जोशी जैसे व्यक्ति, जो तीन जन्म में भी मकान नहीं बना सकता था, को मिली मेरा बाप आ जावे, तीन जन्म ले ले तब भी नहीं बना सकता था, यह बात सही है।

श्री रामनारायण चौधरी : इतना ही कहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने आवासन बोर्ड को एप्लीकेशन दी, सन् 77 तक मुझे मकान नहीं मिला फिर मुझे कहा गया कि आप 20 हजार का मकान ले लो। मैंने कहा चलें, देखें, तो मेरी इन्कम के हिसाब से मकान तय किया 25×50 का। मैंने एप्लाई कर दिया। दुलाराम जी कहते हैं कि हमने इतने लोगों को मकान अलाट कर दिये। कोई पाप किया क्या ? दुलाराम जी साहब, उस समय मैं भी एम. एल. ए. था। मुझे कहा गया कि तुम्हारा एप्लीकेशन फार्म आफिसर की लापरवाही के कारण लेट पहुंचा। यह सही है कि तुम्हारी पूरी रकम जमा है, यह सही है कि तुम एम. एल. ए. हो लेकिन तुम्हारा एम. एल. ए. का सर्टिफिकेट एक दिन लेट पहुंचा, इसलिये लाटरी में तुम्हारा नाम

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

नहीं आ सकता। मैंने कहा, अगर आफिसर ने मेरा एप्लीकेशन फार्म खो दिया तो कोई बात नहीं। मैंने इतना जरूर कहा कि यह कांग्रेस का राज नहीं है आप जनता पार्टी द्वारा नियुक्त हाउसिंग बोर्ड के चेयर-मैन हो, आपका आफिसर मेरा सर्टिफिकेट खो दे इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। उन्होंने माफी मांगी और कहा, दाऊदयाल जी, अगली बार। फिर आ गया 1979 फिर मैंने कहा, क्या हुआ? आपके मकान की कार्यवाही चल रही है। 80 आ गया, 81 में आपका राज आ गया। आते ही मैं फिर गया, मेरे मकान का क्या हुआ? 332 रुपये मकान का किराया दे रहा हूँ, मेरे बच्चे की शादी हो गई, अब मेरा बड़ा परिवार हो गया, मेरे मकान का क्या हुआ? 81 में मुझे कहा गया कि आपको 18×36 का मकान मिलेगा। मैंने कहा, क्यों? क्योंकि आपके 3 हजार जमा नहीं हैं। फिर, आपको रुपया जमा कराना चाहिये। मैंने कहा, मैं तो तैयार हूँ। मुझको किसी ने कहा, हमने अखबार में साया कर दिया था अब आप जमा करा दो। मैंने जमा कर दिये। मुझ पर रामनारायण जी चौधरी का एक बड़ा अहसान है मेरी तीन पीढ़ियां, चौधरी साहब, आपके अहसान जो आपने जताया है, को भूलेंगी नहीं, भूलूंगा नहीं। आपने मुझे मकान दिया? मेरा मकान दादाबाड़ी की लाइन में 1 से लेकर 25 तक में हैं। श्रीमान् चौधरी साहब, आपके ××× अधिकारी के कारण उस मकान को आपके कर्मचारी उपभोग करते रहे और उसका पैसा आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के के रूप में आता रहा। उसका किराया कौन खा गया? किसने उस मकान का किराया खाया, सन् 73 से मकान बना हुआ खड़ा था। सन् 73 से 82 तक मकान किसी को अलाट नहीं किया। इसमें आपका इंजीनियर रहता रहा। दाऊदयाल को मकान दिया कब? कितने में? मेरी लाइन में 150 मकान जो खड़े हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : आपने और मैंने तो नहीं खाया कम से कम।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह भी बताऊंगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ। सभापति महोदय, गोकुलचन्द जी, नाराज मत होइये, अन्तरात्मा की बात है।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : दो बात कैसे करते हैं, यह दो बात कैसे पैदा हो गई।

श्री दाऊदयाल जोशी : जो खाये हैं, यह बताऊंगा। मेरे मकान में नहीं खाया।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : आपने कबूल किया है कि इन्होंने नहीं खाया।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह तो अब भी कह रहा हूँ मेरे मकान में नहीं खाया लेकिन जिन्होंने खाया वह बताता हूँ, सभापति महोदय। 100 मकान मेरी लाइन में खड़े हैं 100 से लेकर 152 तक में 175 रुपये आपकी मासिक किस्त है और मेरी किस्त कितनी है, रामनारायण जी, 478 रुपये? मैंने कौन सा पाप कर दिया। 25×50 का मकान मैंने लिया।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : किस्तें नियमानुसार ठीक करा लें, इसमें कठिनाई क्या है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : जो बात आपने कही, जिस निकम्मे व्यक्ति के कारण मेरा मकान खाली पड़ा रहा, जिसके कारण मुझे अधिक किस्तें देनी पड़ रही हैं, आपने कहा था मैं उस अधिकारी के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही कर रहा हूँ। वह लाइन, वह शब्द आज भी मेरे कानों में गुंजायमान है, माननीय रामनारायण जी, उस फाइल पर आर्डर होने के बाद क्या कोई कार्यवाही हुई है ? आप यही कहते हैं ना कि मैं किस्तें ठीक कराने के लिये आपके ही चेयरमैन के पास जाऊं या मिनिस्टर के पास जाऊं और उसी प्रकार दुत्कारा जाऊं जिस प्रकार से आपने मुझे दुत्कारा। 478 रुपये देता हूँ, खरे पसीने की कमाई का। हराम की कमाई नहीं खाता हूं, श्रीमान् चौधरी जी, मैं जिस दिन एम. एल. ए. हुआ मेरा दूसरा लड़का नौकरी पर नहीं लगता तो इस मकान की मेरा परिवार या मैं किस्तें नहीं दे सकता था।

श्री रामनारायण चौधरी : तो मेरा नाम क्यों ले रहे हो ?

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति महोदय, अब मैं पूछना चाहता हूं, दुलाराम जी साहब, हाउसिंग बोर्ड के इतिहास में एक मकान बता दो जो 60×120 का हो। एक मकान बन रहा है 60×120 का। हाउसिंग बोर्ड का कोई मकान बता दो। जो मकानों के फार्म भरवाता है, लाटरी निकाले और लाटरी निकालने के बाद मकान बने नहीं और उससे पहले ही पजेशन लेटर इश्यू हो जाय। भूमि का पूजन भी अलोटी ही करे। आज तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा। कहीं नहीं देखा कि जिस वक्त आप मकान देते हैं, उस वक्त भूमि पूजन पर वह ग्राहक जिसको मकान दिया है, खुद बैठे, श्रीमान् आज तक मैंने कहीं नहीं सुना। कोरिया की सीमेंट हाउसिंग बोर्ड के मकानों की रूफ और दीवारों पर लगाई जाती है। श्रीमान्, चैलेन्ज है मेरा हाउसिंग बोर्ड के सारे अधिकारियों को और आवासन बोर्ड के मंत्री को एक मकान बता दो जिसमें कोटा टाइल्स लगी हो एक मकान बता दो, जिसमें सर्वेन्ट क्वार्टर्स बने हों, हाउसिंग बोर्ड ने बना कर दिये हों ? केवल एक मकान बन रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : सर्वेन्ट क्वार्टर का क्या कायदा है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : अजी मैं, चौधरी साहब, यही तो कह रहा हूं आपको ध्यान में नहीं है। केवल एक मकान तो ऐसा है जिसमें सर्वेन्ट क्वार्टर स्पेशल रूप से बनाया गया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अरे वह तो पूरे सर्वेन्ट टाइप का ही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह कैसे अलाट हुए ? मैं निवेदन कर रहा था, श्रीमान् हायर पर्चेज कमेटी हाउसिंग बोर्ड की योजना के साथ....

(व्यवधान)

बात तो अब आ रही है, माननीय

(श्री दाऊदयाल जोशी)

रघुनाथ जी, आप तो ईमानदार आदमी हो, मैं जानता हूं।

मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स की प्लानिंग थी जवाहर नगर में जिस स्कीम को चेंज किया गया कुछ XXX के लिये, कुछ आई. ए. एस. आफिसर्स के लिये, कुछ अपने XXX के लिये, अपने भाई-भतीजों के लिये, कुछ अपने रिश्तेदारों के लिये। मल्टी स्टोरी की बजाय सिंगल क्वार्टर बनने लगे जवाहर नगर में, 4 घ 9 से लेकर 18 तक प्लाट्स कटे हैं। इनमें 18 आई. ए. एस. आफिसर्स हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कैसे हो सकता है? आज तक एक लाटरी नहीं खुली जिसमें एक पुलिस का एस. पी., एक डी. एस. पी., एक सिटी मजिस्ट्रेट, एक आई. ए. एस....

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : एक मिनट के लिये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय आज की कार्यसूची में जो सबजेक्ट है वह पूरे हो तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से आज का समय आज कार्यसूची समाप्त होने तक के लिये बढ़ाया जाता है।

विधेयक का पारण

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था एक बहिन डी. एस. पी., दूसरी बहिन सिटी मजिस्ट्रेट, एक भाई साहब आई. ए. एस. आफिसर। पहले राज्य के मालिक को मकान नम्बर एक। फिर नम्बर दो डी. एस. पी. को जिनका जयपुर में बड़ा नाम है। तीसरे नम्बर पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जो उनकी बहिन होती है। चौथा मकान आई. ए. एस. को। एक लाटरी बता दें, मन्त्री महोदय, 18 प्लाट में। उसके बाद पांचवां मकान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय को। इस प्रकार 18 मकान अलाट हो गये, जिन सभी में काम चालू होना चाहिये था। यह जो जवाहर नगर में 4 घ आपने बनाया इस लाइन में 18 मकान अलाट किये हैं। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे 18 में से कितनों में काम प्रारम्भ हुआ? केवल एक मकान का और उसका....

श्री दुलाराम : कौन से?

श्री दाऊदयाल जोशी : 4 घ 1 का एक मकान बन रहा है उसकी लाटरी कैसे खुली? श्रीमान् चौधरी साहब और कमिश्नर साहब के अलावा कौन कौन थे उस लाटरी में, चौधरी साहब को याद हो तो बतायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो नहीं था, न मिनिस्टर साहब थे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, यह तो बैठ ही नहीं सकते लाटरी में और तत्कालीन चेयरमैन साहब....

श्री रामनारायण चौधरी : तत्कालीन चेयरमैन का होना भी जरूरी नहीं है, चेयरमैन नहीं हो तो हाउसिंग कमिश्नर उसको प्रिसाइड कर सकता है। अलाटमेंट के वक्त में, लाटरी के वक्त में चेयरमैन नहीं हो तो

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

हाउसिंग कमिश्नर उसको प्रिसाइड कर सकता है। यह जितनी भी लाटरी निकली हैं मैं माननीय जोशी जी और सदन को सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं उनमें नहीं बैठा था। कल को यह कहे कि मैं वहां था और मैंने किसी का पक्ष किया इसलिये तमाम लाटरीज में हाउसिंग कमिश्नर, जो चीफ इंजीनियर की रैंक का अधिकारी है, की सदारत में कलेक्टर, सैक्रेटरी, डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर बैठते हैं। मैं लाटरी में नहीं था।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने आपको पाप से बचाया। मैं यह निवेदन कर रहा था कि केवल दो अधिकारियों ने मिल कर लाटरी निकाली। मेरा चेलेन्ज है, माननीय सभापति महोदय, इन सारी लाटरी की पुड़ियों को अगर आज की तारीख में सीज कर लिया जाये, उनमें काटा-पीटी की गयी है, नम्बर बदले गये हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच के बजाय चेन्ज करके इसको यहां बिठाया, उसको यहां बिठाया, सारी अट्ठारह की अट्ठारह पुड़ियों में गड़बड़ की गयी है। हाउसिंग कमिश्नर के बारे में आपने कहा, यह सही है हाउसिंग कमिश्नर ने कई दिनों तक कागजात को रोके रखा। आवासन मंत्री जी पहुँचे कमिश्नर के पास, क्या गड़बड़ है? लाटरी के फार्म कहां है? कागजात कहां है? पुड़िया कहां है? इन पुड़ियों को उठा लाये सैक्रेटेरियेट में और श्रीमान् आई. ए. एस. अधिकारी ने मंत्री महोदय के दबाव के कारण सबको पजेशन लेटर इश्यू कर दिये। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आज तक मकान बनने के पहले, जब तक मकान की कम्पलीशन रिपोर्ट न आ जावे, हाउसिंग कमिश्नर कम्पलीशन रिपोर्ट पेश न करे, तब तक किसी भी हालत में मकान का पजेशन मिल सकता है क्या? यहां तो मकान का पजेशन नींव नहीं डाली उसके पहले ही मिल गया। सभापति महोदय, निवेदन कर रहा था मन्त्री जी ने पुष्पा जी पर चार्ज लगाया कि उनकी एक जमीन है। परन्तु आपके एक तथाकथित बहनोई मन्त्री महोदय, जो राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं, नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझ गये होंगे, के मकान क्या हुआ? सन् 1975 में उनको मकान अलाट हुआ नाहरी के नाके में, उन्होंने मकान का पजेशन नहीं लिया। पजेशन नहीं लेने के बाद रकम वापिस कराने की कार्यवाही हुई। उनको मकान जवाहर नगर में दे दिया गया। उनको ही नहीं दिया गया बड़े मियां सो बड़े मियां, नाम नहीं बताऊंगा, वे आपके XXX कहलाते हैं, एम. एल. ए. हैं और धाभाई जी की हवेली में रहते बताये, नाम नहीं लेना चाहता अगर सभापति महोदय कह दें तो नाम बता दूं। एक व्यक्ति राजस्थान विधान सभा का सदस्य, जो गंगानगर जिले का है, आपका X X X कहलाता है....

श्री दुलाराम : X X X मेरी बात सुनिये। एक बात मैंने पहले भी निवेदन कर दी XXX नही है। XXX यह मेरे भाषण में कह दिया था कि मनफूलाराम, जिनका रजिस्ट्रेशन 1978 का था का लाटरी में नम्बर नहीं आ सका, उनको डायरेक्शन

XXXशब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाराम)

देकर अलाटमेन्ट करवाया है। यह मैं कहां ना कर रहा हूं। अब क्यों गोलमाल कर रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमन्, लाटरी में नम्बर आ गया। नाहरी के नाके में उनको मकान मिल गया। सन् 1975 में उन्होंने रकम जमा नहीं करायी। रकम जमा नहीं होने से उनका अलाटमेन्ट केन्सिल हो गया। केन्सिल होने के बाद आपको कहीं राइट नहीं है कि एक व्यक्ति का मकान रद्द हो जाये तो आप उसको पजेशन दे दें।....

श्री बुलाराम : यह मेरे अधिकार में था।

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमन्, समझ में आया, मैं निवेदन कर रहा था कि आवासन मण्डल ने आपके पी. ए. साहब, निजी सचिव महेश पारीक....

श्री सभापति : नामजद न कहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके दूसरे पी.ए. सिंघानिया के मकान का क्या हुआ ? इन्होंने कहां के लिये फार्म भरा था ? कब फार्म भरा था ? इनको मकान जवाहर नगर में क्यों दे दिया गया ? क्योंकि जवाहर नगर में ब्लैक रकम ज्यादा मिलती है। इन्होंने फार्म भरा था सांगानेर स्कीम में। आपने अलाट कर दिया जवाहर नगर में। इन्हीं को ही नहीं, आर. के. व्यास का क्या हुआ ? सहायक आवासन अधिकारी छुट्टन लाल का क्या हुआ ? मैं निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री बुलाराम : कौन छुट्टन लाल ?

श्री दाऊदयाल जोशी : सहायक आवासन अधिकारी....

श्री बुलाराम : छुट्टन लाल जो एम. पी. थे, एम. एल. ए. थे।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके दफ्तर में एक छुट्टन लाल भी है। यह कौन कप्तान है। मेरे को भ्रम था, शक था कि छुट्टन लाल कप्तान ने यहां कहां मकान ले लिया। यह अच्छा हुआ, आपने बता दिया। मैंने कहा, छुट्टन लाल कप्तान का क्या लेना देना जयपुर से। वह एम. पी. रहा नहीं। वह कहीं शिकार करता फिरता रहा होगा। उनको आपने मकान दे दिया। बहुत बड़ा धन्यवाद। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आवासन मण्डल का....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। दो मिनट में समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमन्, आवासन मण्डल का एक भवन बन रहा है। यह जो मकान बन रहा है उसमें कोरिया की सीमेन्ट लग रही है। विदेश से आयी कोरिया की सीमेन्ट कहां लग रही है ? यह कोरिया की सीमेन्ट आयी है आवासन मण्डल के बनने वाले भवन में से। श्रीमन्, मन्त्री महोदय, कोरिया की सीमेन्ट राजस्थान के किसी भी कन्जूमर के मकान की छत पर लगायी गयी हो, ऐसी एक जगह बता दें। यह तीन व्यक्तियों के मकान पर लग रही है। दो व्यक्तियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और तीसरा व्यक्ति कौन है, वह आप समझ गये होंगे। निवेदन

152

(श्री दाऊदयाल जोशी)

करना है कि सारे मकान घपले में बन रहे हैं। आवासन मण्डल की 13500 ईंटें आडिट रिपोर्ट के अनुसार कम पायी गयी ! कहां गयीं, आवासन मन्त्री महोदय बतायेंगे। या मुझे बताने दीजिये दीजिये। 250 सीमेंट के कट्टे आवासन मण्डल की आडिट रिपोर्ट के आधार पर कम पाये गये। कहां गये ? सभापति महोदय, यह आवासन मण्डल का जो दफ्तर बन रहा है मेरा मुंह बंद था. मैं चाहता था कि एक ईमानदार आफिसर पर, उसकी ईमानदारी पर अगर चार्ज लगाऊं तो अच्छा नहीं है। क्योंकि मेरी निगाह में वह अधिकारी ईमानदार अधिकारी है। लेकिन आज जो मुझे जवाब दिया गया है, मेरा चेलेन्ज है, आवासन मण्डल का जो आज मेरा प्रश्न है, जिसमें मुझे जवाब दिया गया है कि 65 लाख 45 हजार का मकान बना है, आवासन मण्डल का हाउस-मेरा चेलेन्ज है कि आवासन मण्डल के भवन पर 80 लाख रुपये लग चुके हैं। 80 लाख का पेमेन्ट हो चुका है। मुझे जो जानकारी दी है" । यह मेरे साथ फरेब है, धोखा किया है, चालबाजी की है, सदन को गुमराह करने के लिये किया गया है। जब लोगों ने कहा कि मूल योजना तो 66 लाख की थी और इसमें तो 80 लाख रुपया अधिक खर्च हो गया। अब तक लाखों रुपया अधिक खर्च हो गया। आप यह जवाब दे दीजिये, क्या होगा ? ऐसा करो कि 63 लाख 5 हजार रुपया बता दो। आज तक इस मकान में कितना पैसा लगा, मैं पूछना चाहता हूँ, इसके टेंडर कब लिये गये ? इसकी प्रशासनिक स्वीकृति कब हुई ? क्या प्रशासनिक स्वीकृति है ? यह आवासन मण्डल का भवन क्यों तैयार किया जा रहा है ? क्योंकि आप अपने भाई-भतीजों के मकान में ज्यादा से ज्यादा काम करवा लिया करें। मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय आवासन मंत्रीजी, यहां से निकलने के बाद आप की ड्यूटी कहां की होती है ? प्लाट की। मकान आपकी देख-रेख में बन रहा है। क्या एक भी ऐसा कन्जूमर बताया जा सकता है राजस्थान के आवासन मण्डल के इतिहास में जहां पर कि व्यक्तिगत रूप से कन्जूमर को अपना मकान देखने दिया जाता हो ? सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा, अगर आप इजाजत दें तो आज की रात पूरी हो जाये इतने बड़े बड़े चार्ज मेरे पास हैं। मैं सारे आवासन मण्डल को नंगा करके खड़ा कर सकता हूँ। इतने बड़े पोथे मेरे पास हैं। यह आवासन मण्डल अपने ध्येय में, अपने लक्ष्य में सफल नहीं रहा। एक मात्र आरोप अधिकारियों पर नहीं, हम राजनीतिज्ञों पर हैं, दखलन्दाजी करने वाले राजनीतिज्ञों पर हैं। आवासन मण्डल अगर फेल होगा तो इन गरीब सरकारी अधिकारियों के कारण नहीं, आवासन मण्डल हमारे द्वारा दिन प्रति दिन डे बाई डे हस्तक्षेप के कारण, अपने बेटे, बेटियों रिश्तेदारों और अपने परिवार वालों के कारण फेल हो रहा है। इन शिड्यूल्ड कास्ट के तथाकथित लोगों के लिए। लेकिन ये शिड्यूल्ड कास्ट के नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूँ एक डीवाई. एस. पी. ने आपसे कह दिया कि मेरे जमीन है, परन्तु, श्रीमन, जिसकी तनख्वाह 600 रुपये है और भत्ता कितना। इसी तरह मिनिस्टर की तनख्वाह 2200/500 रुपये। श्रीमन, इस तन–

(श्री दाऊदयाल जोशी)

तनख्वाह में तो बजट ही नहीं चलता घर का। यह आज तारीख 29 है और इतने ही रुपये रह गये तनख्वाह में से। ये रुपये रह गये? तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि 1800 रुपये की किस्त कहां से देंगे?

आप लोगों को तो 2200/-2400/- रुपये मिल जाते हैं। जिनकी तनख्वाह 1250/- रुपये हो, सिटी मजिस्ट्रेट को 1500/- रुपये मिलते हों, आई. ए. एस. ऑफिसर को 1800/- रुपये मिलते हों, और 1800/- रुपये जिस मकान की किस्त हो तो उस मकान की 1800/- रुपये किस्त देने के लिए वह व्यक्ति फिर लूट करेगा, फरेब करेगा, धोखा करेगा। उसके पास यह जमीन है, वह जमीन है तो, दुलाराम जी, तुम पूंजीपति हो, केपीटेलिस्ट हो, गरीब शिड्यूल्ड कास्ट का एक चमार, जो बूट पालिश करता है, जो खाल खींचने का काम करता है, का अधिकार कौन खा गया। उसमें पूंजीपति का हाथ है....

श्री सभापति : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : लेकिन आज पता लगा। आपकी पार्टी के रामनारायण चौधरी का कहना था, एक बार मेरे कार्यकर्ता रामनारायण चौधरी जी से मिले थे। झुंझुनू के मूंडवाल से आपकी बात हुई थी। मैं यह निवेदन कर रहा था कि पैसा तो आपके पास. . .

श्री सभापति : चर्चा समाप्त करें। माननीय सदस्य, सुन नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे पास पांच फाइलें हैं, जिनमें सारा हाउसिंग बोर्ड हवा में लगा खड़ा है। रात भर आप देख लें और मण्डल कल जवाब दे दे अगर दे सके तो....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें। मेरी मजबूरी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यह कह रहा हूं कि जिस कानून में गलतियां थीं, विरोधी दल के नेता भैरोंसिहजी ने इन सारी गलतियों को पकड़ा है। यह राजस्थान विधान सभा का सौभाग्य रहा कि भैरोंसिंहजी जोशी जैसे व्यक्ति पी. ए. सी. के चेयरमैन बने और उन्होंने सारी गलतियों को पकड़ा। आज मुझे मालूम हुआ कि भैरोंसिहजी ने जिन गलतियों को पकड़ा, उन लोगों ने सीकर साहब से स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब की बार भैरोंसिहजी को किसी भी कमेटी का चेयरमैन मत बनाना, अगर बनाया तो ठीक नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि भैरोंसिहजी को कहीं भी बैठा दिया जाय, चोरों को रात दिन पकड़ा कर रहेंगे।

श्री सभापति : श्रीमती उज्जला अरोड़ा।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं तो कुछ ऐसे मुद्दों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी जो यहां पर अव्यवहारिकता के नाते परेशानी का कारण बने हुये हैं। मैं टूटी पुलियां के बारे में कहना चाहूंगी। जवाहर नगर में 81 की बाढ़ में एक पुलिया टूटी थी। मैंने जब भी आवासन बोर्ड के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारा होने तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इस पुलिया के बाद शुरू होता है। जब मैं जे. डी ए. से बात करती हूँ तो वे कहते हैं कि कि हमारा क्षेत्र तो वहां पर खत्म हो जाता है। जवाहर नगर की यह पुलिया है जहां लगातार आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। यदि कहीं बाढ़ भी आ गई तो वाकई में जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड का टुकडा एक तरफ हो जायेगा और हाउसिंग बोर्ड का तिलक नगर का वह टुकड़ा अलग हो जायेगा। इतनी परेशान करने वाली यह पुलिया है। हाउसिंग बोर्ड यह नहीं सोचता कि इनको भी चार नम्बर की पुलिया पार करके जाना पड़ता है तो फिर उसको बना देना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, वहीं पर किसी पार्क में आपका मकान भी बना है। मैं कहना चाहती हूँ कि इसी तरह से शास्त्री नगर में जो हाउसिंग बोर्ड के मकान बने हैं वहां पर गटर लाइन का कहीं निकास नहीं रखा गया है। गटर लाइन में बाढ़ में इतनी मिट्टी बहकर आयी कि जो गटर लाइन बीच में थी वह मिट्टी से भर गई। आज भी मकानों में गटर का पानी बह रहा है, रसोई में गटर का पानी, कमरे में गटर का पानी, सड़कों पर गटर का पानी बह रहा है; लेकिन हाउसिंग बोर्ड, जिसकी यह सम्पत्ति है, उसमें पूंजी लगाने के लिए भी तैयार नहीं है, नगरपालिका भी तैयार नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता जब हाउसिंग बोर्ड के द्वारा गटर लाइन डाली गई तो फिर निकास क्यों नहीं रखा गया? वहां के जो रहने वाले हैं, जिनको बहुत पैसों से, वर्षों की तपस्या के बाद मकान आवंटित हुआ आज उनकी स्थिति क्या है? सड़कों पर मिट्टी है और घरों में गटर का पानी। इतनी दयनीय स्थिति है। यदि बरसात आ गई तो आदमी घर में रह नहीं सकता। बरसात में पानी घरों में आ जाता है और उनका सामना बरबाद कर देता है। शास्त्री नगर को लें, मालवीय नगर को लें, वन विहार को ले लीजिये या ज्योति नगर को ले लीजिये सभी में अव्यवस्था है लेकिन कोई ध्यान नहीं। एक बार मकान आवंटित कर दिया, कैसा भी मैटीरियल लगा दिया। यही बात हमारे समधी साहब कह रहे थे कि जितना भी कुछ हुआ है सब गवर्नमेंट की डायरेक्शन से हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ, गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या यह कहती है कि गलत मैटीरियल लगा दीजिये? क्या गवर्नमेन्ट की डायरेक्शन में यह था कि गटर लाइन नहीं डाली जाय, पुलिया नहीं बनायी जाय? वन विहार, जो बाढ़ के कारण इधर उधर अस्त-व्यस्त हो गया था, मैं लोग बैठे हुए हैं, वे लोग तपस्या कर रहे हैं। जिन्होंने नौकरी के लिए पैसा भरा है, उनको नौकरी देने का होश इस सरकार को नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि ज्योति नगर के जो प्लाट हैं उनके पास एक नाला बहता है और नाले के पास आपका दफ्तर भी है, उसके आस पास जो मकान है उन मकानों में काफी अव्यवस्था है। मालवीय नगर में बाढ़ के दिनों में मैं गयी थी। मंत्री महोदय, आप जाते तो आपको भी मालूम हो जाता कि कितनी अव्यवस्था है। हर मकान में पानी बहा है। वे लोग मिलने आये थे। उनको कह दिया कि मरम्मत करवा देंगे। उन मकानों पर छत पर जाने के लिए जीना नहीं बनाया

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गया है। छत पर काला पोता लगाया है, पता नहीं किस चीज का है, यह समझ में नहीं आया। अगली बरसात में काला पोता बह गया, फिर छत से पानी टपक रहा है। उन मकानों की छतों की मरम्मत करायें। गलत मैटीरियल जिस इन्जीनियर, ठेकेदार ने भी लगाया है, गलत काम किया है उन सबको सस्पेण्ड कीजिये। अच्छे लोगों को लीजिये तो कुछ काम चल सकता है। काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब जगह अव्यवस्था फैल रही है। शास्त्री नगर में सड़कें टूट गईं, जवाहर नगर की पुलिया टूट गई, सड़क टूट गयी। आप 7 नम्बर सेक्टर में चले जायं वहां पर कार, आटो रिक्शा छोड़िये, साइकिल से भी निकलना मुश्किल है। यह दशा वहां की हो रही है। कोई नियन्त्रण नहीं है। लोग दूसरी, तीसरी मंजिल बढ़ा रहे हैं। अगर नियमों में प्रावधान हो और गवर्नमेंट की ऐसी डायरेक्शन हो तो सभी को कह दीजिये कि 2-3 मंजिल मकान चढ़ा लें। 3-3 मंजिल बना ली, क्या यह डायरेक्शन गवर्नमेन्ट का है? जवाहर नगर में किराये पर मकान दे रखे हैं। मुझे तो कहीं भी यह महसूस नहीं हुआ और न मैंने यह पढ़ा कि हाउसिंग बोर्ड किराये पर मकान चढा सकता है। रेगुलेशन कौनसा है? नियम कौनसे हैं? आपने जवाहर नगर में प्रभावशाली लोगों को वर्षों से मकान किराये पर दे रखे हैं और खाली नहीं करा रहे हैं। जिन्होंने मकान के लिए पैसे भरे हैं उनको नहीं मिल रहे हैं। किराये पर जो मकान हैं उनको खाली करायें। मकान कब दिया, यह बता दीजिये, क्या यह भी रेगूलेशन से काम हुआ, गवर्नमेन्ट की डायरेक्शन से काम हुआ? मान्यवरजी, इस तरह से गलत काम किये जा रहे हैं। अभी-अभी बिजली के बारे में माननीय विद्याजी ने बताया कि बीच की मंजिल में बिजली नहीं, नीचे की मंजिल में बिजली नहीं ऊपर की मंजिल में बिजली है। क्या अव्यवस्था है? यह बात दूसरी है कि जिनको 73 से नहीं दिया, 80 में जिन्होंने लॉटरी भरी उनको मिल गया। लेकिन 73 वालों को कब्जे नहीं दिये, बनाकर नहीं दिये। और मान्यवर, यहां XXX से बात कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूँगी....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री तेजपाल यादव : ढाई साल में इनको मिला। उस समय यदि एक उदाहरण भी पेश करके जाते कि इस प्रकार की व्यवस्था हो, इस प्रकार के मकान, इस प्रकार की फैसिलिटीज हों, जल्दी मिल जायं तो इस प्रकार की थोड़ी बहुत व्यवस्था बताकर जाते तो हम भी कर लेते।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ढाई साल में सभी काम ठीक हुए थे। ढाई साल में गलती नहीं हुई थी। दिक्कत तो 80 के बाद आई है जब से आपके श्री चरण पड़े, तब से परेशानी बढ़ी है। मान्यवर, मकानों की अव्यवस्था है, मकान महंगे होते जा रहे हैं। मकान की जमीन कृषि भूमि वालों से आठ आने गज में यू. आई. टी. ने हैण्ड ओवर की थी हाउसिंग बोर्ड को, और अब जे. डी. ए भी सस्ती जमीन दे रहा है।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लेकिन मकानात दिन पर दिन महंगे होते जा रहे हैं, मैटीरियल बिल्कुल खराब लग रहा है। जो नये अधिकारी आये हैं, निश्चित रूप से काम सम्भालेंगे, अच्छे आदमी हैं। लेकिन जो पुराने थे, उन्होंने गड़बड़ काम किये, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जो आप गलत आदमी को दुबारा पद पर लाये, मैं समझती हूँ, आपने अच्छा नहीं किया। इन सबके बारे में जो जयपुर के हाउसिंग बोर्ड की व्यवस्थायें आपने कर रखी हैं, इनमें कब तक सुधार करेंगे, कब तक उन लोगों को मकानात दिलवा देंगे? मुझे तो यही कहना है। मुझे यह कहा, मान्यवर, मन्त्री जी ने, आपके कितने मकान हैं? एक भी नहीं। रिश्तेदार? एक भी नहीं। मैं कहना चाहूंगी, यह कौन सी दलील है? यहां पर विधायकों की सुविधा के लिए एक परिपत्र निकाला था। उस परिपत्र में यह कहा गया कि जिन विधायकों के पास मकान नहीं, वे आवेदन करें। लेकिन अगर उन विधायकों, जो उधर बैठे हैं या इधर बैठे हैं, ने आवेदन पत्र दिये, तो क्या दान दे रहे हो? वह अपने पैसे से लें। राज्य सरकार की ओर से की गयी यह व्यवस्थायें हैं? और अब एक बात और कह दी कि कुंवारी लड़की है। तो जितने भी कुंवारे सदस्य हैं क्या उनके लिए निषेध है? उनको भी माफ करने की बात है क्या? आप अगर कुंवारों को रिमार्क करते हो तो जिनके बीवी नहीं हैं उनको भी रिमार्क करो। यह कोई तरीका नहीं है। यह वाद विवाद के अच्छे नियम नहीं हैं। मान्यवर मन्त्री जी, आप स्वस्थ परम्परा डालिये। आप गलत रिमार्क करोगे तो लोगों को जोश आयेगा तो सदन का टाइम बढ़ेगा। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, आप व्यवस्था करें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यवस्था करें तब तो कोई बात है। वरना तो आप जब से आये हैं, हाउसिंग बोर्ड की, और आप से पहले रामनारायण चौधरी बैठे थे, यहां पर इन सबने तो छवि बिगाड़ी है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और, मान्यवर हाउसिंग बोर्ड ने दूसरी कालोनियों की जमीनों पर कब्जा किया है, वह बड़ी मुश्किल से निकलवाई जा रही हैं। यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के गलत काम मत करो।

श्री सभापति : श्री कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, जो स्कीम, जो कल्पना हाउसिंग बोर्ड के बारे में बनायी गयी थी, उसके बारे में लोगों की भावना बहुत अच्छी थी। यह सोच कर कि एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में मकान नहीं बना सकता, वह कम से कम मकान के किराये पेटे में जमा कराते हुए एक मकान में जाकर रह सकेगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार इनके निर्माण कार्य में जो कमियां आती जा रही हैं, जो खामियां हैं, जो मिलावट और जो रद्दीपन आता जा रहा है उसके कारण जो भी अलॉटी उसमें

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रहता है, उसको बहुत अधिक कष्ट होता है। यहां तक कि पिछली 83 में उदयपुर में 8 मकान गिरे थे उसमें आपने कुछ इंजीनियर्स को जोश में आकर, कि बहुत बड़ा काम कर दिया, सस्पेण्ड कर दिया। लेकिन वह कितने दिन सस्पेण्ड रहे? वापिस बहाल हो गये। अगर केवल दिखाना ही था, केवल लोगों को यही जताना था कि देखो हमने कितना प्रोम्प्ट एक्शन ले लिया तो आप कुछ और प्रोम्प्ट एक्शन ले लीजिए, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड से हर आदमी भयंकर परेशानी में है।

आपके यहां हाउसिंग बोर्ड का हिसाब रहता है किस्तों का? आपने कभी उस व्यक्ति को, जो किश्त चुकाता है, जमा कराता है, साल के अन्त में हिसाब की कापी भेजी है क्या? मुझे यही बताइये, वर्ष 81 के बाद क्या आपने अपने आवंटी को उसका हिसाब भेजा है? और हिसाब नहीं भेजने के कारण से अखबारों में कई लोगों के मकानों की नीलामी चढ़ा दी। आपने अखबारों में यह निकाल दिया कि इन मकानों की किस्तें बाकी हैं, इनकी नीलामी हो जायेगी। उसके कारण से लोग अपना सारा हिसाब लेकर आपके यहां जयपुर के दफ्तर में आये। वे तो समझदार लोग थे कि अपनी सारी रसीदें और कागज रखते थे, उन्होंने आकर, टेबल पर बैठकर बताया कि आपने नीलामी के आदेश निकाल दिये, हमारा तो सारा का सारा पैसा जमा है। इस प्रकार की अव्यवस्था है। लगातार दो सालों से, मैं विधान सभा में इस प्रश्न को हर सेशन में देता हूँ कि कब तक का हिसाब दे दिया। तो आपका जवाब आता है कि अभी हिसाब नहीं बना, हम बहुत जल्दी हिसाब दे रहे हैं। सन् 1981 से लेकर 84 का आज मार्च जा रहा है, 3 साल में आवंटियों के पैसों के जमा का हिसाब-किताब नहीं दिया। यही नहीं, डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर आपके ऑफिसेज बने हैं, तो केवल जयपुर में ही इसका एक ऑफिस कायम करके यहीं सारा हिसाब-किताब रखेंगे और वे यहीं आकर अपने हिसाब को देख सकेंगे, यह कितना असम्भव है। क्या आप यह जानते हैं कि आज की हमारी प्रणाली के आधार पर आसानी से एक-दो दिन में अपना हिसाब देखकर ऑफिस से जा सकता है? उदयपुर के किसी आवंटी को अपने हिसाब में यह गड़बड़ हो गयी है यह वाकयात हो गये हैं, यह देखने के लिए 4-4 दिन तक पड़े रहने के बाद भी वहां कोई जवाब देने को तैयार नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं। यही नहीं, जिन सरकारी कर्मचारियों ने सारा पैसा सरकार से लोन लेकर मकान के पैसे जमा करा दिये उनको 3-3 साल हो गये, उनको आप क्लियरेन्स नहीं दे सके कि आपका पैसा जमा है। उसके कारण उनको डिपार्टमेण्ट परेशान करता है कि तुमने जब सारा का सारा पैसा उठा लिया तो तुम सर्टिफिकेट लाकर दो कि तुम्हारा लोन वहां चुक गया। तो यह डिपार्टमेण्ट अभी तक उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा है।

यही नहीं, जिस समय आप फार्म भराते हो, उस समय लिखते हो कि आपकी इतनी कीमत आयेगी, यह मकान का साइज होगा, ऐसा होगा। पर जब अलॉट करते हो, उस समय क्या हालत है। न दरवाजे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हैं. न खिड़की है, न बिजली की लाइन है, न फिटिंग है, न पाइप है। वह पहले ही ऐसी स्थिति में जायेगा। आप क्या सोचते हो कि हाउसिंग बोर्ड, का मकान कोई बड़ा सेठ या करोड़पति लेगा ? यह तो वह लोग लेंगे. जो या तो इसमें से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं किसी प्रकार से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके उसमें सामान या और कुछ लगवाकर। अन्यथा वह आदमी लेगा जो नौकरी करता है।

मुझे यह बताइये, मध्यम आय वर्ग जिसको कर रखा है, जिसको हजार रुपए तनख्वाह मिलती है. उसको 25×50 का प्लॉट अलॉट करते हो, उसकी किस्त कितनी आती है ? कभी आपने देखा कि 380 रुपए से लेकर 400 रुपए तक आती है ? मुझे बताओ, हिन्दुस्तान में आप कर्मचारी को ईमानदार रखना चाहते हो या बेईमान बनाना चाहते हो ? मैं कह रहा हूँ, हाउसिंग बोर्ड की आज की प्रणाली के आधार पर हर छोटा कर्मचारी चोर बनेगा, तभी जाकर अपने मकान की किस्त भर सकेगा। जिसको 900 रुपया मिलता है वह अगर 400 रुपया हाउसिंग बोर्ड की किस्त चुका देगा तो 500 रुपए में अपने बाल-बच्चों का पालन कैसे करेगा ? वह निश्चित रूप से अपने ऑफिस में छोटी मोटी चोरी करेगा, किसी भी तरह से इसकी पूर्ति करेगा और फिर दिन में या रात में एक्स्ट्रा समय में मजदूरी करके उसका पैसा चुकायेगा। क्या वास्तव में मदद पहुंचाने के लिए ही कार्यक्रम बनाया है ? यह हिन्दुस्तान में राजस्थान के उन छोटे कर्मचारियों को चोर बनाने की योजना बना ली। क्या यह कल्पना कर सकते हो कि एक हजार तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति 400 रुपए हाउसिंग बोर्ड के मकान के जमा कर सकेगा ? कभी क्या हो सकता है ? लेकिन आपने सारे इस प्रकार से बनाये। आपके मकान अधूरे पड़े हैं, मकानों में कुछ काम नहीं है. कभी आपने इस बारे में नहीं देखा कि आखिर उसको कोई तकलीफ भी है। एक ही लाइन में एक ही मकान आपने बना दिये। बन गये 6 साल पहले। और उसके बाद आधे लोगों को अलॉट कर दिये। उनकी किस्तें आती हैं 175–210 रुपया। उसके बाद कुछ लोगों को 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद आपकी गलती के कारण नही दिया, उनकी किस्तें आ गयीं 380 रुपए। आखिर यह तरीका क्या है ? मकान जो जिस समय बने, सारी की सारी कॉलोनी एक साथ बनी थी, उसकी किस्त वही होगी। यही नहीं, डवलपमेण्ट चार्ज आप रखते हो, हर कॉलोनी का आपके पास पैसा है। क्या कभी आपने यह विचार किया कि जो पैसा वर्षों से जमा है उनको कॉलोनी में किसी विशेष काम के लिए, डवलपमेण्ट के लिए लौटाना चाहते हो ? जिन लोगों को 72–73 में मकान अलॉट हुआ, किसी कॉलोनी का 25 हजार, किसी का 80 हजार, किसी का एक लाख का हुआ, आप उसको नहीं दे सकते हो ? और फिर आपकी पैनल्टी क्या है ? क्या चाहते हैं ? एक छोटा आदमी, जो बड़ी मुश्किल से मकान लेता है, आपके यहां की पैनल्टी 18 प्रतिशत है, और कभी कभी तो डबल होती है, अगर यह दो चार महीने नहीं दे पाते हैं। ऐसा हर एक के जीवन में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आता है, कई ऐसे पारिवारिक कष्ट आ जाते हैं जिनके कारण से 2 महीनों तक, 3 महीनों तक, 4 महीनों तक नहीं दे पाता है। आप जो ब्याज लगाते हो, पैनल्टी लगाते हो, वह इतनी अधिक है, जिसके कारण से हम उसको कोई आराम नहीं पहुंचा रहे हैं। हम इन सारे नियमों को ठीक तरह से देखें। जिस आदमी की हैसियत है, उसके अनुसार उसको किस तरह से सुविधायें दे सकते हैं। हो सकता है, छोटी इनकम का आदमी है, आप उसको 12 साल में नहीं करिये, उसकी टर्म बढ़ाइये जिसके कारण से वह किस्त समय पर जमा करा सकेगा और वह आपकी किस्त की समय पर अदायगी कर सकेगा। उसकी जो खराबियां हैं, कमी बेशी है, कम से कम आप, जो डिवीजन हैडक्वार्टर्स पर आफिसेज हैं आपके, सारे अकाउन्ट्स वहां पर ट्रांसफर करिये। जिसके कारण से उदयपुर जिले का और उदयपुर डिवीजन का जो रहने वाला है वह आदमी आकर अपना अकाउण्ट देख सके। उसको अपना हिसाब नहीं मिलता है, ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है। ऐसा हिसाब-किताब हो रहा है? अगर तीन साल में नहीं बना सकते और भेज सकते, बाकी कारण क्या है? कम से कम आप इसका जरूर स्पष्टीकरण करें कि अगर आप हिसाब नहीं भेजते हो तो उसका कोई दोष नहीं है। कई बार भूल के कारण उसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता है और जिसकी वह सजा भुगतता है। कई लोगों को इससे मेण्टल टेंशन होता है, अखबारों में निकलने के बाद इतना बड़ा अपमान होता है, आदमी का, कि घर नीलामी पर चढ़ गया। जबकि मेरी सारी किस्तें हैं। क्या आप इस डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं जो बिना किसी हिसाब को देखकर इस तरह की व्यवस्था करते हैं। हमारी आप से प्रार्थना है कि जो कुछ भी करने जा रहे हैं, जो कुछ भी लाये हैं लोगों के फायदे के लिए अमेण्डमेण्ट को लाये हैं, उसमें इस बात को भी जोड़िये कि व्यक्ति की जो मजबूरियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको देखकर उनको सहूलियत मिल सके, अच्छा मकान मिल सके, अच्छा काम मिल सके। अगर दो हजार रुपये कन्स्ट्रक्शन में ज्यादा आ जायेगा, अगर हमारा वह मकान 40 में पड़ रहा है, 44 में पड़ जायेगा उसमें कोई चिन्ता की बात नहीं, पर उसमें इतना खराब मैटीरियल मत डालो कि एक अगर पत्थर को हिलायें, अगर एक मुक्का मारें तो उसका सारा प्लास्टर गिर जाय। इस प्रकार से क्यों हमारी छवि बिगाड़ना चाहते हो। लोगों के मन में लगता है कि यह भी एक दुकानदारी का धन्धा हो गया है। यह कुछ लोगों की कमाई का साधन बना दिया, कुछ लोग इसमें से आराम से खायें, लोगों को लूट करके खायें। वे पैसा देते हैं तो इसलिये देते हैं कि गरीब आदमी को मकान हम दे सकें लेकिन सारी की सारी नीतियां जो एक अच्छे इरादे से बनायी गई हैं, खतम होती जायेंगी। अगर यही स्थिति रही तो एक दिन यह हाउसिंग बोर्ड हमारे स्वयं के लिये एक ऐसा कलंक बन कर खड़ा हो जायगा कि लोग मकान में रहते हुए भी हमको गाली देंगे। छतें गिरेंगी गिरती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे। इस तरह की स्थिति बन गयी है। मैं यही बात कहता

(160)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हूँ कि आप इस पर विचार करें।

श्री सभापति : श्री मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, आज हाउसिंग बोर्ड द्वारा अविधिमान्य किये गये कामों को...

श्री रामनारायण चौधरी : आप आज सुबह से ही बोल रहे हैं। कुछ तो थकान महसूस करें।

श्री कैलाश मेघवाल : दूध तो आपकी डेयरी का ही पीता हूँ रोज। यह तो मालूम नहीं है कि वह दूध ठीक भी आता है या नहीं लेकिन थका नहीं।

माननीय सभापति महोदय, विधिमान्यकृत तो ये किये जा रहे हैं और हो भी जायेंगे लेकिन दो प्रमुख शिकायतें हैं हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ। एक शिकायत है इसका कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं होता, हल्की होती है सामग्री। गलत और हल्के स्तर की सामग्री प्रयोग की जाती है और दूसरी शिकायत है कि इनकी कीमतें जो हैं अविवेकपूर्ण तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूँ कि जो एक्ट बना उसमें और उस एक्ट के हिसाब से जो रेगूलेशन बने उसमें कुछ बातें कही गयीं थीं। जो राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम है इसकी धारा (2) की उपधारा (4) की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। आज जो काम होना चाहिये वह भी आपके अधिकारी आपके ध्यान में नहीं लाते हैं। उस संबंध में और इसमें भी रास्ते सब खुले हुए हैं। अब आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि "निर्माण सामग्री से ऐसी वस्तु अथवा चीज से अभिप्रेत है जिन्हें इस अधिनियम के अभियोजकों के लिये राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्माण सामग्री विनिर्दिष्ट करें।" 1970 में जब यह अधिनियम बना तब का यह निर्देश है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि इस उपधारा (4) की पालना आज तक क्यों नहीं हुई है। यही एक मोटा कारण है। मैं माननीय सभापति महोदय, एक बात यह भी निवेदन कर दूं कि इस तरह की गलतियां ढाई साल में चलती रहीं, यह मैं मानता हूँ, अगर ढाई साल में ये गलतियां रही हैं तो रही हैं पर उस ढाई साल के बाद चार साल अब आपके हो गये, उस ढाई साल के पहले सन् 70 में बन चुके थे, 77 तक सात साल हो गये, सात और चार, 11 साल हो गये और हमारी ढाई साल की गलती के लिए आप यह कहें कि आपने क्या किया था? मैं यह जवाब सुनने को तैयार नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि विवेकपूर्ण जवाब दें। यह गलती रही है और अधिनियम में भी यह बात जब कही गयी है तो इस बात की पालना होनी चाहिये थी। इस बात की पालना आपके अधिकारी नहीं करने देंगे। इसलिये नहीं करने देंगे कि अगर सामग्री को विनिर्दिष्ट कर देंगे या सामग्री का स्तर तय कर देंगे तो फिर इनको जिस तरह की छूट मिली हुई है, हल्के सामान यूज करने की, ठेकेदारों से मिल कर के कमीशन खाने की, यह बहुत ही हल्के स्तर की बात है। मैं एक बात और कहता हूँ, सभापति महोदय, दूसरा जो है, इस विक्रय

(श्री कैलाश मेघवाल)

में मैं बाद में बात करूंगा, दूसरा है राजस्थान आवासन बोर्ड के डिस्पोज़ल आफ प्रापर्टी रेगूलेशन 1970, यह भी 1970 में निकाले गये, इस अधिनियम के तहत ये रेगूलेशन बने। माननीय सभापति महोदय, इस अधिनियम के तहत बने रेगूलेशन 2 की उप धारा (32) की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, (32) की तरफ आपका ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसकी भी पालना होनी चाहिये। वह क्या है? आप देखिये :-

"'Property circumstances' includes the nature and condition of the building and its premises, the type and nature of construction, specifications adopted thereof, the materials used, the workmanship, stability or durability of the structures, the type of accommodation, the pattern of installations, fittings, and fixtures and other amenities and all such other things that constitute the property as they exist in the building and the premises concerned."

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज 14 साल हो गये, बारह साल आपके, ढाई साल हमारे, इस 14 साल के अंदर भी आप इस प्रापर्टी सरकम्सटांसेज को अभी तक तय नहीं कर पाये हैं। प्रापर्टी सरकम्सटांसेज की हालत क्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दो बातें नहीं होने की वजह से आज तक इस हाउसिंग बोर्ड में जो सारे कंस्ट्रक्शन की गलती रही इसका कारण यही है कि यहां पर इंजीनियर इन बातों को होने नहीं देंगे। मैं चाहता हूं कि ये दो बातें हो जायं। ये दो बातें अगर हो जायं तो आप यह बताइये आज तो वैज्ञानिक तरीके से आपके इन्जीनियर जनता को यह भी छोटी मोटी गारण्टी दे सकते हैं कि इन हाउस में जो सामग्री हमने विनिर्दिष्ट की है, वह सामग्री इस तरह की है। इस प्रकार की प्रापर्टी सरकम्स्टांसेज हैं और इसके आधार पर बिल्डिंग, जो आपको दे रहे हैं, की उम्र कितनी है। यह जब तक आप नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार का मुख खुला रहेगा और मनमानी होती रहेगी। मुझे अफसोस है, माननीय सभापति जी, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी विधान सभा सत्र में एक सवाल पूछा गया था और उस सवाल का जवाब दिया है। आप देखिये बड़ा हंसीपूर्ण इसका जवाब है। उसमें पूछा था कि क्या राजस्थान आवासन बोर्ड के डिस्पोजल आफ प्रापर्टी रेगूलेशन एक्ट, 1970 के नियम 2 (32) के प्रापर्टी सरकम्स्टांसेज के अन्तर्गत कोई आदेश जारी किये हैं? यदि हां तो कब? कृपया उन आदेशों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें। यह प्रश्न था इसका जवाब क्या दिया है? राजस्थान आवासन बोर्ड के डिस्पोजल आफ प्रापर्टी रेगूलेशन एक्ट, 1970 के विनियम 2 (32) के प्रापर्टी सरकम्सटांसेज के अन्तर्गत, कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं, न ही इस धारा के अन्तर्गत ऐसा कोई आदेश जारी करना आवश्यक है।

मैं माननीय सभापति महोदय, पूछना,

(162)

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहता हूँ कि यह आपका जवाब है। क्यों नहीं आवश्यक है ? जब कंस्ट्रक्शन का काम आप लेकर चल रहे हैं और रेगूलेशन में साफ लिखा है कि प्रापर्टी सरकम्सटांसेज का आदेश जारी करना है जिससे कि आपके क्रेता आपको, You are a seller, महरबानी करके भुगतान देता है वह पर्चेजर है, सैलर और पर्चेजर के बीच एक प्रास्पेक्ट होता है। आप पर्चेजर को कैसी सामग्री दे रहे हैं विधान सभा में एक सामूहिक चिन्तन के बाद राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड के मकान के जो पर्चेजर हैं उसके सामने ये ये बातें होंगी और इन बातों के आधार पर मकान दिया जायेगा। तो मुझे अफसोस है कि यह आपने जो किया है, आपके अधिकारियों ने किया है या आपने भी इसको अप्रूव किया होगा, आप इसको ओमिट कीजिये। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि सारे राजस्थान में, कहीं चले जायेंगे, जो मकान गिर गये, उनके बारे में कह रहे हैं, जो खड़े हैं उनके कंस्ट्रक्शन भी बड़े हल्के किस्म के हैं। माननीय सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य है कि शैतानियत किस तरह नाच करती है। क्षुद्र स्वार्थों के लिए, कुछ रिश्वत के लिए, कुछ कमीशन के पैसों के लिए जिस तरह के हल्के मकान बनाये जा रहे हैं ये कभी भी गिर सकते हैं और उनके गिरने के कारण जन हानि हो सकती है। उस जन हानि के बारे में आज कोई यहां पर भाषण में कहे तो इस जन हानि के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में कोई आपके सामने विकल्प नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि आपको स्पष्ट रूप से यह बात तय करनी चाहिये।

दूसरा मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे मकानों के मूल्य के बारे में। मकानों के मूल्य के बारे में एक सवाल था. माननीय सभापति महोदय, एक के बाद एक जितने माननीय विधायक यहां पर बोले थे उन्होंने मकानों की कीमत के बारे में एतराज किया था। मैं कहना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड नो प्राफिट नो लास की इन्स्टीट्यूशन है। अगर इसको प्राफिट की इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हो या उसके पैसे आप अपने अफसरों के वैभव में, ऐश्वर्य में खर्च कराना चाहते हो तो राजस्थान के उन क्रेताओं के साथ धोखा है जो कि आपके यहां से मकान खरीदते हैं। यहां आपसे पूछा कि प्रामाणिक आधार क्या है ? आपका इंजीनियर तो विज्ञान की दृष्टि से बहुत अधिक तेजी से चला हुआ है, बहुत अधिक चरम सीमा तक पहुँचा हुआ है। यहां आपसे पूछा गया कि इसके मापदण्ड क्या हैं ? तो मापदण्ड आपने कुछ नहीं बताये। मापदण्ड में आपने केवल यह लिख दिया कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित आवंटित मकानों का मूल्य निर्धारण मण्डल द्वारा निर्धारित पद्धति के द्वारा किया जाता है। वह निर्धारित पद्धति आपकी क्या है ? वह आपने इसमें कहीं नहीं बतायी है। मुझे अफसोस है कि इस विधान सभा से आपने यह मौलिक और आवश्यक जानकारी, जो विधान सभा को दी जानी चाहिए थी, छिपायी है। इसमें आपके सारे अधिकारियों और प्रशासन का, हाउसिंग बोर्ड के जो संचालक है उनका एक निहित स्वार्थ है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी पद्धति क्या है ? माननीय मंत्री जी जब जवाब दें, आपका सारा हाउसिंग बोर्ड बैठा है, तब बतायें

(श्री कैलाश मेघवाल)

कौनसी पद्धति है आपकी ? हमको भी तो मालूम पड़े । कोई चैकिंग वैकिंग तो होगी। आपने निर्धारित पद्धति बता दी । आगे लिखते हैं कि इसमें भूमि एवं उस पर किये विकास कार्यों की कीमत, निर्माण पर किया गया व्यय, उसमें लगी हुयी पूंजी पर व्याज तथा प्रशासनिक एवं अन्य अप्रत्यक्ष व्यय निर्धारित दरों पर सम्मिलित किये जाते हैं । मैं इसलिये कहना चाहता कि आज आप सस्ती जमीन खरीदते हैं । अलवर का एक केस बताना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, कि आपके द्वारा साढ़े तीन रुपये स्क्वायर मीटर में जो जमीन उन्होंने खरीदी, थर्ड ग्रेड में जो मकान बने हाउसिंग बोर्ड के 80 रु. स्क्वायर मीटर का चार्ज किया उसमें । और सैकण्ड ग्रेड में जो मकान बने 123 रु. स्क्वायर मीटर के हिसाब से चार्ज किया । क्या अधिकार है आपको ? आप 80-80 लाख की बिल्डिंग बना करके, अच्छे अच्छे मकान बना करके, सारे हाउसिंग वोर्ड के खर्चे को बढ़ा करके, अफसरों की एक फौज खड़ी करके जनता के ऊपर इसका भार बढ़ाना चाहते हैं । मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मूल्य निर्धारण की नीति प्रामाणिक होनी चाहिए, जब क्रेता अपना प्रार्थना-पत्र ले करके आता है, उसको जब रिसीट करते हो उस रिसीट के साथ जिस वर्ग का मकान मांग रहा है उस मकान के मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया आपको उसे देनी चाहिए । एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह दो बातें होनी चाहिए । एक लम्बा चौड़ा चार्ट आपने दे दिया है बिल्कुल बेस्ट, ऊटपटांग । 71 में क्या कीमत थी ? 84 में क्यों हो गयी ? कोई कारण नहीं ? कोई इनके पास वैज्ञानिक आधार नहीं, माननीय सभापति महोदय । मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, ये हमारे माननीय मन्त्रीजी एक बार बड़ी कहते हैं, बड़ी डींगें हांकते हैं, और जब कभी यह मसला उठा, आपने निर्देश दिये, मैं इस बात की तो आपकी कदर करता हूँ कि आप यहां पर खड़े होकर कहते हैं कि जनता पार्टी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को नहीं मिला, मैंने दिया, मैंने दिया और इस तरह से कह कर जुबान चुप करना चाहते हो । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी से सीधा सवाल करना चाहता हूँ, और इसलिये सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि यह 14 प्रतिशत का आरक्षण है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये है, माननीय सभापति महोदय, मैं एक भावनात्मक समाज रचना की दृष्टि से भी इस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, जो पाप आपने चालू किया हमारे ढाई साल में भी चालू रहा होगा, पाप यह है कि सारे राजस्थान में जहां जहां भी अनुसूचित जाति और जनजाति की कालोनी या मकान या बस्तियां बनती हैं, माननीय सभापति महोदय, वह बिल्कुल अलग बनती हैं । रेगरों का मोहल्ला, रेगरी बस्ती, कोलियों का मोहल्ला, कोली बस्ती, नायकों का मोहल्ला, नायक बस्ती । ये जो आपने पाप किया है यह सदैव के लिये स्थायी रूप से जातिवाद को स्थायीत्व देने वाला पाप आपने किया है, चाहे ढाई साल में हम उसको ठीक नहीं

(श्री कैलाश मेघवाल)

कर सके। उसको अब ठीक करने का कोई माध्यम है, माननीय सभापति महोदय, तो यह हाउसिंग बोर्ड है। हाउसिंग बोर्ड में आपने 14 प्रतिशत क्यों तय कर रखा है ? संविधान में इस बात का निर्देश है कि जनसंख्या के अनुपात में संरक्षण किया जाना चाहिए। मैं आज, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मांग करता हूँ कि 17 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिये और 12 प्रतिशत अनुसूचित जन-जातियों के लिये जहां भी हाउसिंग बोर्ड मकान बनाता है वहां निश्चित रूप से आप संरक्षण दीजिये। आपने 5-7 एस. सी. के अफसरों को दिया, यह पर्याप्त है ? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल यहां पर पूछा गया था, माननीय सभापति महोदय, उस सवाल में यह पूछा गया था कि आपने अभी तक कितने मकान अलाट किये ? उन्होंने बताया कि टोटल मकान 3651 बने हैं और अलाट किये 3455 और कब्जा दे दिया है 3234 का। उसमें एक सवाल यह पूछा गया था, जो माननीय भंवरलाल शर्मा की तरफ से पूछा गया था, "क्या इन आवंटन अथवा आरक्षणों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिये नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो किस आय वर्ग में किस किस को कौन कौन से नं. का मकान आवंटन या आवंटन हेतु आरक्षित किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।" माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए आश्चर्य है, इस विधान सभा में पिछली बार और इस बार भी आपने जोXX में अनुसूचित जाति का कोटा प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह प्रमाण है, जो जवाब आया है। आपके हाउसिंग बोर्ड से क्या जवाब आया है "इन आरक्षण आवटन में अनुसूचित जाति/जन-जाति को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया गया है। सूची पूरी तैयार करने में समय लगेगा।" माननीय सभापति महोदय, 14 प्रतिशत का पूरा आरक्षण होता तो 511 की सूची बनती....

श्री रामनारायण चौधरी : हजारों में हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : अजी महाराज ! 511 से ज्यादा, मैं कहता हूँ कि 100-125 से ज्यादा नहीं हैं। माननीय रामनारायण जी, मेरी चुनौती है आपको, अगर इसमें 14 प्रतिशत का आरक्षण आप बता देंगे तो मैं आज घोषणा यहां करता हूँ कि मैं इस सदन से त्याग-पत्र दे दूंगा। मैं आपको चुनौती देकर कहना चाहता हूँ।

श्री रामनारायण चौधरी : किस बात की ?

श्री कैलाश मेघवाल : एक मन्त्रीजी आते हैं और यहां कह देते हैं कि ..

(व्यवधान)

मन्त्रीजी ने जो डायरेक्शन दिये हैं उन पर भी मैं आता हूँ कि किस किस के लिये डायरेक्शन दिये और कब कब दिये ? यह कहने से काम नहीं चलेगा, 511 की सूची तैयार की जा रही है। अतारांकित प्रश्न पूछा गया था, 511 की सूची तैयार की जा सकती थी लेकिन, माननीय सभापति

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

महोदय, मैं आपके द्वारा आरोप लगाना चाहता हूँ कि किसी भी सरकार ने इन हरिजनों को क्योंकि हरिजनों के प्रति नफरत करने वाले लोग बैठे हैं, पूरा आरक्षण नहीं दिया है। मैं कहता हूँ कि 1300 में से मैंने आपको बताये, 511 होने चाहिए थे। 125 से ऊपर नहीं जाता है, यह मेरी सूचना है, इसमें विधान सभा से यह सूचना छुपायी गयी। आखिर 10 दिन पहले आता है सवाल। 10 दिन में 511/511 की सूची तैयार नहीं हुयी ? इससे ज्यादा को नहीं दिया गया। इसलिये मैं चाहता हूँ कि अगर आप में ईमानदारी हो तो जब जवाब दें इस बात की घोषणा करें कि जिस जिस मोहल्ले में, जितने जितने मकान, जिस जिस बस्ती में, जिस जिस सैक्टर में जितने जितने मकान अनुसूचित जाति व जनजाति के जिस जिस वर्ग के बने हैं उसमें 14 प्रतिशत निश्चित रूप से अनुसूचित जातियों को दोगे आप। तब तो आपकी ईमानदारी मानूंगा। बाकी केवल यह उच्च आय वर्ग के पांच चार मकानों का जो मसला उठ जाता है तब आप XXX देते हो, और अनुसूचित जाति के होने का प्रमाण दे देते हो। यह प्रमाण ठीक नहीं है। यह रामनारायण जी हमेशा प्रतिक्रियावादी रहे, केवल भाषणों में प्रगतिशील रहे हैं। बाकी रामनारायण जी मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर 14 प्रतिशत नहीं है तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा..

श्री रामनारायण चौधरी : 14 प्रतिशत, माननीय सदस्य, रजिस्ट्रेशन नहीं है अनुसूचित जाति का....

श्री कैलाश मेघवाल : है, मैं कह रहा हूँ, है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं है, नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं कह रहा हूँ आपके सामने। आप चुनौती स्वीकार कीजिये आप तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए हैं, आप तो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, आप मन्त्री रहे हुए हैं आपका तो कमिटमेंट है अनुसूचित जाति, जन जाति को उठाने का।

श्री रामनारायण चौधरी : किया है।

श्री कैलाश मेघवाल : कहां किया है ? मैं कह रहा हूँ कि ये चार पांच नाम आ जाते हैं और माननीय दुलाराम जी, जो कि अनुसूचित जाति के हैं, को यह लगता है कि आरोप लग रहा था, तो मैंने अनुसूचित जाति को दिया है। अजी महाराज, यह पांच जो आपने दिये हैं, यह चार निर्देश आपने दिये हैं, जिसके आधार पर आप दब करके आप अपना डिफेन्स लेना चाहते हो। बाकी आपके मन्त्री काल में भी अनुसूचित जाति और जनजाति को नहीं मिला है। मैं आज स्पष्ट घोषणा आपसे चाहता हूँ अगर आप में ईमानदारी है, माननीय सभापति महोदय, माननीय दुलाराम जी, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, का अगर भावात्मक लगाव है, यह बात मैं दूसरी

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

दृष्टि से भी कह रहा हूँ, अनुसूचित जाति बहुत बढ़ गयी, एस. टी. बहुत बढ़ गयी, एस. सी. और एस. टी. के यहां बैठे हुए माननीय विधायक यह जानते हैं और हम सब यह जानते हैं कि अच्छे मोहल्ले में चाहे अफसर हो, चाहे कुछ भी हो आज भी उनको मकान किराये पर नहीं मिलते हैं। आज मिक्स कालोनी की एक स्प्रिट होनी चाहिए समाज में एकाकार लाने के लिये, समाज में समानता लाने के लिये। मिक्स कालोनी आगे बढ़ाने के लिये जो बात करनी चाहिए वह भी आज आज आपको करनी चाहिए। वह अगर आप नहीं करते हैं तो उसका माध्यम ही यह हाउसिंग बोर्ड हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। इसलिये जिस जिस सैक्टर में चाहे वह जवाहर नगर हो, चाहे मालवीया नगर हो, चाहे और कोई सैक्टर हो, मैं यह चाहता हूँ कि आप यह घोषणा कीजिये कि वहां आप इस प्रतिशत को पूरा करेंगे। यह भी घोषणा कीजिये। अरे, एक किस्सा सुनते हैं कि अनुसूचित जाति का एक भिश्ती राज हुआ था तो उसने चमड़े के सिक्के चलवा दिये थे। मेरे पर भी यह आरोप लगा था जब मैं खान मंत्री था तो मैंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों को थोक में खाने अलॉट की। मेरे अधिकारी आकर कहते थे कि अरे ये खानें तो इन लोगों ने बेच दी सबलेट कर दी। तब मैं उनसे सवाल पूछता था बड़े खान वालों का नाम लेकर कि वे लोग क्या करते हैं? शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी ने अगर सबलेट कर दी और उससे आमद हुई है तो उससे मुझे उतनी ही खुशी हुई या अगर उसको ठेके पर दे दो तो मुझे उतनी ही खुशी है। यह आरोप यहां के वर्ग चरित्र पर इस समाज के वर्ग चरित्र पर लगेंगे और आप पर लगेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो, दुलाराम, हाउसिंग बोर्ड का मिनिस्टर एक शिड्यूल्ड कास्ट्स का था उसने आबादी के हिसाब से सारे राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड में मकान आरक्षित करने की घोषणा की तब तो मानूंगा। बाकी आप ऑफिसर्स के हाथ की कठपुतली हैं। हमको इस तरह से काम नहीं करने देते, इस तरह के आरोप हमेशा लगते रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था, माननीय गुलाबचन्द जी ने पूछा था, वह यह पूछा गया था कि आपके यहां पैसा किस-किस का आया और किस-किस का नहीं आया? तो हाउसिंग बोर्ड क्या कहता है, विधान सभा में जानकारी मांगी गई कि किस किस की किस्त समय पर जमा हो रही है और किस किस की किस्त जमा नहीं हुई? और जवाब क्या आता है? जवाब यह आता है कि ऐसा मामला हमारे सामने नहीं आया। आपके सामने नहीं आया तो किसके सामने आयेगा, कौन लायेगा? हाउसिंग बोर्ड के यहां से नहीं आयेगा तो और कहां से आयेगा? केवल जयपुर का पूछा था, बाहर से सूचना नहीं मांगनी थी। यह है, आपके सारे हाउसिंग बोर्ड का कार्य। विधान सभा से इस तरह की जानकारी मांगी हो और वह छिपायी जाय, यह विधान सभा का प्रिविलेज है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री कैलाश मेघवाल)

आइन्दा से इस तरह के सवाल का जवाब ऑफिसर लेकर आयें, उन आफिसर्स को कहें कि सीधा जवाब दें कि ऐसा मामला नहीं आया तो क्या हुआ, कितने लोगों ने किस्तें जमा कराई और कितनों ने नहीं कराई और कितनों के आपने अलॉटमेन्ट खारिज किये हैं। यह सीधा सवाल है इसका आपको जवाब देना चाहिये था कि इतनों की सही है, इतनों की नहीं है। इस तरह के जवाब आपके अधिकारी देते हैं और आप उनको मानकर चलते हैं।

सभापति महोदय, मैं केवल अजमेर की बात और कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा समय लूं। अजमेर में हाउसिंग बोर्ड का काम चल रहा है, आप पार्क के लिए जमीन छोड़ देते हैं, उस जमीन को आप ठीक नहीं करते है, पार्क नहीं बनाते हैं। यह जब म्यूनिसिपैलिटी को सुपुर्द करते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हाउसिंग बोर्ड पार्क के लिए जमीन छोड़ता है और जमीन छोड़ने के बाद पार्क वहां पर बनते नहीं हैं, वह गन्दे रूप में, दूसरे कार्य में और नाजायज कब्जों के काम में आता रहता है। यह आप क्यों करते हैं? अगर पार्क के लिए जमीन छोड़ते हैं तो पार्क बना कर दीजिये। अगर हाउसिंग बोर्ड की कालोनी बननी है तो उसके साथ पार्क भी बनेगा। कम्युनिटी हाल का आपके यहां प्रावधान है। मैं यहां अजमेर से आता हूं, अजमेर में जिस जगह कम्युनिटी हाल का प्रावधान है वहां पर कम्युनिटी हाल बना कर आपने आज तक नहीं दिया। वहां पर रहने के लिए आपने कितने प्लाट्स/मकान आरक्षित कर दिये।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड ने करोड़ों रुपया अजमेर के आना सागर में डूबो दिया। यह आपके पीछे बैठे हैं माननीय वन राज्य मन्त्री जी, इनसे पूछिये, आना सागर के पेटे में हाउसिंग बोर्ड ने मकान बनाये हैं, जितने भी आपके तीसरे फेज में मकान बने हैं उन मकानों में कोई रहने के लिए नहीं जाता, खाली पड़े हैं, और जो लोग मकानों में रहने के लिए चले गये हैं उनके मकान में हर बरसात में पानी आता है, जिससे उनकी नींव कमजोर हो रही है, उनको सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं है। हाउसिंग बोर्ड ने जिस जगह पर मकान बनाये हैं, आना सागर के पेटे में जो सामान्य सरफेस है उसके 5-5, 6-6 फीट नीचे जो मकान बना दिये वहां पर, जाने वाले पानी को कोई नहीं रोक सकता और अजमेर के अधिकारी वहां पर लाखों रुपये खा-पी रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने रखे हैं। अगर आप वाकई हाउसिंग बोर्ड में सुधार लाना चाहते हैं तो आप इन सब बातों को ठीक करें। विशेष धारा 54 में यह लिखा है धारा 54 की ओर, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान और, माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपके यहां व्यवस्था है अविधिमान्य कृत्य भी विधि मान्य रूप में कराने की, लेकिन यह धारा 54 बोलती है—

(श्री कैलाश मेघवाल)

"इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा अपने कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक या समिति जैसी उप विधियां बोर्ड बना सकेगा जो इस अधिनियम से असंगत न हो।"

यह उप विधि आपने बनाई है और सन् 81 में बनाई है। माननीय मन्त्री महोदय, आपके पास पड़ी है, यह कहा जाता है। एक सवाल पूछा गया, इसी विधान सभा में हमारे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य श्री जोशी जी द्वारा, धारा 54 के अन्तर्गत कोई उप विधि बोर्ड द्वारा बनायी गयी, वह सदन की मेज पर रखें। राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 54 के तहत मण्डल द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, Maintenance and use of buildings, constructed in under any Housing scheme, Belaws, 1981. बनाये जाकर राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। 1981 में बनाये गये हैं, माननीय सभापति महोदय। मैं इन बाई-लाज को इसलिये बहुत जरूरी मानता हूं कि बिल्डिंग्स की मेन्टीनेंस कैसे होगी, इनका रखरखाव कैसे होगा, इसके इसके बारे में आपकी स्थिति कैसे होगी क्या होगी, जो काम आप अधूरे छोड़ते हो उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा। जो बाई लाज आपके यहां पर पड़े हैं आप उन बाई-लाज को स्वीकार करें और सारे राजस्थान में उनको लागू कीजिये।

माननीय सभापति महोदय आपने समय दिया उसके लिये आपका आभारी हूँ। मैं माननीय मन्त्री जी से पुरजोर निवेदन करता हूँ कि पोजीटिव रिप्लाई आपका आना चाहिए। मैंने पाइटेंडली सवाल उठाये हैं, एस. सी. और एस. टी. के बारे में डरिये मत। मैं कहना चाहता हूँ आप इस वर्ग के हैं इसलिये डरने की जरूरत नहीं, अगर ईमानदारी है आपमें तो आज घोषणा कीजिये और उसको लागू कीजिये। जिस तरह से लोग भिश्ती के चमड़े के सिक्कों को याद करते थे, दुलाराम को याद करेंगे कि हाउसिंग बोर्ड में 29 प्रतिशत सुरक्षित करके गये। समाज का एक नया ढांचा खड़ा है, इस दावे को लीजिये। यही मेरा निवेदन है। इस वाहवाही को लीजिये। यही मेरा एक निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रामकंवार बैरवा।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : यह हाउसिंग बोर्ड का संशोधन विधेयक लाया गया है। जो मौजूदा कानून है उसमें कोई सुख-सुविधा नहीं है। 1925 मकानों की अनुसूचित जाति के लोगों की लाटरी निकाली गयी तो अभी हमारे भूतपूर्व चेयरमैन फरमा रहे थे कि मैं कभी लाटरी में नहीं बैठा और कमिश्नर साहब उस लाटरी में बैठते थे। इसलिये कमिश्नर साहब से मैं कहता हूं कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायक, सांसद और छोटे बड़े कर्मचारी की तो जो 11.5.83 को लाटरी निकाली उस में कोई बड़े अधिकारी नहीं बैठे, केवल एक आवासन अधिकारी को बैठाया और उसके ऊपर ही सारा काम छोड़ दिया गया।

(श्री रामकंवार बैरवा)

उन्होंने अपनी मनमानी करके कई लोगों की कैटेगरी चेंज कर दी। कई लोगों को मन पसन्द मकान दे दिया। मुझको खुद को जो मकान मिला, उसकी भी कैटेगरी बदल दी। उस गलती को आज तक मानने को तैयार नहीं हैं। सभापति महोदय, मैंने करीबन 10-12 पत्र लिखे, बहुत कड़े शब्दों में लिखे लेकिन आज तक उनका कोई जरा सा उत्तर नहीं। फिर उसके बाद भी जब लाटरी निकली तो 12/84 मकान बताया गया। मैंने तुरन्त जाकर मौका देखा तो छोटा मकान था। मैंने आकर एतराज किया, लिखित में एतराज पेश कर दिया उसके बावजूद 15,000 रु. जमा कराने के लिए मेरे नाम पर एक नोटिस निकाल दिया गया। उसमें मेरे को यह हिदायत दे दी कि 15,000 रु. आप एक महीने में जमा कराइये। इस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड की व्यवस्था है। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी हाउसिंग बोर्ड के आवंटी लोग हैं, वह जब तक कर्जा पूरा चुकता नहीं कर दें तब तक बोर्ड से सम्बन्ध रखते हैं। अगर इस तरह की लापरवाही होगी तो आखिर में मकान के मालिक का क्या हाल होगा? वह महंगा-सस्ता किसी को बेच कर अथवा छोड़ छाड़ कर भाग जायेगा? इस तरह, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि करीबन 90 प्रतिशत लोग असन्तुष्ट हैं, वह मकान बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। किसी में थोड़ा बहुत बकाया है, किसी प्रकार की गलती हो गई तो उसमें सुधार नहीं होता है। इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। मेरा यह निवेदन है कि प्रार्थना-पत्र किसी का भी आये तो उसका जवाब अवश्य देना चाहिए। लोग आपके बोर्ड पर वैसे ही क्लेम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बोर्ड की गलती है। अगर बोर्ड की गलती हुयी हो तो उसको सुधारने के लिये क्या प्रयत्न कर रहे हैं? यह कोई व्यवस्था नहीं है। सो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ हाउसिंग बोर्ड के बारे में कि हाउसिंग बोर्ड के मकान के लिये लोग लालायित नहीं है। इन दिनों में कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा होगा। मानसरोवर योजना भी इतनी बड़ी योजना है लेकिन उसमें हजार दो हजार रजिस्ट्रेशन कोई हो गये हों तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोग लालायित नहीं हैं। जिन लोगों को मकान मिले हैं उनको कोई पचासों तरह की तकलीफें हैं जिसको कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, मन्त्री महोदय, इसमें सुधार लाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, यह स्पष्ट जवाब होना चाहिए, अवश्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि हम लोग समझ सकें। मुझे ही नहीं मजदूर लोगों को भी कम कीमत पर छोटे मकान अलाट हुए हैं, अगर उन लोगों के साथ में इस तरह का होगा तो कभी भी न्याय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं मैं यही कहना चाहता हूँ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड के सन्दर्भ में जो बिल आया है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज वह बिल क्यों लाया गया है इसका एक कारण है। अब तक हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने, मन्त्रियों ने, तत्कालीन

(श्री हंसराज शर्मा)

चैयरमेन ने जो गलत काम किये, उन गलतियों को सुधारने के लिए यह संशोधन लाया गया है। इसी विधान सभा में हाउसिंग बोर्ड के सम्बन्ध में काफी विचार हुआ था। अखबारों में भी चर्चा थी कि हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन चैयरमेन द्वारा सम्बन्धित विभागों से बिना जानकारी किये हुए बिना विज्ञापन दिये हुये सैंकड़ों कर्मचारियों को लगाया गया। जब उस बात का इसी विधान सभा में विरोध हुआ, अखबारों में निकला उस समय उन्होंने पुनः एक गजट नोटिफिकेशन कराया कि हम आमन्त्रित करते हैं, आमन्त्रित करने के बाद लोगों के फार्म भरवाये, फिर जिन लोगों को पहले ले लिया गया था उनके ही फार्म भरवाये गये और यथावत उन्हें नौकरियों पर परमानेन्ट कर दिया गया। सभापति महोदय, आम जनता में यह चर्चा है कि राजस्थान में इस मामले में कम से कम हाउसिंग बोर्ड.....

श्री सभापति : कृपया व्यक्तिगत आरोप न लगावें।

श्री हंसराज शर्मा : व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा मैं। आम जनता में चर्चा थी की कम से कम आठ व दस लाख रुपये की रिश्वत ली गई थी। उस मामले को सारे राजस्थान के अखबारों में जमकर छापा गया था। यदि यह बात गलत थी तो तत्कालीन चैयरमेन को चाहिये था कि उसके कार्यकाल में गलत अपाइन्टेड को हटा करके दूसरों का अपाइन्टमेंट करते, सारे नियमों का पालन करते, लेकिन क्योंकि जो कलंक था वह उनके हृदय में था, उनके दिल पर था इसलिये वह उसको नहीं मिटा सके और आज की तारीख में वह कलंक यथावत् है। राजस्थान के इतिहास में इस प्रकार का जो कलंक लगा हुआ है हाउसिंग बोर्ड पर, यह छोटा मोटा कलंक नहीं है। आज हाउसिंग बोर्ड के मकानों के सन्दर्भ में माननीय बैरवाजी ने और अन्य व्यक्तियों ने काफी प्रकाश डाला है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि शायद राजस्थान के इतिहास में साधारण सी गरीब की झोंपड़ी उठ नहीं सकती, गरीब की झोंपड़ी क्यों नहीं उठ सकती। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा इस प्रकार के मकानों का निर्माण कराया जाता है जिनमें उसमें जाकर रहने वाला प्रथम चौमासे में तो अपने परिवार के साथ सूखे कपड़े पहन करके भी रहने की स्थिति में नहीं रहता। मैटीरियल बिल्कुल खराब लगाया जाता है, जो चूना लगाया जाता है या सीमेन्ट लगाया जाता है, उसमें राख लगाई जाती है या बजरी मिलाई जाती है या पीली मिट्टी मिलाई जाती है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी जो इसकी देखरेख करते हैं, जो अधिकारी चुनाई का काम जानते हैं, जो मैटीरियल का अच्छी तरह से सैम्पल ले सकते हैं वह सैम्पल नहीं लेते हैं, बिना सैम्पल के उनके द्वारा काम कराया जाता है और उसमें लाखों रुपयों का घोटाला होता है। इस प्रकार राजस्थान के अन्दर हाउसिंग बोर्ड में करोड़ों रुपयों का घोटाला है। माननीय मन्त्रीजी पर भी और उस समय के कई अधिकारियों पर भी इसी विधान सभा में मैंने और कई वक्ताओं ने चार्ज लगाये हैं, उन चार्जेज का जवाब दें। मैं तो आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय

(श्री हंसराज शर्मा)

मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, सवाई माधोपुर में आपने हाउसिंग बोर्ड की योजना चालू की लेकिन स्वयं मन्त्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, मैं मन्त्री महोदय से जो निवेदन करूंगा उस बात को वह कृपया नोट कर लें। हाउसिंग बोर्ड की योजना चालू की है उसमें चालीस लाख रुपया लोगों का जमा हो गया। असेम्बली के अन्दर एक प्रश्न के जवाब में हमको यह उत्तर दिया है और कहा है कि वहां पर 4 लाख 14 हजार 380 रुपया लोगों का जमा हो गया है। जो मकानों की योजना बनाई हैं, वह योजना बना करके हुडको को प्रेषित कर दी गई है। ज्यों ही हुडको से इजाजत आयेगी, त्यों ही 1984-85 में मकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देंगे। सभापति महोदय, हमने उसमें यह भी पूछा है कि क्या जमीन आपने एक्वायर कर ली है ? उन्होंने कहा इस प्रश्न के जवाब में, "जी-हां। जमीन एक्वायर कर ली है। उनको नियमानुसार मुआवजा देकर हमारे कब्जे में करने का कार्यक्रम प्रारम्भ है।"

सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि आपने जो योजना बनाई है, हाउसिंग बोर्ड के लिए आपने जमीन का जो रकबा लिया है उस सारे रकबे के अन्दर आप देखेंगे अच्छी तरह से, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, 149 बीघा और 10 बिस्वा उन्होंने ली है, उसके क्षेत्र की सीमा निर्धारित की है। एक तरफ रेल्वे की बाउन्ड्री है, एक तरफ रेलवे से सवाई माधोपुर जाने वाली रोड है, एक तरफ सवाई माधोपुर से किले की रोड है। इस प्रकार 149 बीघा 10 बिस्वा जमीन इन्होंने एक्वायर करने का कार्यक्रम किया है, प्लान बनाया है, नक्शे बनाये हैं और नक्शे बनाकर सम्बन्धित विभागों को भेज दिये हैं और मुआवजा देने की कार्यवाही कर रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब आप मकान बनाना चाहते हैं और योजना बनाना चाहते हैं तो यह एक नई योजना कहां से आई ? खसरा नम्बर 92 से खसरा नं. 118 तक आपने जमीन को ही उसमें से निकाल दिया, प्रार्थना पत्र जिसका आपके पास आया, जिस खातेदारी की जमीन का जो आप नम्बर दे रहे हैं, 149 बीघा, इस जमीन में से आपने रिलीज कर दी, खसरा नम्बर 91 से ले करके और खसरा नम्बर 118, श्रीमती कमलेश राजरानी धर्मपत्नी श्री बहलाल बैरवा, इनकी धर्मपत्नी के नाम से इस खातेदारी के नम्बर के रकबे में से निकाल दी, इसको रिलीज कर दिया। फिर यह नक्शा कहां रहा है आपका ? जो आपका प्लान था वह तो खतम हो गया। जिस प्लान को हुडको के आधार पर बनाना चाहते हैं, जो प्रार्थी आ रहे हैं XXX और जमीन रिलीज कर रहे हैं तो आप इस योजना को किस प्रकार से कैसे बनायेंगे, कैसे आगे बढ़ायेंगे ? सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आपको ताज्जुब होगा, इसी के साथ साथ उसी में दो आदमियों का झगड़ा चल रहा है, एक सुनार और बैरवा का, उनका हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जिस जमीन का हाई कोर्ट में केस चल रहा है उस जमीन का

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हंसराज शर्मा)

नम्बर तो उन्होंने यहां की दुर्गापुरा सोसायटी को बेच दिया। सभापति महोदय उस सुनार जिसके खाते में नम्बर नहीं है, जमीन बैरवा की खातेदारी में है, उसने फर्जी तौर पर दुर्गापुरा सोसायटी को बेच दी। दुर्गापुरा सोसायटी से उसने एक लाख रुपया ले लिया और माननीय मन्त्री महोदय के यहां एक दरख्वास्त दी कि यह निम्नलिखित नम्बर हैं इनको इस प्लान में से निकाल दिया जाय। सभापति महोदय, बदरीलाल, नंदलाल स्वर्णकार एप्लीकेशन देता है हाउसिंग बोर्ड के मन्त्रीजी को, और मन्त्री जी जमीन रिलीज करते हैं नारायण बैरवा की। दरख्वास्त दे रहा है स्वर्णकार। सभापति महोदय, नन्दलाल सुनार हाउसिंग बोर्ड के मन्त्रीजी से जमीन रिलीज कराता है, जमीन बैरवा की है, सभापति महोदय, उसका मालिक कौन है इसका पता नहीं है। बैरवा और सुनार के बीच में झगडा चल रहा है और वह चल रहा है हाई कोर्ट में। उसने दुर्गापुरा की सोसायटी के मालिक के आसार पर मिल करके उस जमीन को खसरा नम्बर 372 लगायत 388 तक रिलीज करा लिया। माननीय मंत्री महोदय ने इसी सदन में कहा कि हम उसका नियमन कराने की कार्यवाही कर रहे हैं, हमने प्लान बना लिया है, योजना बना ली है और हुडको को भेज दी है। हुडको को भेजने के साथ साथ इन्हीं नम्बरों में से इन्हीं दिनों में जमीन रिलीज कर देते हैं। इसके चारों मेर खेत हैं और बीच में यह है और इसका झगड़ा चल रहा है। उस प्रार्थी की एप्लीकेशन नहीं है रिलीज करने की, उसको दे दी, सभापति महोदय, इसका कारण क्या है। उस सोसायटी ने इस जमीन को बेचना चालू कर दिया, उसके अन्दर प्लाट काटना चालू कर दिया। सभापति महोदय, खास तौर से बात यह है, माननीय मंत्री जी भी आ रहे हैं, सोसायटी ने प्लाट काटना चालू कर दिया, उस सोसायटी को सुनारों ने एक लाख रुपये में बेची है। इस सारे प्लान को खराब करने के लिये खरीदी दुर्गापुरा प्रापर्टीज सोसायटी को जमीन बेची गयी है जो जमीन इनको रिलीज की गई है। इसमें हाउसिंग बोर्ड मन्त्री जी ने 1 लाख 57 हजार रुपया नकद लिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, नम्बर मेरे पास हैं। सुनार के नाम एप्लीकेशन पर बैरवा की जमीन को फर्जी तरीके से आपने रिलीज की है और 1 लाख 57 हजार रुपया आपने खाया है। यह चार्ज है आप पर। अगर आप कहते हैं कि नहीं खाया तो, माननीय महोदय, बीच में से किस सरकार से निकली? आप हमको कह रहे हैं कि हुडको को योजना बना कर भेजी है, मकान बनने वाले हैं। यह हुडको के मकान बनने वाले नहीं हैं वहां पर ट्रेक्टर बनने बनाने वाले हैं, बिल्डिंग बनने वाली हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, हाउसिंग बोर्ड के साथ कुठाराघात मत करो हरिजनों के साथ कुठाराघात मत करो कम से कम भगवान से तो डरो। सभापति महोदय, वह सोसायटी से बिकवा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, जो जमीन ली गई है वह बिल्कुल रोड के किनारे है उसमें सिवाय चक जमीन थी, सुनार की जमीन भी है, प्लाट काटना प्रारम्भ कर दिया बेचना प्रारम्भ कर दिया पर सरकार चुप बैठी हुई है क्योंकि हाउसिंग बोर्ड के मन्त्री तो 1 लाख 57 हजार से राजी हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपके अन्दर सच्चाई है, आपमें नैतिकता है और यदि आप नैतिकता के पतन से बचना चाहते हो तो इसकी खुली जांच करवायें और इसकी इन्क्वायरी करवाया मैं जानता हूं सभापति महोदय, आपमें इतनी हिम्मत नहीं है, आप खुली जांच करवाने की क्षमता नहीं रखते हो। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कि आपने खुली जांच नहीं करवाई, इस काम को तुरन्त नही रोका, बैरवा के केस को नहीं रोका, सोसायटी को बड़ा कार्य करने से नहीं रोका, तो बात बिलकुल सही है कि आपने 1 लाख 57 हजार रुपया खाया है। इस तरह से आपने हाउसिंग बोर्ड का पटिया बैठाया है, यह मेरा आप पर चार्ज है बस इतना ही मुझे निवेदन करना था। आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री प्रभारी मंत्री जी।

श्री दुलाराम (आवासन मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री हंसराज जी शर्मा ने....

(व्यवधान)

बड़े जोश में आकर यह बात कह दी कि मैंने बैरवा की जमीन को डीएक्वायर करके 1 लाख 57 हजार रुपये खा गया। सभापति महोदय, विपक्ष ने तो यह तय कर लिया है कि हर बात को रुपये से तोलिये।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : XXX

श्री दुलाराम : यदुनाथ सिंह जी सुने, मैं आपको सुना दूं। बिड़ला जी का भ्रम आपके दिमाग से निकाल दूं।

श्री यदुनाथ सिंह : वह तो प्रगतिशील हैं।

श्री दुलाराम : XXX

सभापति महोदय, इनकी पार्टी के माननीय सदस्य श्री चुन्नीलाल जी, जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, की करीब ढाई तीन बीघा जमीन....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। बीच बीच में व्यवधान नहीं डालें, माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : माननीय यदुनाथ सिंह जी, आप जरा मेरी बात कृपया सुन लीजिये या फिर आप ...

(व्यवधान)

सभापति महोदय, चुन्नीलालजी और कुछ बैरवाजी की जमीन है, चुन्नीलाल जी,

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दुलाराम)

बी. जे. पी. के एम. एल. ए. हैं, उनकी जमीन है, उन्होंने आकर मुझे रिक्वेस्ट की कि आज अगर अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन को आप एक्वायर करते हो और अनुसूचित जाति के लोगों को अपनी मंशा से जमीन बेचने की परमिशन नहीं देते हो तो यह अनुसूचित जाति के साथ एक विश्वासघात होगा, सभापति महोदय। हंसराज जी ने एलीगेशन लगाकर 1 लाख 57 हजार कह दिया, मुंह से निकाल दिया। 1 लाख 57 हजार कहा तो दो लाख ही कह देते। चुन्नीलाल जी एम. एल. ए. हैं आपका पार्टी का, इनकी जमीन मैंने डीएक्वायर की है। उसी आधार पर मैंने बैरवा की जमीन डीएक्वायर की है। माननीय सभापति महोदय, आप बताइये, यह बी. जे. पी. के सदस्य, हो सकता है हरिजन विरोधी हों, इनकी मंशा नहीं है कि हरिजन अपनी जमीन बेचे, हरिजन स्वावलम्बी तरीके से चले। इनकी मंशा नहीं है जिन हरिजनों की मैंने डीएक्वायर की है, वह जमीन अपनी आवासीय प्राब्लम....

श्री हंसराज शर्मा : मैंने इनका नहीं कहा, मैंने तो सुनार और बैरवा जी की जमीनों के बारे में बताया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री दुलाराम : आप बैठिये। बेकार की बात कर रहे हैं।

मैं कह रहा हूँ कि चुन्नीलाल एम. एल. ए. की जमीन मैंने डीएक्वायर की है इसी तरह से बैरवा की की है और उसी नियम के तहत मैं ने दूसरे लोगों की जमीन डीएक्वायर की है। आप कौनसे 1 लाख 57 हजार की बात करते हो। अच्छी बात नहीं है मैं कहूँ मगर आपको शर्म आनी चाहिये इल्जाम लगाने से पहले, मैंने किसकी जमीन डीएक्वायर की है ? आप ऐसी बात कह कर सदन में सन्नाटा पैदा करना चाहते हैं कि मैंने सवाईमाधोपुर की जमीन डीएक्वायर करके पैसे खा लिये। जिन हरिजनों की जमीन डीएक्वायर की है मुझे फख्र है उस बात के लिये कि मैंने हरिजन की डीएक्वायर की है, मैंने किसी सेठ की जमीन डीएक्वायर नहीं की है, मैंने किसी दूसरे की नहीं की है, मैंने एक हरिजन की जमीन डीएक्वायर की है। आप चाहे 1 लाख 57 हजार रुपये की बात कहो तो मैं आपसे दबने वाला नहीं हूं, चाहे 1 करोड़ 57 लाख कहो भी मैं आपसे दबने वाला नहीं हूँ। आप सुन लीजिये।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री रामकंवर जी बैरवा ने यह कहा कि 90 प्रतिशत लोग असंतुष्ट हैं। वह लोग मकान बेच कर चले जाते हैं।

श्री सभापति : वह तो खुद के मकान की प्राब्लम बता रहे थे।

श्री दुलाराम : सभापति महोदय, इनके मकान की प्राब्लम है, मेरा इनसे ही नहीं जितने माननीय सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं उनसे मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिन लोगों को एम. आई. जी. (बी) के मकान अलाट होने चाहिये थे उनको अगर एम. आई. जी. (ए) के मकान में अलाट हो गये तो मैं उनको आवंटन बी के कर दूंगा।

(श्री दुलाराम)

जिन लोगों को मकान जवाहर नगर में मिलने चाहिये थे और मालवीया नगर में मिल गये उन अनुसूचित जाति और जन जाति के माननीय सदस्यों को मैं जवाहर नगर में ही अलाटमेंट करूंगा। यही बात माननीय सदस्य श्री कैलाश मेघवाल ने कही कि आप अलग अलग मकान क्यों देते हैं? जहां जहां आपने हाउसिंग बोर्ड की कालोनी बसाई वहां 14 प्रतिशत का कोटा पूरा करवा दीजिये। सभापति महोदय, मुझे तो फख है कि देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी के नेतृत्व में माननीय मुख्य मन्त्री ने ट्वन्टी पाइन्ट प्रोग्राम के तहत 83–84 में 4 हजार हरिजनों की लाटरी निकाल कर मकान अलाट किये जिसमें श्री कैलाश जी को भी मकान मिला। इस बात से यह ना नहीं कर सकते। मकान इनको पसन्द है, नहीं पसन्द है, यह नहीं कह सकता पर लाटरी के अन्दर इनको भी मकान मिला 14 प्रतिशत कोटा पूरा करने के लिये स्पेशल लाटरी निकलवायी। माननीय मेघवाल साहब, आप तो कह रहे हैं 14 पर्सेन्ट पूरा करवाइये पर श्री दाऊदयाल जी क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं, नहीं, आपने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को दबा करके लाटरी निकलवा दी। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि लाटरी 14 मई, 83 को निकली। अधिकारियों ने लाटरी निकाली, लिस्ट उन्होंने बनाई, लिस्ट उन्होंने बना कर साया कर दी। अब इनको पीड़ा यह हो रही है कि अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों को अलाटमेंट कैसे हो गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह बात नहीं है। मैंने तो कहा कि इसमें 18 आई. ए. एस. अधिकारी हैं।

श्री दुलाराम : मैं जवाब दे रहा हूँ।

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमान्, मंसूरलाल के लिये मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती यदि जमीन ले लेते लेकिन एक विधवा की जमीन, विधवा का मकान, जो विधवा का जीवन आधार है, जिसका सत्तर हजार रुपया आपके यहां जमा हुआ है उसका मकान छीना है।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें, आपको बोलने का समय मिला था।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने यह कहा कि 18 मकानों में एक मकान बना है, बाकी कोई नहीं बने। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ, आसन से निवेदन करना चाहता हूँ कि आसन इसी समय माननीय सदस्यों की कमेटी के साथ चलें देखें कि वहां 18 मकान बन रहे हैं या एक ही बना है।

इसके अलावा इन्होंने यह बात कही है....

श्री दाऊदयाल जोशी : 18 मकानों में से केवल एक ही मकान स्पेशल बना है अलग प्रकार का, अलग टाइप का।

श्री सभापति : आप सुनें तो मन्त्री महोदय की बात।

श्री दुलाराम : सभापति महोदय, जिस

(176)

(श्री दुलाराम)

आदमी में बोलने की और सुनने की शक्ति नहीं है उसके लिए मैं क्या निवेदन कर सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं हैं। मेरे को सुनने के लिये बैठे हैं सुनिये आप।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : कोरिया की सीमेंट लगी है दुलाराम के मकान में।

श्री दुलाराम : इन्होंने कहा, कोरिया की सीमेंट लगी है। कोरिया की सीमेंट दुलाराम के मकान के लगी है, कोरिया की सीमेंट महेश शर्मा के मकान में लगी है। श्री भैरोंसिंह शेखावत के मकान में भी।

श्री दाऊदयाल जोशी : तीन के में लगा हुआ है।

श्री दुलाराम : मैं तीन की ही बात कर रहा हूँ। भैरोंसिंह जी के भी मकान को मिला कर तीन हैं।

तो, सभापति महोदय, अगर कोरिया की सीमेंट हाउसिंग बोर्ड के पास होगी, तो वह कोरिया की सीमेंट लगायेगा। हां, मेरे में चित्तौड़गढ़ की सीमेंट लग रही है। अब मैं कोरिया की सीमेंट कहां से लाऊं, चित्तौड़गढ़ की है तो चित्तौड़गढ़ की सीमेंट लगेगी, कोरिया की सीमेंट है तो कोरिया की सीमेंट लगेगी। पर आप एक बात बताइये कि क्या मैंने भैरोंसिंह के मकान पर से कोरिया की सीमेंट हटा करके चित्तौड़गढ़ की सीमेंट लगाई है। इसलिये आप ऐसा इल्जाम मत लगाइये। जो मकान 1 लाख 12 हजार में मिलना चाहिये था वह मकान मुझे दो लाख बत्तीस हजार में मिला है। आप मेरी जांच कर सकते हैं। एक एक पाइंट पर आप कमेटी, माथुर साहब से जांच करवा लीजिए। आप गये थे फोटो खींचने, मुझे पता है। आप सीन खींच कर मेरे मकान का लाये हो। मैंने चोरी नहीं की है। मैं पैसे दे रहा हूँ। मैंने पैसे देकर मकान अलाट करवाया है। मैंने किसी से भीख नहीं मांगी। जो मकान आपको अस्सी हजार रुपये का मिला है वह मकान दुलाराम को दो लाख बत्तीस हजार में मिला है।

श्री दाऊदयाल जोशी : 6 लाख में।

श्री दुलाराम : मेरे मिल नहीं लगी हुई हैं। सुनिये, मेरी बात सुनिये।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा इन्होंने यह इल्जाम लगाया कि बादामी बैरवा, लक्ष्मी बैरवा, एम. के. बैरवा किस प्रकार से भरेंगे। पण्डित जी, आप तो अभी फरमा रहे थे कि मेरा बाप पकौड़े बेचता था....

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं मना नहीं करता हूं, मेरा बाप बेचता था।

श्री दुलाराम : मेरी बात तो सुनो। तुम एक्टर मत बनो, मैं भी एक्टर बन सकता हूँ।

श्री दाऊदयाल जोशी : तुम तो एक्टर हो ही।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, मैंने उस समय पर भी देखे हैं। जिस तरीके से माननीय सदस्य, कह रहे कि

(श्री दुलाराम)

किराये के मकान में रहता हूँ, लेकिन इनके खिलाफ लाखों रुपयों का इनकम टैक्स निकलता है। अब दाऊदयाल जो कह दें कि मेरे पास मकान नहीं था, मैंने हाउसिंग बोर्ड का मकान लिया है। क्या पता कि आपके पास मकान था या नहीं, मैं आपकी कोई जन्मपत्री लिये थोड़े ही फिर रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं अपने बच्चों की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि मेरे पास खुद का मकान नहीं है। एक मकान है, वही था, रहेगा। एक मकान से दूसरा मकान नहीं रहेगा। मैं अपने बच्चों की सौगन्ध खाकर कहता हूँ। आप खाओगे कि आपके पास प्रापर्टी नहीं है, आपके बाप के पास प्रापर्टी नहीं है। आपने मकान नहीं लिया जयपुर में ? मेरे बाप का मकान तुम्हारे नाम नहीं आयेगा।

श्री सभापति : कृपया उत्तेजित न हों।

श्री दुलाराम : तुम्हारे मकान नहीं है, मेरी बात सुनो। ज्यादा XXX करने की जरूरत नहीं है, ढंग से बोलिये।

श्री सभापति : XXX शब्द एक्सपंज किया जाय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX शब्द शोभा देता है एक मन्त्री को, आप अपने को समझते क्या हो ? चाहे जो बोल दो आप यहां। यह XXX आप कैसे प्रयोग कर रहे हो ? आप अपने आपको क्या समझकर बोलते हो।

श्री दुलाराम : मन्त्री समझता हूँ। XXX नौकर नहीं हूँ XXX।

श्री सभापति : मन्त्री जी। कृपया कोई भी उत्तेजित न हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह मन्त्री का तरीका नहीं है। मन्त्री कोई खुदा का बन्दा नहीं बना होता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या नियमों में मन्त्री जी को XXX कहने का अधिकार है, इस शब्द को एक्सपंज कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : सच्चाई रखते हैं, XXX

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री जी, ढंग से बोलो।

श्री दुलाराम : इसी तरीके से अब मैं निवेदन करूं कि उनके बाप के पास जमीन है, उनकी इन्कम के और कई साधन हैं, इन्होंने इनकम टैक्स के फार्म भर कर दिये हैं, एफिडेविट दिया है, उसके बाद एफिडेविट अगर गलत है तो क्या नियमानुसार कार्यवाही नहीं हो सकती। यह कहां लिखा हुआ है कि वह मकान नहीं ले सकता। उनके अगर इनकम नहीं है तो वह अलाटमेंट होने पर किस्तें उनको भरनी है, पैसा उनको देना

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दुलाराम)

है, अलाटमेंट उनको हुआ है। आप किस बात के लिए कह रहे हैं कि वादामी गैरवा, लक्ष्मी गैरवा, एम. के. गैरवा कैसे भरेंगे। जैसे दूसरे आई. ए. एस. भरते हैं वैसे ही यह भरेंगे। दूसरे आई. ए. एस. भरेंगे वह तुम्हारे कुछ लगते हैं।

श्री दिनेश राय डांगी : यह तो हरिजनों के खिलाफ है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मान जा। तीन तारीख को XXX तीन तारीख के बाद, XXX

श्री दिनेश राय डांगी : यह रिजर्वेशन की पालिसी है, आपकी पार्टी नेचर के खिलाफ है, आप दुलाराम जो को तभी ऐसा बोलते हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हिन्दुस्तान में जो थर्मामीटर बनता है, नाप लेकर, डाल कर देख लो....

(व्यवधान)

थर्मामीटर डालकर देख लो।

श्री दिनेश राय डांगी : हम इसी साल देखेंगे, चुनाव आ रहा है। हरिजनों की बात करते हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : X X X ज्यादा ईमान रखते हैं, XXX

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

कृपया विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय, क्या बात करते हैं ? जे. डी. ए. के रेस्ट हाउस पर कब्जा कर रखा है। किराया नहीं दिया, उसका मूल्य नहीं दिया।

श्री दाऊदयाल जोशी : तुमसे ज्यादा ईमान रखते हैं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश राय डांगी : सब कानूनी कार्यवाही चल रही है, XXX जो पैसा होगा वह चुका दिया जायेगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। सब सदस्य विराजें।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या कर लिया तुमने, देख लेंगे। ताकत लगाकर देख ले।

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX हमदर्द हो, XXX हरिजनों के साथ XXX क्या बात करते हो तुम।

श्री दिनेश राय डांगी : गरीबों के हिमायती बनते हो, XXX क्या लेना देना हरिजनों से।

श्री सभापति : मन्त्रीजी उत्तेजित न हों,

X X X शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कोई बात करने का तरीका है।

श्री महेन्द्रसिंह : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री महेन्द्रसिंह : XXX

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कृपया विराजें। आर्डर प्लीज।

श्री महेन्द्रसिंह : आप तो हरिजनों से भी गये गुजरे हो....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX हरिजनों के साथ बेईमानी कर रहे हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें। मंत्री महोदय।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें यह बताई गई कि समय पर किश्त नहीं भरने पर उनके मकान नीलाम कर दिये जाते हैं। जैसी मैंने सूचना मांगी, मुझे यह बताया गया कि है अभी तक नीलाम किसी के नहीं हुए और भविष्य में मैं आपसे निवेदन कर दूं कि किसी भी व्यक्ति, जिस पर एक किश्त बकाया होगी, की न तो नीलामी निकालेंगे और न उसका मकान नीलाम करेंगे। मगर दो होने के बाद पैनल्टी भी उसको देनी पड़ेगी....

श्री सभापति : कृपया बातें नहीं करें।

श्री दुलाराम : जो व्यक्ति किश्त नहीं भरेगा, माननीय सभापति महोदय, आखिर बोर्ड के भी कुछ नियम हैं उसके ऊपर भी कुछ पावन्दी हैं, उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए और उसका रुटीन भी बना रहना चाहिए। इस लिहाज से वसूली भी की जायगी। सख्ती नहीं की जाय तो मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति पैसा देने के लिए तैयार होगा। एक बात यह कही गयी कि कर्मचारियों के साथ किश्त बढ़ा करके बड़ा अन्याय किया गया है। सभापति महोदय, एम.आई.जी. (ए), एम.आई.जी. (बी), एच.आई.जी., ई.डब्लू.एस. और एल.आई.जी. इतनी केटेगरी के मकान हैं....

श्री सभापति : कृपया बैठे बैठे बात नहीं करें।

श्री दुलाराम : तो मेरा निवेदन यह है कि जिस समय वह कर्मचारी पंजीकरण करने के लिए एप्लीकेशन देने आता है उस समय उसके सामने सारे नक्शे होते हैं और वह अपने हिसाब से फार्म भरता है। फार्म भर देने के बाद भी यह बात सही है कि जब तक मकान, जैसे आज किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया और पांच साल, छः साल और सात साल के बाद मकान बनता है तो मेटीरियल के भाव बढ़ जाते हैं, कीमतें भी बढ़ जाती हैं। जिसकी वजह से मकानों की कीमतें बढ़ जाती हैं इसी वजह से क्या है कि अगर वह व्यक्ति एम.आई.जी. (बी) का मकान नहीं लेकर, एम.

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दुलाराम)

आई.जी. (ए) का मकान लेना चाहता है तो हाउसिंग बोर्ड उसको कहीं ना नहीं करता है। लेकिन वह चाहता है मकान तो मुझे एम.आई.जी. (बी) का ही मिले मगर किश्त कम हो जाय तो यह सम्भव नहीं हो सकता। जिस हिसाब से मेटीरियल की कीमत होगी और मकान को पूरी कीमत होगी वह वसूल तो हाउसिंग बोर्ड करेगा। इसमें राज्य सरकार ना नहीं कर सकती। और अगर ना करेगी तो हाउसिंग बोर्ड फेल हो जायेगा, किसी कीमत पर हाउसिंग बोर्ड चल नहीं सकता और इस हाउसिंग बोर्ड का पतन हो जायेगा और माननीय सदस्य जिस तरीके से बात कह रहे थे वह सोच रह थे कि हाउसिंग बोर्ड इस तरह से चला तो पतन हो जायेगा। मेरा निवेदन है कि अगर हाउसिंग बोर्ड ने वसूली नहीं की, हाउसिंग बोर्ड ने सख्ती नहीं बरती, हाउसिंग बोर्ड ने वक्त पर पैनल्टी कायम करके वसूली करने में तकाजा नहीं किया तो यह हाउसिंग बोर्ड फेल हो जायेगा। इसलिए जो वसूली हो रही है वह सही हो रही है। लेकिन एक आश्वासन मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने पहली किश्त भरी दूसरी का नोटिस चला गया और पैनल्टी कायम कर दी है तो हम पहली किश्त पर आइन्दा के लिए पैनल्टी नहीं लगायेगे, यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, भाई कैलाश जी ने 14 पर्सेन्ट रिजर्वेशन को पूरा करने की बात कही। मैं साफ शब्दों में निवेदन कर देता हूँ कि मुख्य मंत्री जी ने भी 19 नवम्बर को यहां अनाउन्समेंट किया था कि हम 14 पर्सेन्ट अलाटमेन्ट हाउस का तो करेंगे ही मगर उसके अलावा वहां जो दुकानें बनी हुई हैं या जो बन रही हैं और खाली पड़ी हैं, जिनका ऑक्शन होना है उसमें भी हम 14 पर्सेन्ट रिजर्वेशन करके एस सी. और एस.टी. के व्यक्तियों को अलाट करेंगे। यह कोई पहले का बना हुआ नहीं है। यह मुख्य मंत्री जी ने देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिन पर हरिजनों को, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को, जो दुकानों में काम करते हैं या दुकानों का काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए विशेष रियायत देकर घोषणा की थी, इसको भी हम पूरा करेंगे। हम यह नहीं कि हाउस को ही पूरा करेंगे बल्कि दुकानों का भी आवंटन होगा उसमें भी हम पूरा करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : 27 पर्सेन्ट करेंगे या नहीं जनसंख्या के अनुपात में।

श्री दुलाराम : आप तो साढ़े 14 पर्सेन्ट नहीं कर सके मुझसे 27 पर्सेन्ट करवा रहे हैं।

सभापति महोदय, एक बात माननीय सदस्य कोटा से आने वालों ने कही कि कोटा के अन्दर दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि जितनी कोटा के अन्दर दुकानें पड़ी हुई हैं हम उनमें से 14 पर्सेन्ट दुकानें अनुसूचित जाति को देंगे। उससे बची हुई दुकानें हम निगम को दे देंगे। लेकिन आप निश्चित रहिये एक भी दुकान खाली नहीं रहने देंगे। सारी ही अनुसूचित जाति को देंगे। इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? मगर यह शर्त

(श्री दुलाराम)

जरूर है कि दुकानें अच्छी साइट पर होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम गरीबों को दे दें और उनका रोजगार नहीं चले। इसलिए मैं स्वयं मौका देखूंगा और मैंने यह पाया कि यह दुकानें सही हैं तो मैं अनुसूचित जाति के लोगों को अलाटमेन्ट करवा दूंगा।

इसके अलावा एक बात जोशी जी ने बड़े जोश से कही कि 60 बाई 120 के प्लाट एक भी नहीं बने। अब 60 बाई 120 के प्लाट मैंने तो देखे नहीं। जवाहर नगर में नहीं बने। 70 से यह योजना चल रही है। 69 बाई 120 का प्लाट अभी तक तो कोई बना नहीं और न ही किसी ने चोइस जारी की कि मुझे 60 बाई 120 का प्लाट बनाकर दिया जाये। इन्होंने कहा कि मकान बन रहे हैं वहां सर्वेन्ट क्वार्टर हैं। सर्वेन्ट क्वार्टर के जो मकान बन रहे हैं एम. आई. जी. (बी) सर्वेन्ट क्वार्टर्स हैं, एम. आई. जी. (ए) सर्वेन्ट क्वार्टर हैं, ई. डब्ल्यू. एस. सर्वेन्ट क्वार्टर हैं, एल. आई. जी. सर्वेन्ट क्वार्टर बने हुए हैं। सर्वेन्ट क्वार्टर से मेरा मतलब है कि जितना एक सर्वेन्ट को मिलता है उतना ही एरिया का मकान है इसलिए उसको सर्वेन्ट क्वार्टर ही माना है। अगर इसमें माननीय विधायक जायगा तो वह क्वार्टर माननीय विधायक का होगा और अगर उसमें गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट जायगा तो वह गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट का होगा। अगर उसमें अनुसूचित जाति का जायगा तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति का मकान माना जायगा। वह सर्वेन्ट क्वार्टर नहीं माना जा सकता।

माननीय सभापति महोदय, एक इन्होंने कहा कि डवलपमेन्ट के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया जाता है। यह बात बिलकुल सही नहीं है। पैसा डवलपमेन्ट पर खर्च किया जाता है। रोड्स बनाई जाती हैं, सीवरेज लाइन डाली जाती है, नालियां बनाकर दी जाती हैं। मगर उसके बाद क्या है कि कुछ मकान जब बनते हैं 5,6,7 साल लग जाते हैं तो कुछ रोड्स टूट जाती हैं उनकी भी हमने रिपेयर करवाई है। लेकिन जब म्युनिसिपैलिटी को ट्रान्सफर कर देते हैं तो उसके बाद रिपेयर करना, पार्क को सम्भालना, रोड को ठीक करना, सफाई की व्यवस्था करना यह नगर पालिका का काम है हाउसिंग बोर्ड का काम नहीं है। तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करता हुआ कि जो इन्होंने....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, आपने तीन साल से अकाउन्ट्स नहीं दिये। आपका यह मार्च एण्ड हो रहा है 1984 का, आखिर आप अकाउन्ट क्यों नहीं देना चाहते हैं? 81 के बाद अलाटीज ने पैसा जमा कराया उसका आपने हिसाब अभी तक नहीं दिया, क्यों?

श्री दुलाराम : सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया कि अकाउन्ट्स नहीं बने, यह सबसे ज्यादा गलती हुई 77,78 और 79 में। 81 में अकाउन्ट्स बने। 81 के बाद बड़ी डिफिकल्टी आई क्योंकि तीन साल का बैक-लाग पूरा करना पड़ा उनको। अब हम कम्प्यूटर सिस्टम तय करके अकाउन्ट्स को जल्दी पूरा करवायेंगे। अब इस बिल को पारित किया जाये।

श्री राम कंवार बैरवा : सभापति महोदय, मकान देने के लिए जो सिक्योरिटी जमा कराते हैं और जो सदस्य सिक्योरिटी वापस लेना चाहे तो उसमें कटौती करते हैं आप ? जब कि तीन, चार साल आपके पास पैसा रहता है और किसी को मकान की मान लो आवश्यकता नहीं रहती है, मकानों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं इसलिए वह सिक्योरिटी वापस लेना चाहे तो आप कटौती क्यों करते हैं ?

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी दे दूं कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और मकान का अलाटमेन्ट नहीं हुआ उनकी हम कोई कटौती नहीं करते हैं। मगर जिनको मकान अलाट हो गया और वह वापस पैसा लेना चाहते हैं उसमें शायद कोई बोर्ड के नियम हैं उसके अनुसार कटौती होती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक सुझाव माननीय मन्त्री महोदय मानें। कृपा करके भगवान के नाम पर एक स्कीम पूरी होने के बाद ही दूसरी स्कीम हाथ में लें। कोटा में इतनी स्कीम बन रही हैं। चार-चार साल से मकान बने पड़े हैं और वहां एक और स्कीम बन रही है, दूसरी और बन रही है और तीसरी चौथी बन रही है। वह सारा पैसा हम गरीबों के ऊपर मढा जायेगा। भगवान के नाम पर कृपा कर सकते हैं तो एक स्कीम के मकान जब तक पूरे नहीं हो जायें तब तक दूसरी स्कीम आप अपने हाथ में नहीं लें, अगर सुझाव मानना चाहें तो।

श्री यदुनार्थसिंह : सभापति महोदय, मैं गैर हाजिर भी था....

श्री सभापति : भाषण की स्टेज नहीं है। क्वेश्चन की है।

श्री यदुनार्थसिंह : हो क्या रहा है सभापति महोदय, कि रेजीडेन्शल प्लाट्स को आम तौर पर बहुत बड़े स्केल पर कार्मशियल प्लाट्स के लिए काम में लाया जा रहा है। दुकान खोल लेते हैं, कोई फैक्ट्री खोल लेते हैं और कोई कुछ खोल लेते हैं। तो सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है ? क्या उनके ऊपर लम्बी पैनल्टी लगाना चाहती है ?

श्री दुलाराम : इसमें हाउसिंग बोर्ड क्या करेगा ?

श्री यदुनार्थसिंह : क्यों मकान तो हाउसिंग बोर्ड के हैं। जिम्मेदारी तो हाउसिंग बोर्ड की है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय घरों में तो व्यावसायिक केन्द्र खुल रहे हैं लेकिन आपके जो शापिंग सेंटर्स हैं वह नीलाम होने के बाद भी पड़े हैं, जैसे मालवीया नगर है 9-10 महीने हुए दुकानें नीलाम हुए उनका आपने कब्जा नहीं दिया। एक बात और दूसरी, दूसरे मेन्टीनेन्स का आप क्या करने वाले हैं ? जो आपकी आवासीय कालोनीज हैं उसमें यह व्यवहारिक कठिनाई है कि आप इनको नगर परिषद् को हैंड ओवर कर दें तो सफाई और मेन्टीनेन्स आदि वह कर लें। आज तक जवाहर नगर में बने हुए मकानों को आपने हैंड-ओवर नहीं किया। मेन्टीनेन्स के बारे में आप क्या करेंगे, यह बताइये ?

श्री दुलाराम : सभापति महोदय, मैंने मेन्टीनेन्स के बारे में निवेदन कर दिया है। मेन्टीनेन्स के बारे में निवेदन कर दिया है कि हम जब म्यूनिसिपैलिटी को, जे.डी.ए. को कोई भी कालोनी सौंप देते है उसके बाद मेन्टीनेंस करना उनका काम है, हमारा काम नहीं है।

श्रीमती उजड़ा अरोड़ा : सौंपा हां नहीं है।

श्री दुलाराम : मेरा निवेदन सुन लीजिये।

अगर हमने नहीं सौंपी है और कहीं थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ होती है, हम करें देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बता देना, कभी भी करवा दूंगा।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि श्री यदुनाथ सिंह जी ने बताया कि अन आथोराइज्ड कब्जे हो रहे हैं, मकान पर मकान बन रहे हैं, फैक्ट्री खुल गई। यह जो आप बता रहे हैं, मेरे सामने अभी तक लिखित में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री यदुनाथ सिंह : आप समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब यह था कि जिन मकानों को आप रेजिडेन्सियल प्लॉट के नाम पर अलाट करते हैं, नाजायज कब्जे हो रहे हैं, वह नहीं कह रहा हूँ। वह अलग इश्यू है। जिन मकानों को आवासीय सुविधा के लिये अलॉट करते है उन मकानों में कोई फैक्ट्री खोल लेता है, कोई दुकान खोल लेता है, कोई मार्केट बना लेता है। उसके बारे में सरकार क्या निश्चित करने जा रही है। कामर्शियल प्लॉट होता है उससे आवासन बोर्ड को बहुत बड़ी आमदनी होती है। उस से महरूम रखते हुए यह फ्राड हो रहा है।

श्री दुलाराम : इस बारे में निवेदन कर रहा था, आपने पूरी बात सुनी नहीं।

हम म्यूनिसिपल एक्ट के अनुसार उनकी तोड़ फोड़ कर सकते हैं। हम म्यूनिसिपैलिटी को लिखते हैं, म्यूनिसिपैलिटी उस पर कार्यवाही करती है, म्यूनिसिपैलिटी के कार्यवाही करने बाद फोर्स बुलवा कर हमारे आवासन मण्डल के अधिकारी भी जाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी या जे. डी. ए. या नगरपालिका के अधिकारी ही तोड़ फोड़ कर सकते हैं....

श्री दाऊ दयाल जोशी : और बता दे..

श्री दुलाराम : आप मेरी बात तो सुन लीजिये। नहीं तो आप नारे लगाना शुरू कर देंगे।

जहां तक आपने इण्डस्ट्रीज को बात कही है, ऐसा मामला हमारे सामने कोई नहीं आया। मगर ऐसा कोई मामला आयेगा, उस पर नियमानुसार जरूर कार्यवाही करेंगे। यह मैं अर्ज कर सकता हूँ।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया।

मेरे कहने का मतलब यह था, आप यह कह रहे है म्यूनिसिपैलिटी करेगी। हाउसिंग बोर्ड ने मकान अलाट किया,

(श्री यदुनाथ सिंह)

प्रापर्टी हाउसिंग बोर्ड की है, आपने इसको लीज पर दिया है,पैसे उनसे किश्तों से लेंगे। प्रापर्टी तो है आपकी, म्यूनिसिपैलिटी को बीच में क्यों लाते हो। कोई रेजिडेन्सियल मकान लेने वाला उसमें अगर दुकान खोलता है या कोई काम करता है तो उस पर पैनल्टी लें या लम्पसम कोई पैसा वसूल किया जाय, इसके बारे में कोई व्यवस्था करने वाले हैं क्या ?

हो क्या रहा है रेजिडेन्शियल प्लाट लेते हैं और बाजार खुलते जा रहे हैं।

श्री दुलाराम : आप कोई ऐसा मामला बता दें ...

श्री यदुनाथ सिंह : आप सर्वे करा लीजिये। आप किसी भी कालोनी में चले जायें।

श्री दुलाराम : आप लिख कर दे दें, मैं सर्वे करा लूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं हर कालोनी में घूमता नहीं हूँ, हुजूर। आपके पास तन्त्र मौजूद है।

श्री दुलाराम : यह मेरा तन्त्र सर्वे करने के लिये नहीं है, मकान बनाने के लिये है। आप कोई शिकायत करेंगे ..

श्री यदुनाथ सिंह : मैं यहां बेसिक बात कर रहा हूँ। कोई शिकायत करूंगा, एक केस में करूंगा। आम तौर पर यह हो रहा है। आप इसकी जानकारी अपने विभाग से लें। उसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री यदुनाथ सिंह : हर कालोनी में दुकानें बन रही हैं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। कृपया बिराजें।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति महोदय, पिछले सत्र में माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं कोटा नगर में दुकानें बनने की लिस्ट मुझे पेश की थी कालोनी वाइज जिसमें 255 मकानात में दुकानें बन गई। यह पाइन्टेड बता दीजिये ...

श्री दुलाराम : इसका मैंने जवाब दे दिया है।

श्री सभापति : इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है।

श्री बंसीलाल पटवा : सभापति महोदय, मेरा एक पाइंटेड प्रश्न है। एक मिनिट।

विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जिला केन्द्रों पर आपके हाउसिंग बोर्ड की स्कीम हैं, मकान बन चुके है जिन्होंने पैसा जमा करा दिया उनको अलाट हो चुके हैं। अब उनको पजेशन किस अवधि तक दे देंगे? यह निश्चित बता दें।

श्री दुलाराम : यह तो दिये जा रहे हैं, बन्द कहां है ?

श्री बंसीलाल पटवा : मैं जनरल अर्ज कर रहा हूँ, कब तक दे देंगे ?

श्री दुलाराम : 90 दिन के अन्दर दे देंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक सायं 6.46 बजे शुक्रवार दिनांक 30 मार्च, 1984 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट I

परिशिष्ट "अ"

तारांकित प्रश्न सं. 400 की सूचियां

गत 5 वर्षों में 50,000/– रु. से अधिक आय वाले जलाशयों की सूची जिनका कि मत्स्य सहकारी समितियों को ठेका दिया गया।

वर्ष 1979–80 व 80–81

क्र. सं.	नाम जलाशय	जिला	ठेका राशि	सहकारी समितियों का नाम
1	2	3	4	5
1.	बन्ध हिण्डोली	बून्दी	50,500	फिशरमैन एण्ड कन्ज़्यूमर्स सोसायटी टौंक
2.	बन्ध गलवा मय नदी	टौंक	1,66,000	खिरदरपुर मछली उत्पादन सहकारी समिति लि., आटून कलां, सवाई-माधोपुर
		वर्ष 80-81		
3.	राणाप्रतापसागर	कोटा	14,27,100	आदर्श मछली पालक व उत्पादक सहकारी समिति जयपुर
4.	बन्ध गुढा	बून्दी	3,86,100	,, ,, ,,
5.	बन्ध हिण्डोली	बून्दी	70,000	बहीर टौंक मत्स्य

(187)

1	2	3	4	5
				विकास सहकारी समिति लि. टौंक
6.	बन्ध गलवा मय नदी	टौंक	2,10,100	नासरिया मछली उत्पादक सहकारी समिति मालपुरा
7.	बन्ध जवाई डेम	पाली	1,70,100	फिशरमैन कोआपरेटिव सोसायटी, लि. साहूनगर-सवाई-माधोपुर
8.	बन्ध सरेरी	भीलवाड़ा	1,08,200	गरीब नवाज मछली उत्पादक सहकारी समिति लि., अजमेर
9.	बन्ध खारी प्रोजेक्ट	भीलवाड़ा	75,100	बहीर टौंक मत्स्य सहकारी समिति लि. टौंक
		वर्ष :—81-82		
10.	बन्ध मोरेल	सवाईमाधोपुर	50,000	बहीर टौंक मत्स्य सहकारी समिति लि., टौंक
11.	बन्ध मांवसी डेम	टौंक	2,25,000	,, ,, ,,
12.	बन्ध खारी प्रोक्जेट, दांतरा	भीलवाड़ा	90,000	,, ,, ,,
13.	बन्ध मेजा	भीलवाड़ा	2,51,000	,, ,, ,,

1	2	3	4	5
14.	सी. बी. टैंक	कोटा	52,600	बहीर टोंक मत्स्य विकास सहकारी समिति लि. टोंक
15.	बन्ध बरेठा	भरतपुर	3,10,000	धौलपुर आदर्श मछली उत्पादन सहकारी समिति, धौलपुर
		वर्ष :—1982-83		
16.	बन्ध मावसी डेम	टोंक	2,61,000	बहीर टोंक मत्स्य विकास सहकारी समिति लि., टोंक
17.	गलवा मय नदी	टोंक	2,07,000	बहीर टोंक मत्स्य विकास सहकारी समिति लि., टोंक
18.	जिला गंगानगर एव बीकानेर		24,51,000	जोधपुर मत्स्य पालन सहकारी समिति लि, जोधपुर
		वर्ष :—1983-84		
19.	बन्ध मावसी डेम	टोंक	4,11,000	जोधपुर मत्स्य पालन सहकारी समिति लि. जोधपुर
20.	बन्ध बरेठा	भरतपुर	4,25,800	बुटाटी मत्स्य पालन सहकारी समिति लि. नागौर

1	2	3	4	5
21.	बन्ध बिसुन्दरी नया बान्ध	अजमेर	50,100	बहीर टौंक मत्स्य सहकारी समिति लि. टौंक
22.	बन्ध खारी प्रोजेक्ट	भीलवाड़ा	1,41,300	,, ,, ,,
23.	बन्ध सरेरी	भीलवाड़ा	81,000	,, ,, ,,
24.	बन्ध मेजा	भीलवाड़ा	2,31,100	बहीर टौंक मत्स्य सहकारी समिति लि. टौंक
25.	बन्ध राणाप्रताप सागर	कोटा	15,51,000	जोधपुर मत्स्य पालन सहकारी समिति लि. जोधपुर
26.	गंगानगर एवं बीकानेर के जलाशय		25,21,000	,, ,, ,,
27.	बन्ध रामगढ़	जयपुर	3,05,125.05	सूरतगढ़ जिला मत्स्य उद्योग सहकारी समिति लि. सूरतगढ़

परिशिष्ट "ब"

समितियों के मैम्बरों व नोन मैम्बरों की सूची :—

क्र. सं.	वर्ष	जलाशय का नाम	लेबर परमिट के सदस्यों की संख्या मैम्बर	नोन मैम्बर	परमिटों की कुल संख्या	समिति का नाम
1		3	4	5	6	7
1	79-80	बन्ध गिलवा मय नदी	17	388	10	बिदरपुर मछली उत्पादन सहकारी समिति लि. आटून कलां।
2	79-80	बन्ध हिण्डोली	62	37	2	टौंक फिशरीज कन्जूमर्स कोआपरेटिव सोसायटी लि. टौंक
3	80-81	बन्ध राणाप्रतापसागर	21	346	7	आदर्श मछली उत्पादक सहकारी समिति लि. जयपुर
4	80-81	बन्ध जवाई डैम	13	99	5	फिशरमैन कोआपरेटिव सोसायटी लि. साहूनगर
5	81-82	बन्ध मावसी डैम	30	192	3	वहीर टौंक मत्स्य विकास सहकारी समिति लि. टौंक
6	82-83	गंगानगर एवं बीकानेर	27	324	9	जोधपुर मत्स्य

1	2	3	4	5	6	7
		के जलाशय				पालन सह. समिति लि. जोधपुर
7	83-84	बन्ध रामगढ	33	117	4	सूरतगढ जनता मत्स्य उद्योग सहकारी समिति लि. सूरतगढ़
8	83-84	गंगानगर एवं बीकानेर के जलाशय	27	415	6	जोधपुर मत्स्य पालन सहकारी समिति लि. जोधपुर।

(192)

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न सं. 404 की तालिकाएं

(तालिका "क")

दिनांक 1-4-83 को केन्द्रीय ऋणों के प्रारम्भिक शेषों एवं उन पर वर्ष 1983-84 में देय ब्याज की मदवार तालिका

(रु. लाखों में)

मद	प्रारम्भिक शेष (1-4-83)	वर्ष 1983-84 में देय ब्याज (अनुमानित)
1	2	3
क- **योजनेत्तर कर्जे**		
1- साधनों के अन्तर को पूरा करने के लिये कर्जे	28346.00	
2- अल्प बचत संग्रहणों का हिस्सा	9722.00	
3- शिक्षा-छात्रवृत्तियां	81.66	
4- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के गृह निर्माण हेतु कर्जे	15.94	
5- कृषि-खाद्य और उर्वरक	1500.00	
6- पुलिस फोर्स का आधुनिकीकरण	75.66	
7- नगर जलप्रदाय योजनायें	105.49	
योग क-	39846.75	744 36

1	2	3
ख- राज्य आयोजना योजना		
1- समूह ऋण	30085 46	
2- सूखा सहायता हेतु अग्रिम आयोजना सहायता	11294.45	
योग ख-	41379.91	2387.81
ग- केन्द्रीय योजना गत योजनायें		
1- विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजनायें	754.10	
2- नगर विकास	193.20	
3- क्षेत्र का विकास	293.68	
4- सहकारिता डेयरी विकास	137.58	
5- मत्स्य उद्योग	15.32	
6- कृषि भण्डागार एवं भण्डारण	2.00	
योग ग-	1395.88	63.31
घ- केन्द्रीय प्रचलित योजनायें		
1- अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कें	147.04	
2- भूमि संरक्षण योजनायें	163.50	
3- हाथ करघा उद्योग	54.99	

(194)

1	2	3
4– अन्य ग्रामोद्योग	50.73	
5– ऋण सहकारी समितियां	179.50	
6– उपभोक्ता सहकारी समितियां	26,70	
7– सामान्य नगर विकास	267.90	
8– बाढ़ नियन्त्रण परियोजना	50.00	
योग घ–	940.36	54.38
ङ.– **अर्थोपाय पेशगियां**		
(रु. 2100.00)		81.00
च– **1979–80 से पूर्व के ऋण**		
1– अल्प बचत संग्रहणों का हिस्सा	6387.45	
2– विस्थापितों का पुनर्वास	170.76	
?– राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऋण योजना	201.14	
4– समेकित कर्ज	73574.77	
योग च–	80334 12	3889.12
योग केन्द्रीय ऋण	163897.02	7219.98

(तालिका "ख")

भारत सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार पर अन्य संस्थाओं के कर्जे एवं देय ब्याज की सूची

संस्था	(रुपये लाखों में) प्रारम्भिक राशि 1-4-83	वर्ष 1983-84 में देय ब्याज (अनुमानित)
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	1552.86	114.82
2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1429.02	84.57
3. अन्य सस्थायें	2301.27	170.15
7. जागीर बाण्ड्स	32.93	4.00
5. भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम	2607.22	....
6. बाजार ऋण	28709.80	1907.65
	36633.10	2281.19

परिशिष्ट 3

परिशिष्ट "क"

तारांकित प्रश्न सं. 405 की सूची

समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं सम्बन्धी टेण्डरों के सम्बन्ध में गठित समिति के सदस्यों की सूची

1. श्री सी. एस. मुडिया,
   अतिरिक्त निदेशक (आई. सी. डी.एस.),
   समाज कल्याण विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

2. श्री बी. एल. पामेचा,
   वरिष्ठ लेखाधिकारी,
   समाज कल्याण विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

3. श्री पी. आर. उपाध्याय,
   तत्कालीन उप निदेशक (प्रशासन),
   समाज कल्याण विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न सं. 406 के मानचित्र

अनुक्रमिका–1

वाहन स्थिति राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम
दिनांक 1–2–84

संचालित वाहनें	मरम्मत अधीन वाहनें			निष्प्रयोज्य अधीन वाहनें	योग
	आगार कार्यशाला	संभाग कार्यशाला	केन्द्रीय कार्यशाला		
1921	75	86	93+10=103	26	2211

अनुक्रमिका-2

समस्त संभाग कार्यालयों का तुलनात्मक विवरण वर्ष 1981-82

	जयपुर	सीकर	कोटा	अजमेर	उदयपुर	जोधपुर	अलवर	योग	अनुपात	बीकानेर	अनुपात संभाग	अनुपात बीकानेर संभाग	वास्तविक अन्तर
1. परिचक्रों की संख्या	222	175	248	270	220	272	264	1671	238.71	290			
2. अधिकारी	11	6	9	9	10	11	9	65	9.28	10	0.04	0.03	-0.01
3. यातायात	64	37	54	64	49	67	68	403	57.57	55	0.24	0.19	-0.05
4. चालक	381	271	427	468	357	417	429	2750	39.29	446	1.65	1.54	-0.11
5. परिचालक, अड्डा परि.	571	443	599	733	520	651	700	4217	602.42	742	2.52	2.56	+0.04
6. तकनीकी	351	242	414	479	406	503	444	2839	405.57	497	1.70	1.71	+0.01
7. मंत्रालयिक	184	106	142	136	104	158	171	1001	143.00	113	0.60	0.40	-0.20
8. चतुर्थ श्रेणी	83	59	74	75	64	76	70	501	71.57	94	0.30	0.32	+0.02

(199)

समस्त कार्यालयों का तुलनात्मक विवरण वर्ष 1982–83

	जयपुर	सीकर	कोटा	अजमेर	उदयपुर	जोधपुर	अलवर	योग	अनुपात	बीकानेर	अनुपात संभाग	अनुपात बीकानेर संभाग	वास्तविक अन्तर
1. परिचकों की संख्या	330	166	240	225	217	254	260	1692	241.71	290			
2. अधिकारी	20	10	9	14	12	17	12	94	13.43	14	0.06	0.05	–0.01
3. यातायात	76	35	56	55	45	63	57	387	55.29	53	0.23	0.18	–0.05
4. चालक	622	271	409	421	417	445	451	3036	433 71	398	1.79	1.37	–0.42
5. परिचालक, अ. परि.	887	449	546	580	574	703	731	4470	638.57	743	2.64	2.56	–0.08
6. तकनीकी	495	288	379	483	384	508	381	2918	416.86	486	1.72	1.68	–0.04
7. मंत्रालयिक	225	623	149	166	137	199	168	1167	166.71	149	0.69	0.51	–0.18
8. चतुर्थ श्रेणी	100	60	65	89	66	91	79	·50	78.57	67	0.33	0.23	–0.10

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

ग्राम पंचायत झूंठा (पाली) में महाराजा सिनेटेक्स को अनुमति

407. **श्री सुखलाल सेंगवा** (रायपुर) एवं **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत झूंठा जिला पाली में उद्योग स्थापित करने हेतु महाराजा सिनेटेक्स, झूंठा को अनुमति दी गई थी ? यदि हां, तो उसे उसी दिन क्यों रद्द किया गया ?

(2) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल न करने के कारण ग्राम पंचायत झूंठा के सरपंच के खिलाफ सरकार कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उक्त सरपंच को पद से हटाने की कार्यवाही कब तक करने का राज्य सरकार का इरादा है ?

उत्तर

(i) सरपंच, ग्राम पंचायत, झूंठा ने ने पत्र क्रमांक 49 दिनांक 10.8.83 के र्स महाराजा सिनेटेक्स, झूंठा को ीकृति दी थी। ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 10.8.83 संख्या 4 के द्वारा संस्था द्वारा पट्टे पेश नहीं करने के कारण निर्माण करने की स्वीकृति रद्द कर दी गई।

(2) इस सम्बन्ध में उप खण्ड अधिकारी, जैतारण से जांच करवाई जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगे की आवश्यक कार्यवाही का किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही का किया जाना संभव हो सकेगा।

राजकीय भेड़ फार्म्स एवं भेड़ चरागाह

408. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में राजकीय भेड़ फार्म्स भेड़ चरागाह विकास कार्यक्रम (डी. पी. ए.) डी. डी. पी. पर निर्माण कार्यों में घटिया किस्म का सामान लगाने, खेती व चरागाह उगाने, चारादाना, मशीनरी, ट्यूबवैल व टांके बनाने में दवाइयां आदि के क्रय में, मेमनों की कम पैदाइश, अधिक मृत्यु आदि कमियों व अनियमिताओं एवं भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें हुई हैं ? यदि हां, तो कृपया प्रत्येक जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री महाराम चौधरी)

(2) क्या सरकार उपरोक्त भेड़ फार्म्स एवं भेड़ चरागाह विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोई कमी महसूस करती है ? यदि हां, तो सुधार की दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच की जा रही है जो पूर्ण नहीं हुई है।

(2) जी नहीं।

ब्यावर उपखण्ड में सीमेन्ट फैक्ट्री हेतु अवाप्त भूमि

409. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) :

एवं श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के ब्यावर उपखण्ड में निर्माणाधीन श्री सीमेन्ट फैक्ट्री के उपयोग हेतु राज्य सरकार ने सरकारी व अन्य भूमि अवाप्त कर उपलब्ध कराई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस भूमि में लसाड़िया गांव की चरागाह की भूमि को भी अवाप्त कर लिया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चरागाह की भूमि अवाप्त करने से पूर्व ग्राम पंचायत लसाड़िया की सहमति ली गई ? यदि नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री सीमेन्ट फैक्ट्री को लीज पर दी गयी भूमि में लसाड़िया ग्राम की 75 बीघा चरागाह भूमि शामिल है।

(3) उपरोक्त आवंटनार्थ ग्राम पंचायत लसाड़िया ने सहमति नहीं दी थी। लेकिन राज्य के व्यापक हितों को देखते हुए, राज्य सरकार ने उपरोक्त भूमि उक्त फैक्ट्री को लीज पर दी।

पंचायत समिति गंगानगर व श्रीकरणपुर की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

410. **श्री मनफूल राम** (केसरीसिंहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर में पंचायत समिति श्रीगंगानगर व श्रीकरणपुर के गांवों में ज्यादातर जनसंख्या अनुसूचित जाति की होते हुए भी निम्नांकित गांवों व पंचायतों में अभी तक विद्युत नहीं पहुँचने का क्या कारण है:—

पंचायत समिति, गंगानगर की पंचायत पक्की, ओडरी खर्खा व गांव 1 एच, 6 एफ, 17 एफ, गुरु को ढाढी, 18 एफ, 2 के, माईनर व हीरामवाली ढाढी व पंचायत समिति श्रीकरणपुर की पंचायत मलकाला कलां।

(श्री मनफूलराम)

(2) क्या सरकार अब 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत शीघ्र ही उक्त गांवों की हरिजन बस्तियों में विद्युत् व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर में पंचायत समिति श्रीगंगानगर के ग्राम 1 एच, 6 एफ, 17 एफ और 2 के विद्युतीकृत किये जा चुके हैं तथा ग्राम 3 बी 4 बी (पक्की) 4 सी (ओडरी), 1 ए, 2 ए (खखा) माह मार्च 1983 में स्वीकृत पंचायत समिति श्रीगंगानगर की आर. एम. एन. पी. श्रेणी की योजना में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं। स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर आने वाले वर्षों में किया जाना सम्भव हो सकेगा। ग्राम 18 एफ अभी किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं है। ग्राम माईनर गुरू की ढाढी एवं हीरामवाली ढाढी वर्ष 1971 की जनगणना पुस्तिका में अंकित नहीं है। अतः फिलहाल इन ग्रामों के विद्युतीकरण के बारे मे कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

ग्राम 2 टी (मलकान काला) पंचायत समिति करणपुर की माह मार्च 1983 में आर. एम. एन पी. श्रेणी की स्वीकृत योजना में सम्मिलित है।

(2) विद्युतीकृत ग्रामों 6 एफ 17 एफ. एवं 2 के. की हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया जा चुका है तथा 1 एच. में हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के लिये मांग पत्र विचाराधीन है। आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने पर उक्त हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किया जा सकेगा। इनके अतिरिक्त स्वीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के पश्चात् ही ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन प्राप्त होने तथा विभाग द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सम्बन्धित हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा सकेगा।

बिक्रीकर सरलीकरण समिति की बैठकें

411. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बिक्रीकर सरलीकरण समिति, कर विभाग (जयपुर) की अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं ? कृपया समिति द्वारा अब तक किये गये कार्यों का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अब तक कुल 10 बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने इन 10 बैठकों में जो कार्य किया उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

बैठकों की संख्या 1	दिनांक 2	विक्रय कर समिति की कुल 10 बैठकें हुई–जिसमें निम्न कार्यवाही हुई :— 3
1.	31.7.82	औपचारिक बैठक जिसमें समिति द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली एवं कार्यक्रम आदि पर विचार किया गया।
2.	20.10.82	सरलीकरण के सन्दर्भ में विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं, कर सलाहकार संघों आदि को भेजे जाने वाली प्रश्नावली पर विचार किया गया। श्री राधागोपाल घीया, सदस्य एवं श्री कपूरचन्द पाटनी, सदस्य से प्राप्त प्रश्नावली की प्रति समस्त सदस्यों को प्रेषित की गई।
3.	24.11.82	श्री कपूरचन्द पाटनी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली में 3 प्रश्न और जोड़े गये तथा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नावली विभिन्न व्यापार मण्डलों को प्रेषित कर संस्थाओं से दिनांक 6.7.83 तक सुझाव आमन्त्रित किये गये। तत्पश्चात् दिनांक 4.12.82 को प्रश्नावली राज्य के 194 संघों को प्रेषित की गई। उसके जवाब में कुल 33 संस्थाओं से सुझाव प्राप्त हुए। इन सुझावों पर बाद में हुई बैठकों में विचार किया गया।
4.	7.4.83	इस बैठक में दिनांक 4.12.82 को विभिन्न संस्थाओं को प्रेषित प्रश्नावली के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया।
5.	3.5.83	विक्रय कर की दरों के वर्गीकरण एवं सरलीकरण हेतु प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया एवं दिनांक 7.4.83 को हुई बैठक के निर्णया–

1	2	3
		नुसार कार्यवाही की गई। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि समिति उन संस्था प्रति–निधियों से जिनसे प्रश्नावली के सुझाव प्राप्त हुये हैं, व्यक्तिगत रूप से भेट कर सुनवाई का मौका दे। इस हेतु दिनांक 26 से 28 मई, 83 तक लगातार बैठकें आयोजित की गईं।
6.	26 से 28.5.83	भाग 5 में वर्णित संस्थान प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत भेंट कर उनके विचार सुने गये।
7.	1.7.83	सरलीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया। अब तक हुई पूर्व बैठकों में प्राप्त सुझावों पर प्रकाश डाला गया। समिति में विचार कर निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में प्राप्त लिखित/मौखिक सुझावों का एक प्रति–वेदन का प्रारूप बना कर सभी सदस्यों को विचार हेतु भिजवा दिया जावे।
8.	30.7.83	समिति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन पर विचार किया गया।
9.	26.9.83	प्रतिवेदन पर विचार कर अंतिम रूप दिया गया एवं गत बैठक के निर्णय अनुसार समिति की विभिन्न बैठकों में हुये विचार–विमर्श को ध्यान में रखकर प्रतिवेदन का सूक्ष्म रूप समस्त सदस्यों को प्रेषित किया गया जिसमें सदस्यों के सुझाव आमन्त्रित किये गये।
10.	4.10.83	प्रतिवेदन पूर्ण रूप से तैयार किया जाकर समस्त सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात् प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक 6.10.83 को प्रेषित कर दिया गया।

रिणवाली नाड़ी (नागौर) में छात्रावास की भूमि का प्रकरण

412. श्री जेठमल बरबड़ (परवतसर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मकराना जिला नागौर के पास रिणवाली नाड़ी ग्राम पंचायत मंगलाना के क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास बनाने के लिए जिलाधीश नागौर ने भूमि अलाट की थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि इस भूमि पर मोटाम लगाकर बोर्ड भी लगा दिया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस भूमि पर से समाज कल्याण छात्रावास का बोर्ड हटा कर यह भूमि पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ विभाग को अलाट कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि छात्रावास भवन बनाने के लिए धनराशि भी पंचायत समिति परबतसर को अलाट कर दी गई परन्तु धनराशि पंचायत समिति को स्थानान्तरण नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिलाधीश ने आवंटन करने का प्रस्ताव किया था।

(2) जी हां। भूमि पर मोटाम लगा दिया गया था।

(3) जी हां। मोटाम व बोर्ड हटा दिये गये क्योंकि यह भूमि अन्य विभाग को आवंटित करदी गई थी।

(4) जी हां। पर धनराशि प्राप्त न होने के कारण स्थानान्तरित नहीं की गई।

झालावाड़ जिले में चालित बसेज

413. श्री बालचन्द आर्य वीर (डग): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झालावाड़ जिले में प्राइवेट बस मालिकों को किन-किन रूटों के परमिट दे रखे हैं ? कृपया बस मालिक का नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन कच्चे रूटों का राष्ट्रीयकरण कर रखा है और जहां निगम की बसें नहीं चलती हैं क्या सरकार इन रूटों को राष्ट्रीयकरण से निकाल प्राइवेट बस मालिकों को इन पर परमिट देने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

सूची

परिशिष्ट "क"

झालावाड़ जिले के प्राइवेट बस मार्गों के नाम, उन पर चल रही बसों के मालिकों के नाम व पते

क्रमांक	मार्ग का नाम	वाहन संख्या	बस मालिक का नाम व पता
1	2	3	4
1-	आगर-सुवासरा वाया श्योगढ़ रतनपुरा	आर जे ओ 1432	श्रीमती जायदाबाई पत्नी स्व. श्री उसमान खां, भवानी मण्डी ।
2-	आगर–डग	आर जे ओ 1775	उदयसिंह नारायण सिंह, रतनपुरा जिला झालावाड़ ।
3-	चौमेहला-सीतामऊ, मन्दसोर प्रतापगढ़ ।	आर आर आर 5917	मोहनलाल मेलीवाल पुत्र श्री जवाहर लाल, बल्लभ नगर, कोटा ।
4-	पटान-पिड़ावा वाया झूमकी	आर एस आर 1474	श्रीमती बलजीतकौर पत्नी श्री भजनसिंह भवानी मण्डी
		आर जे ओ 1556	रविन्द्र कुमार पुत्र सुशीलाल
5-	भानपुर–पिड़ावा वाया भवानी मण्डी, केथुदा, सुलिया चौकी सुनेल ।	आर जे ओ 1401	श्री जीवनसिंह पुत्र श्री जयनारायण, झालावाड़ रोड ।
5-	जोरापुर–गरोठ वाया गोगढ़पुर पिड़ावा, बोलिया	आर एस ओ 4115	श्री निर्मलकुमार चोरडिया चन्द्र निकेतन, गुमानपुरा कोटा ।
7-	चेचट–गरोठ वाया रामगंज मंडी संधारा, पचपहाड़, भेसोदा मण्डी	आर जे ओ 1989	मै. सरोज बस सर्विस प्रा. श्री निर्मल कुमार, चन्द्र निकेतन, गुमानपुरा कोटा ।
8-	दुधालिया-चौमेहला	आर जे ओ 2568	श्री अब्दुल रशीद पुत्र कल्लू खां, डग ।

1	2	3	4
9-	वकानी-भवानी मण्डी वाया रायपुर सुनेल ।	आर जे ओ 2471	श्री सुरेशकुमार पुत्र श्री रामचन्द्र गुप्ता, भवानी मण्डी ।
10-	पाटन–वोलिया वृद्धि. पिड़ावा	आर जे आर 9211	श्री रामनारायण पुत्र भंवरलाल गुप्ता, सुनेल ।
		आर जे आर 9297	श्री मदनलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल झालावाड़ रोड ।
11-	चौमेहला-बड़ोद, श्योगढ़ रामपुरा ।	आर जे ओ 12 1	श्री वशीर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां चौमेहला ।
12-	चौमेहला–डग वाया उन्हेल, अलोद कचनारा	आर एस आर 581	श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री मोहम्मद खां, चौमेहला ।
		आर जे ओ 1413	श्री कल्लू खां पुत्र श्री मोहम्मद खां डग ।
13-	झालावाड़–भालता वाया रीछवा रठलाई, वृद्धि. माचलपुर ।	आर जे ओ 478	श्री बालचंद जैन पुत्र श्री देवीलाल, झालरापाटन ।
		आर एन डी 151	,,
14-	सुवासर-सुसनेर	आर जे ओ 525	श्री अब्दुल रहमान पुत्र मो. खां
15-	भवानीमण्डी-सारोला, वाया कनवाडा, कंनवाड़ी,	आर जे ओ 1391	श्री भजनसिंह पुत्र जगतसिंह, वार्ड नं. 3 झण्डाचौक, भवानीमण्डी ।
		आर जे ओ 117	श्री अजीतसिंह पुत्र जगतसिंह, वार्ड 3 झण्डाचौक भवानी मण्डी ।
16-	कस्वाथाना–शिवपुरी	आर जे ओ 706	श्री चांद खां पुत्र श्री लाल खां देवली ।
17-	रामगंजमण्डी-सुनेल वाया जुल्मी ।	आर जे ओ 1398	मै. रामनारायण भंवरलाल सुनेल
		आर जे ओ 1396	श्री हुसैन अहमद पुत्र श्री नत्थू खां भवानीमण्डी

करेडा पंचायत को दिए गए भूखण्ड

414. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भीलवाड़ा जिले को करेड़ा पंचायत ने इसी वर्ष में कांग्रेस कार्यालय तथा अन्य किन–किन को किस–किस दर पर नीलामी, फिक्स दर, निःशुल्क भू-खण्ड दिये तथा दिये गये भू-खण्ड की साइज क्या है ?

(2) उक्त दिये गये भू-खण्ड के पूर्व में भी आवंटित होकर पट्टे दिये गये ? यदि हां, तो क्या पूर्व का आवंटन निरस्त हो गया ? यदि नहीं, तो सरकार पंचायत के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। पंचायत के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

सूची

क्र. सं.	निःशुल्क दिये गये भू-खण्डों का विवरण		फिक्स दर पर दिये गये भू-खण्डों का विवरण			नीलामी द्वारा दिये गये भू-खण्डों का विवरण
	नाम	साइज	नाम	साइज	राशि का विवरण	
1.	कन्या शाला भवन निर्माण हेतु	70×25	रामेश्वर/ रूपा प्रजापत	70×30	210 = 00 बकाया,	ग्राम पंचायत करेड़ा द्वारा इस वर्ष नीलामी द्वारा कोई भू-खण्ड नहीं दिए गए हैं।
2.	पुलिस स्टेशन का भवन बनाने हेतु	2 बीघा 8 बिस्वा	श्री ओम प्रकाश/ भंवर लाल	130×90	1170 = 00 जमा हो गए	
3.	कांग्रेस कार्यालय हेतु	21½×12	श्री भगवान-नाथ/सांगनाथ कालबेलिया.	50×50	250 = 00 जमा हो गए	
4.	–	–	श्री भंवर लाल/ प्यारचंद टांक	45×30	135 = 00 जमा हो गए	
5.	–	–	श्री रामस्वरूप/ मांगीलाल	150×50	301 = 00 राशि बकाया	

२०९

(210)

राज्य में लिग्नाइट खनिज की प्रोस्पेक्टिंग पर खर्च

415. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में लिग्नाइट के खनिज की प्रोस्पेक्टिंग किन-किन क्षेत्रों में कब कब से प्रारम्भ की गई थी और वह वर्तमान में किन-किन क्षेत्रों में चल रही है और किन-किन क्षेत्रों में बन्द कर दी गई है ?

(2) जिन-जिन क्षेत्रों मे प्रोस्पेक्टिंग बन्द कर दी गई उसके क्या-क्या कारण हैं और इन क्षेत्रों की प्रोस्पेक्टिंग पर कितना कितना खर्च हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अभी तक प्रोस्पेक्टिंग से लिग्नाइट पर आधारित बिजली-घर के लिये पर्याप्त भण्डारों का पता नहीं चला है ?

उत्तर

(1) राज्य के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा वर्ष 1960 से 1969 तक बीकानेर जिले के पलाना, हीरा की ढाणी, चनेरी, रानेरी, विजयसिंहपुरा, गजनेर, मड, इत्यादि क्षेत्रों में लिग्नाइट की प्रोस्पेक्टिंग की गई। तत्पश्चात् वर्ष 1980 से 1983 तक नागौर जिले में मेड़ता रोड़, बाड़मेर जिले में कपूरडी और बीकानेर के गुढ़ा क्षेत्रों में पूर्वेक्षण कार्य किया गया। इसमें से बाड़मेर के कपूरडी क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग को अधिक तीव्रता से पूर्ण करने हेतु वर्तमान में भारत सरकार के उपक्रम खनिज अन्वेषण निगम द्वारा पूर्वेक्षण चालू है। राज्य के खान एवं भू–विज्ञान विभाग द्वारा वर्तमान में बीकानेर के गुढ़ा और खारी क्षेत्रों में प्रोस्पेक्टिंग किया जा रहा है। नागौर जिले के मेड़ता रोड क्षेत्र में लिग्नाइट प्रोस्पेक्टिंग भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ दल के सुझावानुसार वर्तमान में अस्थाई रूप से रोक दिया गया।

(2) नागौर जिले के मेड़ता रोड क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग कार्य से यह पता लगा है कि इस क्षेत्र में लिग्नाइट व ओवर बर्डन का अनुपात अधिक है जिससे लिग्नाइट का दोहन विशेषज्ञों की राय में आर्थिक दृष्टि से लाभदायक सम्भव नहीं है।

मेड़ता रोड क्षेत्र में रुपये 26.90 लाख व्यय हुआ व कपूरडी का अनुमानित व्यय रुपये 25.01 लाख है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान खनिज अन्वेषण निगम द्वारा जो कार्य किया गया है उस पर लगभग 1 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार द्वारा व्यय किया गया है।

(3) जी नहीं, अभी तक प्रोस्पेक्टिंग के आधार पर बीकानेर के पलाना क्षेत्र में लिग्नाइट के पर्याप्त भण्डार पाये गये हैं जिसके आधार पर 2×60 मेगावाट का ताप बिजलीघर लगाने की योजना भारत सरकार के द्वारा विचारणीय है। बाड़मेर के कपूरडी क्षेत्र में भी लगभग 30 मी. टन के भण्डार सिद्ध किये जा चुके हैं, जिसके आधार पर 250 मेगावाट का तार बिजलीघर लगाया जाना सम्भव है।

कृषि कार्यों हेतु विद्युत् समय का आरक्षण

416. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा)

एवं **श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)**: क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में कृषि-कार्यों हेतु विद्युत् देने का पृथक पृथम समय आरक्षित किया है ? यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा, रायपुर तहसीलों में क्या समय आरक्षित किया गया है ?

(2) क्या ब्लाक-परिवर्तित करने की व्यवस्था है ?

(3) क्या कृषि के निमित्त दिन में छः घण्टे बिजली देने की नीतिजन्य घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या उसकी पालना पूरी कठोरता से हुई ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

(4) क्या राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुकूल कृषि कार्य को बिजली नहीं मिलती है ? यदि हां, तो क्या इस क्षति का मुआवजा देने के लिए सरकार विचार रखती है ?

(5) यदि पारस्परिक एग्रीमेन्ट के अनुसार विद्युत् उपभोक्ता अपना न्यूनतम मिनिमम पावर का उपभोग नहीं करता है तो उसे न्यूनतम भुगतान (मिनिमम चार्ज) करना अनिवार्य है ? क्या इसी प्रकार सरकार भी मिनिमम पूर्ति के अभाव में मिनिमम चार्जेज का भुगतान उपभोक्ता को करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के अन्य भागों की तरह ही भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा व रायपुर तहसीलों में भी वर्तमान में 9 घण्टे प्रतिदिन (ब्लाक्स में) कृषि कार्यों हेतु विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें से 6 घण्टे दिन में व 3 घण्टे रात्रि में बिजली दी जाती है।

(2) जी हां।

(4) जी हां। इस नीति का पालन समूचे राज्य में किया जाता है।

(4) घोषित नीति के अनुकूल बिजली दी जाती है सिवाय उस समय जब कि सप्लाई में कोई आकस्मिक व्यवधान उत्पन्न हो जाय।

(5) जी हां। मण्डल की टेरिफ के अनुसार न्यूनतम पावर का उपभोग नहीं करने पर भी संबंधित उपभोक्ता को निर्धारित न्यूनतम चार्जेज का भुगतान करना अनिवार्य है। कृषि कार्यों हेतु बिजली के मिनिमम चार्जेज वार्षिक आधार पर वसूल किये जाते हैं। कृषि हेतु मिनिमम चार्जेज इस तरह रखे गये हैं कि फ्लेट रेट वाले उपभोक्ता को यदि 3.35 घण्टे से 4.64 घण्टे प्रतिदिन तथा मीटर्ड सप्लाई वाले उपभोक्ता को 1.57 घण्टे से 3.06 घण्टे प्रतिदिन बिजली मिलती रहे तो फ्लेट रेट या न्यूनतम चार्जेज के बराबर बिजली का उपभोग हो जाता है। चूंकि वर्तमान में कृषि हेतु 9 घण्टे प्रतिदिन अर्थात् 270 घण्टे प्रतिमाह बिजली कृषि कार्य हेतु दी जा रही है, अतः मिनिमम चार्जेज में किसी प्रकार की रियायत करने के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

कनिष्ठ लेखाकारों एवं लेखाकारों का विभागीय परिवर्तन

417. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर):

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान लेखा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार एवं लेखाकारों का विभागीय परिवर्तन 3 वर्षों में किया जाना एक विभागीय सामान्य प्रक्रिया है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा विभाग में ऐसे-ऐसे भी कनिष्ठ लेखाकार एवं लेखाकार हैं जिनका आज तक विभाग परिवर्तन नहीं हुआ ? कृपया ऐसे कनिष्ठ लेखाकार एवं लेखाकारों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त स्थाई रूप से कनिष्ठ लेखाकर एवं लेखाकारों को दूसरे विभागों में भेजने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो उक्त कनिष्ठ लेखाकारों और लेखाकारों को एक ही स्थान पर रखने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) कनिष्ठ लेखाकार एवं लेखाकार राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में आते हैं न कि राजस्थान लेखा सेवा में। इनका तीन वर्षों में विभाग से परिवर्तन करने की कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है।

(2) ऐसा परिवर्तन आवश्यकतानुसार ही किया जाता है।

आवासन मण्डल कोटा द्वारा निर्मित दुकानें

418. श्री शाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा स्थित आवासन मण्डल द्वारा किस-किस क्षेत्र में कितनी-कितनी दुकानें कब–कब कहां-कहां निर्मित की गई ? कृपया निर्मित दुकानों का कालोनीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उनमें से कहां कितनी दुकानें अलाट की गई तथा कितनी अलाट नहीं की गई ?

(3) अब भविष्य में उन दुकानों को कब तक अलॉट कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) कोटा स्थित आवासन मण्डल द्वारा निर्मित दुकानों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) शेष बची हुई दुकानों को नीलाम करने की कार्यवाही निकट भविष्य में शीघ्र ही की जायेगी।

सूचना

परिशिष्ट "अ"

कोटा स्थित आवासन मण्डल द्वारा निर्मित दुकानों का पूर्ण विवरण

क्र. सं.	कालोनी का नाम	निर्मित दुकानों की संख्या	निर्माण का वर्ष
1.	विज्ञान नगर योजना	41	दिसम्बर 77 में 41
2.	दादाबाड़ी	39	दिसम्बर 74 में 10 दिसम्बर 77 में 29
3.	साबरमती	10	नवम्बर 77 में 10
4.	तलवंडी सैक्टर "ई"	44	वर्ष 1981 में 44
5.	दादाबाड़ी विस्तार योजना	22	वर्ष 1982 में 22
	योग	156	

परिशिष्ट "ब"

कोटा स्थित आवासन मण्डल में आवंटित नहीं की गई दुकानों का पूर्ण विवरण

क्र. सं.	कालोनी का नाम	अलाट की गई दुकानों की संख्या	आवंटित नहीं की गई दुकानों की संख्या
1.	विज्ञान नगर योजना	36	5
2.	दादाबाड़ी	39	–
3.	साबरमती	–	10
4.	तलवंडी सैक्टर "ई"	19	25
5.	दादाबाड़ी विस्तार योजना	6	16
	योग	100	56

गढ़ी सांवलदास की व्यवस्था

419. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गढ़ी सांवलदास के महन्त दामोदरदास की हत्या के बाद सांवलदास की भूमि व सम्पत्ति पर किसका कब्जा है और राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार निभा रही है ?

उत्तर

गढ़ी सांवलदास की चल अचल सम्पदा पुजारी श्री मथुरादास को सुपुर्द की गई है तथा कृषि भूमि पर संलग्न सूची के अनुसार ग्रामीणों का अनधिकृत कब्जा है। अनधिकृत कब्जे धारियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास की धारा 41 के तहत गढ़ी सांवलदास के कार्यकारी प्रन्यासी की नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है।

(216)

सूची

क्र. स.	नाम आसामी मय पता	ख. न. मय रकबा	कार्यवाही
1.	मथुरा दास ब्राह्मण पुजारी मन्दिर लाल जी महाराज गढ़ी बाबा सांवलदास भरतपुर	4758 लगा. 4770 4775 लगा. 4778, 4932 लगा. 4947,4 4954 लगा. 4961, 4971, 4973 लगा. 4991 रकबा 69)3	91 L. R. Act. की कार्यवाही जेर कार है। फसल का कुर्क किया जाकर कब्जे राज लेकर सुपुर्दगी में दिया गया. सुपुर्ददार की रिपोर्ट पर कि अतिक्रमियों द्वारा फसल जरबन काटी जा रही है।
2.	बृजेन्द्रसिंह S/o बस्तीलाल जाट सा. जघोना	4787, 4788 4849, 4850 2)4 1।4 1।।।) 2।) 4851 4852 4853 4854 1।1 ।।2 1।3 1)4 4855 4783 4784 4789 1।।।2 14) 3।।।3 4) 4790 रकबा 26।4 2।।2	
3.	अमरसिंह S/o मोहरसिंह जाट जघोना	4997, 4998, 4999, 5000 1।)2 1)4 1) ।।।3	

1	2	3	4
		5007, 5008, रकवा 9।3 2।।2 2।।1	
4.	वासुदेव S/o रामखिलाड़ी जाट जघीना	4781 4782 4785 4786 1।।2)3 1)2 1।1 4925, 4926, 4927, 4929, 4950, ।।3 114 ।।1)3 13 4951, 4958, 4949 4924 रकवा ।।।4 1)3 ।।3 1।13	S. H. O. सेवर को F. I. R. दर्ज कराई जा चुकी है। फसल को दिनांक 8.2.84 को कब्जे राज लिया जाकर दि. 8.2.84 को ही सुपुर्दगी में दिया
5.	चन्दन सिंह S/o दलसिंह जाट जघीना	4785, 4796 4798 4799 1।1 1।1 2)1 8।1 रकवा 12।।।4	
6.	महावीर S/o गजेन्द्रसिंह जाट जघीना	4565 स. 4568, 4563, 4812, 4814, 4827, 4828, 4830, 4831, 4832, 4833, 4876, 4877, 4878 रकबा 33)1	

1	2	3	4
7.	कपूर S/o किशनसिह जाट जघीना	4825 4848 7॥2 7॥॥1 रकवा 15।3	दिनांक 21.3.84 को F. I. R. दर्ज कराई जा चुकी है।
8.	रघुवीर S/o गजेन्द्र जाट जघीना	4740, 4739, 4742, 4743 4।1 2) ॥॥1 ॥) 4744 रकवा 7॥॥4 ।2	
9.	प्रतापसिंह S/o कोर जाट जघीना	4791, 4792, 4793 4824, 3)1 4॥3 2॥4 (5)2 रकवा 15॥)	
10.	हीरासिंह S/o सूरजमल जाट जघीना	4707 4707।1 4708, 4710 1)3 ॥2 1)1 ॥2 4711 4712 ॥) 4॥1 4713, 4714, 4715, 4716 ।4 ।1 1॥3 ॥3 4717, 4718 ॥1 1॥2 रकवा 10॥2	

219

1	2	3	4
11.	निहालसिंह S/o किरोड़ीसिंह जाट जघीना	4823, 4826, 4821 2111 3)2 1113	
12.	बलवीरसिंह S/o प्रतापसिंह की. जघीना	4822, रकबा 91)2 1111 4709, 4801, 4802, 4803, 4804 1)3 212 2) 21) 2)3 4800 रकबा 10111 11)	
13.	निरंजन S/o नत्थी जाट जघीना	4724, 4725, 4726, 4727, 4728 4) 11) 1)2 212 214 4729, 4730, रकबा 1311 2)2 1)	
14.	वनेसिंह S/o फतेसिंह जाट जघीना	4732, 4733, 4734, 4735, 4737)4 1112 111 111) 2111 4738 रकबा 4535, 4536, 4537, 4239 4) 11)3 1111 1112 4)4 113	

1	2	3	4
		4840, 4841, 4842, रकबा 22। ।।।) 2।2 10।।3	
15.	करतारसिंह S/o निहालसिंह जघीना	4486, 4487, 4879, रकबा 13)2 4।।) 4।2 4।	
16.	हीरा S/o अजमतसिंह को. जघीना	4484, 4485, 4880; 4883 रकबा 4।3 3।।)) 1।।।1 2।।) 12)4	
17.	दखसिंह S/o किरोड़ी जाट जघीना	4815, 4836, 4837 रकबा 7)4 3।।) 4।।।4 16।।3	
18.	हीरासिंह S/o रामलाल जाट जघीना	4805, 4806, 4807, 4812 3)2 1।) 2।।।3 1)4 4819 रकबा 11।2 2।।।3	
19.	श्यामसिंह S/o रामसिंह जाट जघीना	4538, 4539. 4564, 4838, 2)2 2)3 2) 3।2 रकबा 9।।2	

1	2	3	4
20.	अमरसिंह S/o हुकमसिंह जाट जघीना	4813, 4816, 4817, 4820 4॥) 1।।4 ।।2 2।।।2 4829 रकबा 12।।।1 3)3	
21.	हरोदत्त S/o गेंदा फौजदार बमनपुरा	4822, 4881, 4884, 4885 2)2 1।।।) 2।2 1।।।4 रकबा 8)3	
22.	हरीचन्द S/o रामजोलाल जाट जघीना	4719, 4720, 4721, 4722, 4723 ।।।) 1।) 1।।।1 ।।।4 1।।।1 4794, 4797, रकबा 11।) 1।।) 3)4	

जिलाधीश (जागीर)
भरतपुर

221

तहसील रूपवास में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आवासीय भू-खण्ड

420. श्री रामप्रसाद (रूपवास) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि तहसील रूपवास के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये पर्याप्त आवासीय भूमि की व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को आवासीय भू-खण्ड देने का प्रावधान करेगी ?

उत्तर

(1) तहसील रूपवास के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए पर्याप्त आवासीय भूमि की व्यवस्था है।

(2) भू-खण्ड देने का प्रावधान पहले से है और नियमानुसार भू-खण्ड आवंटित किये जाते हैं।

तृतीय वेतन श्रृंखला में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आयु सीमा

421. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) **एवं श्री बालचन्द आर्य** (डग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तृतीय वेतन श्रृंखला में प्रथम नियुक्ति हेतु अध्यापकों के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है ?

(2) नियुक्ति हेतु आयु सीमा में अधिकतम छूट अवधि क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि टोंक जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में विशेषकर जयपुर जिले में अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति 35 वर्ष एवं 38 वर्ष के आयु के अभ्यर्थियों को भी दी गई तथा दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) सरकार द्वारा अन्य जिलों में जयपुर जिले की भांति आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा रही है ?

उत्तर

(1) तृतीय वेतन श्रृंखला में प्रथम नियुक्ति हेतु अध्यापकों की आयु सीमा 30 वर्ष है।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला आशार्थी के लिये नियुक्ति हेतु आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है।

(3) हां कुछ जिलों में ऐसा किया गया है।

(4) नियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्तियां करवाने के लिए प्रभावी रूप से कार्यवाही की जा रही है।

आवासन मंडल कोटा-बून्दी के विरुद्ध शिकायतें

422. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता, आवासन मण्डल कोटा-बूंदी के विरुद्ध 1 फरवरी, 1983 से फरवरी, 1984 तक भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें मण्डल को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी नहीं ।

परिवहन निगम की बसेज से मृत व्यक्ति

423. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रोडवेज की बसों में पिछले दिनों दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई व कितने घायल हुए ?

(2) क्या यह भी सही है कि मुख्य मन्त्री कोष से घायलों और मरने वालों के परिवार वालों को तत्काल सहायता की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि की ? क्या वह राशि दे दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि रोडवेज के चेयरमैन ने भी मृतकों व घायलों के परिवार वालों को कुछ राशि देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि की ? क्या यह राशि दे दी गई ?

उत्तर

(1) यद्यपि प्रश्न में अवधि नहीं दी गयी है फिर भी रोडवेज की बसों में अप्रेल 83 से फरवरी 84 में हुई दुर्घटनाओं में 148 व्यक्तियों की मृत्यु हुई व 319 व्यक्ति घायल हुये ।

(2) जी हां । सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

सूची

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने पर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

(1) जिलाधीश उदयपुर :–रु. 53,000/-

दिनांक 2.12.83 को गोगुन्दा रणकपुर मार्ग पर हुई रोडवेज की बस संख्या आर. एस. वो. 6716 बस दुर्घटना में 18 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 17 व्यक्ति घायल हुए । 2000/- 2000/- प्रत्येक मृतक के आश्रितों को एवं 1000/- 1000/- प्रत्येक घायल के हिसाब से स्वीकृत किये गये । स्वीकृत राशि जिलाधीश उदयपुर को डी. डी. सं. ओएल./ए.-826601 दिनांक 8.12.83 द्वारा 44,000/- एवं डी.डी. नं. टी. टी./बी.-408701 दिनांक 5.1.84 के द्वारा 9000/- रु. भेजे गये हैं ।

(2) जिलाधीश भीलवाड़ा :— रु. 9500/-

(अ) दिनांक 24.1.84 को माण्डल के पास रोडवेज की बस एवं ट्रक में दुर्घटना होने के कारण चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई एवं तीन व्यक्ति घायल हुए । मृतकों के आश्रितों को 2000/- 2000/- एवं घायलों को 500/- 500/- रु. की सहायता

(राज्य मन्त्री, यातायात)

स्वीकृत की गई। राशि जिलाधीश भीलवाड़ा को डी. डी. न. टीटी/बी–408744 दिनांक 25.1.84 को द्वारा भेजी गई है।

(ब) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर :—4000/–]

उपरोक्त घटना में चालक एवं परिचालक की मृत्यु हो जाने के कारण उनके आश्रितों को 2000/– 2000/– के हिसाब से सहायता स्वीकृत की गई। राशि बैंकर्स चैक नं. आर.बी.–845486 दिनांक 25.1.84 के द्वारा अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर को भेजी गई।

(3) जिलाधीश जालौर : 37,500/– रु.

दिनांक 10.1.84 को प्रातः 8 बजे जोधपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस एवं राज. राज्य पथ परिवहन निगम की बस के टकराने से 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई एवं एक बच्ची की मृत्यु हो गई। प्रत्येक मृतक के हिसाब से 5000/– 5000/– रु. एवं बालिका के लिए 2500/– उनके आश्रितों को राशि स्वीकृत की गई। राशि जिलाधीश जालौर को डी. डी. नं ओ. एल./ए–826889 दिनांक 27.2.84 के द्वारा भेजी गई है।

पंचायत समिति श्रीगंगानगर में डिग्गियों का निर्माण

424. श्री महेन्द्र सिंह (सांगरिया) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा अपने पंचायत समिति क्षेत्र में जनवरी 1981 से लेकर अब तक कितनी डिग्गियों का निर्माण करवाया गया ? एक डिग्गी पर कुल कितनी अनुमानित राशि तय की गई थी तथा वास्तव में कुल कितना खर्च हुआ व इनमें ईंट, सीमेन्ट, बजरी व मजदूरी आदि पर अलग-अलग मदों पर कितना-कितनी खर्च हुआ ?

(2) इन डिग्गियों का क्या आकार निश्चित किया गया था व अनुमानित राशि कितनी आंकी गई थी और उससे कितना अधिक खर्चा हुआ ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा जनवरी 1981 से अब तक कुल 62 डिग्गियों का निर्माण करवाया गया है। अन्य विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रत्येक डिग्गी का आकार, अनुमानित राशि, वास्तविक व्यय आदि का विवरण सदन के पटल पर रखी गई सूची में अंकित कर दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	निर्माण करवायी गयी डिग्गियों का विवरण — ग्राम का नाम	डिग्गियों की संख्या	एक डिग्गी पर तय की गयी कुल अनुमानित राशि	वास्तव में हुआ खर्च — ईंटों पर	सीमेन्ट पर	बजरी पर	मजदूरी पर	अन्य मदों पर	कुल	डिग्गी के लिये निश्चित आकार	अनुमानित राशि से कितना अधिक/कम खर्चा हुआ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	4 एच. एच.	1	42778	10608	11768	7402	11000	1973	42751	40×16	27 रुपये कम
2.	6 एच. एच.	1	34860	6968	9932	8602	10000	9765	45267	50×16	10407 अधिक
3.	34 जी. जी.	1	22918	5060	5474	5653	7000	176	23363	28×16	555 अधिक
4.	चूनावड	1	22918	5405	5754	9852	7000	5231	33242	28×16	324 कम
5.	4 बी पक्की	1	22918	4888	4500	4358	7000	826	21572	28×16	346 कम
6.	कोठा	1	22400	4888	4430	1826	7000	12370	30514	28×16	8114 अधिक
7.	2 एफ	1	34860	5824	5950	3745	9000	10961	35480	40×12	620 अधिक
8.	सागरवाला	1	25539	7614	6355	3300	7000	7059	32228	28×16	6689 अधिक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	2 एच बड़ा	1	34860	6968.	6062	5360	9000	3838	31228	40×16	3632 कम
10.	रेनका	1	22400	5349	4888	3098	7000	14015	34350	28×16	11950 अधिक
11.	दौलतपुर	1	-34860	5403	6050	3161	9000	2159	25773	40×16	9087 कम
12.	संगतपुरा	1	22400	5405	6150	3336	7000	4764	26655	28×16	4255 अधिक
13.	10 ओदवाल	1	22400	5404	6150	3300	7000	10721	32575	28×16	10175 अधिक
14.	सागरवाला	1	34860	7176	7000	5021	9000	4059	32256	40×16	2604 कम
15.	8 एच बड़ा	1	22400	7614	6150	5530	7000	1361	27655	28×16	5255 अधिक
16.	12 जी	1	34860	6968	8400	7043	9000	6715	38126	40×16	3266 अधिक
17.	7 एच. एच.	1	34860	6968	6632	6114	9000	6689	35403	40×16	543 अधिक
18.	2 एल. एल.	1	34860	6968	6616	5817	9000	6933	35314	40×16	474 अधिक
19.	7 ई छोटी	1	34860	8648	8216	5817	9000	9181	40862	40×15	6002 अधिक
20.	5 ई छोटी	1	23148	5532	6355	2817	9000	732	24436	28×16	1288 अधिक
21.	4 एम. एल.	1	22400	7920	5755	3320	7000	1805	25800	18×16	3400 अधिक
22.	5 सी छोटी	1	224 0	4888	5749	3088	7000	2480	23205	28×16	805 अधिक
23.	2 सी छोटी	1	23300	5405	6150	3296	7000	4470	26321	28X16	3027 अधिक
24.	4 सी छोटी	1	22400	5405	3349	3211	9000	2362	23327	28X16	927 अधिक
25.	तत्तासर	1	34860	6968	5800	5617	7000	8046	33431	40X16	1429 कम
26.	3 एच. छोटी	1	22400	5572	5455	3193	7000	5304	26525	28X16	4124 अधिक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	1 एच.	1	22400	7857	6055	3179	7000	2434	26525	28X16	4125 अधिक
28.	7 जी छोटी	1	22400	7857	6355	2940	9000	49	26201	28X16	4801 अधिक
29.	6 एन. एल. पी.	1	34860	4888	4750	4620	9000	359	23617	40X16	1243 कम
30.	10 एन. एल. पी.	1	34860	6968	6556	5374	9000	7212	35110	40X16	550 अधिक
31.	6 एन. एल. पी.	1	34860	6968	6566	4377	9000	11836	38747	40X16	3887 अधिक
32.	18 जी. जी. (2जी)	1	25509	7614	6633	3200	7000	2353	26800	28X16	1291 अधिक
33.	18 जी. जी.	2	69720	13936	12500	11325	9000	26469	73230	40X16	3510 अधिक
34.	2 एफ छोटी	1	22400	4888	4500	2928	7000	3107	22423	28X16	23 अधिक
35.	10 जेड	1	22400	4888	5349	2570	7000	4228	24035	28X16	1635 अधिक
36.	17 जेड	1	22400	4888	4924	3226	7000	2504	22542	28X16	142 अधिक
37.	18 जेड	1	22400	4888	5250	3047	7000	2090	22275	28X16	125 कम
38.	16 जेड	1	22400	4888	5349	3373	7000	1762	22372	40X16	28 कम
39.	2 ई छोटी	1	34860	6968	7225	3860	9000	9038	36091	40X16	1231 अधिक
40.	2 ई छोटी	1	22400	5405	6150	3373	7000	990	22918	28X16	518 अधिक
41.	7 एल एल	1	34860	6968	7524	3975	9000	17015	44482	40X16	9622 अधिक
42.	8 एल एल	1	22400	5823	4748	1132	7000	3742	22445	28X16	45 अधिक
43.	6 एफ बड़ी	1	22400	5060	5509	1054	7000	3945	22568	28X16	168 अधिक
44.	कोनी	1	34860	7198	6710	3750	9000	1360	28018	40X16	6842 कम

1	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	5 वाई (4 जेड)	3	67220	15180	15900	11250	21000	6174	69504	28X16	2224 अधिक
46.	6 जी - 1	1	22400	4888	5300	2883	7000	2434	22505	28X16	105 अधिक
47.	21 जी. जी.	1	36400	4888	47[illegible]0	3874	7000	2380	22892	28X16	3508 कम
48.	3 बी छोटी	1	34860	7705	7600	6087	7000	7103	35495	40X16	635 अधिक
49.	5 बी छोटी	1	22400	5405	6150	3348	7000	1306	23209	28X16	809 अधिक
50.	11 जी छोटी	1	23423	5652	6355	2743	7000	1672	23422	28X16	1 अधिक
51.	6 एच छोटी	1	23925	5653	6353	2687	7000	1980	23673	28×16	252 कम
52.	14 जी छोटी	1	29923	5652	6355	2765	7000	1863	23635	28×16	6288 कम
53.	13 जी छोटी	1	23923	5652	6355	2578	7000	2019	23604	28×16	319 कम
54.	12 जी छोटी	1	23923	5652	6355	2756	7000	1945	23708	28×16	215 कम
55.	दौलतपुरा	1	22400	3403	6550	3161	7000	5659	25773	28×16	3373 अधिक
56.	10 जी छोटी	1	23918	5648	5355	4840	7000	2025	24877	28×16	959 अधिक
57.	6 ई छोटी	1	22400	7994	6150	3250	7000	981	25375	28×16	2975 अधिक
58.	11 जी छोटी	1	23923	5652	6353	2653	7000	2028	23686	28×16	237 कम
59.	1 सी बड़ी	1	34860	7705	7606	6087	7000	7097	35495	40×16	635 अधिक
		62		380495	381230	251151	470000	292054	1774930		

ग्राम अजीतपुरा (कोटपूतली) के निकट स्वीकृत खान

425. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील के गांव अजीतपुरा के निकट श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी नीम का थाना के पक्ष में डोलोमाइट खान का पट्टा स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध इस क्षेत्र में चूना पत्थर की खान का पट्टा प्राप्त करने के इच्छुक एक अन्य आवेदक ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर एक तथ्य यह भी प्रस्तुत किया कि इस क्षेत्र में डोलोमाइट नहीं है और डोलोमाइट की आड में चूना प्रत्थर का खनन किया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस तथ्य के उत्तर में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब में तत्कालीन अधीक्षक भूगर्भवेता जयपुर ने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रेषित किया कि इस क्षेत्र में डोलोमाइट ही है और चूना पत्थर उपलब्ध नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उस समय के अधीक्षण भूगर्भवेता ने अब इस विभाग के निदेशक बन जाने पर श्री मोहन लाल अग्रवाल के पक्ष में इसी क्षेत्र में चूना पत्थर की उपलब्धि मानते हुए खनन पट्टा भी स्वीकृत कर दिया है ? यदि हां, तो कब व क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त क्षेत्र के खनिज चूना पत्थर व मार्बल के तत्कालीन पट्टा धारी सर्व श्री नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी द्वारा एक याचिका प्रस्तुत की गई है। जिसमें खनिज डोलोमाइट/लाइमस्टोन बाबत विवाद होना अंकित किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) खनिज चूना पत्थर का खनन पट्टा दिनांक 24-2-83 को नियमानुसार स्वीकृत किया गया है।

श्रीगंगानगर में कपास की खेती के समय की गई विद्युत कटौती

426. **श्री राधेश्याम** (श्रीगंगानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) श्रीगंगानगर शहर में इस वर्ष कपास के मौसम में विद्युत कटौती की गई ? यदि हां, तो विद्युत् कटौती के क्या कारण थे ?

(2) क्या राज्य सरकार इस वर्ष कपास सीजन में गंगानगर में विद्युत् कटौती, वोल्टेज कमी, बिजली की अनियमितता, सप्लाई आदि की स्थिति से अवगत थी ? यदि हां, तो उपरोक्त समस्याओं के निदान हेतु विद्युत् मंडल द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार भविष्य में उपरोक्त कमियों को स्थाई रूप से दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं, श्रीगंगानगर शहर में चालू वित्तीय वर्ष में जून 1983 में एक दिन के अलावा काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग

(ऊर्जा मन्त्री)

इण्डस्ट्रीज पर कोई विद्युत कटौती नही लगाई गई।

(2) इस वर्ष वपान के सीजन में श्रीगंगानगर में विद्युत् कटौती, वोल्टेज कमी एवं बिजली की कोई विशेष अनियमितता नहीं रही, सिवाय कुछ अल्पकालिक आवसमिक व्यवधानों के।

(3) पूर्व में श्रीगंगानगर को मुक्तसार से रेडियल फीडर द्वारा भाखड़ा व्यास की सप्लाई मिलती थी, जिससे बार-बार व्यवधान उत्पन्न होते थे। परन्तु माह अगस्त, 83 में 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन श्रीगंगानगर के चालू हो जाने के पश्चात् यह व्यवधान काफी मात्रा में कम हो गये व वोल्टेज में भी काफी सुधार आया है।

जहाजपुर पंचायत समिति में माडा योजनान्तर्गत खरीद

427. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में जहाजपुर पंचायत समिति में माडा योजना के अन्तर्गत स्कूली छात्रों के लिये जिला विकास अधिकारी के माध्यम से ड्रेसेज का वितरण किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष कितनी कितनी ड्रेसेज किस-किस नाप की, किस प्रकार के कपड़े की बनाई गई ?

(2) क्या सरकार को जानकारी है कि जिस किस्म एवं मूल्य का कपड़ा टेंडर कोटेशन में दिया गया उसके बजाय साधारण किस्म एवं कम मूल्य के कपड़े को ड्रेसेज बनवाकर विद्यालयों को वितरित की गई ?

(3) क्या सरकार इस मामले को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंप कर जांच करने को तैयार है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) जहाजपुर पंचायत समिति में माडा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82, 1982-83 में स्कूली छात्र, छात्राओं को ड्रेसेज का वितरण पंचायत समिति द्वारा किया गया है एवं वर्ष 83-84 में भी पंचायत समिति के द्वारा वितरण शीघ्र किया जावेगा।

वर्ष 1981-82 में जहाजपुर ग्राम सेवा समिति, जहाजपुर से 690 छात्रों के लिये सिले-सिलाये हाफपेन्ट, बुशर्ट प्रति ड्रेस रुपये 26·00 की दर से एवं 207 छात्राओं के लिये घघरी, ब्लाउज प्रति ड्रेस रुपये 25·50 की दर से क्रय किये गये।

वर्ष 1982-83 में 252 छात्राओं के लिये देवली क्रय विक्रय सहकारी समिति देवली से प्रति छात्रा औसतन 2 मीटर कपड़े के हिसाब से 250 मीटर पोपलीन कन्चन ब्लाउज के लिए एवं 250 मीटर पालीकाक सफेद घघरी के लिए क्रय किया गया। छात्रों के लिए कपड़ा निविदाएं आमंत्रित कर कम दर वाली मेवाड़ सेल्स कारपोरेशन जहाजपुर से 1207 छात्रों के लिये प्रति छात्र 1·75 मीटर औसत कपड़ा के हिसाब से खाकी ड्रील 905 मीटर हाफपेन्ट के

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री)

लिये एवं 1207 मीटर कपड़ा बुशर्ट के लिये क्रय किया गया था।

वर्ष 83-84 में जहाजपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति, जहाजपुर से 5743 मीटर कपड़ा 59698.60 रुपये का क्रय किया गया। वर्ष 83-84 में 940 छात्रों के लिये प्रति छात्र 2.25 मीटर औसत के हिसाब से 2021 मीटर एवं 225 छात्राओं के लिए प्रति छात्रा 2.30 मीटर औसत के हिसाब से 517.50 मीटर एव 9 से 11 वर्ष की 72 छात्राओं के लिये 2.50 मीटर औसत के हिसाब से 180 मीटर कपड़ा कुल 2718.50 मीटर कपड़े का उपभोग किया जावेगा एवं शेष कपड़े का उपभोग अगले वित वर्ष में किया जावेगा।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स, जयपुर में तालाबन्दी

428. श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स मालवीया औद्योगिक क्षेत्र जयपुर ने दिनांक 13-7-82 को बिना कोई कानूनी सूचना दिये तालाबन्दी कर दी थी ? कृपया इसके मालिक का नाम मय वल्दियत बतायें।

(2) क्या यह भी सही है कि इनकी सूचना एक विवाद के जरिये स्माल स्केल कारखाना लेबर यूनियन जयपुर ने दिनांक 17 जुलाई, 1982 को क्षेत्रीय श्रम समझौता अधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि क्षेत्रीय श्रम समझौता अधिकारी, जयपुर ने इस विवाद में असफल वार्ता प्रतिवेदन (फैल्यार रिपोर्ट) श्रम आयुक्त, राजस्थान को न्यायाधिकरण में प्रेषित करने के लिये भेज दिया था ? यदि हां, तो क्या उन्होंने इसे न्यायाधिकरण को रेफरेन्स कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब भी इसे न्यायाधिकरण को रेफरेन्स करने का विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस विवाद की पत्रावली श्रम विभाग में लापता हो चुकी है ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस उद्योग के मालिक ने इसी कारखाने की मशीनें अन्य जगह सी-77, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर में लगा कर व नई भर्ती कर उत्पादन चालू कर दिया है ? यदि हां, तो पहले वाले श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। संस्था के नियोजक का नाम संजय शर्मा पुत्र रमाकान्त शर्मा है।

(2) मांग पत्र दिनांक 13-7-82 का कार्यालय प्रादेशिक संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर रीजन, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 16-7-82 को प्राप्त हुआ था।

(श्रम मन्त्री)

(3) जी हां, विवाद को न्याय निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया है।

(4) जी हां, पत्रावली मिसप्लेस हो गई थी। इसे फिर से तैयार कर आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है।

(5) विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

एस डी. आई. के पद पर नियुक्त अध्यापक

429. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1979 में एस. डी आई. के पदों पर द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के स्थान पर प्रथम श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि प्रथम श्रेणी के अध्यापकों को वेरी आयोग की सिफारिश के अनुसार नये वेतनमान के अनुसार वेतन मिल रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रथम श्रेणी के अध्यापकों को जिनको एस. डी. आई. के पदों पर लगाया गया था, नये वेतनमान के स्थान पर पुराने वेतनमान के अनुसार ही वेतन मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। वित्त विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 26-3-84 द्वारा विसंगति को दूर कर दिया गया है।

ब्यावर से जवाजा 33 के. वी विद्युत लाइन

430. श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाजा पंचायत की बराखण्ड, बाखेड़ा, वामनहेड़ा, आसन बनजारी रावतमाल, तारागढ़ व किशनपुरा ग्राम पंचायतों के विद्युतीकरण की योजना गत 35 वर्षों में नहीं बनी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर तक विद्युत पहुंचाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या ब्यावर से जवाजा 11 के.वी. विद्युत लाइन को 33 के. वी. विद्युत लाइन में परिवर्तन करने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस योजना का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, विद्यमान विद्युत प्रणाली से सुदूर स्थित होने के कारण इन ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु आर्थिक दृष्टि से साध्य योजना बनाया जाना सम्भव नहीं था।

(2) राज्य में समस्त ग्रामों का विद्युती-

(ऊर्जा मन्त्री)

करण वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा। अतः सब ही पंचायत हैड क्वार्टर तक कब तक बिजली पहुंच जावेगी इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

(3) जी नहीं, अभी ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

तहसील टौंक, उनियारा एवं देवली के ग्रामों का विद्युतीकरण

431. श्री रामलाल (उनियारा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील टौंक, उनियारा एवं देवली के गांवों के विद्युतीकरण हेतु आर. एम. एन. पी. एवं आर. ई. स्कीम के अन्तर्गत कोई योजना स्वीकृत हो चुकी है ?

(2) क्या स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन में देरी हो रही है ? यदि हां, तो क्यों और अब उक्त तहसील के गांवों को कब तक विद्युतीकृत कर किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति टौंक, देवली एवं उनियारा की योजनायें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं।

(2) योजनामद में उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुरूप उक्त सभी योजनाओं में वार्षिक कार्यक्रमों में ग्रामों के लक्ष्य निर्धारित किये जाते है। योजनाओं का कार्य अभी प्रगति पर है।

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 510 की सूची

Statement Showing the Position of Pending Cases in the Labour Courts Situated in Rajasthan

Year	1970	1971	1973	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Jaipur	1	1	–	5	7	10	26	109	261	243	444	430	150
Kota	–	–	–	–	–	–	3	6	27	27	92	97	14
Bikaner	–	–	–	–	–	–	16	6	27	28	78	81	34
Udaipur	–	–	1	2	2	2	3	10	14	13	19	62	24
Jodhpur	–	–	–	–	–	–	–	11	4	2	35	96	8
Total	1	1	1	7	9	12	48	142	333	313	668	766	230 = 2531

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 514 की सूची
एवं विवरण

अनुसूची "अ"

सूची काश्त योग्य खाली भूमि तहसील सांगानेर क्षेत्र वर्ष 1979–80
तहसील सांगानेर जिला-जयपुर

क्र.सं.	नाम ग्राम	किता	रकबा (बीघा-बिस्वा)	वि. विवरण
1.	पालडी परसा	–	25–10	
2.	श्योसिंहपुरा	–	17–10	
3.	भमोरिया	–	12–07	
4.	खटवाड़ा	–	00–16	
5.	दलवाड़ा	–	2–19	
6.	टीलावाला	–	1–06	
7.	कल्याणपुरा	–	24–00	सीलिंग से प्राप्त भूमि
8.	वाटीका	–	00–12	,, ,,
9.	भाखरोटा खुर्द	–	51–18	,, ,,
10.	झालाना चोड	–	290–16	सीलिंग के अन्तर्गत अधिग्रहण की गई परन्तु स्थगन आदेश।
11.	टोडी रमजानीपुरा	–	22–08	,, ,,
12.	पालडी मीना	–	04–11	
	योग		454–13	

अनुसूची "ब"

तहसील सांगानेर में सिवायचक भूमि के आवंटन की सूची वर्ष 1981–82
जिला-जयपुर

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम आवंटी मय वल्दियत	खसरा नम्बर	आवंटित रकबा (बीघा–बिस्वा)	वि. वि.
1	2	3	4	5	6
1.	श्योसिंहपुरा	श्री कल्याण पुत्र रामू लाल बैरवा	154	4–08	
2.	भमोरिया	श्री किशन पुत्र पेपल्या सांसी	602	7–02	
3.	,,	श्री प्रताप पुत्र गणेश बावरिया	401	5–00	
4.	,,	श्री मूलचन्द, जगदीश, रामलाल पु. गंगरूपा	417	0–05	
5.	खटवाड़ा	श्री नाथूलाल, सुवालाल, बौदूलाल, रामचन्द्र, वगैरह पुत्र घासी राम	73	0–16	
6.	कलवाडा	श्रीमती भौंरी बेवा प्रभू बागडा	243	1–06	
			249	1–13	
7.	वाटीका	श्री जगदीशनारायण/विजयनारायण	1057/1/6/1 1	0–12	(12 बिस्वा)
8.	टीलावास	श्री रामपूरण पुत्र नारायण जाट	279	1–12	
9.	भमोरिया	ग्राम पंचायत भमोरिया को आबादी.	4.7,195	0–13	

1	2	3	4	5	6
10.	जयसिंहपुरा	ग्राम पंचायत, जयसिंहपुरा को आबादी विस्तार	147/3	1–17	
11.	टीलावास	ग्राम पंचायत भमोरिया को आबादी विस्तार	279	0–07	
12.	भाखरोटा खुर्द	मंगलचन्द्र पुत्र भूरा जाट	276	9–00	
13.	,,	भैरू पुत्र जगन्नाथ कुम्हार	276	15–00	
14.	,,	बाबू लाल पुत्र रामपाल कुम्हार	271,275 274	10–13	
15.	,,	जगननाथ पुत्र रूपा कुम्हार	275	10–00	
16.	,,	जगदीश पुत्र चौथू कुम्हार	275	7–05	
17.	पालडी मीना	श्री राजीव माथुर, रवि माथुर	276 से 279	4–11	
			योग :	82–00	

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 516 की सूची

पट्टेधारियों की सूची

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम	खनिज क्षेत्र (वर्गमीटर)	अवधि
1	2	3	4
1.	श्री आत्माराम/श्री जयसिंह जी बिलोची	7200	13.5.80 से 12 5.90
2.	श्री अशोक कुमार/मिलाप चन्द भण्डारी	7200	23.10.79 से 22.10.89
3.	श्री चन्द्रदास/कल्याणदास	7200	19.9.78 से 18.9.88
4.	श्री गौरी शंकर/सीताराम	7200	5.1.80. से 4.1.85
5.	श्री महेन्द्र कुमार/फूलचन्द महाजन	7200	15.4.80 से 14.4.90

1	2	3	4
6.	श्री कल्याणदास/झाऊलाल दास	6575	30.1.80 से 29.1.90
7.	श्री कल्याणदास/झाऊलाल दास	6575	19.4.80 से 18.4.90
8.	श्रीमती कंचन देवी/श्रवण कुमार	180×150	24.2.81 से 23.2.91
9.	श्री मूलचन्द/वालचन्द विलोची	120×60	29.3.80 से 28.3.90
10.	श्री मुकुट बिहारी/शिवनारायण बिड़ला	150×150	18.10.82 से 17.10.92
11.	श्री मुकुट बिहारी/शिवनारायण बिड़ला	80×90	8.1.80 से 7.1.90
12.	श्री ओम प्रकाश/शिव दास अग्रवाल	120×60	16.7.81 से 15.7 91
13.	श्री राधेश्याम/सुगनचन्द	120×60	8.11.81 से 7.11.91
14.	श्री रामपाल गर्ग/रामनारायण	120×60	11.11.79 से 10.11.89
15.	श्री सुरेश मंगल/निरंजनलाल	5456	28.5.79 से 27.5.89

1	2	3	4
16.	श्री कालूलाल/भंवरदास	46×60	22.7.81 से 21.7.91
17.	श्री नरेन्द्र कुमार/सौभाग मल सेठी	22500	8.9.82 से 7.9.92
18.	श्री राम कुमार शर्मा/छीतर लाल उमर	6960	8.8.80 से 7.9.90
19.	श्री ओम प्रकाश/रामलाल	9600	18.1.82 से 17.1.92
20.	श्री रामप्रसाद/प्रभुलाल शर्मा	7200	20.8.80 से 19.8.90
21.	श्री राजेन्द्र जिन्दल/राधेश्याम अग्रवाल	22500	7.4.83 से 6.4.93
22.	श्री कब्बडीलाल/भूरालाल मेघवाल	22500	20.10.83 से 19.10.93
23.	श्री विजेन्द्र/गुलाबचन्द कंजोलिया	22500	7.9.82 से 6.9.92
24.	श्री बाबूमोहन सिंह/गंगा प्रसाद परिहार	120×60	10.11.76 से 9.11.81
			(अण्डर स्टे)

२४१

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 520 की सूचना

राजस्थान के नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 31 दिसम्बर, 1983 को कुल उपलब्ध बेरोजगार शिक्षित एवं अशिक्षित आशार्थी

क्र. सं.	नाम जिला नियोजन कार्यालय	शिक्षित			अशिक्षित			योग		
		कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	14042	1705	260	14313	3212	70	28355	4917	339
2.	अलवर	14665	1881	826	7308	1611	264	21973	3492	1090
3.	बांसवाड़ा	3202	127	649	2578	257	838	5780	364	1537
4.	बाड़मेर	2837	378	31	3109	824	115	5946	1202	146
5.	भरतपुर	16823	1567	380	14160	2332	220	30983	4299	600
6.	भीलवाड़ा	6209	512	88	7860	1564	285	14078	2076	373
7.	बीकानेर	6150	289	81	8911	1421	36	15061	1710	117
8.	बून्दी	2980	289	261	4151	297	274	7131	586	535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	चित्तौड़गढ़	5604	484	153	10010	2477	692	15614	2961	845
10.	चूरू	4861	415	25	4510	461	48	9371	876	73
11.	डूंगरपुर	3635	131	1095	3160	195	1428	6825	326	2523
12.	जयपुर	49756	4549	2588	27700	7469	2350	77546	12018	4938
13.	जैसलमेर	1334	168	14	2363	457	182	3697	625	196
14.	जालौर	2420	421	49	1657	520	103	4077	950	152
15.	झालावाड़	4410	280	210	2133	467	186	6552	767	396
16.	झुन्झुनू	10250	1349	192	9250	2192	339	19500	3541	531
17.	जोधपुर	12470	894	96	17628	3121	367	30098	4015	463
18.	कोटा	12058	1177	568	13370	3267	551	25428	4444	1119
19.	नागौर	11170	458	105	5155	312	5	16325	770	110
20.	पाली	4991	1030	98	4966	724	88	9957	1754	186
21.	सवाईमाधोपुर	8569	1149	1155	4837	956	377	13406	2105	1532
22,	सीकर	9916	874	164	4061	918	306	13977	1792	470
23.	सिरोही	2335	293	76	1932	671	237	4267	964	313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	श्रीगंगानगर	11732	856	88	9865	500	60	21597	1355	448
25.	टौंक	4807	669	279	4668	1123	191	9473	1792	407
26.	उदपुर	10816	933	535	23673	2982	3601	34489	3915	4136
27.	पी. एण्ड ई. जयपुर	10916	369	229	—	—	—	10916	3696	229
28.	विशेष नियोजन कार्यालय (विकलांग) जयपुर	318	21	24	599	91	52	917	112	76
	योग :—	249315	23668	10319	214026	40430	13324	463341	64098	23643

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 521 की सूची

सत्र 1980-81 से 1983-84 तक क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय

क्र. सं.	नाम विद्यालय	तहसील	सत्र
1.	वेडा	बाली	1982-83
2.	सुमेरपुर	बाली	1982-83
3.	रोहट	पाली	1982-83

सत्र 1980-81 से 1983-84 तक क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालय

1.	खुडाला	बाली	1980-81
2.	बांकली	बाली	1980-81

सत्र 1980-81 से 1983-84 तक क्रमोन्नत उ. प्रा. वि.

1.	मण्डिया	पाली	1980-81
2.	वायद	पाली	1980-81
3.	कोठार	बाली	1980-81
4.	बिठुडा	बाली	1980-81
5.	डरी	पाली	1981-82
6.	बोमादडा	पाली	1981-82
7.	सोनाईमांझी	पाली	1981-82
8.	जैतपुर	पाली	1981-82
9.	कीरवा	पाली	1981-82
10.	सिन्दरू	बाली	1981-82
11.	फालना स्टेशन	बाली	1981-82
12.	ढोला	बाली	1981-82
13.	दूदनी	बाली	1981-82
14.	मालनू	बाली	1982-83
15.	नेतरा	बाली	1982-83

1	2	3	4
16.	कुलथाना	पाली	1982-83
17.	माण्डल	पाली	1983-84
18.	सांवलता खुर्द	पाली	1983-84
19.	पांचपदरिया	पाली	1983-84
20.	जवाई बांध	बाली	1983-84
21.	बसंत	बाली	1983-84
22.	सेंसली	बाली	1983-84
23.	खोतरली	बाली	1983-84

सत्र 1980-81 से 1983-84 तक नये खोले गये प्राथमिक विद्यालय (शहरी)

1.	न. 3 सुमेरपुर	बाली	1980-81
2.	न. 4 सुमेरपुर	बाली	1980-81
3.	रबारियों की ढाणी बाली	बाली	1983-84
4.	हाउसिंग बोर्ड कालोनी पाली	पाली	1983-84

जिला शिक्षा अधिकारी
पाली

सत्र 1980-81 से 1983-84 तक तहसील पाली तथा बाली के विद्यालयों में खोले गये विषयों की सूची:-

क्र. सं.	वर्ष	नाम विद्यालय	तहसील	अतिरिक्त विषय
1	2	3	4	5
1	1980-81	माध्यमिक विद्यालय बूसी	पाली	वाणिज्य
2	1981-82	माध्यमिक विद्यालय खोड	पाली	विज्ञान गणित

1	2	3	4	5
3	1981–82	माध्यमिक विद्यालय, खारणोद	बाली	टंकण
4	1982–83	माध्यमिक विद्यालय, बूसी	पाली	कृषि
5	1982–83	माध्यमिक विद्यालय, खुडाला	बाली	कला
6	1982–83	माध्यमिक विद्यालय, खाण्डेराव	बाली	वाणिज्य बैंकिंग
7	1983–34	उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोहट	पाली	वाणिज्य
8	1983–84	उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेड़ा	बाली	जीव विज्ञान
9	1983–84	माध्यमिक विद्यालय, पावा	बाली	कृषि

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 522 का विवरण

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर

20 सूत्री कार्यक्रम–16 वां सूत्र "सब साक्षर" के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र. सं.	20 सूत्रीय कार्यक्रम 16 वां सूत्र "सब साक्षर"	जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य 82–83	उपलब्धि 82–83	जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य 83–84	उपलब्धि 83–84
1	2	3	4	5	6
(क)	नामांकन 6–11 आयु वर्ग				
	अ–छात्र	24485	13276	15300	17270
	आ–छात्रा	9615	2957	3900	3946
	योग	34100	16233	19200	21216
2–	11 से 14 आयु वर्ग				
	अ–छात्र	4110	4135	4730	2892
	आ–छात्रा	1360	639	840	692
	योग	5470	4774	5570	3584

1	2	3		4	5
ख–	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र				
	अ–छात्र	सत्र 82–83 में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रारम्भ नहीं किये गये थे ।		3200	3055
	आ–छात्रा			1800	932
	योग			5000	3987
ग–	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र				
	केन्द्र	330	314	330	330
	लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या	9000	8817	9900	9437

जिला शिक्षा अधिकारी,
जैसलमेर

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 523 का विवरण

अजमेर शहर देशी मदिरा दुकानात में रही कमी जो नकद वसूली योग्य है, की सूचना वर्ष 1983–84

माह	मासिक किश्त	दिनांक 10 तक की पूर्ति	शेष वसूली योग्य राशि	शेष राशि के जमा का विवरण	
				बैंक ड्राफ्ट/चालान सं. एवं तारीख	राशि
1	2	3	4	5	6
अप्रेल, 1983	1283158	869674.48	3113483.52	चा. नं. 11/24.5.83	50,000.00
				,, 8/23.5.83	1,00,000.00
				,, 19/16.5.83	1,00,000.00
				,, 9/30.5.83	63,483.52
					3,13,483.52

250

1	2	3	4	5	6
मई, 1983	1283158	730628.60	552529.40	चा. नं. 9/ 1.6.83	2,00,000.00
				,, 60/ 2.6.83	50,000.00
				,, 11/ 6.6.83	1,00,000.00
				,, 2/13.6.83	50,000.00
				,, 8/15.6.83	50,000.00
				,, 9/14.6.83	1,00,000.00
				,, 26/21.6.83	2,529.40
					5,52,529.40
जून, 1983	12,83,158.00	5,20,695.40	7,62,462,60	चा. नं. 2/23.6.83	50,000.00
				,, 15/24.6.83	50,000.00
				,, 15/25.6.83	50,000.00
				,, 20.6.83	1,00,000.00
				,, 27.6.83	50,000.00
				,, 1.7,83	1,00,000.00
				,, 10/13.7.83	50,000.00

1	2	3	4	5		6
				चा. नं.	2/14.7.83	50,000.00
				,,	2/ 9.7.83	1,00,000.00
				,,	4/18.7.83	1,00,000 00
				,,	10/20.7.83	62,462.60
						7,62,462.60
जुलाई, 1983	12,83,158	4,84,985.16	7,98,172.84	चा. नं.	5/28.7.83	1.00,000.00
				,,	5/30.7.83	1,00 000.00
				,,	6/ 1.8.83	1,00,000,00
				,,	1/ 2.8.83	50,000.00
				,,	11/ 3.8.83	50,000.00
				,,	2/ 4.8.83	50,000.00
				,,	6/ 6.8.83	65,000.00
				,,	4/11.8.83	70,000.00
				,,	5/12.8.83	65,000.00

1	2	3	4		5	6
				चा. नं.	14/16.8.83	1,00,000.00
				,,	6/10.8.83	50,000.00
						8,00,000.00
अगस्त, 1983	12,83,158	4,73,936.00	8,11,097.32	चा. नं.	4/22.8.83	1,00,000.00
				,,	8/30.8.83	50,000.00
				,,	2/ 2.9.83	75,000.00
				,,	15/ 6.9.83	75,000.00
				,,	7/ 7.9.83	50,000 00
				,,	8/ 8.9.83	50,000.00
				,,	7/12.9.83	1,50,000.00
				,,	2/14.9.83	50,000.00
				,,	10/17.9 83	50,000.00
				,,	17/19.9.83	50,000.00

1	2	3	4	5		6	
				चा. नं.	10/20.9.83	50,0:0.00	
					9/21.9.83	59,222.00	बाकी माह
						8,09,222.00	7/83 में ज्यादा
सितम्बर, 83	12,83,158	4,27,493.68	8,55,664.32	चा. नं.	9/27.9.83	75 000.00	जमा हुई
				,,	10/ 3.10.83	1,25,000.00	से
				,,	12/?4.10.83	75,000.00	समयोजित
				,,	4/ 7.10.83	50,000.00	
				,,	24/10.10.83	1,00,000.00	
				,,	6/12.10 83	85,000.00	
				,,	9/15.10.83	40,000 00	
				,,	11/17.10.83	1,25,000.00	
				,,	19/19.11.83	1,00,000.00	
				,,	28/10.10.83	60,000.00	
					4/21.11.83	20,664.32	
						8 55,664.32	

1	2	3	4	5	6
अक्टूबर, 83	12,83,158	6,67,302.96	6,15,855.04	चा. नं. 7/31.10.83	1,00,000.00
				,, 13/7.11.83	1,00,000.00
				,, 7/8.11.83	1,00,000.00
				,, 10/9.11.83	1,00,000.00
				,, 3/10.11.83	75,000.00
				,, 6/22.11.83	40,600.00
				,, 9/23.11.83	50,000,00
				,, 29/25.11.83	50,255.04
					6,15,855.04
नवम्बर, 83	12,83,158	4,75,701.00	8,07,456.00	चा.नं. 5/17.12.83	1,00,000.00
				,, 8/19.12.83	1.00,000.00
				,, 7/29.11.83	1,00,000.00
				,, 7/23.11.83	1,00,000.00
				,, 27/28.11.83	1,00,000.00
				,, 20/13.12.83	50,000.00

1	2	3	4	5		6
				चा.नं.	7/12.12.83	57,456.00
				,,	4/14.12.83	1,00,000.00
				,,	25/20.12.83	1,00,000.00
						8,07,456.00
दिसम्बर, 83	12,83,158	6,22,083.76	6,61 072.24	चा.नं.	30.1.84	3,10 000.00
				,,	3/4.2.84	51,072.24
				,,	19/6.2.84	1,00,000.00
				,,	5/9.2.84	50,000.00
				,,	15/11.2.84	50,000.00
				,,	7/14.2.84	50,000.00
				,,	4/15.2.84	50,000.00
						6,61,072.24

1	2	3	4	5	6
जनवरी, 84	12,83,158	4,08,841.84	8,74,316.16	चा.नं. 2/23.2 84	50,000.00
				,, 11/21.2.84	24,316.16
				,, 10/22.2.84	50,000.00
				,, 4/29.2.84	50.000.00
				,, 21/2.3.84	50 000.00
				,, 16/5.3.84	1,00,000.00
				,, 2/6.3.84	50,000.00
				,, 11/19.3.84	1,50,000.00
				,, 14/20.3.84	1,00,000.00
					6,24,316.16
				ड्राफ्ट से	78,000.00
					7,02,316.16

नोट :–बकाया राशि 1.72 लाख की रही जिसके पेटे 16 लाख रु. की प्रतिभूति राशि जमा हैं।

परिशिष्ट "व"

मैसर्स रामेश्वरलाल एण्ड पार्टी थोक विदेशी मदिरा अनुज्ञाधारी अजमेर से वर्ष 1983–84 की माहवारी किश्त जमा कराई गई का विवरण निम्न प्रकार है

क्रमांक	माह का नाम	माहवारी कितनी किश्त बनी।	किस तारीख को जमा होनी थी।	किस तारीख को जमा हुई।	किश्त देर से जमा करने पर ब्याज वसूल किया।
1	2	3	4	5	6
1.	अप्रेल, 1983	10,126.00	5.4.1983	2.5.1983	–
2.	मई, 1983	10,126.00	5.5.1983	5.5.1983	–
3.	जून, 1983	10,126.00	5.6.1983	7.6.1983	नोट : मै. दुर्गा वाईन स्टोर, मालपुरा के 10,000 रु. समायोजन एवं रु. 126 चा. नं. 17 दिनांक 4.8.1983
4.	जुलाई, 1983	10,126.00	5.7.83	7.7.1983	
5.	अगस्त, 1983	10,126.00	5.8.83	–	–
6.	सितम्बर, 83	10,126.00	5.9.83	6.9.1983	–
7.	अक्टूबर, 83	10,126.00	5.10.83	21.10.1983	माह अप्रेल, 83 से नवम्बर, 83 तक देर से जमा होने पर ब्याज रु. 166.47 चालान नं. 70 दिनांक
8.	नवम्बर, 83	10,126.00	5.11.83	7.11.83	
9.	दिसम्बर, 83	10,126.00	5.12.83	7.12.83	

1	2	3	4	5	6
10.	जनवरी, 1984	10,126.00	5.1.84	4.2.1984	16.12.83 से जमा करवाये गये।
11.	फरवरी, 1984	10,126.00	5.2.84	4.2.1984	रु. 106.54 ब्याज के वसूल हेतु
12.	मार्च, 1984	10,126.00	5.3.84	5.3.1984	लगाये गये हैं, वसूली की कार्यवाही जारी है।
	योग	1,21,501.00			

नोट :–किश्त पूर्ण जमा हो चुकी हैं।

प्रतिभूति राशि निम्न प्रकार जमा हुई थी

1.	6,100.00	टेण्डर के साथ।
2.	34,283.33	चा. नं. 27 दि. 3.3.83
3.	117.00	रसीद नं. 249591/5.3.83
	40,500.33	

258

परिशिष्ट "स"

अजमेर विदेशी मदिरा वर्ष 1983–84 खुदरा दुकानात में रही कमी जिनकी वसूली का विवरण निम्न प्रकार है

माह	मासिक किश्त	10 तारीख तक पूर्ति	कमी	शेष रही कमी का जमा का विवरण	
				जमा का दिनांक	राशि
जून, 83	9,35,185	8,81,772.02	53,412.98	18.7.83	50,000.00
				23.7.83	3,268.90
				18.8.83	89.88
				24.10.83	54.20
					53,412.98
जुलाई, 83	9,35,185	9,15,185.00	20,000.00	18.8.83	20,000.00
					20,000.00

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 525 की सूची

अजमेर शहर में स्थित धार्मिक स्थानों की सूची

अजमेर

क्र. सं	नाम स्थान	स्थिति	वार्ड नं.
क—मन्दिर			
1.	सोनी मन्दिर (नसिया बड़ी),		10
2.	जैन मन्दिर (दादाबाड़ी)		35
3.	श्री बजरंगगढ़		1
4.	,, शीतला माता जी का मन्दिर		1
5.	,, सीतारामजी का मन्दिर		1
6.	,, विष्णुजी का मन्दिर		16
7.	,, शिवजी का मन्दिर		16
8.	,, हनुमानजी का मन्दिर		16
9.	,, लक्ष्मीनारायण जी का मन्दिर		21
10.	,, हनुमानजी का मन्दिर		26
11.	,, हनुमानजी का मन्दिर	नया बाजार	26
ख—मस्जिद			
12.	दरगाह ख्वाजा	नया बाजार	6
13.	ईदगाह	केसरगंज	24
14.	रेल्वे स्टेशन के सामने		16
ग—गुरूद्वारा			
1.	हाथी भाटा		9
2.	आदर्श नगर		28
घ—चर्च			
1.	बस स्टेण्ड के पास		10
2.	चर्च सेन्ट असलम		25

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 526 की सूचेनी

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

गत आठ वर्षों (1976 से 1983) में किये गये जिलेवार पंजीकरण का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	पंजीकरण		
		निम्न आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	उच्च आय वर्ग
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	2036	3101	432
2.	अलवर	1216	1404	416
3.	भरतपुर	125	103	—
4.	भीलवाड़ा	230	436	118
5.	बीकानेर	497	725	130
6.	बूंदी	53	14	—
7.	श्रीगंगानगर	664	1244	161

1	2	3	4	5
8.	सीकर	193	416	138
9.	जयपुर	4667	7293	1480
10.	जैसलमेर	5	5	1
11.	झालावाड़	167	199	9
12.	झुन्झुनू	33	67	4
13.	जोधपुर	1296	1791	310
14.	कोटा	3343	5558	1119
15.	नागौर	13	10	–
16.	पाली	199	159	6
17.	सवाईमाधोपुर	319	436	21
18.	सिरोही	43	96	6
19.	टौंक	37	10	–

1	2	3	4	5
20.	उदयपुर	849	1542	219
21.	बाड़मेर	4	1	—
22.	जालौर	—	—	—
23.	बांसवाड़ा	110	141	6
24.	चित्तौड़गढ़	62	53	—
25.	डूंगरपुर	219	283	4
26.	चूरू	9	19	—
27.	धौलपुर	14	[illegible]	—

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 527 की सूचना

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि0
जयपुर

निगम द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए विशिष्ट केन्द्रीय सहायता योजना आर्थिक उत्थान के अनुदान से लाभान्वित व्यक्तियों की जिलेवार सूचना–

	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	1 अप्रेल, 80 से 31 मार्च, 83 तक लाभान्वित कुल व्यक्ति	वर्ष 83-84 में 12-3-84 तक लाभान्वित व्यक्ति	कुल
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	238	405	643
2.	अलवर	327	76	403
3.	बाड़मेर	92	92	184
4.	बांसवाड़ा	—	11	11
5.	भरतपुर	546	109	655
6.	भीलवाड़ा	484	701	1185
7.	बीकानेर	190	96	286
8.	बून्दी	127	78	205
9.	चूरू	—	548	548
10.	चित्तौड़गढ़	299	354	653
11.	डूंगरपुर	130	31	161
12.	जयपुर	—	817	817
13.	जालौर	502	265	767
14.	झालावाड़	23	112	135
15.	झुंझुनू	24	93	117
16.	जोधपुर	393	455	848
17.	कोटा	43	220	263

1	2	3	4	5
18.	नागपुर	83	137	220
19.	पाली	45	96	141
20.	सवाईमाधोपुर	70	258	328
21.	सीकर	267	271	538
29.	सिरोही	124	163	287
93.	श्रीगंगानगर	484	144	628
94.	टोंक	42	220	262
95.	उदयपुर	108	454	562
96.	जैसलमेर	36	29	65
97.	धौलपुर	—	132	132
	कुल	4677	6367	11044

निगम द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से हिस्सा राशि सहायता के अन्तर्गत लाभान्वितों की सूची

	नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक	लाभान्वितों की संख्या फरवरी, 1984 तक
1.	अजमेर	3684
2.	अलवर	1101
3.	बाड़मेर	3330
4.	बांसवाड़ा	2
5.	भरतपुर	430
6.	भीलवाड़ा	2706
7.	बीकानेर	578

1	2	3
8.	बून्दी	755
9.	चूरू	2342
10.	चित्तौड़गढ़	3704
11.	डूंगरपुर	305
12.	जयपुर	6362
13.	जालोर	413
14.	झालावाड़	3040
15.	झुंझुनू	285
16.	जोधपुर	4011
17.	कोटा	2810
18.	नागौर	349
19.	पाली	598
20.	सवाईमाधोपुर	2357
21.	सीकर	471
22.	सिरोही	86
23.	श्रीगंगानगर	1501
24.	टोंक	783
25.	उदयपुर	1922
26.	जैसलमेर	—
	योग	43925

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा अनुसूचित जाति के काश्तकारों को 10-10 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से अनुदान देकर उपलब्ध कराये गये पेड़ों की संख्या

क्र. सं.	नाम जिला	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें पेड़ उपलब्ध कराये गये	पेड़ों की संख्या जो उपलब्ध कराये गये
1	2	3	4
1	अजमेर	215	10,800
2	अलवर	100	5,000
3	भरतपुर	200	10,000
4	भीलवाड़ा	200	10,000
5	बून्दी	150	7,500
6	जयपुर	100	5,000
7	कोटा	138	6,910
8	सवाईमाधोपुर	120	4,924
9	श्रीगंगानगर	149	7,610
10	टौंक	100	5,000
	योग	1472	72,744

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये आटोरिक्शा की सूचना

क्र. सं.	नाम जिला	दिनांक 22.2.84 तक उपलब्ध कराये गये आटो रिक्शा की संख्या
1	2	3
1.	जयपुर	15
2.	श्री गंगानगर	4

1	2	3
3.	उदयपुर	14
4.	अलवर	4
5.	भीलवाड़ा	4
		41

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न उद्योग/व्यवसाय के अन्तर्गत स्काइट कार्यक्रम में लाभान्वितों की जिलेवार सूची

जि. ग्रा. वि. अभि. का नाम	लाभान्वितों की संख्या		
	82-83 तक	83-84 (फरवरी, 84)	कुल
1	2	3	4
1. अजमेर	652	213	865
2. अलवर	136	129	265
3. बाड़मेर	38	अप्राप्य	38
4. बांसवाड़ा	–	"	–
5. भरतपुर	424	152	576
6. भीलवाड़ा	285	255	540
7. बीकानेर	274	25	299
8. बूंदी	76	अप्राप्य	76
9. चूरू	50	99	149
10. चित्तौड़गढ़	41	अप्राप्य	41
11. डूंगरपुर	12	15	27
12. जयपुर	498	993	1491

1	2	3	4
13. जालौर	195	अप्राप्य	195
14. झालावाड़	47	,,	47
15. झुन्झुनू	19	,,	19
16. जोधपुर	54	152	206
17. कोटा	301	657	958
18. नागौर	60	36	96
19. पाली	80	51	131
20. सवाईमाधोपुर	118	अप्राप्य	118
21. सीकर	38	51	89
22. सिरोही	28	अप्राप्य	28
23. श्रीगंगानगर	260	83	343
24. टोंक	175	73	248
25. उदयपुर	87	97	184
26. जैसलमेर	–	15	15
27. धौलपुर	–	40	40
योग	3948	3136	7084

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा राज्य में आशुलिपिक प्रशिक्षण में प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया
1	2	3	4
1.	जयपुर	दास टाईपिंग एण्ड शार्टहैण्ड इन्स्टीट्यूट, जयपुर	100

1	2	3	4
2.	उदयपुर	आदिम जाति रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, उदयपुर	10
		योग	110

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि0 द्वारा राज्य में आई. टी. आई. प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जिलेवार सूचना

क्र. सं.	केन्द्रों के नाम	प्रारम्भ में प्रशिक्षणार्थी की संख्या	लाभान्वितों की संख्या
1.	जयपुर	108	104
2.	अजमेर	43	22
3.	कोटा	52	35
4.	उदयपुर	50	28
5.	बीकानेर	53	25
6.	जोधपुर	51	18
7.	अलवर	55	24
8.	पाली	25	14
9.	भीलवाड़ा	43	9
	योग	480	279

नोट :– जयपुर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में अन्तिम परीक्षा में केवल 74 प्रशिक्षणार्थी ही बैठे। इस प्रकार परीक्षा में बैठने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या केवल 249 ही रह गई।

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा बी. एड. में प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या एवं जिलेवार सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया
1	2	3	4
1.	चूरू	गांधी विद्या मन्दिर प्रशिक्षण महाविद्यालय, सरदारशहर	120
2.	उदयपुर	विद्या भवन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	120
3.	जोधपुर	महेश शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर	120
4.	जयपुर	एस. एस. जी. पारीक कालेज, जयपुर	60
		योग	420

नोट:– इसके अतिरिक्त वर्ष 8 –84 में छः केन्द्रों (2–श्री गंगानगर, अजमेर, सरदारशहर (चूरू), हिण्डोन (स. माधोपुर), कोटा) में 600 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए नये कोर्स प्रारम्भ किये गये हैं।

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा ए. एन. एम. केन्द्रों में प्रशिक्षित अनुसूचित जाति की लड़कियों की जिलेवार सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	अनु.जाति की प्रशिक्षित लड़कियों की संख्या
1	2	3
1.	भरतपुर	1
2.	चूरू	2
3.	सिरोही	1

1	2	3
4.	टोंक	3
5.	अलवर	1
6.	सवाईमाधोपुर	1
7.	झालावाड़	5
8.	पाली	11
9.	बांसवाड़ा	6
10.	अजमेर	17
11.	चित्तौड़गढ़	4
12.	कोटा	14
13.	सीकर	12
	योग	78

राजस्थान अनसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा राज्य में मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण में प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जिलेवार सूचना

क्र0 सं0	जिले का नाम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	सीकर	2
2.	अलवर	2
3.	भरतपुर	3
4.	अजमेर	3
5.	टोंक	6
6.	सवाईमाधोपुर	6
7.	कोटा	1
8.	बून्दी	1
9.	झालावाड़	4
10.	चूरू	1

1	2	3
11.	श्रीगंगानगर	1
12.	उदयपुर	1
13.	चित्तौड़गढ़	3
14.	भीलवाड़ा	1
15.	जोधपुर	1
16.	सिरोही	1
17.	जालौर	2
18.	नागौर	1
	योग	40

नोट :—राजस्थान स्कूल ग्राफ मोटर ड्राईविंग जयपुर में प्रशिक्षण हेतु 47 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का चयन किया गया था, किन्तु 7 व्यक्ति बीच में ही प्रशिक्षण छोड़कर चले गये । अतः कुल 40 व्यक्तियों को ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भेजा जा सका ।

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा विभिन्न निजी एवं औद्योगिक संस्थाओं में प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सूचना

क्र. सं.	प्रशिक्षण केन्द्रों का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	मैसर्स माडर्न वूलन प्रा0 लि0 भीलवाड़ा	31
2.	,, सुनील टेक्सटाइल मिल्स प्रा0 लि0 भीलवाड़ा	65
3.	,, जयपुर पोलिस्पिन लि0 सीकर	112
4.	,, माडर्न वूलन कारपेट्स टौंक	15
5.	,, टेव इण्डिया लि0 अलवर	4
6.	,, इ0 एस0 आर0 इण्डस्ट्रियल एन्टरप्राइजेज अलवर	2
7.	,, तिरुपति फाइबर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 पाली	83
8.	,, भारत सिन्थेटिक्स भीलवाड़ा	5

(274)

1	2	3
9.	मैसर्स परफैक्ट थ्रेड मिल्स लि0 उदयपुर	21
10.	,, जगाटिया पेपर मिल्स लि0 जयपुर	21
11.	,, दुरबिं टेक्सटाइल जोधपुर	250
12.	,, माडर्न थ्रेड भीलवाड़ा	16
13.	,, सिद्या सिन्थेटिक्स उदयपुर	16
14.	अन्य	73
	योग	714

एस. टी. सी. प्रशिक्षण में अनुसूचित जातियों के वर्ष 1982–83 से प्रशिक्षण पा रहे प्रशिक्षणार्थी

नाम प्रशिक्षण केन्द्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1. महिलाओं के लिये	
(1) राज. शि. प्र. वि. (महिला) बीकानेर	60
(2) ,, ,, ,, (महिला) जोधपुर	60
(3) ,, ,, ,, (महिला) अजमेर	60
2. पुरुषों के लिए	
(4) राज. शि. प्र. वि.. अलवर	60
(5) ,, ,, ,, शाहपुरा भीलवाड़ा	60
(6) ,, ,, ,, पूंगला रोड (बीकानेर)	60
(7) ,, ,, ,, कुचामन सिटी (नागौर)	60
(8) ,, ,, ,, उदयपुर	60
(9) ,, ,, ,, चूरू	60

नाम प्रशिक्षण केन्द्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
(10) राज. शि. प्र. वि. फलौदी (जोधपुर)	60
(11) ,, ,, ,, नवलगढ़ (झुंझनू)	60
(12) ,, ,, ,, नान्ता महल (कोटा)	60
योग	720

नोटः— वर्ष 1983–84 में स्वीकृत योजना के अन्तर्गत अभी नये कोर्स प्रारम्भ नहीं हो सके हैं।

अनुसूचित जाति के विधि स्नातकों की सूचना जिन्हें वकालत प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है।

क्र. सं.	जिले का नाम	अनुसूचित जाति के प्रशिक्षण पा रहे विधि स्नातक
1-	गंगानगर	2
2-	जयपुर	8
3-	चूरू	1
4-	जैसलमेर	1
5-	भरतपुर	2
6-	जोधपुर	2
7-	चितौड़गढ़	2
8-	झुंझुनू	1
9-	सिरोही	1
10-	अलवर	2
11-	अजमेर	1
12-	टौंक	1
13-	धौलपुर	1
14-	बीकानेर	1
15-	सीकर	1
	योग:–	27

निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के जीवन स्तर ऊंचा उठाने हेतु ऋण उपलब्ध कराये गये लाभान्वितों की जिलेवार संख्या

क्र. सं.	नाम जिला	बढ़ी हुई दर पर अनुदान प्राप्त करने वालों की संख्या	अतिरिक्त परिवारों को अनुदान योजना में ऋण	शहरी क्षेत्र में अनुदान देने की योजना में ऋण प्राप्त करने वाले	केन्द्रीय सह. बैंक से हिस्सा राशि सहायता अनुदान के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले	केन्द्रीय सह. बैंक के माध्यम से हिस्सा राशि ऋण	भूमि विकास सह. बैंक के माध्यम से हिस्सा राशि ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	5637	100	643	3684	951	81	11096
2.	अलवर	7855	1041	403	1101	521	13	10934
3.	बाड़मेर	5239	–	184	3330	2321	84	11158

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बांसवाड़ा	1669	25	11	2	328	–	2035
5.	भरतपुर	8370	1052	655	430	1394	470	12391
6.	भीलवाड़ा	5070	1140	1185	2706	763	83	10947
7.	बीकानेर	4727	1417	286	578	995	32	8035
8.	बून्दी	1924	777	205	755	299	89	4049
9.	चूरू	8797	113	548	2342	267	61	12128
10.	चित्तौड़गढ़	13896	1680	653	3704	1152	95	21180
11.	डूंगरपुर	1128	25	161	305	437	20	2076
12.	जयपुर	10683	1766	817	6362	1193	58	20879
13.	जालौर	7131	1844	767	413	765	456	11376
14.	झालावाड़	5755	321	135	3040	1452	379	11082
15.	झुंझुनू	5807	1566	117	285	2525	16	10316
16.	जोधपुर	6125	650	848	4011	798	50	12482
17.	कोटा	7022	287	263	2810	625	84	11091
18.	नागौर	8076	832	220	349	1459	102	11038
19.	पाली	4988	811	141	598	302	86	6926

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	सवाईमाधोपुर	8070	1857	328	2357	371	319	13302
21.	सीकर	5662	2272	538	471	255	–	9198
22.	सिरोही	6309	–	287	86	781	–	7463
23.	गगानगर	10572	683	628	1501	783	82	14249
24.	टोंक	3347	480	262	783	448	167	5487
25.	उदयपुर	8751	2101	562	1922	653	18	14007
26.	जैसलमेर	2338	96	65	–	990	–	3489
27.	धौलपुर	2619	188	132	–	–	79	3018
	योगः–	167567	23124	11044	43925	22828	2924	271412

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 528 की सूचना

चित्तौड़गढ़ जिले में कक्षा 6 से 11 तक छात्रों की संख्या

कक्षा	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
6	1268	121	1398	805	19	824
7	878	64	942	446	24	470
8	677	47	724	366	9	375
9	613	38	651	310	8	318
10	385	19	404	181	1	182
11	186	1	187	77	1	78

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न 532 का विवरण

परिशिष्ट "क"

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि., जनजाति
विकास भवन–प्रतापनगर, उदयपुर (राज.)

लघुवन उपज के क्रय का विवरण

1981-82

क्र. सं.	नाम उपज	क्रय दर	मात्रा	राशि
1	2	3	4	5
1.	गोंद धावड़ा श्रेणीवार	8/- से 40/-	531.31.200	525235.10
2-	गोंद खैर	5/50 से 7/50	1148 06.900	101808.30
3-	शहद	8/	89.42.300	60488.79
4-	मोम	20/	6.44 950	13772.91
5-	महुआ फूल	1.20/	2620.28.540	347882.44
6-	डोलमा	3.00/	1433.68.900	446264.43
7-	रतनजोत	1.40/	1224.95.400	207414.49
8-	कगज	1.60/-	902.66.700	155469.05
9-	लाल अरण्डी	1.80/-	3.96.550	619.14
10-	धतूरी	1.50/-	68.86.700	11142.47
11-	सफेद मूसली श्रेणीवार	5/- से 25/-	1.73.650	2327.77
12-	आंवला	0.50/-	–	–
13-	अरीठा	1.30/-	239.42.000	33458.00
14-	घटबोर	0.20	–	–
15-	बहेड़ा	0.30	–	–
16-	मरोड़फली	–	–	–

1	2	3	4	5
17-	विला	–	–	–
18:	अचार	1.75से2.25/-	62.37.000	12102.17
19-	पुवाड़बीज	0.50/-	6860.32.600	327489.18
20-	लाख	0.60/-	–	–
21-	आंवला छाल	0.50/-	122.34.300	6711.05
22-	बिच्छुकांटा	0.50/-	26.71.500	1455.90
23-	निम्बोली	0.30/-	–	–
24-	गोंद छोडी	4/-	154.12.050	69851.04
25-	गोंद गोदल	0.80/-	24.33.500	2657.77
26-	गोंद सालर	2.35/- + 1.44 रोयल्टी	599.62.000	156259.47
27-	चिरमी के बीज	1.75/-	0.02.900	5.47
28-	मांल कागणी	1.50/-	–	–
29-	इमली बिना बीज छिलके उतरे हुयें	1.00/-	–	–
30-	बहेड़ा छाल बिना गुठली के	0.30/-	15.68.000	403.61
31-	गोंद कड़ाया	–	–	–
32-	गोंद कमरकस	–	–	–
33-	चिरोंजी	–	19.58.870	45034.70
34-	अन्य	–	–	–

नोटः—लदान व्यय कुल मूल्य का 2/' आता है।

(282)

लघुवन उपज के क्रय का विवरण पत्र

1982–83

क्र. सं.	नाम उपज	क्रय दर(प्रति किलो)	मात्रा	राशि
1	2	3	4	5
1-	गोंद धावड़ा	8/- से 40/-	313.17.300	9,39,525.00
2-	गोंद खैर	6/- से /8-	210.15.500	1,45,007.00
3-	शहद	10/-	95.48.000	95,480.00
4-	मोम	18/-	6.90.500	13,810.00
5-	महुआ फूल	1.50/-	1741.35.000	2,98,616.00
6-	डोलमा	3.00	1667.87.000	5,83,754.50
7-	रतनजोत	1.50	1314.19.000	2,10,670.40
8-	करंज	1.60	1239.41.500	1,98,306.40
9-	लाल अरण्डी	1.80	4.14.250	766.35
10-	धतूरा	125 से 1.75	192.86.500	30,585.40
11-	सफेद मूसली	8/- से 35/-	–	–
12-	आंवला	0.80	1212.38.000	1,69,733.20
13-	अरीठा	1.30	355.76.000	49,172.65
14-	बहेड़ा	0.20	121.15.000	3,028.75
15-	अचार	1.75 से 2.25	45.85.000	6,263.75
16-	पुवाड़ बीज	0.50	109.89.000	6,263.75
17-	लाख	0.60	–	–
18-	आंवला छाल	0.50	48.13.500	3,128.00
19-	बिच्छुकांटा	0.50	–	–
20-	निम्बोली	0.30	–	–
21-	गोंद छोड़ी	4.00	203.11.500	84,292.75

1	2	3	4	5
22-	गोंद गोदल	0.80	1.71 500	145.80
23-	गोंद सालर	3.50 + 1.44 रायल्टी	1310.27.300	3,60,325.10
24-	चिरोंजी	–	25.57.850	6,522.50
		योग:—		31,91,718.80

नोट:-नोट लदान व्यय कुल मूल्य का 2% आता है।

लघुवन उपज के क्रय का विवरण

1983-84 (फरवरी, 84 तक)

क्र. सं.	नाम उपज	क्रय दर(प्रति किलो)	क्रय मात्रा	(टेन्टेटिव) राशि
1	2	3	4	6
1-	गोंद धावड़ा	8/- से 40/-	35.85.000	1,25,475.00
2-	गोंद खैर	6/- से 8-	18.85.000	14,137,50
3-	शहद	10/-	5.25.350	5,253.50
4-	मोम	18/-	3.38.950	6,101.10
5-	महुवा फुल	1.80 किलो	171,600.000	2,57,400.00
6-	डोलमा	3.50 किलो	829.01.000	2,90,153.50
7-	रतनजोत	1.60 किलो	839.00.000	1,34,240.00
8-	करंज	1.70 किलो	640.83.000	1,08,941.10
9-	लाल अरण्डी	1.80 किलो	2.41.000	433.00
10-	धतूरी	1.25 से 1.75	255.31.000	43,402.70
11-	सफेद मूसली	10 से 35 किलो	14.08.350	53,114.20

1	2	3	4	5
12-	आंवला	0.80 किलो	729.57.500	58,366.00
13-	अरीठा	80 क्वि.	95.73.500	7,658.40
14-	अचार	1.75 से 2.25	1.30.000	260.00
15-	पूवाड़ बीज	0.50	29.24.000	1,46,200.00
16-	लाख	0.60	00.11 500	6.95
17-	आंवला छाल	0.50	240.00.000	10,500.00
18-	बिच्छुकांटा	1.25	525.00.000	65,625.00
19-	निम्बोली	0.30	8.32.000	249.60
20-	गोंद छोड़ी	4.00	12.84.000	5,136.00
21.	गोंद गोदल	0.80	14.71.000	1,176.00
22	गोंद सालर	—	—	—
23-	चिरोंजी	—	—	—
24-	बहेड़ा	—	—	—
		योग:—		13,33,829.55

नोटः—लदान व्यय कुल मूल्य का 2% आता है।

परिशिष्ट 'ख'

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि., उदयपुर

लघुवन उपज के विक्रय का विवरण वर्ष 1981-82

क्र0. सं	नाम उपज	विक्रय दर	मात्रा	राशि
1	2	3	4	5
1-	गोंद धावड़ा श्रेणीवार	1428/-	424.78.100	606567.45
2-	गोंद खैर	1073/-	89.51.500	96135.65

1	2	3	4	5
3-	शहद	1145/-	29.48.650	33843.93
4-	मोम	2665/-	2.37.651	6346.67
5-	महुआ फुल	185/-	1009.71.000	190409.96
6-	डोलमा	385/-	1613.63.400	623228.12
7-	रतनजोत	200/-	1230.34.900	248263.86
8-	रतनजोत	212/-	816.41.600	175138.65
9-	लाल अरण्डी	235/-	3.01.000	719,48
10-	धतूरी	200/-	75.07.000	15040.11
11-	सफेद मूसली श्रेणीवार	--	–	–
12-	आंवला	40/-	11.51.000	479.20
13-	अरीठा	127/-	114.80.700	20016.20
14.	घटबोर	–	–	–
15-	बहेडा	–	–	–
16-	मरोडफली	–	–	–
17-	बिला	24/-	7.29.000	187.50
18-	अचार	230/-	186.46 000	42885.80
19-	पुवाड़बीज	70/-	6521.19.000	468652.70
20-	लाख	110/-	2.54.000	281.60
21-	आंवला छाल	85/-	126.64.300	10976.12
22-	चिच्छुकांटा	72/-	6.78.000	518.50
23-	निम्बोली	71/-	3.97.000	291.80
24-	गोंद छोड़ी	485/-	124.61.500	60907.15
25-	गोंद गोदल	130/-	30.47.800	4042.25
26-	गोंद सालर	445/-	719.62.400	321503.70
27-	चिरमी के बीज	–	–	–
28-	माल कागणी	–	–	–
29-	इमली बिना बीज	–	–	–

1	2	3	4	5
30-	छिलके उतर हुये बहेड़ा छाल बिना कुठलों के	40/-	17.52.000	700.91
31-	गोंद कड़ाया	130/-	7.49.000	973.70
32-	गोंद कमर कस	105/-	75.01.900	8328.98
33-	चिरोंजी	335/-	18.15.500	61509.68
34-	अन्य	--	--	--

नोट :-लदान व्यय कुल मूल्य का 2 प्रतिशत आता है।

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0,
जनजाति विकास भवन-प्रतापनगर, उदयपुर (राज0)

लघुवन उपज के विक्रय का विवरण पत्र

वर्ष 1982-83

क्र0. सं.	नाम उपज	विक्रय दर औसत	मात्रा	राशि
1-	गोंद धावड़ा	43/- किलो	305.41.000	13,13,263.00
2-	गोंद खैर	14/- ,,	204.85.000	2,86,790.00
3-	शहद	18/- ,,	6.82.000	12,294.00
4-	मोम	22/- ,,	6.59.500	14,509.00
5-	महुआ फूल	182/- क्विं.	1693.53.500	3,08,223.35
6-	डोलमा	405/- ,,	1603.98.500	6,49,613.95
7-	रतनजोत	200/- ,,	1264.17.000	2,52,834.00
8-	गणज	203/- ,,	1205.39.500	2,44,695.20
9-	लाल अरण्डी	270/- ,,	4.01.500	1,084.05

1	2	3		4	5
10-	धतूरी	200/-	,,	191.98.500	38,397.00
11-	सफेद मूसली	–		–	–
12-	आंवला	–		–	–
13-	अरीठा	167/-	,,	351.86 000	58,760.60
14-	बहेड़ा	–		–	–
15-	आचार	300/-	,,	44.97.500	13,492.50
16-	पुवाड़ बीज	65/-	,,	108.37.000	7,044.05
17-	लाख	–		–	–
18-	आंवला छाल	80/-	,,	46.85.000	3,748.00
19-	बिच्छुकांटा	–		–	–
20-	निम्बोली	–		–	–
21-	गोंद छोड़ी	450/-	,,	108.98.600	49,043.72
22-	गोंद गोदल	–		–	–
23-	गोंद सालर	600/-	,,	1068.38.200	6,16,650.00
24-	चिरोंजी	350/-	,,	23.84.500	8,345.75
				योग :–	38, 78, 787.92

नोट :–लदान व्यय कुल मूल्य का 2 प्रतिशत आता है।

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि.,
जनजाति विकास भवन–प्रतापनगर, उदयपुर (राज.)

लघु वन उपज के विक्रय का विवरण
1983-84 (फरवरी, 1984 तक)

क्र. सं.	नाम उपज	विक्रय दर	मात्रा	राशि
1	2	3	4	5
1–	गोंद धावड़ा	–	–	–
2–	गोंद खैर	–	–	–

1	2	3	4	5
3-	शहद	18/- किलो	4.19.000	7,242.00
4-	मोम	24/- "	3.24.000	7,776.00
5-	महुवा फुल	181/- क्वि.	16.88.00.00	3,05,528.00
6-	डोलमा	455 "	8.08.00.000	3,67,640.00
7-	रतनजोत	250 "	5.12.85.000	1,28,212.50
8-	गराज	275 "	6.28.89.000	1,72,944.75
9-	लाल अरण्डी	470 "	2.35.000	1,104.50
10-	धतुरी	240 "	2.50.52 000	60,124.80
11-	सफेद मूसली	50 से 157 किलो	13.87.450	1,87,185.65
12-	आंवला	100 क्विं.	4.12.00.000	41,200.00
13-	अरीठा	197 "	93.85.000	18,488.45
14-	आचार	–	–	–
15-	पूवाड़ बीज	73	29.00.00.000	2,12,400.00
16-	लाख	–	–	–
17-	आंवला छाल	–	–	–
18-	बिच्छुकांटा	200	1.01.00.000	20,200.00
19-	निम्बोली	45 "	8.15.000	366.75
20-	गोंद छोड़ी	–	–	–
21-	गोंद गोदल	–	–	–
22-	गोंद सालर	–	–	–
23-	चिरोंजी	–	–	–
24-	बहेड़ा	130 "	1 0^.000	130.00
			योग:-	15,31,043.40

नोट:-लदान व्यय कुल मूल्य का 2./ आता है।

(289)

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 535 की सूचना

परिशिष्ट "क"

भीलवाड़ा जिले के मार्गों की सूची व वाया जिन पर वर्ष 1980 से 1983 तक बसें चलीं।

क्रम संख्या	मार्ग का नाम व वाया
1	2
1.	भीलवाड़ा से देवली वाया बनेडा शाहपुरा पंडेर, जहाजपुर।
2.	भीलवाड़ा से बनेडा वाया मांडल।
3.	भीलवाड़ा से गुलाबपुरा वाया कांकोलिया, बनेडा, गंगरास।
4.	भीलवाड़ा से गुलाबपुरा वाया सांगानेर, बनेड़ा, दावला, हुरड़ा।
5.	भीलवाड़ा से शाहपुरा वाया सांगानेर, डिकोला।
6.	भीलवाड़ा से जहाजपुर वाया कोटडी, पारोलो, पंडेर।
7.	मांडलगढ़ से जहाजपुर वाया मानपुरा, काछोला।
8.	भीलवाड़ा से बेगू वाया सुवाणा, रूपाहेली, दौलत, बड़लियास।
9.	भीलवाड़ा से मांडलगढ़ वाया गंगरोप, हमीरगढ़, आमा।
10.	भीलवाड़ा से गंगापुर वाया लोखोला, पहुना।
11.	भीलवाड़ा से गंगापुर, वाया पुर, तिलोली, आमली, महेन्द्रगढ़।
12.	भीलवाड़ा से बेगू वाया हमीरगढ़, मंगरोप, सेठेया, माडास।
13.	भीलवाड़ा से रामपुर वाया मांडल, माडू, घोडास, वागोर, कोशीथल।
14.	भीलवाड़ा से रामपुर, वाया पुर, गरला, कारोई, महेन्द्रगढ़।
15.	भीलवाड़ा से अमेट वाया पांसल दरीबा।
16.	भीलवाड़ा से गंगापुर वाया पांसल, दरीबा, अमरगढ़।
17.	भीलवाड़ा से बदनोर वाया मांडल, हरीपुरा, निम्बाहेड़ा, सरेर।
18.	भीलवाड़ा से बदनोर वाया मांडल, भगवानपुरा, दौलतगढ़।
19.	भीलवाड़ा से भीम वाया मांडल भगवानपुरा, दौलतगढ़।
20.	भीलवाड़ा से गाररया वाया मांडल भगवानपुरा।
21.	भीलवाड़ा से देवगढ़ वाया मांडलगढ़, माडू देमाली, भगवानपुरा।

1	2
22.	आसीन्द से देवगढ़ वाया दांतडा, करार भीम, बास, लसानी ।
23.	गंगापुर से आमेट वाया सहाड़ा जोड़ महुवा, सरदारगढ़ ।
23.	गंगापुर से करेड़ा वाया देवरिया, रामपुरा, कोशीथल ।
25.	गंगापुर से देवगढ़ वाया कोशीथल, रामपुर, करेड़ा ।
26.	आसीन्द से शाहपुरा से वाया बावड़ी सरेरी ।
27	शाहपुरा से मांडलगढ़ वाया आर्मली, कोटली ।
28.	मांलगढ से जोसण्डी वाया मानपुरा महुवा ।
29.	बिजोलिया से कोटा वाया तिलजमा ।
30.	करेड़ा से ब्यावर वाया आसीन्द पाटन ।
31.	शाहपुरा से देवली वाया केकडी सावर ।
32.	भीलवाड़ा से ब्यावर वाया आसीन्द, बदनोर, सनवा ।
33.	करेड़ा से विजयनगर वाया तिलोली, गुलाबपुरा ।
34.	बदनोर से विजयनगर वाया संग्राम गढ़ ।
35.	शाहपुरा से विजयनगर वाया थामोर, कोड़िया, गुलाबपुरा ।
36.	शाहपुरा से विजयनगर वाया अरनिया, राजियावास, देवलिया ।
37.	शाहपुरा से सरवाड़ वाया कनेछन, धनोप, फूलिया ।
38.	भीलवाड़ा से मांडलगढ वाया हरणी मंगरोप ।
39.	देवगढ़ से पाली वाया कामलीघाट ।
40.	गंगापुर से पाली वाया करेडा, कामलीघाट ।
41.	शाहपुरा से ब्यावर वाया विजयनगर, जालिया ।
42.	भीलवाड़ा से अण्डालो, शंभूगढ़, दांतड़ा कालियास ।
43.	आसीन्द से गुलाबपुरा वाया पारसोली ।
44.	आसीन्द से विजयनगर वाया पारसोली शंभूगढ, गुलाबपुरा ।
45.	मांडलगढ़ से जहाजपुर वाया मानपुरा, तिरोडा ।
46	शाहपुरा से वेंगू वाया आमली खपरेल ।
47	गुलाबपुरा से जहाजपुरा वाया हुरड़ा कोटिया, धनोप ।
48.	शंकरगढ से रूचा वाया इटूंडा ।

1	2
49.	गंगापुर से भीम वाया सातगढ़ करेड़ा, बागोर ।
50.	जहाजपुर से देवली ।
51.	भीलवाड़ा स गंगापुर वाया पांसल दरीबा ।
52.	भीलवाड़ा से वेगू वाया मीचोर ।
53.	मंगनिवास से बिजोलिया ।
54.	भीलवाड़ा से हमीरगढ़ वाया मोसी मंगरोप ।
55.	गंगापुर से फतहनगर वाया राजीवास ।
	करटेल कोटला से फतहनगर ।
56.	गंगापुर से आवरीमाता ।

परिशिष्ट "ख"

भीलवाड़ा जिले के पक्के मार्गों की सूची

क्र. संख्या 1	मार्ग का नाम 2
1.	भीलवाड़ा से देवली वाया बनेड़ी, शाहपुरा, पन्डेर, जहाजपुर ।
2.	जहाजपुर से बनेड़ा वाया मांडल ।
3.	भीलवाड़ा से गुलाबपुरा वाया सांगानेर, बनेड़ा, डाबला, हुरड़ा ।
4.	भीलवाड़ा से गुलाबपुरा वाया कांकोलिया, बनेड़ा, मेघरास ।
5.	भीलवाड़ा शाहपुरा वाया सांगानेर ढिकोला ।
6.	भीलवाड़ा से जहाजपुर वाया कोटड़ी, पारोली पंडेर ।
7.	मांडलगढ़ से जहाजपुर वाया मानपुरा, काछोला ।
8.	भीलवाड़ा से बेगू वाया सुवाल, रुपाहेली, दांतला, बड़ाकियास ।
9.	भीलवाड़ा से मांडलगढ़ वाया मंगरोप, हमीरगढ़, आमा ।
10.	भीलवाड़ा से रायपुर वाया मांडल भाई बागोर ।
11.	भीलवाड़ा से रामपुर वाया पुर, कारोई ।
12.	भीलवाड़ा से बदनोर वाया मांडल, हरिपुरा, निम्बेहड़ा ।

1	2
13.	भीलवाड़ा से बदनोर वाया मांडल, भगवानपुरा, दौलतगढ़ ।
14.	भीलवाड़ा से खोरख्या वाया मांडल, भगवानपुरा ।
15.	भीलवाड़ा से देवगढ़ वाया माण्डल, बेबाली ।
16.	आसीन्द से देवगढ़ वाया दांतड़ा, भीम ।
17.	गंगापुर से आमेट वाया सहाड़ा सरदारगढ़ ।
18.	गंगापुर से करेड़ा वाया रामपुर कोशीथल ।
19.	गंगापुर में देवगढ़ वाया कोशीथल, रायपुर, करेड़ा ।
20.	मांडलगढ़ से जलीन्दरी वाया मानपुरा ।
21.	बिजोलिया से कोटा वाया तिलिस्मा ।
22.	करेड़ा से ब्यावर वाया आसोन्द, पाटन ।
23.	भीलवाड़ा से ब्यावर वाया आसीन्द, बदनोर ।
24.	शाहपुरा से विजयनगर वाया खामोर, कोठिया, गुलाबपुरा ।
25.	शाहपुरा से विजयनगर वाया राजीमास, देवलिया ।
26.	शाहपुरा से सरवाड़ वाया कनेधन, पूलिया ।
27.	भीलवाड़ा से मांडलगढ़ वाया हरणी, मंगरोप ।
28.	गंगापुर से पाली वाया करेड़ा, कामलीघाट ।
29.	शाहपुरा से ब्यावर वाया विजयनगर ।
30.	आसीन्द से गुलाबपुरा वाया पारसोली ।
31.	आसीन्द से विजयनगर वाया शंभूगढ़, गुलाबपुरा ।
32.	मांडलगढ़ से जहाजपुर वाया मालपुरा, टीबोड़ा ।
33.	शाहपुरा से बेगूं वाया आमली ।
34.	गंगापुर से भीम वाया करेड़ा, बागोर ।
35.	जहाजपुरा से देवली ।
36.	भीलवाडा से बेगूं वाया बीचोर ।
37.	भीलवाड़ा से हमीरगढ़ वाया भोली, मंगरोप ।
38.	गंगापुर से फतेहनगर वाया राजीवास, करटेल मोटवा से फतेहनगर ।
39.	गंगापुर से आवरीमाता ।

परिशिष्ट "ग"

भीलवाड़ा जिले के कच्चे मार्गों की सूची

क्रम संख्या	मार्ग का नाम व वाया
1.	भीलवाड़ा से बेगू वाया हमीरगढ़, मंगरोप सूटेया, साडोस।
2.	भीलवाड़ा से बनेरा वाया मंगरोप, आमा बस्सी विजयपुर।
3.	भीलवाड़ा से गंगापुर वाया लाखोलाल पहुना।
4.	भीलवाड़ा से गंगापुर वाया पुर, तिलोली आमली महेनुगढ़
5.	भीलवाड़ा से आमेट वाया पांसल दरीबा
6.	भीलवाड़ा से गंगापुर वाया पांसल दरीबा अमरगढ़
7.	आसीन्द से शाहपुरा वाया पालड़ी सटेटी, कुण्डिया।
8.	शाहपुरा से मांडलगढ़।
9.	मान्डलगढ़ से बून्दी वाया भानपुरा, महुआ, जलीन्दरी
10.	करेड़ा से विजयनगर वाया विलोली, दौलतगढ़ गुलाबपुरा।
11.	बदनोर से विजयनगर वाया संग्रामगढ़।
12.	शाहपुरा से देवली वाया कोटड़ी सावर।
13.	देवगढ़ से पाली।
14.	भीलवाड़ा से अन्टाली वाया शंभूगढ, दांतड़ा, बालिभास।
15.	गुलाबपुरा से जहाजपुर वाया हुरड़ा कोठिया, फूलिया, धनोप
16.	शंकरगढ़ से ऊंचा वाया लालखेड़ा इन्डा।
17.	मेगनिवास से बिजोलिया।

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 538 का जांच प्रतिवेदन

साप्ताहिक उद्‌बोधन पत्र में छपा समाचार विभाग में कार्यरत अधीक्षक श्री भीम सिंह देवड़ा के विरुद्ध अनियमितताऐं, रिश्वत लेने, भ्रष्टाचार आदि करने की कटिंग माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज ने निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर अंकित किया है कि इस मामले की जांच की जाकर वस्तुस्थिति से शीघ्र अवगत कराया जावे।

इस सम्बन्ध में श्री मालाराम, सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा विधान सभा में प्रश्न उठाया गया है। अतारांकित प्रश्न संख्या 2033/अ. ता. का जो उत्तर विभाग द्वारा विधान सभा सदन की मेज पर रखा गया है वह पृष्ठ 12 से 16/सी पर अवलोकनीय है। विभाग ने प्रश्न के बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 का द्वितीय भाग में जी हां के रूप में उत्तर भिजाकर यह स्वीकार किया है कि कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की जाकर दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री भीमसिंह देवड़ा, कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध साप्ताहिक उद्‌बोधन पत्र में निम्न आरोप लगाये गये हैं जिनकी रिकार्ड के आधार पर जांच की जाकर तथा प्रत्येक आरोपों पर टिप्पणी अंकित कर दी गई है :–

शिकायत	जांच की जाकर रिकार्ड के आधार पर तथ्य
(1) श्री देवड़ा द्वारा 250–00 रुपये गरीब महिला से लेकर शराब व अस्मत लूटने का आरोप लगाया है।	(1) इस शिकायत में न तो महिला का नाम पता दिया है और न ही उस महिला से सम्बन्धित मामले (पदस्थापना या ट्रान्सफर या विभागीय जांच आदि) का विवरण दिया है। अतः कार्यवाही संभव नहीं है।
(2) श्री देवड़ा द्वारा 6 माह का अनुचित रुपया आफिसियेटिंग का उठाया जबकि कार्यालय में कार्य का बंटवारा हुआ कोई विशेष भत्ता देय नहीं है।	(2) इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया गया तो विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17 ( ) संस्था/सी डी पी/प्रशा–1/2354 दिनांक 30–4–82 के द्वारा श्री माधोसिंह, तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक (प्रशासन) के सेवा-

शिकायत	जांच की जाकर रेकार्ड के आधार पर तथ्य
	निवृत्त होने के कारण कार्यालय अधीक्षक का चार्ज श्री भीमसिंह देवड़ा, कार्यालय अधीक्षक (जांच) को अपने कार्य के अतिरिक्त दिया गया। साथ ही उक्त आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि प्रशासन शाखा का कुछ कार्य ही उनके नियन्त्रण में रहेगा बाकी सीधा डिलिंग क्लर्क द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को भिजाया जावेगा। श्री देवड़ा को विभागीय आदेश दिनांक 6.11.82 के अनुसार दिनांक 1.5.82 से 31.10.82 तक राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 (ब) के अनुसार स्वयं के वेतन का 1/5 भाग कार्यवाहक भत्ता स्वीकृत किया गया है। श्री भीमसिंह देवड़ा, कार्यालय अधीक्षक ने दिनांक 14.9.82 को निदेशक महोदय को यह लिख कर दिया है कि वे कार्यालय अधीक्षक (प्रशासन) का कार्य नहीं करना चाहते। जबकि उन्होंने कार्यवाहक भत्ता दिनांक 1. 5. 82 से 31. 10. 82 तक उठाया है।
(3) श्री देवड़ा ने ग्राम पंचायत सनेट के सरपंच को चार्ज के सम्बन्ध में अवर सचिव के बजाज स्वयं के हस्ताक्षर करके पत्र जारी किया जबकि न्यायालय में याचिका दायर थी।	(3) इस सम्बन्ध में जांच शाखा को पत्रावली क्रमांक एफ 3 (ए जे) स. मा./82 पंचायत सनेट का अवलोकन किया गया। श्री बृज मान सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत सनेट ने दिनांक 4. 10. 82 को निदेशक महोदय को इस आशय का आवेदन पत्र विभाग में प्रस्तुत किया कि पूर्व सरपंच द्वारा पंचायत का चार्ज नहीं संभलाया जा रहा है। कार्यालय अधीक्षक श्री देवड़ा ने उक्त पत्र पर दिनांक 4.10.82 को पत्रावली प्रस्तुत करने के आदेश देकर श्री गुप्ता व माथुर लिपिक को मार्क किया। सम्बन्धित लिपिक द्वारा कार्यालय

शिकायत	जांच की जाकर रिकार्ड के आधार पर तथ्य
	टिप्पणी पर कोई नोट नहीं दिया गया और न ही स्थिति अवगत कराई गई है। दिनांक 12.10.82 को उप विकास आयुक्त (जांच) श्री पी. सी. बलाई कार्यालय में उपस्थित थे किन्तु कार्यालय अधीक्षक, श्री भीमसिंह देवड़ा ने उनके समक्ष न तो पत्रावली ही प्रस्तुत की और न ही आदेश प्राप्त किये। उन्होंने दिनांक 12.10.02 को अवर सचिव (जांच) के स्थान पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एक पत्र जिलाधीश सवाईमाधोपुर को जारी किया कि सरपंच सनेट को शीघ्र नियमानुसार चार्ज दिलाया जाकर विभाग को अवगत करे। उक्त पत्र की प्रतिलिपि सरपंच व विकास अधिकारी हिण्डौन को भी दी गई। पृष्ठ 25/सी अवलोकन है। इस प्रकार रिकार्ड के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से आता है कि श्री भीमसिंह देवड़ा, अधीक्षक ने अपने पद का दुरुपयोग कर सम्बन्धित अधिकारी के बिना नोटिस में लाये स्वयं के हस्ताक्षरों से अवर सचिव(जांच) के स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर पत्र जारी किया जबकि उनको यह अधिकार नहीं है। यहां यह भी उल्लेख करना उपयुक्त रहेगा कि यह मामला मा. उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है और न्यायालय द्वारा पूर्व सरपंच को रिट याचिका पर "स्टे आर्डर" दिया हुआ है।
(4) कार्यालय अधीक्षक द्वारा ग्राम पंचायत रामगढ़ (जयपुर) के पूर्व सरपंच से उनके किसी मामले में पैसे लेने का आरोप है।	(4) साप्ताहिक उद्बोधन दिनांक 11 मार्च 83, में श्री भीमसिंह देवड़ा, कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध एक शिकायत यह भी छपी है कि उन्होंने पूर्व सरपंच रामगढ़ से

शिकायतें	जांच की जाकर रिकार्ड के आधार पर तथ्य
	नकल देने में पैसे लिए। समाचार पत्र में दिया गया उदहारण भी छपा है कि नकल कई चक्कर काटने पर व देवड़ा को रुपये देने पर ही मिली।
	इस सम्बन्ध में जांच शाखा की पत्रावली एफ 3 (ए जे) (15) जयपुर/68 का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह तथ्य स्पष्ट है कि श्री छीतरमल, पूर्व सरपंच, रामगढ़ ने दिनांक 16.8.82 को विभागीय आदेश दिनांक 28.4.78 को नकल चाहने हेतु निर्धारित फार्म पर 1 रुपये का कोर्ट फीस टिकट लगा नकल चाही। इस आवेदन पत्र पर श्री भीम सिंह देवड़ा, कार्यालय अधीक्षक (जांच) ने दिनाक 30.8.82 को नियमानुसार नकल दिये जाने के आदेश देकर पत्र सम्बन्धित लिपिक श्री पी. सी. कुमावत, कनिष्ठ लिपिक को दिया। इस पत्र पर क्रमांक 1618 दिनांक 30.8.82 जांच शाखा की जनरल रिसीट का नम्बर लगा हुआ है। जांच शाखा की जनरल रिसीट का रजिस्टर भी देखा गया तो यह पत्र इस नम्बर पर दर्ज होना नहीं पाया गया बल्कि 1618 नम्बर खाली रखा जाकर 1619 नम्बर चालू किया गया। सम्बन्धित लिपिक की दैनिक डायरी में भी यह पत्र दर्ज होना नहीं पाया जाता है जबकि अन्य पत्र दर्ज हैं। इससे यह पता नहीं चलता कि यह पत्र विभाग में डाक द्वारा प्राप्त हुआ अथवा पूर्व सरपंच द्वारा दस्ती दिया गया क्योंकि हस्ताक्षर करने वाले ने 16.8.82 दिनांक अंकित किया है और कार्यालय अधीक्षक ने 30.8.82 को आदेश दिये हैं।

शिकायत	जांच की जाकर रिकार्ड के आधार पर तथ्य
	सम्बन्धित लिपिक ने नोट शीट पर नकल देने के कोई आदेश प्राप्त नहीं कर पत्र के पीछे ही "नियमानुसार देय है अतः हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है" लिखकर दिनांक 30.8.82 को कार्यालय अधीक्षक को तथा अवर सचिव (जांच) को मार्क किया। जबकि अवर सचिव (जांच) को यह भेजा ही नहीं गया और नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि पर कार्यालय अधीक्षक (जांच) द्वारा दिनांक 30.8.82 को हस्ताक्षर किये गये हैं। यहा यह भी उल्लेख कर देना उपयुक्त होगा कि यह सारी कार्यवाही दिनांक 30.8.82 को एक ही दिन में पूरी करली गई जबकि नकल साधारण टिकट 1/- रुपये पर दी गई है जिसकी मियाद कम से कम 3 दिन की होती है। शंका का विषय है। कार्यालय अधीक्षक को कोई स्टाम्प पर नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर देने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल राजपत्रित अधिकारी को ही प्रदत्त है। इस प्रकार श्री भीमसिंह देवड़ा कार्यालय अधीक्षक (जांच) ने अपने पद का पूर्ण दुरुपयोग कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही की है।

इस सम्बन्ध में पैरा (1) एन पर माननीय मंत्री महोदय पंचायती राज ने इस मामले की जांच कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के आदेश दिये हैं। रिकार्ड के आधार पर श्री भीमसिंह देवड़ा का, अधीक्षक (जांच) के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर करना तथा अपने पद का पूर्ण दुरुपयोग कर रिकार्ड में हेराफेरी करना पाया जाता है। श्री देवड़ा अस्थाई कार्यालय अधीक्षक हैं। अतः मेरा सुझाव है कि पैरा 6/एन के पालना में 17/सी सी ए नियम की कार्यवाही की जावे तथा उन्हें या तो तत्काल निलम्बित कराया जावे अथवा पदावनत कराया जावे।

ह/–
(के. एन. गुप्ता)
उप शासन सचिव एवं पदेन
उप विकास आयुक्त (प्रशासन)

4.4.83

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 539 की सूची

वर्ष	नाम पं.स.	क्र.सं.	नाम सरपंच व पंचायत जिसे निलम्बित किया गया	निलम्बन का दिनांक	आरोपों का विवरण
1	2	3	4	5	6
80-81	हुरड़ा	1.	श्री गोकल चन्द, गोगेड़ा	8.7.80	काम के बदले अनाज योजना में फर्जी हाजरियां भरना एवं पद का दुरुपयोग करना।
80-81	सुवाणा	1.	श्री गणेश लाल, दांतल	18.9.80	काम के बदले अनाज योजना में राशि का गबन एवं अनियमित कार्यवाही करना।
81-82	,,	2.	श्री नाथू सिंह, कोटूकोटा	10.9.81	,, ,,
,,	,,	3.	श्री मोहन सिंह, पान्सल	10.9.81	,, ,,

1	2	3	4	5	6
81–82	सुवाणा	4.	श्री राजमल, बड़ा महुआ	9.9.81	निर्माण कार्यों की राशि में घोटाला एवं पद का दुरुपयोग।
83–84	,,	5.	श्री भोपाल सिंह, सुवाणा	17.2.84	पंचायत कोष की राशि का गबन, भूमि विक्रय में अनियमितताएं आदि।
80–81	बनेड़ा	1.	श्री ओंकार लाल, सरदारनगर	21.1.81	काम के बदले अनाज योजना में अनियमित कार्यवाही, पद का दुरुपयोग।
81–82	जहाजपुर	1.	श्रीमती प्रेमकंवर, रोपा	15.5.81	काम के बदले अनाज योजना में अनियमितताएं, पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग।
81–82	,,	2.	श्री कल्याणमल, इट्न्दा	27.8.81	पंचायत कोष की राशि का गबन, दुरुपयोग एवं अनियमित कार्यवाही।
81–82	कोटड़ी	1.	श्री शिव नारायण, आकोला	3.6.81	खुदे निर्माण में अनियमितताएं तथा पद का दुरुपयोग, अनियमित कार्यवाही।

1	2	3	4	5	6
81-82	शाहपुरा	1.	श्री हरक चन्द, भांसेड़ा	3.6.81	काम के बदले अनाज योजना में अनियमित कार्यवाही, पद का दुरुपयोग ।
81-82	,,	2.	श्री रघुवीर सिंह, तसवारिया	10.9.81	,, ,,
82-83	,,	3.	श्री नरेन्द्र सिंह, धनोप	8.3.83	अनियमित कार्यवाही तथा पटवारी के साथ मारपीट ।
82-83	शाहपुरा	4.	श्री श्याम सुन्दर, कनेछनकलां	26.3.83	नैतिक पतन तथा दुराचरण ।
81-82	आसीन्द	1.	श्री देवकरण, कालियास	23.4.81	काम के बदले अनाज योजना में अनियमित कार्यवाही, पद का दुरुपयोग ।
,, ,,	,,	2.	श्री सोहन दास, गंगलास	10.9.81	,, ,,
,, ,,	,,	3.	श्री उगम लाल, बराण	3.9.81	,, ,,
81-82	माण्डल	1.	श्री भोज्याराम, दहीमथा	4.7.81	काम के बदले अनाज योजना में श्रमिकों से अनियमित राशि वसूल करना ।

1	2	3	4	5	6
81–82	रायपुर	1.	श्री लालूराम, बागोलिया	3.9.81	पद का दुरुपयोग, काम के बदले अनाज योजना में अनियमित कार्यवाही ।
82–83	माण्डलगढ़	1.	श्री रामेश्वर, बिजोलिया	12.8.83	न्यायालय के आदेश की पालना न करना, राशि का गबन, पद का दुरुपयोग ।
83–84	,,	2.	श्री शान्ती लाल, महुआ	2.1.84	राशन कार्डों में अनियमित राशि वसूल करना, पद का दुरुपयोग करना ।

भाग (3) सम्बन्धित सूची

नाम पंचायत समिति	क्र.सं.	नाम सरपंच व ग्राम पंचायत जिसके विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है	दिनांक जब से कार्यवाही विचाराधीन है।	आरोपों का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5
1-जहाजपुर	1	श्री कल्याणमल, ईटून्दा	8.1.81	निरीक्षण पालना रिपोर्ट प्रस्तुत न करना, पद का दुरुपयोग तथा पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग
	2	श्री देवीलाल पूर्व, बेई	9.1.82	पंचायत कोष की राशि का गबन/दुरुपयोग
	3	श्री भवानी शंकर, ऊंचा	11.8.81	फर्जी हाजरियां भरना तथा पद का दुरुपयोग
	4	श्री खेमराज सिंह, भू.पू., टीकड	25.9.82	फर्जी रिकार्ड तैयार करना तथा राशि का गबन

1	2	3	4	5
	5	श्री जसवंतसिंह, ग्रामल्दा	28.11.83	घोड़ी नीलामी में अनियमितताएं एवं पद का दुरुपयोग ।
	6	श्री भूरा लाल, भगूनगर	12.8.81	सामान क्रय में अनियमितताएं एवं पद का दुरुपयोग ।
	7	श्री मगनलाल, पण्डेर	22.5.83	पट्टा वितरण में अनियमित कार्य-वाही, पद का दुरुपयोग ।
	8	श्री मगनलाल, पण्डेर	3.12.83	आबादी भूमि विक्रय में अनियमितताएं, पद का दुरुपयोग, पंचायत का रिकार्ड स्वयं के पास रखा जाना ।
	9	श्री मनोहरसिंह, शक्करगढ़	31.12.75	पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग आडिट के अनुसार
	10	श्री देवीलाल, भू. पू., बेई	29.8 83	राजकीय राशि का गबन तथा दुरुपयोग किया जाना ।

1	2	3	4	5
	11	श्री बरदीचन्द, सरसिया	21.7.81	पद का दुरुपयोग तथा पंचायत कोष की राशि को हानि पहुंचाना ।
	12.	श्री अमराराम, भू. पू., धूवाला	22.9.83	खाद बीज की राशि का दुरुपयोग तथा गबन करना ।
	13	श्रीमती प्रेम कुंवर, भू. पू., रोपा	1.5.81	पंचायत कोष की राशि का गबन, दुरुपयोग एवं अनियमित कार्यवाही किया जाना ।
	14	श्री कल्यामल, भू. पू., ईटून्दा	26.3.79	पद का दुरुपयोग, पंचायत कोष को हानि पहुंचाना ।
2–शाहपुरा	1	श्री श्याम सुन्दर, कनेछन कलां	10.7.79	काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत राशि का गबन ।
	2	श्री सुगनलाल, दौलतपुरा	6.10.79	काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत राशि का गबन ।

1	2	3	4	5
	3	श्री सुगनलाल, दौलतपुरा	11.11.83	पंचायत कोष की राशि का गबन एवं अनियमित कार्यवाही।
	4	श्री उदयसिंह, भू. प., खामोर	10.5.82	सहायता कार्यों पर लगे मजदूरों को अपने खेत पर कार्य कराना।
	5	श्री हरकचन्द, बासेडा	13.4.79	गंभीर अनियमितताएं, गबन, पद का दुरुपयोग आदि।
	6	श्री हेमराज, काद्दी सहना	9.12.80	गेहूँ तथा पंचायत कोष की राशि का गबन किया जाना।
	7	श्री दुर्गालाल, बिलिया	25.7.81	पंचायत की राशि का गबन एवं पांच पांच रुपये अनियमित वसूल करना।
	8	श्री भूरालाल, भू. पू., हुक्मपुरा	8.5.81	राशन कार्डों की राशि वसूली किये जाने।
	9	श्री रघुवीरसिंह, तसवारिया	23.10.81	निरीक्षण रिपोर्ट की पालना प्रस्तुत न

1	2	3	4	5
				करना। पंचायत कोष की राशि का गबन।
	10	श्री जगदीश चन्द, मिण्डोलिया	3.1.77	खाद बीज की राशि का दुरुपयोग।
	11	श्री जगदीश चन्द, मिण्डोलिया	1.9.77	राशन कार्डों में अधिक राशि वसूल करना एवं अनियमित कार्यवाही।
	12	श्री श्याम सुन्दर, कनेछनकलां	6.7.79	बिना नाम भूमि पर अतिक्रमण किया जाना।
	13	श्री हुकमचन्द, बांसेडा	22.11.78	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बेदखल किया जाना।
	14	श्री रामविलास, ईटडिया	23.11.76	खाद बीज की राशि का दुरुपयोग किया जाना।
	15	श्री उगरसिंह, बछखेडा	31.7.80	राजकीय आदेशों की अवहेलना तथा पद का दुरुपयोग एवं काईन हाउस में अधिक राशि वसूल किया जाना।

1	2		3	4	5
		16	श्री चन्दनमल, भू. पू., बिलिया	30.4.74	निरीक्षण में रिकार्ड प्रस्तुत न करना, राशि का गबन व दुरुपयोग ।
		17	श्री रामधन, कोठिया	21.12 83	हरे वृक्ष अनियमित कटवाना ।
		18	श्री श्याम सुन्दर, कनेछनकला	12.4.83	पंचायत की बैठक न बुलायी जाना, निरीक्षण रिपोर्ट की पालना न करना ।
		19	श्री नरेन्द्र सिंह धनोप	5.3.83	पटवारी के साथ मारपीट किये जाने, मस्टररोल में अनियमित कार्य ।
		20	श्री रघुवीरसिंह, तसवारिया	19.2.81	अकाल राहत कार्यों में राशि का गबन एवं अनियमित कार्यवाही ।
3—	माण्डल	1	श्री भोज्याराम, दहीमथा	9.6.81	अकाल राहत कार्यों में राशि का गबन एवं अनियमित कार्यवाही ।
		2	श्री मदनसिंह, भू. पू. मभाणा	9.4.81	अनुदान राशि का दुरुपयोग, पाठशाला भवन राशि का गबन ।

1	2	3	4	5
	3	श्री डूंगरसिंह, बेमाली	22.12.80	काम के बदले अनाज योजना की खाली बोरियों से प्राप्त राशि का गबन।
	4	श्री चतरसिंह, चिताम्बा	27.1.76	खाद बीज राशि का दुरुपयोग किया जाना।
	5	श्री जीवनलाल, टहूका	15.5.79	पंचायत कोष की राशि का गबन एवं पद का दुरुपयोग।
	6	श्री ओंकारसिंह, भू. पू., दहीमथा	18.9.76	निर्माण कार्यों की राशि का गबन तथा दुरुपयोग
	7.	श्री मनोहरलाल, भगवानपुरा	6.12.75	पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग अनियमित कार्यवाही।
	8	श्री मधुकर शर्मा, विलेश्वर	18.7.77	,, ,, ,,
	9	श्री माणक सिंह, आमलदा	19.9.76	,, ,,
	10	श्री भंवरलाल, भू. पू., निम्बाहेड़ा	18.9.79	निर्माण कार्य की राशि का गबन तथा दुरुपयोग।

1	2	3	4	5
	11	श्री नानालाल चिलेश्वर	13.7.83	अकाल राहत कार्यों की राशि का गबन करना।
	12	श्री भोज्याराम, व्हीमथा	23.7.83	मस्टररोल में अपने पुत्र की हाजरी भरना तथा अनियमित कार्यवाही करना।
4– कोठडी	1	श्री बरदीचन्द, राखेड	4.1.84	भेड़ यूनिट क्रय ऋण में अनियमितताऐं एवं पद का दुरुपयोग।
	2	श्री करणसिंह, नन्दराय	10.10.79	घास बीज क्रय एवं विक्रय से पचायत कोष को हानि पहुंचाना।
	3	श्री कन्हैयालाल, सुठेपा	13.5.80	काम के बदले अनाज योजना राशि का तथा गेहूँ का गबन।
	4	श्री करणसिंह, नन्दराय	7.7.78	बिना नाम जमीन में तलिये कांटना तथा पद का दुरुपयोग।
	5	श्री हरलाल, किशनगढ़	8.7.74	कर्त्तव्य विमुखता दोष पाया जाना तथा पद का दुरुपयोग।

311

1	2	3	4	5
	6.	श्री शंकरलाल, रीछ	24.4.79	पंचायत कोष की राशि का गबन किया जाना।
	7.	श्री सज्जनसिंह, भू. पू., बडला	19.6.78	घास बीड़ की राशि का दुरुपयोग।
	8.	श्री शिवनारायण, आकोला	18.3 81	कुई की राशि का दुरुपयोग, अनियमित कार्यवाही करना।
5– सुवाणा	1	श्री गोरधनसिंह, सेथुरिया	29.8.83	निरीक्षण न कराना एवं आदेशों की पालना न किया जाना।
	2	श्री राजमल, बड़ा महुआ	27.11.80	पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग किया जाना।
	3	श्री गणेशलाल, सुवाणा	6.1.77	खाद बीज की राशि का दुरुपयोग किया जाना।
	4	श्री कंवरलाल, कोदूकोटा	3.12.76	,, ,, ,,
	5	श्री हसन खां, भालोला	16.10.80	काम के बदले अनाज योजना के निर्माण कार्यों में राशि का गबन

1	2	3	4	5
	6. श्री नाथूसिंह, कोदूकोटा		19.9.80	काम के बदले अनाज योजना में निर्माण कार्यों में राशि का गबन ।
	7. श्री रामेश्वरलाल, सांगवा		28.4.79	अनियमित भूमि विक्रय के पट्टे जारी किये जाना ।
	8 श्री नाथूसिंह, कोदूकोटा		25.6.75	निर्माण कार्यों की राशि का दुरुपयोग
	9. श्री रामेश्वरलाल, सांगवा		28.11.77	निरीक्षण नहीं कराना. आदेशों की पालना न करना, पद का दुरुपयोग ।
	10. श्री भोपाल सिंह सुवाणा		27.3.83	पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग भूमि विक्रय में अनियमिततायें ।
	11. श्री गोरधनसिंह, सेथूरिया		17.12.83	पंचायत कोष को राशि का गबन किया जाना ।
	12. श्री गोरधनसिंह, सेथूरिया		26.8.79	,, ,, ,,
	13. श्री मोहनसिंह, पान्सल		26.5.79	काम के बदले अनाज योजना में राशि का गबन एवं फर्जी हाजरियां भरना

1	2	3	4	5
	14.	श्री नन्दसिंह, आरजिया	9.9.77	खाद बीज की राशि का दुरुपयोग।
	15.	श्री भोपालसिंह, सुवाणा	21.12.83	पंचायत कोष की राशि का गबन।
	16.	श्री गोकल, भू. पू., आठूण	3.0.82	भूमि विक्रय में अनियमितताएँ किया जाना तथा पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग।
	17.	श्री गणेशलाल बांथल	25.2.80	पंचायत कोष की राशि का गबन।
(– बनेड़ा	1.	श्री रतनलाल, खेडलिया	9.7.76	पालना प्रस्तुत न करने, आदेशों की अवहेलना तथा पद का दुरुपयोग।
	2.	श्री रतनलाल, खेडलिया	27.8.76	खाद बीज की राशि का दुरुपयोग।
	3.	श्री तेजराम, कंकोलिया	15.9.83	,, ,, ,,
	4.	श्री घीसालाल, बालेसरिया	30.7.76	,, ,, ,,
	5.	श्री गजसिंह, रूपाहेली	8.1.79	कार्डन हाउस की राशि का दुरुपयोग एवं अनियमित कार्यवाही।

1	2	3	4	5
	6.	श्री बालूराम, महुआखुर्द	25.10.79	भूमि विक्रय तथा पंचायत कोष को हानि पहुंचाना।
	7.	श्री गोरधनलाल, रायला	26.4.79	भूमि विक्रय तथा पंचायत कोष को हानि पहुंचाना।
	8.	श्री तेजराम, कंकोलिया	30.7.79	पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग।
	9.	श्री भारत विजयसिंह, डाबला	3.12.83	कुइयों की राशि का गबन।
	10.	श्री ओंकार सिंह, बैरा	27.6.83	फर्जी हाजरियां भरना, पद का दुरुपयोग किया जाना।
	11.	श्री रणवीर सिंह, बनेड़ा	13.7.82	पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग एवं अनियमित कार्यवाही।
	12.	श्री ओंकारलाल, सरदारनगर	21.8.80	,, ,, ,,
7– रायपुर	1.	श्री शंकर लाल, रायपुर	27.8.82	अनियमित कार्यवाही तथा पद का दुरुपयोग।

1		2 3	4	5
		2. श्री डालचन्द, थला	14.6.82	सीमेन्ट राशि को घोटाला।
		3. श्री भैरूलाल, आशाहोली	22.4.83	पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग।
		4. श्री लालूराम, वागोलिया	17.3.81	अकाल राहत कार्यों में अनियमितताये, पद का दुरुपयोग।
8–	सहाड़ा	1. श्री सीतारामदास, चावण्डिया	9.1.82	पंचायत कोष की राशि का गबन, पद का दुरुपयोग।
		2. श्री बालूदास, शिवरती	2.3.82	राशन कार्डों में अनियमितताये।
		3. श्री नारायण सिंह, अरनिया	30.1.81	निरीक्षण रिपोर्ट की पालना प्रस्तुत न करना, राशि का गबन।
		4. श्री मांगीलाल, भरक	26.5.82	अकाल राहत कार्यों की राशि का गबन।
		5. श्री खूबीलाल, सातलियावास	12.11.83	
		6. श्री उम्मेदसिंह, कोसिथल	13.12.83	अकाल राहत कार्यों की राशि का गबन एवं पद का दुरुपयोग।

1	2	3	4	5
9— हुरड़ा	1. श्री रामनिवास	भोजरास	2.11.82	पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग, काटफांस किया जाना ।
	2. श्री गोकलचन्द	गागोड़ा	14.5.80	अकाल राहत कार्यों में फर्जी हाजरियां भरना ।
	3. श्री अमर सिह	लाम्बा	9.12.83	भूमि विक्रय में अनियमितताएं ।
	4. श्री राम प्रसाद	गुलाबपुरा	17.9.80	,, ,, ,,
	5. श्री नारायण लाल	बड़ला	12.1.84	पंचायत कोष की राशि का गबन तथा दुरुपयोग, अनियमित कार्य ।
	6. श्री राधाकिशन	सेतड़ी	26.11.79	अकाल राहत कार्यों की राशि का गबन किया जाना ।
10— आसीन्द	1. श्री उदयसिंह	झालरिया	17.4.76	निरीक्षण की पालना न किया जाना, अनियमित कार्यवाही ।
	2. श्री डूंगरसिंह	आकडसादा	30.11.76	पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग ।

1	2	3	4	5
	3.	श्री देवीसिंह, अणटाली	21.8.77	निरीक्षण न कराया जाना, आदेशों की अवहेलना किया जाना ।
	4.	श्री लहरचन्द, चैनपुरा	2.7.77	खाद बीज की राशि का दुरुपयोग ।
	5.	श्री उगम लाल, कराणा	18.6.80	अकाल राहत कार्यों में अनियमितताएँ, पद का दुरुपयोग ।
	6.	श्री भैरू सिंह, मोटरास	22.6.83	पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग ।
	7.	श्री नानूराम, पडोसली	10.1.79	भूमि विक्रय में अनियमितताएँ किया जाना ।
	8.	श्री रहमतअली, सरपंच, भोजपुरा	7.10.78	पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग किया जाना ।
	9.	श्री जमनालाल, मोड़का निम्बाहेड़ा	11.9.75	खाद बीज की राशि का

1	2	3	4	5
				दुरुपयोग किया जाना।
		10. श्री देवकरण, कालियास	23.4.80	काम के बदले अनाज योजना में राशि का गबन।
		11. श्री सोहनलाल, गंगलास	24.4.80	,, ,, ,,
		12. श्री भैरूसिंह, मोटरास	22.11.76	पंचायत कोष की राशि का गबन एवं दुरुपयोग।
		13. श्री छोगालाल, दान्तड़ा	29.8.79	फर्जी ऋण पत्र तैयार करना, पद का दुरुपयोग।
16–	माण्डलगढ़	1. श्री समरथ सिंह, श्रीनगर	23.7.81	अनियमित राशि वसूल करना।
		2. श्री चान्दमल व्यास, बिगोद	22.12.80	अनियमित कार्यवाही किया जाना, पद का दुरुपयोग किया जाना।
		3. श्री सोहनलाल, धामनिया	6.2.79	पंचायत कोष की राशि का गबन।

1	4	5
4. श्री नन्द किशोर, भोपतपुरा	24.5.75	पंचायत कोष की राशि का गबन ।
5. श्री कन्हैयालाल, मालकाखेड़ा	21.5.79	पद का दुरुपयोग एवं अनियमित कार्यवाही ।
6. श्री शान्तीलाल, महुआ	22.6.83	राशन कार्डों में अनियमित कार्यवाही ।
7. श्री रामेश्वरलाल, बिजोलिया	3.1.83	न्यायालय के आदेश की पालना न किया जाना ।
8. श्री रामेश्वरलाल, बिजोलिया	6.4.83	पंचायत कोष की राशि का गबन ।